

बाढ आपदा प्रबंधन
प्लान (**DDMP**)
—2025—
जिला कोटा

अध्याय—1

प्रस्तावना

1.1 विकास और आपदा :-

इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीक के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदाएँ उसके नियंत्रण में नहीं है वरन् प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़, भूकम्प, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। 1999 में उड़ीसा में आये तूफान तथा 2001 में गुजरात का भूकम्प विनाश के ताजे उदाहरण हैं।

1.2 बहु-आपदा अनुक्रिया योजना

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएँ, आंगजनी, सड़क दुर्घटनाएँ, रेल व वायुयान दुर्घटनाएँ इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। पिछले 50 वर्षों (1950-2000) में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 44 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965-69, 1979-82, 1984-87, 1991-92 व 1999-2000 में रहा है। पिछले दो दशकों में मात्र 1983-84, 1992-93, 1995-96, 1997-98 व 2008-2013 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन

जिले में सूखा कभी-कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियंत्रित जल विदोहन, गलत फसलो के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएँ हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन, एवं पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु-अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढाँचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

1.3 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य :-

1. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
2. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
3. आपदा न्यूनीकरण (**Minimisation**) के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
4. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
5. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
6. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारु रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य

कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-

1. प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standarisation) करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
5. स्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

1.4 नीतिगत कथन :-

गुजरात के भुज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जूझना पड़ा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले वर्षों की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुण्ठणसर में बाढ़ तथा पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

अध्याय – 2

जिले की रूपरेखा

2.1 कोटा का संक्षिप्त इतिहास :-

कोटा जिले का नाम इसके जिला मुख्यालय नगर कोटा के नाम पर रखा गया है जो कोटा रियासत की राजधानी भी थी। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार बून्दी के राजा राव देवा के प्रपोत्र जेत सिंह ने चम्बल नदी के पूर्व में स्थित अकेलगढ़ जिसका शासक कोटिया भील था पर आक्रमण कर कोटा नगर बसाया, जिसका नाम उसने कोटाह (कोटा) रखा। एक अन्य विवरण के अनुसार जैत सिंह ने विक्रम संवत् 1321 (1264 ईस्वी) में अकेलगढ़ पर विजय प्राप्त कर कोटा को अधिग्रहित किया। सन् 1625 तक कोटा परगना बून्दी राज्य के अधीन रहा। बाद में मुगल बादशाह जहांगीर ने राजा राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह की शूरवीरता से प्रसन्न होकर उसे कोटा एवं उसके साथ 360 गांव भेंट किये एवं माधो सिंह कोटा का प्रमुख बनाया गया। बाद में कोटा को अलग राज्य घोषित कर दिया गया एवं यहां के शासक महाराव कहलाने लगे।

माधो सिंह के बाद मुकन्द सिंह, जगत सिंह, प्रेम सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह, भीम सिंह, अर्जुन सिंह, अजीत सिंह, छत्रपाल प्रथम, गुमान सिंह, उम्मेद सिंह प्रथम, किशोर सिंह द्वितीय, छत्रपाल सिंह द्वितीय, उम्मेद सिंह द्वितीय एवं भीम सिंह द्वितीय कोटा के शासक बने। कोटा के अन्तिम शासक महाराव भीमसिंह द्वितीय रहें। जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल एवं ऐतिहासिक धरोहर निम्नानुसार :- चम्बल उद्यान, हाडौती यातायात प्रशिक्षण पार्क, क्षार बाग, मथुराधीश मंदिर, कन्सुआ का शिव मंदिर, चारचौमा का शिवालय, भीमचौरी का मंदिर, बूढादीत का सूर्य मंदिर, गैपरनाथ, दरा अभ्यारण्य-मुकन्दरा हिल्स नेशनल पार्क, विभीषण मंदिर, खड़े गणेश जी का मंदिर, गणेश उद्यान, कोटा बैराज, राजकीय संग्रहालय, सेवन वण्डर्स एवं राव माधोसिंह म्यूजियम आदि।

2.2 भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु :-

यह जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में 24.2° और 25.2° उत्तरी अक्षांश तथा 75.37° एवं 77.26° दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है, जिले के पश्चिम में चित्तोडगढ़ जिला व बून्दी जिला दक्षिण में झालावाड़ पूर्व में बांरा उत्तर में सवाई माधोपुर एवं टोंक जिला है। धरातल का हल्का सा ढलान दक्षिण से उत्तर की तरफ है। दक्षिण एवं उत्तरी भागों में पहाड़िया दिखाई देती है। विंध्य पहाड़ियों की मुकन्दरा श्रेणी जिले में स्थित है। कई स्थानों पर दोहरी संरचना दो पृथक पर्वत श्रेणियों की है जो एक दूसरे से दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर समानान्तर जाती है। इन पर्वत श्रेणियों के मध्य वाला भाग कहीं-कहीं घने जंगलों से आच्छादित है।

जिले में बारहमासी बहने वाली चम्बल नदी है। जिसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत है, जो मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में होकर बहती है। उत्तरप्रदेश में 32 किलोमीटर बहने के पश्चात् इटावा शहर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। जिले की अन्य सहायक नदियां कालीसिंध, पार्वती, परवन एवं उजाड़ है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5217.00 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें शहरी 310.00 वर्ग किलोमीटर एवं ग्रामीण 4906.95 वर्ग किलोमीटर है।

जलवायु की दृष्टि से यह जिला सघन एवं शुष्क है। यहां का न्यूनतम तापमान 7.6 और अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री सेन्टीग्रेड है। यहां का औसत तापमान 27.1 डिग्री एवं औसत आद्रता 42 प्रतिशत है। जिले की सामान्य औसत वर्षा 80.87 सेन्टीमीटर एवं वास्तविक वर्षा 59.75 सेन्टी मीटर है।

2.3 प्रशासनिक संरचना

S.NO.	Head	No.	Details
1	अति० जिला कलक्टर	3	अति० जिला कलक्टर (प्रशासन), अति० जिला कलक्टर (सिलिंग), अति० जिला कलक्टर (शहर)
2	सब डिवीजन	5	कोटा, दीगोद, इटावा, सांगोद, कनवास एवं रामगंजमण्डी
3	तहसील	6	लाडपुरा, दीगोद, पीपल्दा, सांगोद रामगंजमण्डी ,कनवास, चेचट
4	विधानसभा क्षेत्र	6	कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, सांगोद, पीपल्दा,, रामगंजमण्डी
5	उप तहसील	4	मण्डाना, चेचट, सुल्तानपुर, खातौली
6	आई.एल. आर. सर्किल	52	
7	पटवार क्षेत्र	207	
8	रेवेन्यू विलेज	953	
9	पंचायत समिति	5	लाडपुरा, सुल्तानपुर, इटावा, खैराबाद व सांगोद
10	ग्राम पंचायत	158	
11	नगर निगम	2	नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण
12	नगर पालिका	5	कैथून, सांगोद, रामगंजमण्डी, इटावा, सुल्तानपुर

**पंचायत समिति में 2011 की जनगणना के अनुसार
ग्रामों की कुल संख्या**

पंचायत समिति में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की कुल संख्या			
पंचायत समिति का नाम	आबाद	गैर आबाद	कुल
लाडपुरा	115	46	161
सुल्तानपुर	160	11	171
इटावा	164	10	174
खैराबाद	150	18	168
सांगोद	202	16	218
कुल	791	101	892

2.4 ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या :

क्र० सं०	तहसील	2001			2011		
		ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1.	लाडपुरा	144691	753522	868213	117838	1025954	1149792
2.	पीपल्दा	155646	—	155646	179800	—	179800
3.	दीगोद	150587	—	150587	168734	—	168734
4.	रामगंजमण्डी	132073	96406	228479	231120	41328	272448
5.	साँगोद	146951	18649	165600	164394	21846	186240
	योग	729948	838577	1568525	861886	1089128	1951014

2.5 वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार है

क्र० सं०	तहसील	अनु० जाति			अनु० जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	लाडपुरा	108033	99000	207033	36626	31784	68410
2.	पीपल्दा	23174	21595	44469	20750	19302	40052
3.	दीगोद	21089	19631	40720	15727	14593	30320
4.	रामगंजमण्डी	20717	19520	40237	9636	9007	18643
5.	साँगोद	38148	34501	72649	13689	12702	26391
	योग	211161	194247	405408	96428	87388	183816

इकजाई जनसंख्या सूचना जिला कोटा 2011

क्र सं.	पंचायत समिति	कुल परिवार	कुल जनसंख्या	पुरुष जन० सं.	महिला जन० सं.
1	लाडपुरा	22181	117838	60881	56957
2	सुल्तानपुर	33029	168734	87493	81241
3	इटावा	35968	179800	93118	86682
4	सांगोद	31070	164394	85058	79336
5	खैराबाद	47329	231120	120828	110292
योग ग्रामीण		169577	861886	447378	414508
1	नगर पालिका कैथून	4573	24260	12468	11792
2	नगर पालिका सांगोद	4082	21846	11189	10657
3	नगर पालिका रा मंडी	8134	41328	21525	19803
4	नगर पालिका इटावा				
4	नगर निगम कोटा	210135	1001694	528601	473093
योग शहरी		226924	1089128	573783	515345
महायोग		396501	1951014	1021161	929853

नोट :- ग्रामीण जनसंख्या में खैराबाद ब्लॉक के 7 CT की जनसंख्या सम्मिलित है।

अध्याय – 3

जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्न स्तर व कम जागरूकता ने, न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनो व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

- **दुर्घटना सम्बन्धित** – आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- **जैविक आपदाएँ** – महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

कोटा जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया गया। जिले में संभावित 10 आपदाएं चिन्हित की गयीं। इनमें से मुख्य पाँच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी। पाँच मुख्य विपदाएं निम्न हैं :—

1. सूखा
2. बाढ़
3. दुर्घटनाएं
4. आग
5. भूकम्प

इसके अलावा अन्य 5 विपदाएं साम्प्रदायिक दंगे, ओलावृष्टि, बांध टूटना, एवं औद्योगिक विपदाएं तथा ताप (लू) व शीतघात हैं।

अध्याय – 4

आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना

आपदा प्रबन्धन

कोटा सम्भाग में प्रायः विभिन्न प्रकार की घटनायें घटती रहती हैं। इनमें आग लगना एवं पानी में डूबना प्रमुख हैं। सम्भाग में चम्बल नदी के अतिरिक्त कई अन्य छोटी-बड़ी नदियां एवं नहरें हैं। वर्षा ऋतु के समय अतिवृष्टि होने पर इनमें बाढ़ आने की भी सम्भावना बनी रहती है। भारी वर्षा के कारण नदी के तटीय क्षेत्र के समीपवर्ती निचले क्षेत्रों में पानी भरने से भी अत्यधिक जन व धन हानि होने की सम्भावना सदैव बनी रहती हैं।

इस प्रकार की घटनायें होने पर सामान्यतः निम्नलिखित नियन्त्रण कक्षों पर सूचनायें प्राप्त होती हैं :-

पुलिस नियन्त्रण कक्ष	अग्निशमन नियन्त्रण कक्ष	कलेक्ट्रेट नियन्त्रण कक्ष
0744-2350777, 2350729, 100	2392201, 101, 2472355	1077, 2323557, 2325342

चूँकि उक्त वर्णित नियन्त्रण कक्ष सदैव 24 घण्टे कार्यशील रहते हैं। अतः इस प्रकार की किसी भी घटना की सूचना प्राप्त होने पर इनके द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित अधिकारियों को सूचित किया जाने के साथ ही तत्काल त्वरित गति से कार्यवाही की जानी भी आवश्यक है :-

—: जिला प्रशासन कार्यालयों के महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर की सूची :—

क्र. सं.	पदनाम	कार्यालय	निवास
1	जिला मजिस्ट्रेट	2451200, 2323883	2451100, 2451044
2	पुलिस अधीक्षक शहर	2350700	2350701
3	पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	2350601	2350602
4	कमाण्डेन्ट आर.ए.सी.—II	2350771	2320678
5	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन	2325341	2324041
6	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर	2323165	2500891
	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिंलिंग	2450365	
7	जिला रसद अधिकारी कोटा	2323874	
8	मु0 कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम कोटा	2502293	
9	उप नियन्त्रक, नागरिक सुरक्षा कोटा	2327861	
10	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, नगर निगम कोटा	101, 2392201, 2472355	2362423
11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा	2329259	
12	अधीक्षक एम.बी.एस. कोटा	2450123	
13	उप अधीक्षक पुलिस, यातायात	2350729	2350730
14	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	2450102	
15	कलेक्ट्रेट नियन्त्रण कक्ष	2323557	1077
16	पुलिस नियन्त्रण कक्ष	2350777, 2350778	100
17	अग्नि शमन नियन्त्रण कक्ष	101, 2392201	
18	एम्बुलेन्स—108	108	

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न प्रकार की भी भीषण दुर्घटना घटित हो सकती हैं :-

- 1- पूल गिरना/बॉध टूटना
- 2- पेट्रोलियम डिपो/गैस भण्डारण आदि में विस्फोट होना
- 3- निर्माणाधीन/निर्मित बहुमंजिला भवन का धराशायी होना
- 4- ऐयर क्रेश (हवाई जहाज दुर्घटना)
- 5- रेल दुर्घटना

उक्त स्थिति उत्पन्न होने पर जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार निम्नलिखित विभागों से एवं निजी क्षेत्र संस्थानों से सहायता प्राप्ति हेतु सूचना देकर सर्तक रहने के लिये एवं दुर्घटना स्थल पर पहुँचने हेतु कहाँ जा सकता है :-

- 1- सेना (थल, जल, वायु)
- 2- रेल राहत सेवा
- 3- अहमदाबाद फायर एण्ड रेस्क्यू टीम
- 4- एन.डी.आर.एफ.

किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर निम्नलिखित स्थल पर तुरन्त प्रभाव से नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जाने होंगे :-

- 1- दुर्घटना स्थल
- 2- एम0बी0एस0 अस्पताल
- 3- कलेक्ट्रेट

भीषण दुर्घटना होने की स्थिति में प्रशासनिक उत्तरदायित्व :-

1-	जिला मजिस्ट्रेट	निम्नलिखित स्तरों पर उचित समन्वय स्थापित करना: 1. मुख्य सचिव 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री 3. प्रमुख शासन सचिव, गृह/सहायता 4. सम्भागीय आयुक्त 5. पुलिस महानिरीक्षक
2-	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	1. कानून व्यवस्था 2. सभी विभागों से समन्वय रखते हुए राहत कार्य संचालित करना एवं आवश्यकता होने पर अन्य राज्य एवं निजी क्षेत्र की सेवा उपलब्ध करवाना । 3. पीड़ित के आश्रित/परिजन से समन्वयन रखना/शवों की सूचना उनके परिजन को देना । 4. राहत कार्य हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना ।
3-	पुलिस विभाग	1. सम्बन्धित क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखना । 2. पुलिस /होमगार्ड के गोताखोर एवं रेस्क्यू टीम उपलब्ध करवाना । 3. दुर्घटना में घायल/मृत व्यक्तियों की शिनाखत एवं बरामदगी करवाना । 4. कानूनी कार्यवाही सम्पादित करना (धारा 174 सी.आर.पी.सी.)

		5. राहत कार्य में सहायता करना ।
4—	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी	1. दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही उपलब्ध संसाधन लेकर दुर्घटना स्थल पर बचाव/राहत दल लेकर पहुँचना । 2. राहत कार्य प्रारम्भ करवाना । 3. दुर्घटना में घायल/मृत व्यक्तियों को खोजकर बरामद करना । 4. आग लगने की स्थिति में आग बुझाने का कार्य करना । 5. पानी सम्बन्धित राहत कार्यों के लिये मानव चलित तथा स्व-चलित मोटर बोट्स की व्यवस्था करना । 6. गोताखोर का दल उपलब्ध करवाना । 7. जन सम्बोधन प्रणाली (पी.ए. सिस्टम) उपलब्ध रखना 8. पोर्टेबल पम्प उपलब्ध करवाना । 9. समुचित मात्रा /संख्या में रस्से ,फावडे ,गैती सबल, सोहरे-बिलाई ,बेलचे, आदि उपलब्ध रखना (हैलमेट एव गमबूट/दस्ताने) 10. ड्रेगन लाइट इमरजेन्सी लाइट, पोर्टेबल जनरेटर ,लाइफ जैकेट ,लाइफ बॉय आदि उपलब्ध करवाना ।
5—	आर.ए.सी. (राहत दल)	1. राहत कार्य करना । 2. दुर्घटना में घायल/मृत व्यक्ति को खोजकर बरामद करना । 3. गोताखोर उपलब्ध करवाना । 4. मोटर बोट उपलब्ध करवाना । 5. ड्रेगन लाइट, इमरजेन्सी लाइट,लाइफ जैकेट आदि उपलब्ध करवाना ।
6—	नागरिक सुरक्षा	1. दुर्घटना में घायल/मृत व्यक्ति को खोजकर बरामद करना । 2. बचाव दल/तैराक /गोताखोर /रस्से /लाइफ जैकेट /लाइफ बॉय आदि उपलब्ध करवाना । 3. पानी सम्बन्धित सम्भावित दुर्घटना स्थल को वार्डन स्तर पर चिन्हित करवाना ।
7—	जिला रसद अधिकारी	1. दुर्घटना स्थल पर पहुँच कर राहत कार्य दल/पीडित परिवार हेतु चाय,नाश्ता एव भोजन की व्यवस्था करवाना । 2. पीडित परिवार हेतु आश्रय स्थल पर तम्बू /चादर /कम्बल /बिस्तर आदि की व्यवस्था करना । 3. राहत कार्य हेतु आवश्यकतानुसार ईंधन उपलब्ध करवाना ।
8—	आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर/कोटा दक्षिण	1. राहत कार्य हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाना । 2. पीडित परिवारों को आश्रय स्थल पर पहुँचाना । 3. राहत शिविर स्थापित करना । 4. दुर्घटना स्थल एव आश्रय स्थल पर पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना । 5. आवश्यकतानुसार उचित सफाई व्यवस्था करना । 6. राहत शिविरों के रूप में प्रयोग में लिए जाने वाले भवनों को खाली करवाने की व्यवस्था करना ।

		7. पीड़ित परिवारों हेतु आश्रय स्थल से दुर्घटना स्थल तक आवागमन हेतु वाहन उपलब्ध करवाना । 8. जे.सी.बी.,डम्पर ,ट्रैक्टर मय ट्राली ,पानी का टैकर ,चलित शौचालय ,आदि उपलब्ध करवाना । 9. दुर्घटना स्थल पर टेन्ट लगवाना । 10. दुर्घटना स्थल पर विद्युत व्यवस्था करना । 11. दुर्घटना स्थल पर जन सम्बोधन हेतु मार्शक की व्यवस्था करना । 12. दुर्घटना स्थल पर फिनायल एव अन्य आवश्यक कीटनाशक उपलब्ध करवाना । 13. जे.सी.बी., डम्पर, ट्रैक्टर-ट्राली आदि संसाधन उपलब्ध करवाना ।
9—	नगर विकास न्यास	1. राहत कार्य हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाना । 2. जे.सी.बी.,डम्पर ,ट्रैक्टर-ट्राली आदि संसाधन उपलब्ध करवाना ।
10—	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी	1. दुर्घटना स्थल पर घायलों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना । 2. राहत/बचाव दल हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना 3. पीड़ित परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना । 4. घायलो/मृतकों को अस्पताल पहुँचाने हेतु एम्बूलैन्स उपलब्ध करवाना । 5. कर्मयोगी सेवा संस्थान से समन्वय कर शव वाहन एवं कोफीन की व्यवस्था करना 6—चिकित्सा राहत शिविर स्थापित करना ।
11—	अधीक्षक एम.बी.एस.	1. अस्पताल में आपातकालीन वार्ड की व्यवस्था करना । 2. विभिन्न ग्रुप का रक्त उपलब्ध रखना । 3. विशेषज्ञ चिकित्सक दल उपलब्ध रखना । 4. मुर्दाघर की व्यवस्था करना । 5. शवों का पोस्टमार्टम करवाना ।
12—	कलेक्टर नियन्त्रण कक्ष	1. दुर्घटना स्थल एव अस्पताल के नियन्त्रण कक्ष से समन्वयन रखते हुए समस्त सूचना संकलित कर आवश्यकतानुसार सभी सूचना/आदेश सम्बन्धित अधिकारी को देना ।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित विभागों से भी सहायता प्राप्त की जा सकती हैं :-

1-	रेल सेवा	DRM 2467000 (O) 2467001 (R) (M) 9001017000	-बचाव / राहत दल -गैस कटर विशेषज्ञ
2-	रावतभाटा परमाणु बिजली परियोजना	1475-242101 (M) 9414185102	-बचाव / राहत दल -अग्निशमन दल मय उपकरण -70-140 टन क्रेन
3-	डी.सी.एम.	2480991-98 2503218 2502037 मो. 9829087469	-बचाव / राहत दल -अग्नि शमन दल मय उपकरण -रसायन विशेषज्ञ -क्रेन -गैस कटर मय ऑपरेटर
4-	कोटा थर्मल	2371134(O) 2370178(O) 2370354 (R)	-अग्निशमन दल -क्रेन -गैस कटर मय ऑपरेटर
5-	भारी पानी संयंत्र परियोजना		-अग्निशमन दल मय उपकरण
6-	चम्बल फर्टिलाइजर	247121-25 2782021 9829037419	-अग्निशमन दल -गैस कटर मय आपरेटर
7-	काल्या कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (एन.जी.ओ.) भीलवाडा	09829047321	-रॉक ब्रेकर एव फॉकलेन मशीन
8-	इरफान क्रेन सर्विस कोटा (एन.जी.ओ.)		-समस्त प्रकार की क्रेन
9-	कर्मयोगी सेवा संस्थान	9829328525	-एम्बुलेन्स
10-	गोताखोर टीम (मुम्बई एव गोआ)		-बचाव / राहत दल
11-	NDRF गान्धीनगर गुजरात	07923201551 07923262540	-बचाव / राहत दल
12-	DY. COMDT. SH.A.S CHAUHAN, NDRF NARELI AJMER	9414005412 9660822599	-बचाव / राहत दल
13-	श्री सुरेश कुमार गुर्जर inspector NDRF	9424145787	-बचाव / राहत दल

14-	श्री श्योजी राम चौधरी	9750520971	-बचाव/राहत दल
15-	श्री प्रमेचन्द मीणा सहायक कमाण्डेट SDRF	8764873009, 8854010101	-बचाव/राहत दल

प्रस्ताव :-

कोटा सम्भाग में किसी भी प्रकार की प्राकृति अथवा मानव जनित आपदा का सामना करने हेतु एक आपदा राहत/बचाव दल का गठन निम्नलिखित अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के कर्मचारी रखते हुये किया जाना प्रस्तावित हैं :-

- | | | | |
|----|----------------------------|----|------------------------------|
| 1- | अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट | :- | नोडल अधिकारी |
| 2- | मुख्य अग्निशमन अधिकारी | :- | राहत/बचाव दल प्रभारी अधिकारी |
| 3- | सहायक अग्नि शमन अधिकारी :- | | सह प्रभारी |
| 4- | नगर निगम फायर | :- | 15 कर्मचारी |
| 5- | आर.ए.सी./SDRF रेस्क्यू टीम | :- | 45 जवान |
| 6- | एन.डी.आर.एफ. | :- | 25 जवान |
| 6- | नागरिक सुरक्षा | :- | 10 कर्मचारी |
| 7- | होम गार्ड | :- | 10 जवान |
| 8- | पुलिस | :- | 20 जवान |

प्राकृतिक अथवा मानवजनित आपदा राहत बचाव दल हेतु वांछित अति-आवश्यक उपकरण :-

- | | | |
|-----|------------------------------|----------|
| 1- | इन्पलाटेबल लाइटिंग मास्ट | 2 नग |
| 2- | हाइड्रॉलिक कटर | 2 नग |
| 3- | स्प्रेडर | 2 नग |
| 4- | लिफ्टिंग हार्ड बैग | 2 सैट |
| 5- | डाइविंग सूट | 6 सैट |
| 6- | बॉडी सर्च यूनिट | 2 सैट |
| 7- | अण्डर वाटर लाइट | 6 नग |
| 8- | डायमण्ड चैन सा | 2 नग |
| 9- | रैस्क्यू रैम | 2 सैट |
| 10- | इन्पलाटेबल बोट | 2 नग |
| 11- | फायर एण्ट्री सूट | 4 नग |
| 12- | हैल्मेट | 50 नग |
| 13- | दस्ताने-रबर/कॉटन | 50 जोड़ी |
| 14- | फैस मास्क | 70 जोड़ी |
| 15- | गम-बूट | 50 जोड़ी |
| 16- | हैण्ड्री टूल्स | 2 सैट |
| 17- | स्ट्रेचर (कपडे के फोल्डिंग) | 6 नग |
| 18- | ड्रेगन लाइट | 10 नग |
| 19- | गैस कटर | 2 सैट |
| 20- | रोप राकेट | 2 नग |
| 21- | वायरलैस सैट | 10 नग |

22—	सरक्यूलर सॉ	1 नग
23—	रोप लैंडर	2 नग
24—	मेगा फोन	4 नग
25—	पावर हैमर	1 नग
26—	लाइफ जैकेट	50 नग
27—	लाइफ बॉय	25 नग
28—	ऐयर कम्प्रेसर	1 नग
29—	ब्रिडिंग ऐप्रेटस सैट	4 नग
30—	पिक अप वैन	1
31—	शव वाहन	2

अध्याय —5

जिले में सम्भावित आपदाएं व कार्य योजना

1.1. सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है—प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे-धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का अभाव।
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण।
- भू जल स्तर का कम होना।
- कुओं का सूखना।
- फसलों का नष्ट होना

1.2. सूखे के प्रकार

1. मौसम विज्ञान संबंधी सूखा :- अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण
2. जल विज्ञान संबंधी सूखा :- पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्रोतों का अवक्षय, तालाबों, कुओं तथा जलाशयों का सूखना
3. कृषि संबंधी सूखा :- फसल अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

राजस्थान एवं सूखा एक दूसरे के समानार्थक है। पिछले 50 वर्षों में औसतन हर दूसरा वर्ष सूखे की समस्या से प्रभावित वर्ष रहा है। कोटा यद्यपि सूखे की समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित नहीं है। पिछले 17 वर्षों में कोटा में 4 वर्ष अकाल से प्रभावित रहा है। इस वर्ष जिले में सूखा नहीं है। इसलिए कोई भी ग्राम अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया है।

1.3. सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

1.4. दीर्घकालीन उपाय

1. वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
2. पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
3. पानी के परम्परागत स्रोतों का पुनर्जीविकरण
4. अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
5. पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुनर्भरण।
6. मिट्टी व नमी का संरक्षण।
7. अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
8. फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
9. फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
10. कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
11. स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

1.5. सूखा पूर्व तैयारी

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

1.6. सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

1.7. जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यों की शुरुआत
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्रोतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान

1.8. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय ।
- पेरामेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

1.9. पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना।

1.10. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवास बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन

1.11. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

1.12. स्वयं सेवी संगठन

- राहत कार्यो एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी
- इस विपत्ति हेतु ज़िला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

1.13. समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषहार उपलब्ध कराना।

1.14. सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना

- दोषपूर्ण नलकूपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्यों के अन्तर्गत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

1.15. कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

1.16. वन विभाग

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईंधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।

1.17. विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध

1.18. सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें।

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास है। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द-बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोकने के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डालें।
- जल संग्रहण हेतु बनाये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्योंकि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।

- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

1.19. सूखा से प्रभावित गांव

क्र. सं.	संवत/वर्ष	सूखाग्रस्त गाँवों की संख्या	क्र0 सं0	संवत/वर्ष	सूखाग्रस्त गाँवों की संख्या
1.	2048 (1992)	194	15.	2062 (2006)	726
2.	2049 (1993)	—	16.	2063 (2007)	—
3.	2050 (1994)	—	17.	2064 (2008)	—
4.	2051 (1995)	—	18.	2065 (2009)	—
5.	2052 (1996)	—	19.	2066 (2010)	—
6.	2053 (1997)	—	20.	2067 (2011)	—
7.	2054 (1998)	—	21.	2068 (2012)	—
8.	2055 (1999)	—	22.	2069 (2013)	—
9.	2056 (2000)	—	23.	2070 (2014)	281 ग्राम खरीफ फसल 70 ग्राम रबी फसल
10.	2057 (2001)	24	24.	2071 (2015)	606 अभावग्रस्त
11.	2058 (2002)	—	25.	2072 (2016)	—
12.	2059 (2003)	165	26.	2073 (2017)	—
13.	2060 (2004)	—	27.	2074 (2018)	—
14.	2061 (2005)	—	28.	2075 (2019)	—

1.20. प्रभावित क्षेत्र संवत 2075

क्र0 सं0	तहसील का नाम	खरीफ फसल खराब ग्रामों की संख्या		रबी फसल खराब ग्रामों की संख्या		कुल प्रभावित गाँव
		50-74 प्रतिशत	75 प्रतिशत से अधिक	50-74 प्रतिशत	75 प्रतिशत से अधिक	
1.	लाडपुरा	—	—	—	—	—
2.	पीपल्दा	—	—	—	—	—
3.	साँगोद	—	—	—	—	—
4.	कनवास	—	—	—	—	—
5.	दीगोद	—	—	—	—	—
6.	रामगंजमण्डी	—	—	—	—	—
	कुल	—	—	—	—	—

1.21. जिले की औसत वर्षा

क्र.सं.	नाम तहसील	वर्षा का विवरण (औसत वर्षा – मिली मीटर)										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	लाडपुरा	651	572	969	625	1138	717	767.4	993	397	685	1637.1
2.	दीगोद	796	638.5	1113	690	1224	796	635	878	453	670	1244
3.	पीपल्दा	471	484.8	1269	577	1409	551	801	828	348	656	1332
4.	साँगोद	473	415.1	1634	624	1433	993	888	632	514	970	1365
5.	रामगंजमण्डी	645	847	1234	712	1245	984	1108	1115	560	688	1357
6.	मण्डाना (उपतह.)	463	596	1153	447	1162	641	658	618	503	481	1059
7.	कनवास		957	1820	872	1456	881	880	691	459	854	1356
8.	चेचट (उप तह0)		646	1052	667	1086	814	956	932	542	1050	1453
योग		3499	5156.4	10244	5214	10150	6377	6693.4	6687	3776	6054	10803.1

क्र. सं.	नाम तहसील	वर्षा का विवरण (औसत वर्षा – मिली मीटर)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	लाडपुरा	513.0	1220.0	1309.0	716.0	963.5
2.	दीगोद	546.0	1225.0	1233.0	470.0	880.0
3.	पीपल्दा	656.0	1492.0	1049.0	536.0	996.0
4.	साँगोद	840.0	1525.0	1250.0	936.0	1226.0
5.	रामगंजमण्डी	569.0	1186.0	1148.0	893	701.0
6.	मण्डाना (उपतह.)	741.0	1058.0	1282.0	757.0	708.0
7.	कनवास	457.0	1289.0	1174.0	896.0	1241.0
8.	चेचट (उप तह0)	469.0	1146.0	1448.00	820.0	973.0
योग		4791.0	10141	9893	6024.0	7688.5

1.23. चारा वार्षिक

तहसील	आवश्यकता		उपलब्धता	
	स्थान	मात्रा	स्थान	मात्रा
लाडपुरा	सम्पूर्ण तहसील	—	सम्पूर्ण तहसील	—
दीगोद	सम्पूर्ण तहसील	—	सम्पूर्ण तहसील	—
साँगोद	सम्पूर्ण तहसील	—	सम्पूर्ण तहसील	—
पीपल्दा	सम्पूर्ण तहसील	—	सम्पूर्ण तहसील	—
रामगंजमण्डी	सम्पूर्ण तहसील	—	सम्पूर्ण तहसील	—
नगर निगम कोटा	—	—	—	—
योग	—	—	—	—

2. बाढ़

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है—विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

2.1. बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
- पेड़ों की संख्या में कमी
- वृहत अपवाह क्षेत्र
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- अपवाह में अवसादीकरण
- बादल का फटना

- भूकम्प
- चम्बल नदी में अतिवृष्टि के कारण गांधी सागर एवं राणाप्रताप सागर बांध लगातार पानी की निकासी के कारण बाढ़ की स्थिति

2.2. बाढ़ कार्य योजना

बाढ़ के कारण होने वाली जन हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है।

2.3. संरचनात्मक उपाय

1. जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
2. प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
3. बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
4. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाऊस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
5. नदी के बान्ध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
6. तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

2.4. गैर संरचनात्मक उपाय :-

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

1. बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना
2. बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
3. बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
4. संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
5. बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
6. बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुंचाना।
7. भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
8. आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमों का पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे

स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।

9. हल्के भवन निर्माण सामग्रीका बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए गये हैं। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

2.5. कंट्रोल रूम

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभारी अधिकारी श्री बिजेन्द्र सिंह, विशेषाधिकारी-प्रथम मोबाईल नं० 9414000240 है और उनका यह कार्यालय वायरलैस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घण्टे कार्यरत रहता है। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत्त स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 30 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग में स्थापित किया गया है। जिस पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जायेगा। राज्य मुख्यालय पर स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर 0141-2227296, 0141-2227885, 0141-2385776 0141-2385777 फैक्स नं० 0141-2227230 / 2227603 आई.पी. नं० 28888 है।

क्र.सं.	कार्यरत कंट्रोल रूम	दूरभाष नम्बर
1	राज्य कंट्रोल रूम, जयपुर	1070, 0141-2227296, 0141-2227885, 0141-2385776 0141-2385777
2	अति. महानिदेशक राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर(SDRF)	0141-2603927
3	कमाण्डेंट पांचवी बटालियन आर.ए.सी. जयपुर	9829072299 / 0141-2640964, 2541420 फैक्स
4	कमाण्डेंट द्वितीय बटालियन आर.ए.सी. कोटा	0744-2350771, 2350775 फैक्स
5	डिप्टी कमाण्डेंट नारेली किशनगढ़, अजमेर (एनडीआरएफ)	9414005412,
6	जिला कंट्रोल रूम,	1077, 0744-2323557 / 2325342
7	सिंचाई विभाग,	0744-2327648, 2320851
8	सहायक कमाण्डेन्ट बी. कम्पनी राज्य आपदा प्रतिसाद बल कोटा (श्रीमति एकता हाडा)	8769812398
9	नगर निगम कोटा	2392201, 101, 2472355, 2472216
10	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा	2327861, 9460679186

2.6. विभिन्न विभागों के दायित्व

1. सिंचाई विभाग

- सुरक्षित स्थानों का चयन
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन

- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना
- बांध एवं एनिकट में पानी की अधिक आवक होने से पानी के रिसाव को रोकने के लिये मय रेत एवं मिटटी के कटटे तैयार रख कर पानी के रिसाव को रोकने की उचित व्यवस्था करना
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।
- बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवाईयों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयां काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रख दी जावें।
- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- उपलब्ध नावों की सूची
- तैराकों की सूची

2. चिकित्सा विभाग

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्तर पर तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक-एक रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन करेंगे।

1. चिकित्सा अधिकारी	01
2. स्वास्थ्य निरीक्षक	01
3. मेल नर्स	01
4. एमपीडब्ल्यू	01
5. वार्ड बॉय	01
6. वाहन चालक मय वाहन	01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पॉन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

3. जन. स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेंगे।

- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।

कोटा जिले के बाढ़ राहत कार्यों के लिए सहायक अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग नगर खण्ड (उत्पादन एवं वितरण) कोटा को विभाग की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे। सहायक अभियन्ता, बाढ़ के समय जिला प्रशासन के निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेंगे।

4. जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा। पेट्रोल पम्प की सूची संलग्न है। खाद्य सामग्री के पैकेट्स तैयार करने के लिए तहसीलवार हलवाईयों की सूची संलग्न है।

●

5. पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में संक्रामक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियंत्रण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (उपनिदेशक) जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधिया उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी संबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियों/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

6. विद्युत विभाग

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तूफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत्त स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियन्ता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।

- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावे तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

7. पुलिस विभाग

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा
- कंट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी-बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरुस्त होनी चाहिये।
- कंट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।

8. एन.सी.सी/एन.एस.एस.

आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबंधित स्टाफ घर-घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

9. अग्नि शमन केन्द्र,

जिला मुख्यालय पर 02 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जो नगर निगम कोटा के अधीन है। आग की स्थिति से निपटने के लिए 101, 108 पर तुरन्त टेलीफोन किया जा सकता है।

3. दुर्घटना :-

विज्ञान एवं तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है, जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है, परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन-प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं, उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घण्टे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात् 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाये तारकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

3.1 सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :-

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- गाड़ियों का अनुचित रखरखाव
- रपट/पुलियाओं पर पानी के बहाव के संकेतक बोर्ड/चिन्ह नहीं लगाया जाना

3.2 दुर्घटना :

जिले में दुर्घटना संभावित सड़क क्षेत्रों का विवरण	दुर्घटना संभावित क्षेत्र
लाडपुरा	रा.रा.मा.सं. 12 व रा.रा.मा.सं. 76 कोटा से सांगोद मार्ग
सांगोद	कोटा-सांगोद-खानपुर मार्ग सम्पूर्ण, मार्ग सिंगल व क्षतिग्रस्त होने से।
रामगंजमण्डी	सुकेत से दरा के मध्य सुकेत।

3.3 दुर्घटना कार्य योजना :

दुर्घटनाएं कही भी किसी भी रूप में घट सकती है। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उप जिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाना या उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें। यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो तो निकटस्थ ग्राम के पटवारी, ग्राम सेवक, अध्यापक, ए. एन.एम., सरपंच, या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को सूचित को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सकें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी मदद कर सकते है।

3.4 दुर्घटना से पूर्व :

संरचनात्मक उपाय – दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गतिअवरोधक साईन बोर्ड आदि लगाए जाएं।

3.5 गैर संरचनात्मक उपाय :

- सड़क नियमों का पालना करें।
- तेज रफ्तारसे गाड़ी न चलायें।
- शराब पीकर गाड़ी न चलायें।
- हेलमेट पहने, सीट बेल्ट बांधें।
- बाईं तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दाईं व बाईं ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाईट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दे।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दे।

3.6 दुर्घटना के दौरान जिला प्रशासन का कर्तव्य :

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुँचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- हानि का आंकलन करना।

3.7. चिकित्सा विभाग :

- जिले में चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की पर्याप्त व्यवस्था।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टॉफ की व्यवस्था करना।
- एम्बूलेस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयां व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

3.8. पुलिस विभाग :

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

3.9. रेल्वे विभाग :

- जनता तक सही सूचना पहुँचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना ।
- चिकित्सा व्यवस्था करना ।
- एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना ।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना ।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना ।

3.10. परिवहन विभाग :

- घायलों का पहुँचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना ।

3.11. सार्वजनिक निर्माण विभाग :

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था ।
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था करना ।
- क्षतिग्रस्त मार्गों की तत्काल मरम्मत करना ।

3.12. नगर पालिका/पंचायत :

- टैंटो की व्यवस्था ।
- पानी के टैंकों की व्यवस्था ।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था ।
- जनरेटरों की व्यवस्था ।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था करना ।
- दुर्घटना स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्था करना ।

3.13. रसद विभाग :

- खाद्य सामग्री तथा भोजन पैकेटों की व्यवस्था करना ।
- केरोसीन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना ।

3.14. स्वयंसेवी संगठन :

- राहत व बचाव के कार्यों में प्रशासन की मदद करना ।
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना ।

3.15. जनता का कर्तव्य :

- दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करे तथा उसको शीघ्र-अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

3.16. अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो :

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगायें कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नहीं।
- इसके लिए नाक या मुँह के सामने हाथ रखकर या कान को मुँह के पास ले जाकर महसूस करें तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।
- ये सभी काम पूरे शरीर उपर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द कर लें, नहीं तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा।

3.17. सांस व दिल की धडकन चलाने के लिए :-

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें, जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाए।
- ठोड़ी को आगे ले आए जिससे रुकावट खुल जाए।
- जबड़े का नीचें का हिस्सा उपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दौनो पैर एक-डेढ़ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रुई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुँह से मुँह लगाकर एक मिनट में 15 से 18 बार सांस दे
यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुँह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है।
- यदि दिल की धडकन रुक गई हो तो बंद मुट्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें
अथवा 4-5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनट में 60-80 बार दबायें।

3.18. यदि एक्सीडेंट में घाव हो गए है और खून बह रहा हो तो :-

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहें।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दबाव डाले तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर रबर बैंड ; ज्वनतदपुनमजद्ध या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

3.19. यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे :-

- चक्कर तथा शिथिलता।
- उल्टी होना।
- ठंडी व गीली त्वचा।
- बेहोशी।
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना।
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएँ मंद हो जाना।
- तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी होने से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिक सदमा बढ़ता है।
- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक और झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूँट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं।

3.20. जलते हुए व्यक्ति का बचाव :-

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहे।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें ताकि रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुँचायें।

4. आग

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार के आपदा के उदाहरण हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनायें प्रायः सामान्य बात हो गई है घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियंत्रित हो जाती है, क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है । बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल-मई में स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं । मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान कम नमी वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास-पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है ।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं । बिजली शॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है । अग्निकाण्ड से जन हानि , पशु हानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है। जिले में अधिकतर अग्निकाण्ड रबी की सूखी फसल में बीड़ी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है।

4.1. जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र :-

कोटा शहर में रीको आद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोलियम पम्प, छविगृह, कृषि उपज मण्डी, कोटा ,रामगंजमण्डी, इटावा, सांगोद व चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड गडपान, गैस एजेन्सी आदि हैं।

4.2. अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ :-

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्ड के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक, भयंकर रूप ले सकती हैं , लेकिन जिले में ज्वलनशील इकाईयाँ नहीं होने के कारण तथा अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों के भण्डारण नहीं होने के कारण यहाँ ऐसी संभावना कम है।

4.3. कार्य योजना :-

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्व कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

4.4. आग से बचने सम्बन्धी सावधानियाँ :-

1. बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी डाईरेक्ट लाईन से ना ले ।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो ।

- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल ,मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें ।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

2. रसाई घर

- रसाई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिए ।
- गैस सिलेण्डर या नलची को समय-समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें , गैस की नलची आई.एस.आई मार्क ही होनी चाहिए ।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों को ध्यान रखें।
- रसाई खुली व खिड़कीदार हो ।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होना पर रेग्युलेटर को ऑफ करना ना भूले ।
- अगर नलची में आग लग रही हो तो रेग्युलेटर को बन्द करें , अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी ,फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुए रसाई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें ।
- रसाई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें ।

3. गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखे ।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी, सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फैंकें ।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें ।
- जंगल से रेल ,बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फैंकें।
- घांस खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावें जिससे कि आग लगने का खतरा न हो ।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना ।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो ।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो ।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिए जहां पर आसानी से मिल सके ।
- गांवों में अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिए ।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नहीं फैंकने चाहिए ।
- खलिहानों या कच्चे छपरों के पास आतिशबाजी नहीं करें ।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखे ।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें ।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अति आवश्यक है।

- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिए तथा उनका समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिए ।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर पार्टी की स्थापना की जावे, जहां घण्टी, फावड़े, बाल्टी, टॉर्च , रस्सी, खाली बोरियों, परात, नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि हो ।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना ।
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना ।

4. हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट :-

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़िया ऑराम से चारों तरफ घूम सके ।
- बिल्डिंग कोड रुड़की द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना ।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अति-आवश्यक है ।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो ।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रिकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेंट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए ।
- बिजली, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना ।
- जगह-जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना ।
- अपार्टमेंट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर से बचाव की ट्रेनिंग देना ।
- फायर सर्विस से एन.ओ.सी. लेकर ही पेट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेंट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे ,जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़िया भी पहुँच सके ।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन ।
- पेट्रोल पम्प, सिनेमाघरों ,फैक्ट्रिया आदि में समय-समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना इत्यादि ।

5. आग लगने पर कार्यवाही :-

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/ जिला मुख्यालय को भेजेगा । सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुँचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे । तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुँचेंगे तथा समस्त राहत /बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे । क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिले पर शीघ्रतिशीघ्र स्थल पर पहुँचेंगे । स्थिति की गंभीरता के मूल्यांकनोपरान्त मौके के अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि जिला मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तदनुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष समेकित आपदा प्रबन्ध समिति को सूचित करेंगे ।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया अथवा नहीं । यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल को तत्काल भेजना आवश्यक है

तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा । इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक को देगा ।

6. आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका :-

1. जिला कलक्टर

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण ।
- सूचना की प्रमाणिकता की ज्ञात करना ।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता ।
- विधि एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं ।

2. अग्निशमन केन्द्र :- नियंत्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता ।
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन ।
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव ।
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री तथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर, सीढ़ी, मिट्टी के थैले आदि ।
- स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय ।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता ।

3. नागरिक सुरक्षा :-

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था ।
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना ।
- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जन सामान्य को हटाना ।
- अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता लेना ।
- डिविजन एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना ।
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना ।

4. पुलिस :-

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना ।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था ।
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना ।

5. विद्युत :-

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल ।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना ।

6. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग :-

- नियमित एवं अन्य स्रोतों से जल की उचित आपूर्ति ।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता ।

7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी :-

- प्राथमिक उपचार ।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना ।
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुँचाना ।
- ओषधियों की व्यवस्था करना ।
- मेडिकल स्टोर/ थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना ।
- चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता ।
-

8. गैर राजकीय संगठन :-

- स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना ।
- राहत शिविर लगाना ।
- सहायता सामग्री का वितरण ।

9. पशुपालन :-

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना ।
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना ।

10. नगरपालिका/नगर निगम :-

- राहत शिविर(रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाऊस की व्यवस्था करना ।
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं बड़े प्रतिष्ठानों की सूची बनवाना ।

11. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :-

- व्यापारियों व हलवाईयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना ।
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण ।
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय ।
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना ।

7. आग लगने पर क्या करें, क्या न करें

क्या करें :-

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त नगर निगम कोटा को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें ।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें ।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुँच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुँह को गीले कपड़े से ढक ले ।

- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें ।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें ।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो , यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए ।

क्या न करें :-

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें ।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें ।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें ।
- परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटने के लिए प्रशिक्षण दें ।

5. भूकम्प:-

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है । सामान्यतः भूगर्भिक चट्टानों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं । जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर भू-तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि०मी० की गहराई का उत्पन्न होते हैं । जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं । इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भू-सतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयकारी तबाही मचाता है । भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है । भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचाती है , जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था । यह विगत 1650 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था । जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था । इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये । राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गयी । इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जिसके 550 गांव पूर्णरूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये ।

5.1. भूकम्प के मुख्य कारण :-

- ज्वालामुखी क्रिया ।

- भूसंतुलन में अव्यवस्था ।
- जलीय भार ।
- भूपटल में संकुचन ।
- प्लेट विवर्तनिकी ।

भूकम्प की तीव्रता :-

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काउंसिल (बी.एम.टी.पी.सी.) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्शे तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSJ) पर IV.V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि०मी० में महसूस होते हैं, जबकि IX.X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

1. क्षेत्र V :- इस क्षेत्र में संशोधित मर्करी मापक के अनुसार IV या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।
2. क्षेत्र IV :- इस क्षेत्र में संशोधित मर्करी मापक पर MMVII सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
3. क्षेत्र III :- इस क्षेत्र में मर्करी मापक पर MMVII की तीव्रता का भूकम्प आ सकता है। इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
4. क्षेत्र II :- इस क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MMVI है। इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
5. क्षेत्र I :- इस क्षेत्र के लिए संशोधित मर्करी स्केल पर MMV या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं के कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती हैं	4.9 - 5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है	5.5 - 6.1

विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती है, मकानों में दरार पड़ जाती है	6.2
विनष्टकारी	मकान धंस जो है । भूमि में दरारे पड़ जाती है। पाईप लाईने टूट जाती है ।	6.2 – 6.9
सर्वनाशी	धरातल मे लम्बी दरारें पड़ जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है ।	7.0 – 7.3
अतिविनाशी	पुल, रेल्वे लाईने टूट जाती है । महान् भू-स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4 – 8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते है । धरातल में धंसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते है ।	8.1 से अधिक

5.2 भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :-

1. जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना ।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना ।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना ।
- कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखना ।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचना ।

2. नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी. एन.एस.एस तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवीयों की उपलब्धता निश्चित करना ।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना ।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचना ।

3. पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना ।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुँचना ।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना ।

4. सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना ।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना ।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना ।

5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आश्रय स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना ।

- लोगों को उपचार उपलब्ध कराना ।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाना ।
- चिकित्सकों , पैरा मेडिकल स्टॉफ व दवाईयों उपलब्ध कराना ।

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, नगर निगम, विद्युत, पशुपालन, दूरसंचार विभाग, सिंचाई विभाग, तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

5.3 क्या करे, क्या न करें :-

1. भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि भूकम्प के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएँ गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नहीं।
- अलमारियों में सिर से ऊँचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे । भारी गमलो वाले पौधों को झूलने हेतु नहीं लटकाए । किताब रखने की आलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है, उन्हें बिस्तर से दूर रखे । बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिकचर फ्रेम आदि न लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुँचा सकते है, उन्हें मजबूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामान मजबूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें ।
- आपातकालीन सामग्री जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरन्त तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयों, आग बुझाने के उपकरण आदि को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुँच हेतु उपलब्ध रखें ।

आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं ।
- कांच, खिड़की , अलमारी ,केबिनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें । यदि हो सके तो मेज, पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कौने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों ,तकिया, कम्बल, किताबों आदि से ढक ले ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वयं की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तरफ तब तक ना जाये जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे है वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करे । संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है । सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वारा से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हो क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ों एवं विद्युत तारों से दूर रहे । खुले क्षेत्र में तब तक रुके जब तक कंपन खत्म न हो ।

- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहे । यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते हैं । किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की सरंचनाओं अथवा ऊंची इमारतों के नजदीक न रहे । पलाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहे ।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखें ।
- भूकम्प के झटके रुकने पर मलबे में फंसे लोगों को निकलवाने में मदद करें ।
- चोट की जांच करे तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करे । पुलिस कंट्रोल रूम को दूरभाष नम्बर 100 पर, अग्निशमन हेतु नगर निगम कोटा को दूरभाष नं० 101 पर एवं रोगी वाहन हेतु टेलीफोन नं० 108 पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कोटा को सूचना दें ।
- आग की जांच करें ।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें । गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें ।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नहीं हो रही है ।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें ।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात के झटकों के लिए तैयार रहे जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पहुँचा सकते हैं।

5.5 साम्प्रदायिक तनाव-

भारत वर्ष में अनेक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एवं सामाजिक विद्वेषों तथा व्यक्तिगत झगड़ों के कारण छोट-छोटे झगड़े कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते हैं । जिसके कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है। उपद्रव होने पर जन-धन राष्ट्रीय सम्पत्ति का काफी नुकसान होता है । वर्तमान में जिले में इस दृष्टिकोण से सभी सम्प्रदायों में आपसी सौहार्द है तथा सभी साम्प्रदायों के लोग आपस में एक दूसरे के त्यौहारों में बढ़ चढ़ कर सम्मिलित होते हैं । फिर भी यदि साम्प्रदायिक तनाव व दंगे हो जाये तो उन्हें कम करने हेतु जिला प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करते हैं। जिनमें वह सभी समुदायों के प्रभावशाली लोगों को बुलाते हैं तथा उनसे अपने-अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते हैं ।

5.6 ओलावृष्टि -

ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, जिसका आंकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता । यह प्रकृति का प्रकोप है, जो आँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है । इसका कोई सुनिश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रुख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षतिग्रस्त करते हुए निकलता है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है । जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है । ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आंकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ :-

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जारे किसी भी क्षेत्र में कम-ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आंकलन भी तात्कालिक ही संभव है, ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से सम्पर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गांवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

5.7 बांध टूटना :-

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद-बूंद जल संग्रहित करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि एपर निर्भर है। अपनी आजीविका चलाती है वहीं दूसरी ओर कभी-कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ-साथ जान पर भी उतारू हो जाते हैं। जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बांधों के रख रखाव के संबंध में आवश्यक है कि :-

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल द्वारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे- चैन, रस्सा, चाबी आदि की जांच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बांधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बांधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

5.8 रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ :-

तीव्र औद्योगिक विकास के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे : भोपाल गैस काण्ड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम हैं।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

प्रभाव :- औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं :-

- जान की क्षति ।
- घाव होना अथवा आग से जलना ।
- जहरीलें द्रवों/गैसों से बीमार होना ।
- माल की क्षति ।

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है । जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि अपने स्तर पर आपदा से निपटे ।

5.9 तापघात एवं शीतघात :-

1. तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनों प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहां की जलवायु के कारण देखी जाती हैं साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्र का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है । वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है ।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39.70 डिग्री सें. से और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सें. से रहता है । जून में मध्य रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है । गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं, जिससे बैचेनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। किसी-किसी दिन अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री से. तक पहुँच जाता है।

2. तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना ।
- सिर दर्द होना ।
- उल्टी होना ।
- जी मिचलाना ।
- आलस्य और थकान ।
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना ।

3. तापघात से बचाव के उपाय :

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाएं ।
- अगर घर से बाहर जाएं तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें ।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें ।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकले, भूखे पेट न निकले ।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारों तरफ गीली पट्टी लपेट दें व पंखा करे ।
- व्यक्ति को आराम करने दें ।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करें या चेतना में बदलावे आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें ।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें ।
- अगर तंग कपड़े हो तो उन्हें ढीला कर दे अथवा हटा दें ।
- कम खाना खाये और अधिक बार खाये । अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आन्तरिक तापमान को बढ़ाता है । जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है ।
- यदि तबियत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें ।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं ।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए ।

4. जिला प्रशासन की जिम्मेदारी :

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनावे कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करें, क्या ना करें, की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बताई गई है ।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना ।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना ।
- दोपहर के समय होने वाले समारोह, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए ।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगो को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें ।

5.10 शीतल तरंगे:-

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान मे तेजी से गिरावट आती है। जनवरी मे जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है, माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.2° सें. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8° सें. रहता है । शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती है, तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है ।

1. लोगों का क्या जानकारी दी जानी चाहिए ?

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें ।

- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप कॉपने लगे या थकान महसूस करें, या आपनी नाक ,अंगुलियों, एडीयों ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएं ।
- मौसम की स्थिति से सावधान रहे । मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है । ठंडी हवा बढ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें । पानी का इंतजाम करें । सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौते संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें । घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें । भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें । गर्म पेय हैं, जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें । केफिन व मदिरा से परहेज करें ।
- अत्यधिक ठंडी श्वास से बचने के लिए मुहँ को ढक कर रखें , गहरी सांस न ले और कम बोलें ।
- सूखे रहें । गीले कपड़े तुरन्त बदल लें, क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते है।
- गर्म कम्बल या चद्द इस्तेमाल करें।

2. जिला प्रशासन की जिम्मेदारी –

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवेदनशील होते है, उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें ।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें, जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, बाजारों आदि पर खुले स्थानों पर शरण लेते है, उन्हे गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रो में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें ।
- कम्बल और भोजन बांटे ।
- गश्त पर मोबाइल टीम लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके ।



Smart City Kota North- South

स्वच्छ भारत व हरित भारत

FLOOD CONTROL RELIEF MANAGEMENT PLAN 2025

NAGAR NIGAM KOTA
NORTH-SOUTH

बाढ़ नियंत्रण कार्य—योजना
नगर निगम कोटा उत्तर / दक्षिण

(बाढ़ नियंत्रण कक्ष)

नगर निगम कोटा उत्तर एवं दक्षिण

मुख्य नियंत्रण कक्ष

1. सब्जीमण्डी अग्निशमन केन्द्र, कोटा उत्तर

0744—2392201,

0744—2380310

2. श्रीनाथपुरम अग्निशमन केन्द्र, कोटा दक्षिण

0744—2472355

0744—2472216

3. राजीव गांधी प्रशासनिक भवन उत्तर

0744—2500229

नगर निगम कोटा उत्तर / दक्षिण

प्राकृतिक आपदा (बाढ़) हेतु कार्य योजना

परिचय :- कोटा शहर की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की हैं कि कोटा के दक्षिण स्थित पठार का संपूर्ण पानी शहर की आबादी में होकर चम्बल नदी तक आता हैं। थोड़ी वर्षा भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। कोटा शहर के कुछ क्षेत्र आकस्मिक स्थानीय बाढ़ से काफी प्रभावित रहते हैं। ऐसी आपदा का निवारण करने के लिए नगर निगम कोटा द्वारा आपदा के कारण होने वाली आम जन धन हानि को नियंत्रित करने एवं बाढ़ के दुष्प्रभाव से बचने तथा ऐसी आपदा से निपटने के लिए विभागीय स्तर पर कार्ययोजना तैयार की गई है जो निम्नानुसार हैं :-

बाढ़ के मुख्य कारण:-

1. कई दिनों तक लगातार बारिश होना।
2. कुछ समय के लिए तेज बारिश होना तथा मिट्टी द्वारा पानी सोखने की क्षमता कम होना।
3. नदी के अपने औसत स्तर से अधिक ऊपर तेजी से बहना।
4. बांध टूटना।
5. बादल फटना।
6. विभिन्न कारणों से जल प्रवाह में अवरोध होना।

बाढ़ के प्रकार :-

1. आकस्मिक स्थानीय बाढ़ :- थोड़े समय में अत्यधिक वर्षा होने तथा मिट्टी द्वारा पानी सोखने की क्षमता कम होने पर आकस्मिक बाढ़ आती है।

2. नदी की बाढ़ :- भारी वर्षा के कारण चम्बल नदी के अपने औसत स्तर से अधिक ऊपर बहने के कारण अथवा गांधी सागर से पानी अधिक मात्रा में छोड़े जाने के कारण बाढ़ की सम्भावना बनी रहती है।
3. बड़े नाले अथवा बांध की पाल टूटने से बाढ़ की सम्भावना बनी रहती है।
4. स्थानीय नाली/नालो पर अतिक्रमण होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

नगर निगम द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि से पूर्व की तैयारी :-

1. नगर निगम कोटा द्वारा अग्निशमन केन्द्र सब्जीमंडी पर दिनांक 15 जून 2025 से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जावेगी। जहां पर आवश्यक यंत्र/उपकरण एवं वाहन उपलब्ध रहेंगे। उक्त नियंत्रण कक्ष से अतिवृष्टि आदि से संबंधित सूचना उच्चाधिकारी को प्रेषित की जावेगी। आवश्यक सेवा संबंधित अनुभागों को किसी भी प्रकार की आपदा का सामना किये जाने हेतु नगर निगम के विभिन्न अनुभागों को सदैव तैयार रखा जावेगा जिसमें जनस्वास्थ्य शाखा, निर्माण शाखा, विद्युत शाखा, नल अनुभाग गैरिज एवं फायर आदि प्रमुख हैं।
2. अतिवृष्टि के दौरान जल मग्न होने वाले क्षेत्र में आम जनता को मंदिर एवं मस्जिद में लगे हुए माईक से सूचना प्रसारित किये जाने हेतु चिन्हित किया गया है, एवं संबंधित क्षेत्र में वाहनों के माध्यम से मुनादी करवायी जाएगी।

कोटा बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने पर निम्नलिखित स्थान प्रभावित होते हैं-

A नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र :-

1. नयापुरा, चम्बल नदी छोटी पुलिया
2. करबला क्षेत्र
3. मधुराधीश जी का घाट
4. खाई रोड़
5. पुराना बस स्टेण्ड
6. खण्ड गांवडी
7. नया खेडा, बून्दी रोड
8. नेहरू हरजिन बस्ती दोस्तपुरा,
9. भट जी की घाट
10. चश्मे की बावडी
11. चन्द्रघटा घाट
12. भदाना घाट
13. सकतपुरा
14. जनकपुरी रेल्वे स्टेशन
15. देवली अरब रोड कौटिल्य नगर
16. बालिता बारां रोड

B नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र :-

1. अनन्तपुरा तालाब कच्ची बस्ती
2. प्रेम नगर कच्ची बस्ती
3. जवाहर नगर नाले के पास का क्षेत्र
4. विज्ञान नगर निचला क्षेत्र
5. देवली अरब रायपुरा
6. छत्रपुरा तालाब विज्ञान नगर
7. शिवपुरा कच्ची बस्ती
8. रानपुर-लखावा तालाब डूब क्षेत्र

3. नगर निगम कोटा के बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर बाढ़ बचाव दल 24 घण्टें उपलब्ध रहेगा। **बाढ़ नियंत्रण अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त महोदय** नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण तथा बाढ़ नियंत्रण प्रभारी **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** उत्तर होंगे। बाढ़ बचाव दल हेतु उपकरण/वाहन इत्यादि नियंत्रण कक्ष पर उपलब्ध रखे जावेंगे।
4. निगम के उपरोक्त अनुभागों हेतु आवश्यक सुविधाओं को पूर्ण रखा जावेगा। जिनमें डीजल, ऑयल, पेट्रोल, वाहन, मिट्टी के कट्टें आदि होंगे।
5. संभावित महामारी अथवा अन्य मौसमी बिमारी से निपटने के लिए आवश्यक दवाईयां एवं कीटनाशक की व्यवस्था रखी जावेगी।
6. आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार शहर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु गैरीज अनुभाग द्वारा पानी के टैंकर की व्यवस्था रखी गई है।
7. बाढ़ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय नागरिकों का बचाव है। बाढ़ की सम्भावना होने पर तुरन्त प्रभाव से सम्भावित क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भिजवाया जाएगा। इस हेतु अतिवृष्टि होने पर जलमग्न होने वाले क्षेत्र के निवासियों के लिए आश्रय स्थल चिन्हित किये गये हैं।
8. अतिवृष्टि होने पर संबंधित क्षेत्र के निवासियों हेतु आवश्यक सुविधाओं के लिए संबंधित को चिन्हित किया गया है, जिसमें हलवाई, टेन्ट, पाईप विक्रता, अस्पताल आदि को रखा गया है।
9. अतिवृष्टि होने पर प्रभावित होने वाले क्षेत्र के निवासियों से संबंधित क्षेत्र खाली करवाये जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित क्षेत्र को खाली करवाया जाकर जान माल की रक्षा की जा सकेगी।
10. बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए जीप, ट्रेक्टर का प्रबंध किया गया है जो दो तीन फूट तक के पानी में परिवहन व्यवस्था के काम आ सके। इस हेतु नगर निगम में अनुबंधित किये गये वाहनों के संवेदकों को पाबंद किया गया है।
11. पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था रखी जावेगी। इस हेतु नगर निगम की गौशाला में चारा सप्लाई करने वाले ठेकेदार को पाबंद किया गया है।
12. रानपुर तथा लखावा बांध के मध्य छिद्रान्वेशी व सुरक्षित क्षेत्र की शिनाख्त नगर निगम के निर्माण शाखा के अभियन्ताओं से करवाई जाकर यदि आवश्यक होगा की वर्षा से पूर्व मरम्मत करवा दी जाएगी।
13. नगर निगम के विद्युत अनुभाग द्वारा सम्भावित बाढ़ की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए रोड लाईट के बिजली के तारों का समय-समय पर निरीक्षण करवाया जाकर इनकी मरम्मत करवायी जाएगी।
14. सम्भावित बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बचाव दल के रूप में स्वयंसेवी संगठनों की सूची तैयार की गई है।
15. जिन स्थानों पर उचित रूप से पानी का बहाव न होता हो व पानी रुके रहने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती हो ऐसे स्थानों से पानी निकालने हेतु मड पम्प व डी वाटरिंग पम्प की व्यवस्था की गई है।
16. बाढ़ के दौरान पालतु जानवरों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था किये जाने हेतु काऊ केचर व डॉग वैन की व्यवस्था की गई है।
17. बाढ़ के समय बाढ़ से प्रभावितों को भोजन पैकेट की व्यवस्था जिला रसद विभाग, कोटा द्वारा की जाएगी, फिर भी निगम द्वारा शहर के विभिन्न हलवाईयों की सूची तैयार करली गई है एवं निगम के केन्टीन ठेकेदार को भी पाबंद किया गया है।
18. कोटा बैराज से भारी मात्रा में जल निष्पादन किये जाने पर डूब में आने वाले क्षेत्रों में खतरे के निशान के अनुसार चिन्हिकरण कर लिया गया है।
19. निगम द्वारा शहर में ऐसे मकानों का चिन्हितकरण करवाया जाएगा जो जीर्ण-क्षीण स्थिति में हों विशेष तौर पर पुरानी बस्ती जो मकान खस्ता हालात में है जैसे रामपुरा, कोतवाली, रेतवाली, चन्द्रघटा आदि ताकि ऐसे मकानों को धारा 200 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा सके जिससे किसी प्रकार की जानमाल की हानि न हो सकें।

20. शहर के विभिन्न पिकनिक स्थलों पर चैतावनी/सूचक पट्टिकाएँ लगवाई जाएगी। बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर शिकायत पंजिका संधारित की जावेगी। जिसमें प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं उनका समाधान दर्ज किया जावेगा। इस हेतु बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर दूरभाष नंबर कोटा उत्तर 0744-2392201 एवं 0744-2380310 एवं कोटा दक्षिण नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं.- 0744-2472355, 0744-2472216 स्थापित है तथा समस्त संबंधित कर्मचारियों के पास मोबाईल फोन है। बाढ़ बचाव संबंधित तैयारियों की मॉक-ड्रील समय-समय पर आयोजित की जावेगी।

बाढ़/आपदा के समय की कार्यवाही :-

1. अतिवृष्टि होने पर अथवा कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने पर यदि बाढ़ की स्थिति बनती है तो उपरोक्तानुसार बचाव कार्यवाही की जावेगी। आपदा की स्थिति में नगर निगम के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश निरस्त कर दिये जाएंगे।
2. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था तत्काल बंद करवाई जाएगी। जिससे की पानी में विद्युत प्रवाह न हो सके।
3. जहरीले जन्तुओं के प्रति सतर्क रहने हेतु आम जनता को सूचित किया जाएगा।
4. सुरक्षित जल व खाद्य सामग्री को ही प्रयोग में लिये जाने का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
5. यदि कोई व्यक्ति बहते पानी में आ जाए जहां पानी उनके घुटने से ऊपर हो तो उसे तुरन्त रोका जाकर वापस जाने हेतु कहा जाएगा।
6. अधिकतर दुर्घटनाएँ बाढ़ के पानी में तैरने व खेलने से होती है अतः ऐसे स्थानों से आम नागरिक व बच्चों को दूर रखा जाएगा। यह कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं के स्वयं सेवकों से करवाया जाएगा।
7. यदि कोई व्यक्ति चूकवश बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की ओर जाएगा तो उसे रोका जाएगा साथ ही ऐसे स्थानों से तमाशगीरों को भी दूर रखा जाएगा।
8. वर्षा के दौरान शहर में निर्माणाधीन अथवा पुराने जीर्ण-शीर्ण अवस्था के मकान गिरने/धराशाही होने की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू टीम व अन्य संसाधनों को मौके पर भिजवाया जाकर यदि उसमें कोई व्यक्ति फंसा है तो उसको तुरन्त निकलवाने की कार्यवाही/किसी प्रकार का अवरोध न हो इस हेतु मलवा हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

बाढ़/आपदा के पश्चात् की जाने वाली कार्यवाही :-

1. बाढ़ आने के बाद जल स्तर कम अथवा समाप्त होने पर जहां पर गन्दगी, गन्दा पानी आदि होगा वहां पर तुरन्त सफाई करवाई जाकर आवश्यक कीटनाशक व अन्य दवाईयों का छिड़काव करवाया जाएगा।
2. सड़क, भवन, गड्डें, गिरे हुए वृक्ष, क्षतिग्रस्त विद्युत पोल/तार आदि को तत्काल हटवाये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
3. बरसात व बाढ़ की स्थिति में मरे हुये जानवरों का उठाने के लिए उनको गड्डों में दफनाने के लिए पर्याप्त इंतजाम भी नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा निष्पादित किया जावे एवं मृत पशुओं को तत्काल हटवाया जाएगा। ताकि कोई बीमारी आदि न फैले सके।
4. बाढ़ के दूषित पानी से कई बीमारियां फैल जाती है। अतः आपदा प्रभावित क्षेत्र से स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित/आश्रय स्थलों पर भिजवाया जाएगा क्योंकि उनकी उपस्थिति अन्य राहत कार्यों में व्यवधान डाल सकती है तथा दूषित पानी व संक्रमित रोग उन पर असर डाल सकते है।
5. बाढ़ प्रभावित इमारतों से स्थानीय निवासियों को दूर रखे जाने हेतु कहा जाएगा क्योंकि बाढ़ के पानी से कई बार इमारतों की नींव कमजोर हो जाती है व उनके ढह जाने का खतरा बढ़ जाता है।
6. गैस लीक व शॉर्ट सर्किट अन्य ऐसी विपदाएँ है जो बाढ़ के कारण बढ़ सकती है। बाढ़ के तुरन्त बाद विद्युत व्यवस्थाएँ चालू नहीं करवाई जावे क्योंकि इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।
7. प्रभावित खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों को हटाने व नष्ट करने की व्यवस्था करवाई जाएगी।

8. बाढ़ में यदि कोई मकान ढह जाता है तो उस स्थान से पानी हटने के बाद वहां से मलवा इत्यादि हटवाया जाकर तत्काल सफाई करवा दी जाएगी।
9. जहां भी संभव हो लोगों व जानवरों को मूल क्षेत्र में पुनः स्थानान्तरित करवाया जाएगा।

नगर निगम, कोटा (उत्तर / दक्षिण)

श्रीमान जिला कलेक्टर (सहायता) महोदय कोटा के पत्र क्रमांक **सहायता/DDMA/2025/372** दिनांक **23.05.2025** में बाढ़ राहत कार्यों की तैयारी हेतु बैठक में दिये गये के निर्देशानुसार **15 जून 2025 से 30 सितंबर 2025** तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे रहने के निर्देश की पालना में श्रीमान आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा उत्तर के आदेश क्रमांक **ननिको/बाढ़/फायर/2025/3277-93** दिनांक **03.06.2025** के क्रम में से बाढ़ नियंत्रण कक्ष पूर्व की भांति सब्जीमण्डी तथा श्रीनाथपुरम अग्निशमन केन्द्र, कोटा को बनाया गया है। जिसके दूरभाष नंबर निम्न प्रकार है—

- सब्जीमण्डी बाढ़ नियंत्रण कक्ष फोन नं. 101, 0744-2392201, 0744-2380310
- श्रीनाथपुरम बाढ़ नियंत्रण कक्ष फोन नं. 101, 0744-2472355, 0744-2472216

1. बाढ़ नियंत्रण अधिकारी अति० आयुक्त, नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण तथा बाढ़ नियंत्रण प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण को बनाया गया है।
2. मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक सहायक बाढ़ प्रभारी, अग्निशमन अधिकारी एवं सहायक अग्निशमन अधिकारी सहायक बाढ़ प्रभारी नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण होंगे।
3. समस्त जोन उपायुक्त नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण बाढ़ नियंत्रण कक्ष के सम्पर्क में रहेंगे एवं अपने-अपने क्षेत्र की बरसात के समय उत्पन्न समस्या का तत्काल समाधान करेंगे।
4. अग्निशमन अधिकारी व सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण बाढ़ नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध करवाये गए गोताखोर एवं श्रमिकों से आवश्यकता एवं सी.एफ. ओ. के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवायेंगे।
5. अग्निशमन केन्द्र कोटा उत्तर/दक्षिण फायरमेन, पारी प्रभारी पारीबद्ध सब्जीमण्डी अग्निशमन केन्द्र पर (अधिक वर्षा की स्थिति में) फायरमेन श्री भंवर सिंह, श्री जाउद्दीन तथा श्री आनन्द मीणा सदैव उपस्थित रहेंगे तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
7. एक-एक कनिष्ठ अभियन्ता नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण पारीबद्ध बाढ़ नियंत्रण कक्ष में लगाया है जिसकी व्यवस्था अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) करेंगे।
8. बाढ़ नियंत्रण कक्ष हेतु एक लिपिक नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण प्रतिपारी उपलब्ध रखा जायेगा। जो कि समस्त अभिलेख का सन्धारण करेगा एवं प्राप्त शिकायतों का निवारण किए जाने हेतु सम्बंधित को सूचित करेगा।
9. स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार श्रमिक/लेबर बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर उपलब्ध करवायेगे।
10. अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक) नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण बाढ़ नियंत्रण कक्ष में प्रत्येक पारी में एक ट्रेक्टर एक जे.सी.बी. व बरसात के समय आवश्यक वाहन व स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा वाहनों सम्बंधित व्यवस्था करेंगे।
11. एक शासकीय वाहन व एक ड्राईवर मय माइक के गैराज पूल प्रभारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष में तैनात रखेंगे व आवश्यकता पड़ने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति लेने पर किराये के वाहन कि आपूर्ति करेंगे।
12. मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रत्येक पारी में गोताखोर व नाविक सिविल डिफेन्स से व्यवस्था करायेगे व तीन छोटी नाव रखेंगे व गैराज प्रभारी/अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक) नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण एक-एक प्रत्येक पारी में डीजल पम्प मैकेनिक अनुभवी जो पम्प एवं जनरेटर चला सके बाढ़ नियंत्रण हेतु व्यवस्था करेंगे। गोताखोर बाढ़ कन्ट्रोल रूम में तैनात रहेंगे।

13. एक लाइनमेन तथा एक हेल्पर की व्यवस्था अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर व्यवस्था करेंगे व इमरजेंसी लाईट, जनरेटर व अन्य विद्युत से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे व आवश्यकता पड़ने पर जनरेटर मय उपकरण के बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर उपलब्ध करावेंगे।
14. समस्त अनुभाग अधिकारी, नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण अपने-अपने संसाधन पूर्व तैयार रखेंगे व अधीनस्थ कर्मचारियों ठेकेदारों एवं कामगारों के फोन नम्बर पते आदि तैयार रखेंगे तथा अपने-अपने निवास के फोन नम्बर, मोबाइल आदि को ऑन रखेंगे जिससे किसी भी आपदा के समय संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
15. बाढ़ आने पर समस्त अनुभाग अधिकारी, नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण व बाढ़ से जुड़े समस्त कर्मचारी व अग्निशमन दल के समस्त कर्मचारियों को पाबन्द किया जाता है कि तेज बारिश व आपदा के समय वह स्वयं बाढ़ नियंत्रक कक्ष पर उपस्थित हो जावे व व्यवस्था व आपदा को निष्पादित करें।
16. एक रेस्क्यू, वैन जिसमें नाव, रस्से, सोहरे-बिलाई लाईफ जेकेट, लाईफ बाय, पोर्टेबलपम्प, ट्यूब, ड्रेगन लाईट, जनरेटर, हेल्मेट, गमबूट, टेन्ट आदि उपकरण एवं गोताखोर सहित उपलब्ध रहेगी।
17. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार शहर के सभी बड़े व छोटे नालों की सफाई व आने वाले अवरोध अतिक्रमण आदि को हटाने का कार्य मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण एवं सम्बंधित क्षेत्र के एस.आई. नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण व प्रभारी अतिक्रमण विभाग नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण सहयोग कर बाढ़ व्यवस्था में सहयोग करेंगे व सफाई कर्मचारियों को पारीबद्ध तैनात रखेंगे, ताकि आव यकता पड़ने पर कार्य किया जा सके।
18. सम्बंधित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण पाबंद करे व अपने क्षेत्र में ऐसे मकान चिन्हीकरण कर चिन्हित करेंगे जो जीर्ण-क्षीण स्थिति में हों विशेष तौर पर पुरानी बस्ती जो मकान खस्ता हालात में है जैसे रामपुरा, कोतवाली, रेतवाली, चन्द्रघटा आदि ताकि ऐसे मकानों को धारा 200 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा सके जिससे किसी प्रकार की जानमाल की हानि न हो सके।
19. बरसात व बाढ़ की स्थिति में मरे हुए जानवरों का उठाने के लिए उनको गड्ढों में दफनाने के लिए माकूल इंतजाम भी नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण द्वारा निष्पादित किया जावे ताकि कोई बीमारी आदि न फैले व सम्बंधित ठेकेदार को मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रभारी पाबंद करे कि वह अपना संचालन सुव्यवस्थित रखें।
21. आंधी, तूफान व बाढ़ के दौरान शहर में गिरे पेड़ों को उद्यान अधीक्षक द्वारा टीम भेजकर करवाने हेतु हटाने का कार्य किया जाएगा।
22. अधिशाषी अभियन्ता निर्माण नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण पर्याप्त मिट्टी के कट्टों की बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर व्यवस्था करेंगे।
23. राणाप्रताप सागर बांध से पानी छोड़े जाने पर वह पानी अत्यधिक वैग से मात्र डेढ़ घण्टे में ही कोटा बैराज पहुँच जाता है। अतः बाढ़ नियंत्रण कक्ष से सूचना प्राप्त होते ही समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण तत्काल प्रभाव से अपने-अपने कार्यस्थल पर पहुँचकर आव यक कार्यवाही करेंगे।

नोट:- बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ राहत कार्य में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी उपरोक्त वर्णित कार्य अनुसार तथा बाढ़ नियंत्रण अधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी एवं सहायक बाढ़ नियंत्रण प्रभारी द्वारा दिये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।

(अ) सिविल अनुभाग :-

अनुभाग अधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण समस्त अधीनस्थ ठेकेदारों व उनके कर्मचारियों के पते व फोन नं० की जानकारी रखेंगे व आवश्यकता पड़ने पर बाढ़ टीम प्रभावित क्षेत्र का कार्य निर्देशानुसार निष्पादित करवायेंगे। इसके लिये विभागीय, कारीगर बेलदारों की भी तैयार रखेंगे व 100 कट्टे सीमेन्ट, बजरी, रोड़ी, गिट्टी व रेत कान्ट्रेक्ट भी सुनिश्चित रखेंगे जिससे मांग पर तुरन्त उपलब्ध लाईन में समस्त खुले मेन होल बारि 1 से पूर्व तथा 15 जून से पहले मेन होल

पर ढक्कन सुनिश्चित करेंगे अन्यथा किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये सम्बंधित कनष्टि अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशोषी अभियन्ता नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण पूर्ण जिम्मेदार होंगे। भाहर व आस-पास के पर्यटन स्थल (पिकनिक स्पॉट) पर वर्षा से पूर्व चेतावनी बोर्ड लगवायेगें। लखावा एवं रानपुर तालाब के बांधों का समय से पूर्व निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही कराई जावेगी। लखावा तालाब पर 1000 मिट्टी के कट्टें एवं आवश्यकतानुसार मिट्टी उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ब) जन स्वास्थ्य अनुभाग :-

अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अनुभाग अधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण के सफाई कर्मी, ट्रेक्टर ट्रौली स्वास्थ्य निरीक्षक व अधीनस्थ कर्मचारियों के कामगारों को सूची तैयार व व्यवस्थित स्थिति में रखेंगे व पूर्ण नियंत्रण के जिम्मेदार होंगे। भारी बारिश की चेतावनी आने पर सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में पहुंच कर सी.एस.आई. की रिपोर्ट करेंगे व व्यवस्था देखेंगे। बाढ़/वर्षा के कारण जो पानी, कीचड़ मलवा, गंदगी आदि रोड/रास्ते पर छोड़ जाती है उसे साफ कराकरवह डीडीटी/जला हुआ तेल मच्छर मारने की दवा छिड़कने का दायित्व पूरा करेंगे। जन स्वास्थ्य विभाग अपने-अपने उपकरण गमबूट, फावड़े, तगारी व अन्य बाढ़ से जुड़े उपकरण तैयार रखेंगे जिससे बाढ़ के साथ-साथ महामारी से भी निपटा जा सके व सी.एस.आई. यह भी सुनिश्चित करेंगे की कोई भी मरा हुआ जानवर/पशु आवासीय कॉलोनी में ज्यादा देर तक नहीं पड़ा रहे। अपने-अपने क्षेत्र के सी.एस.आई./एस.आई. पूर्ण जिम्मेदार होंगे। वर्षा का पानी बस्तीयों में भरने/इकट्ठा होने पर उसे मड पम्प लगवाकर निकलवाने की कार्यवाही करेंगे।

(स) नल विभाग :-

अनुभाग अधिकारी/प्रभारी नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण हेण्डपम्प व जल पेयजल व्यवस्था वाले पाइन्ट्स को सुनिश्चित करेंगे व चालू हालत में रखेंगे। जरूरत पड़ने पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में टेंकर के जरिये पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे व पीएचईडी विभाग से समन्वय बनाये रखेंगे तथा सबमर्सिबल पम्प तैयार रखेंगे जिससे पानी निकालने में मदद मिल सके।

(द) विद्युत अनुभाग :-

विद्युत विभाग अधिकारी/प्रभारी नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण समस्त विद्युत व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे व स्ट्रीट लाईट, पैनल व किसी भी ज्वाइंट के लीक होने पर किसी भी जन हानि नहीं होवे इसे सुनिश्चित करेंगे व एक जनरेटर बाढ़ नियंत्रण कक्ष में विद्युत व्यवस्था बनी रहे व दो कुशल कामगार प्रत्येक पारी में बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर उपलब्ध करवायेगें व इमरजेन्सी लाईट की भी व्यवस्था करेंगे। बाढ़ की स्थिति होने पर प्रभारी/अधिकारी स्वयं मौजूद रहेंगे व विद्युत व्यवस्था बनी रहे ऐसे समुचित उपाय करेंगे हेण्ड ग्लोब व गमबूट, सुरक्षा उपकरण जैसे टेस्टर, पेचकस व टूल बॉक्स की बाढ़ नियंत्रण रूम में उपलब्ध करायेगें।

(व) उद्यान अनुभाग :-

उद्यान अधीक्षक नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण 15 जून से 30 सितम्बर 2025 तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर तीनों पारियों में कारपेन्टर मय स्टाफ के व्यवस्था करेंगे ताकि आधी तूफान से गिरे पेड़ों को जो रास्तो को अवरुद्ध कर देते हैं उन्हें वहां से हटाया जा सकें।

आश्रय स्थलों की सूची

क्र.सं	नाम आश्रय स्थल
1	हिन्दू धर्मशाला आर्य समाज रोड़, कोटा
2	मल्टीपरपज स्कूल गुमानपुरा कोटा
3	वोकेशनल स्कूल नयापुरा कोटा
4	कामर्स कॉलेज तलवंडी कोटा
5	महिला पोलोटेक्निक कॉलेज विज्ञान नगर
6	गर्ल्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल विज्ञान नगर
7	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सामुदायिक भवन चम्बल गार्डन के सामने कोटा
8	महर्षि गौतम सामुदायिक भवन श्रीनाथपुरम कोटा
9	कोटिल्य सामुदायिक भवन टीचर्स कॉलोनी कोटा
10	रैन बसेरा नयापुरा स्टेण्ड के पास
11	सामुदायिक भवन विज्ञान नगर कोटा
12	राजकीय माध्यमिक विद्यालय महावीर नगर कोटा
13	राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय दादाबाड़ी
14	राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय दादाबाड़ी
15	राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय केशवपुरा कोटा
16	न्यास द्वारा निर्मित खाली आवास गृह दुकाने जिनका आवेदन नहीं हुआ है।
17	राजकीय विद्यालय गांवड़ी
18	राजकीय मानटेंसरी स्कूल, नयापुरा
19	संत तुकाराम सामुदायिक भवन, कुन्हाडी
20	काला बादल सामुदायिक भवन, आरकेपुरम कोटा
21	बुद्ध सिंह बाफना सामुदायिक भवन, आरकेपुरम कोटा।
22	अशोक पार्क के पास सामुदायिक भवन विज्ञान नगर कोटा।
23	अंसारियान समाज सामुदायिक भवन साजीदेहडा कोटा।
24	सांघी धर्मशाला नयापुरा
25	मॉटेसरी स्कूल नयापुरा
26	नगर निगम तथा नगर विकास न्यास कोटा के रिक्त सामुदायिक भवन

कोटा शहर के मुख्य नालें

क्र.सं	नाला	सेक्टर	निरीक्षक का नाम	मोबाईल नं
1	माला रोड़ वाला नाला	1		
2	राम मंदिर स्टेशन	2		
3	नयापुरा बस स्टेण्ड का नाला	3		
4	कुन्हाड़ी नान्ता का नाला	4		
5	कर्बला का नाला	5		
6	गुलाबबाड़ी का नाला	5		
7	मोहन टाकीज नाला	5		
8	चश्मे की बावड़ी	6		
9	पाटनपोल का नाला	6		
10	साजीदेहड़ा वाला नाला	7		
11	हनुमान कच्ची बस्ती का नाला	8		
12	आर.ए.सी. गोदावरी धाम नाला कॉलोनी	8		
13	बालाकुण्ड से जवाहर नगर नाला	9		
14	श्रीनाथपुरम से दादाबाड़ी विस्तार	10		
15	महावीर नगर प्रथम से आई.एल. कॉलोनी	11		
16	तलवंड़ी का नाला	11		
17	अनन्तपुरा	11		
18	झालावाड़ रोड़ विज्ञान नगर पश्चिम से	12		
19	छावनी-रामचन्द्रपुरा में मुख्य नाला	13		
20	डी.सी.एम. का नाला	14		
21	बजरंग नगर से रेल्वे लाईन का नाला	15		

बाढ़ प्रबंधन के लिये मोबाईल टीम के रूट

बाढ़ प्रबंधन के लिए मोबाईल टीम के रूट हेतु निम्नलिखित टीम का गठन किया गया है
इसके प्रभारी अधिकारी, श्री , होंगे।

टीम प्रथम

1. स्वास्थ्य निरीक्षक (ए टीम)

अ. श्री CSI

ब. श्री

स. श्री

श्री, राधाकृष्ण मंदिर मानसिंह का नाला, संतोषी नगर का नाला, नेहरू नगर का नाला, जे.पी. कॉलोनी, बापू कॉलोनी का नाला व माला फाटक महात्मा गांधी कॉलोनी से चन्द्रसेल नदी की ओर जाने वाले नालों के बहाव के सम्बंध में मौके की स्थिति का निरंतर वर्णन करते रहेंगे।

टीम द्वितीय

2. स्वास्थ्य निरीक्षक (बी टीम)

अ. श्री CSI

ब. श्री

स. श्री

भट्टजी घाट के बालाजी, किशोरपुरा गेट, गंधी जी की पुल, सुभाष चौक गुमानपुरा बंजारा कॉलोनी मोहन ढोली का नाला, गोरधनपुरा का नाला, छावनी का नाला, सूर्य नगर, गोविन्द नगर, सूर सागर, रायपुरा आदि को देखते हुए रामपुरा लौटेंगे।

टीम तृतीय

3. स्वास्थ्य निरीक्षक (सी टीम)

अ. श्री CSI

ब. श्री

स. श्री

किशोरपुरा गेट से साजीदेहड़ा का नाला, जवाहर नगर का नाला, दादाबाड़ी पी.एन. टी. कॉलोनी का नाला, आल्हा उदल पार्क का नाला, संतोषी नगर, सुभाष नगर, रामधाम का नाला, तलवण्डी कॉमर्स कॉलेज, विज्ञान नगर ई.एस.आई. हॉस्पिटल के पास का नाला, जो एरोड्रम की तरफ जाता है। इन नालों का निरीक्षण करते हुए मौके की स्थिति से निरंतर उच्च अधिकारियों को पानी की स्थिति से अवगत कराते रहेंगे।

बाढ़ के समय इमरजेंसी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं :-

क्र.सं.	अस्पताल/चिकित्सालयों का नाम	दूरभाष नंबर
1	डॉ. श्रीधर्मराज मीणा प्रार्चाय एम.बी.एस.	2450241, 2450242,
2	डॉ. श्रीमती संगीता सक्सेना प्रार्चाय, न्यू मेडिकल कॉलेज	2470674,
3	सी.एम.एच. ओ. ऑफिस	2329259,
4	रामपुरा सेटेलाईट अस्पताल कोटा	2381354, 2380768, 2381406
5	आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा	108,
6	कोटा ब्लड बैंक बसंत बिहार	2402010
7	ब्लड बैंक (एम.बी.एस.)	2422939
8	जेके लोन अस्पताल	2327924, 2450241
9	निःशुल्क रोगी वाहन (करणी विकास)	2363741
10	ई.एस.आई. अस्पताल	2427946
11	हेल्प लाईन स्टेडियम श्रीनाथपुरम विज्ञान नगर मुख्यालय रामपुरा जोन कोटा जंक्शन डी.सी.एम. स्टेशन	2502126 2320944
12	नगर निगम पी.बी.एक्स रामपुरा	2380211, 2392209
13	नगर निगम पी.बी.एक्स दशहरा मैदान	2502768
14	मुर्दा मवेशी ठेकेदार	9829049786

कोटा शहर में मोटर बोट धारक ठेकेदार

क्र.सं.	नम	मोबाईल नम्बर
1.	श्री तौमर जी	9828079769
2.	श्री आशिष जी	9828501888
3.	श्री बनवारी जी	8094693116

कोटा जिला एवं शहर में संभावित अतिवृष्टि/बाढ़ से बचाव कार्य की कार्य योजना

क्र. सं.	नाम विभाग	कार्य का विवरण	नियंत्रण कक्ष	प्रभारी अधिकारी का नाम, पद, टेलिफोन नम्बर			विशेष विवरण
				नाम पद	कार्यालय	निवास	
1	नगर निगम कोटा उत्तर एवं दक्षिण	1. नालो नालियों की सफाई व्यवस्था	कोटा उत्तर 0744 2392201, 0744 2380310	पारी प्रभारी श्री राकेश व्यास, मुख्य अग्निशमन अधिकारी	कोटा उत्तर 0744 2392201, 0744 2380310	9001314669	
		2. शहर के अन्दर सफाई की व्यवस्था		मो. अज़हर खान अग्निशमन अधिकारी		8839880883	
		3. चिन्हित क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के साधनों की व्यवस्था करना		श्रीमती सीता चौबदार सहायक अग्निशमन अधिकारी	कोटा दक्षिण 0744 2472355	9928197705	
		4. जल प्रवाह मार्गों नालों में अतिक्रमणों का चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना/हटाना	कोटा दक्षिण 0744 2472355	श्री प्रकाश महाराजा सी.एस. आई.	0744 2472216	7891512414	
		5. चिन्हित आश्रय स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएँ (सफाई रोशनी, शौच, पेयजल) आदि	0744 2472216				
		6. निजी साधनों स्वयं सेवी संस्थाओं एवं संगठनों का सूचीकरण कर आवश्यकता होने पर सहयोग लेना					

स्वयंसेवक बचाव दल (निजी क्षेत्र)

क्र.सं.	नाम		पता	मोबाईल नं०
1	हिम्मत सिंह	प्रभारी	तलवण्डी	9887793882
2	दीपक	सदस्य	दादाबाड़ी	9214071458
3	टिनू सिंह	—''—	—''—	9001644005
4	देव सिंह	—''—	दादाबाड़ी	9785952332
5	ज्वाला सिंह	—''—	संतोषी नगर	9694133145
6	गजेन्द्र शर्मा	—''—	—''—	8890328182
7	नरेन्द्र सिंह	—''—	महावीर नगर	9509765955
8	भरत हाड़ा	—''—	विज्ञान नगर	9829078892
9	योगेश	—''—	कंसुवा	9928634322
10	विनोद	—''—	डी.सी.एम.	9001695065
11	सुनील अरोडा	—''—	गुमानपुरा	9829085873
12	दानीश	—''—	स्टे 1न	992876661
13	सुमित जैन	—''—	रंगबाड़ी	9649196101
14	रुद्रप्रताप सिंह	—''—	—''—	987069055
15	मुकेश	—''—	रंगपुर	9929676731
16	आफताब खान	—''—	श्रीपुरा	9829044586
17	हेमन्त सिंह	—''—	खेरली फाटक	9694436881
18	वजिद अली पठान	—''—	सी.ए.डी. कॉलोनी	9461438222
19	आबिद हुसेन	—''—	बोम्बे योजना जे.के.	8890345794
20	राजा	—''—	संजय नगर	9928105557
21	रवि मीणा	—''—	बोरखेड़ा	9887984436

रितेश चित्तौड़ा मित्र कल्याण मण्डल समिति :- 9829108933

क्र.सं.	नाम	मो. नं.
1	संदीप औदिच्य	9829791211
2	देवेन्द्र विजय	9828118356
3	आशीष माहेशवरी	9828154091
4	महेन्द्र खण्डेलवाल	9829338444
5	अनवर शेख	9829334376
6	वसी उर रहमान	9829034344
7	संजय शर्मा	9460509910
8	संजय पुरसवानी	9829039819
9	हफिज	9772771515
10	गोपाल शर्मा	9829089464

स्वयं सेवक बचाव दल (निजी क्षेत्र)

क्र.सं.	नाम	पद	मोबाईल नम्बर
1	अनिल औदिच्य	प्रभारी	9414383343
2	विरेन्द्र शर्मा	सदस्य	9829038260
3	टीकम चौरसिया	सदस्य	0744-2385609
4	कैलाश	सदस्य	9829413832

स्वयंसेवक बचाव दल (निजी क्षेत्र)

क्र.सं.	नाम	मो. नं.
1	ब्रजेश शर्मा	9829036059
2	सुधीर	9829038059
3	सुरेश शर्मा	9460568263
4	अनिल अग्रवाल	9413392222
5	अभिषेक मित्तल	9414182845
6	हरीश	9414274970
7	गोतम लड़कान	9460056893
8	बबलू सेन	9414190067
9	अनिल तिवारी	9829038090
10	अनुराग जी	9414252384
11	अनवर	9828444200
12	मनीष विजय	9352677299
13	मन्जूर भाई	9829926789
14	मनीष लोधा	9887211429

शहर के प्रमुख भवन निर्माताओं के टेलीफोन नम्बर

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	फोन नम्बर
1.	श्री अंकुश खण्डेलवाल (स्काई लाईन बिल्डर)	9829037735
2.	श्री दीपक राजवंशी	9413350172
3.	श्री बघेरवाल	9414180627
4.	श्री राजेन्द्र श्रृंगी	9413352271
5.	श्री अरुण मेहता	9414441444
6.	श्री जितेन्द्र चौधरी	9928871111
7.	श्री लक्ष्मण नैनानी	9829035238
8.	श्री परमजीत सिंह	9414189904
9.	श्री नीरज सुवालका	9829036870
10.	श्री अजय खत्री	9829039779

शहर के प्रमुख इन्डस्ट्रीज / प्लांट के आपदा / अग्निशमन ईंचार्ज के टेलीफोन नम्बर

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	फोन नम्बर
1.	मेजर मेहता डी०सी०एम०	9414181502
2.	एल० पी० सिंह के०टी०पी०एस०	9414049715
3.	महेश एडीबल	9799497116
4.	शिव एडीबल	9314627086
5.	नागर सूर्या चम्बल पावर प्रोजेक्ट रंगपुर	9982219155
6.	सी०एफ०सी०एल० श्री अमित	8003829900

अन्य आवश्यक टेलीफोन नम्बर (निजी क्षेत्र)

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	फोन नम्बर
1.	श्री जवाहर अग्रवाल टेन्ट हाउस	9414177274
2.	बजरंग टेन्ट हाउस	9414177466
3.	त्रिशुल इलेक्ट्रीकल्स श्री शरद जी	9414177894
4.	श्री पियूष जैन, डागा इलेक्ट्रीकल्स	9414179619
5.	राजीव कोहली टाटा मोटर्स	9214035262
6.	श्री अरविन्द भारत गैस अध्यक्ष एलपीजी ऐसोसियेशन कोटा	9928857151
7.	तरुभीत सिंह बेदी पेट्रोल पम्प अध्यक्ष एवं कोटा क्लब	9828138333
8.	राजेश राठी अध्यक्ष भामाशाहमंडी	9829036850
9.	अशोक माहेश्वरी अध्यक्ष व्यापार संघ	9829035670
10.	संजय शर्मा अध्यक्ष गुमानपुरा व्यापार संघ	9414186005
11.	श्री संदीप मित्तल फायर उपकरण सप्लायर्स	9829520969
12.	श्री रफीक क्रेन सर्विस	9829342916
13.	श्री हिम्मत सिंह हाडा समाज सेवक	9887793882
14.	श्री क्रान्ति तिवारी समाज सेवक	9252458760
15.	श्री अनिल तिवारी समाज सेवक	9829038090
16.	श्री सुनील मल्होत्रा (रोटी क्लब)	9414252467
17.	श्री पंकज तर्मा सिटी मॉल मैनेजर	9549540888
18.	श्री सुकेश फन सिनेमा	9928704570
19.	श्री आर के वर्मा निदेशक रेजोनेन्स	9602037000
20.	श्री नवीन माहेश्वरी निदेशक ऐलन क्लासेस	9414179919
21.	श्री ओम माहेश्वरी निदेशक केरियर पॉइन्ट	9672977507
22.	श्री पी0 के0 बंसल , बंसल क्लासेस	9829036063
23.	श्री अनिल आईनॉक्स	9672909000
24.	श्री पंकज आहूजा	9829035318

अग्निशमन व्यवस्था :-निम्नलिखित उपकरण अग्निशमन व्यवस्था में उपलब्ध आपातकाल में आपातस्थिति से निपटने के लिये तैयार है जो निम्नलिखित टेलिफोन नम्बर्स पर सूचना भेजी जा सकती है।

- सब्जीमंडी बाढ़ नियंत्रण कक्ष फोन नं. 101, 0744-2392201, 0744-2380310
- श्रीनाथपुरम बाढ़ नियंत्रण कक्ष फोन नं. 101, 0744-2472355, 0744-2472216

उपकरणों की उपलब्धता की सूची : उत्तर एवं दक्षिण की सूची

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपकरणों की संख्या
1	Aluminium Boat Big	04
2	Aluminium Boat Small	02
3	Inflatable Boat	02
4	OBM 9.9HP 25 HP	01 02
5	SCUBA Suit	04
6	Dry Diving Suit	01
7	Mud Pump Set (Garage)	04
8	Dragon Light/LED Tarch	20
9	Electric Generator (Garage)	04
10	Life Buoy Ring	40
11	Life Jacket	40
12	Ext. Ladder	15 with Vehicle
13	ABC type	50
14	Hydraulic Cutter	2
15	Fire Tender	15
16	Water Tanker (Bauser)	1
17	JCB (Nigam Gairaj)	02
18	Dumper (Nigam Gairaj)	04
19	Tractor (Nigam Gairaj)	06
20	Water Tanker with Tractor (Nigam Gairaj)	02
21	All type Rope	20

कोटा शहर के पाईप विक्रेता

क्र.सं.	नाम फर्म	टेलीफोन नं.
1	मैसर्स बम्बई मशीनरी एजेन्सी, नयापुरा, कोटा	0744-2451409
2	मैसर्स एम.एम. एन्टरप्राइजेज, नयापुरा, कोटा	0744-2330459
3	मैसर्स राजस्थान इंजीनियरिंग एण्ड मशीनरी स्टोर ,नयापुरा, कोटा	0744-2451034
4	मैसर्स मनीष ट्यूब कॉरपोरेशन नयापुरा/शॉपिंग सेन्टर , कोटा	0744-2332570
5	मैसर्स हेम आयरन ट्रेडर्स नयापुरा, कोटा	0744-2327594

कोटा शहर के प्रमुख टेन्ट हाउस की सूची

क्र.सं.	नाम	टेलीफोन नम्बर
1	अग्रवाल टेंट हाउस, नयापुरा कोटा	0744-2451374
2	मून लाइट टेंट हाउस, गुमानपुरा कोटा	0744-2390171
3	श्री अग्रवाल टेंट हाउस, शॉपिंग सेन्टर कोटा	9829271880
4	महावीर टेंट हाउस, गुमानपुरा कोटा	9829685520
5	माहेश्वरी टेंट हाउस आर के पुरम कोटा	0744-2472947
6	भारत टेंट हाउस, मस्जिद गली, कोटा जं.	0744-3233832
7	श्रीनाथ टेंट हाउस स्टेशन कोटा	0744-2460433
8	मंगल टेंट हाउस दादाबाडी कोटा	0744-2500009
9	बजरंग टेंट हाउस, तलवण्डी कोटा	0744-2405600
10	श्रीराम टेंट हाउस, कोटा जं.	9214988181
11	बंसल टेन्ट हाउस शॉपिंग सेन्टर कोटा	0744-2364380

कोटा शहर के प्रमुख हलवाईयों की सूची

क्र.सं.	नाम	टेलीफोन नम्बर
1	श्री शंभू हलवाई श्रीपुरा	9829030635
2	श्री महेश शर्मा जी	9166163405
3	श्री बुद्धी प्रकाश खेमासती हलवाई	9950129554
4	श्री किशन पाठक, पाठक केटर्स	9829039928
5	श्री इन्द्रजीत सिंह अमर पंजाबी ढाबा	9950481234
6	श्री राजकुमार माहेश्वरी	9829037118
7	श्री राजेन्द्र हरसौरा भामाशाहमंडी केन्टिन संचालक	9414177721
8	श्री कुलदीप मालू जी वाला	9351669939
9	शर्मा मिष्ठान भण्डार कोटा जंक्शन	2441135
10	शर्मा केटर्स कोटा जंक्शन कोटा	2460433
11	श्याम सुन्दर कमल कुमार घंटाघर कोटा	2326638

निजी क्षेत्र के नर्सिंग होम

क्र. सं.	नाम	टेलिफोन
1.	शिला चौधरी प्रसूति नर्सिंग होम	2425787, 2427125
2.	दीपशिखा आर्थोपेडिक हॉस्पिटल	2422492
3.	यूरोलॉजी क्लिनिक	2425152
4.	कोटा आई हॉस्पिटल	2320767, 2321044
5.	किंकर अस्पताल एवं प्रसूति गृह	2412722
6.	क्षेत्रपाल नर्सिंग होम	2450594
7.	एम. एल. बाहेती हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर	2426684
8.	महावीर मिशन अस्पताल	2371010
9.	गोयल हॉस्पिटल	2401493
10.	रत्ना नर्सिंग होम डाग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेंटर	2322368
11.	महावीर ई एन टी हॉस्पिटल	9950952660
12.	अग्रवाल मेडिकल एण्ड रिसर्च	2422526
13.	टी.के.सिंह नर्सिंग होम	2322562
14.	टी.के सिंह हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर	2326846
15.	अग्रवाल मेडिकल एण्ड रिसर्च सेंटर	2420888,2422526
16.	एन आर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर	2503906
17.	भारत विकास परिषद चिकित्सालय	2504501-02
18.	जायसवाल यूरोलाजी सेंटर	2424858,2423232
19.	एस एन पारिक मेमोरियल एण्ड रिसर्च सेन्टर	2402770
20.	खारोलीवाल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर	2322806
21.	कोठारी स्किन क्लिनिक	2362426
22.	जे.जे. डेंटल हास्पिटल	2504131
23.	मित्तल हार्ट क्लिनिक	2407966
24.	आलोक हॉस्पिटल	2423838
25.	एक्यूपंचर रिसर्च सेंटर	2427590, 2429996
26.	सिंह आर्थोपेडिक हॉस्पिटल	2328107
27.	डी.डी.नेत्र संस्थान	2501100
28.	जैन दिवाकर अस्पताल	2322300,2322000
29.	कोटा मेटरनिटी एण्ड नर्सिंग होम	2501239
30.	सुवि आई इंस्टीट्यूट	2433575
31.	सुधा हॉस्पिटल	3295190
32.	सारोया आई हॉस्पिटल	2390005
33.	आकांक्षा आर्थोपेडिक हॉस्पिटल	2421369
34.	कोटा हार्ट इन्सिटीयूट	9351838005

नगर पालिकाएँ

क्र.सं.	नाम	दूरभाष नं०	
1.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका कैथून	2844291	
2.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका रामगंजमण्डी	07459-220016	
3.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका सांगोद	07540-232339	
4.	आयुक्त नगर परिषद झालावाड़	07432-231136	
5.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका झालरापाटन	07425-240263	
6.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका भवानीमण्डी	07432-222033-222070	
7.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका पिडावा	07434-435241	
8.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका अकलेरा	07431-222333	
9.	आयुक्त नगर परिषद बारां	07453-230106	
10.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका अंता	07457-244254	
11.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा	07452-222025	
12.	आयुक्त नगर परिषद बूंदी	0747-2443903,2444700	
13.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका नैनवा	0747-257246	
14.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका केशवरायपाटन	07438-264346	
15.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका कापरेन	07438-265434	
16.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका लाखेरी	07438-261627,261646	
17.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका इन्द्रगढ़	07438-253583	
18.	आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर	07462-220386	
19.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका गंगापुरसिटी	07463-234041	
20.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका करौली	07464-220037	
21.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका हिण्डोन सिटी	07469-232989	
22.	अधिशायी अधिकारी नगर पालिका मांगरोल	07457-225203	
24.	अधिशायी अधिकारी कोटा बैराज	2370984	9414521036
25.	पुलिस कंट्रोल रूम भाहर	100ए 07442350777	
26.	पुलिस कंट्रोल रूम ग्रामीण	2350888	
27.	जिला जनसम्पर्क अधिकारी	245604012	2323238
28.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	2361366	2502182
29.	जिला परिवहन अधिकारी	2364592	2504830
30.	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	2323712	2440732
31.	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	2363129,2362359	2423270
32.	जेल अधीक्षक	2323027	2327846
33.	उपनिदेशक मत्स्य	2324965	2420533
34.	उपनिदेशक समाज कल्याण	2325491	2471386
35.	मुख्य प्रबन्धक रोडवेज	2321984	2472873
36.	सहायक निदेशक आकाशवाणी	2322411-2-3	2321296-2329149
37.	सहायक निदेशक दूरदर्शन	245211,2327100	248552,2500080

पुलिस थाने

क्र.सं.	नाम	फोन	
1.	भीमगंजमण्डी	2350754	
2.	कोतवाली रामपुरा	2350760	
3.	मकबरा	2350759	
4.	कैथूनीपोल	2350758	
5.	विज्ञान नगर	2350763	
6.	नयापुरा	2350756	
7.	कुन्हाड़ी	2350755	
8.	गुमानपुरा	2350752	
9.	उद्योग नगर	2350762	
10.	दादाबाड़ी	2350751	
11.	रेल्वे कॉलोनी	2350757	
12.	महावीर नगर	2350761	
13.	किशोरपुरा	2350753	
14.	महिला थाना कोटा	2350764	
15.	जवाहर नगर	2350763	
16.	अन्नतपुरा	2207766	
17.	टारकेपुरम	2350768	
18.	बोरखेडा	2207700	
19.	विद्युत थाना	2450167	
20.	कलेक्ट्रेट कोटा चौकी कोटा	2350857	

21.	घंटाघर चौकी	2350862	
22.	छावनी चौकी	2350852	
23.	सूरजपोल चौकी	2350853	
24.	बड़गांव चौकी	2350855	
25.	बस स्टेण्ड चौकी	2350856	
26.	एम बी एस चौकी	2350858	
27.	कोटा बैराज	2350859	
28.	पाटनपोल चौकी	2350861	
29.	इंदिरा गांधी नगर चौकी	2350865	
30.	लाडपुरा चौकी	2324177	
31.	रामगंजमण्डी	95-7459-22100	
32.	मोढ़क	95-7459- 232243	
33.	कनवास	95-7450-254624	
34.	सुल्तानपुर	95-97455-224238	
35.	इटावा	95-7458 225230	
36.	सुकेत	95-7459-234242	
37.	चेचट	95-7459-230223	
38.	संगोद	95-7450-234242	
39.	सीमल्या	95-7455-264326	
40.	कैथून	2844207	
41.	मण्डाना	2812633	

42.	बूढ़ादीत	95-7455-225268	
43.	बपावर कलां	95-7450 264833	
45.	खातौली	95-7458 245448	

नगर निगम, कोटा दक्षिण

नाम	पद	कार्यालय	मोबाईल नं.
श्री राजीव अग्रवाल "भारती"	महापौर	0744-2502758	93526-02037
श्री पवन मीणा	उप महापौर	0744-2502583	94626-26262
श्री विवेक राजवंशी	नेता प्रतिपक्ष	000	94141-77381
श्री अनुराग भार्गव RAS	आयुक्त	0744-2502142	94142-20495
श्री जवाहर लाल जैन RAS	अतिरिक्त आयुक्त	0744-2505048	94130-52669
श्री महेश चन्द गोयल	उपायुक्त प्रथम		94133-42653
श्री दयावती सैनी	उपायुक्त द्वितीय		94620-14220
श्री दिनेश कुमार शर्मा	उपायुक्त (राजस्व)		95290-76731
श्री महेश चन्द गोयल	अधीक्षण अभियन्ता		94133-42653
श्री धीरज कुमार सोनी RAcS	मुख्य लेखाधिकारी उत्तर दक्षिण		70144-28012
श्री शिवचरण लाल मीणा	सहायक लेखाधिकारी प्रथम, उत्तर दक्षिण		94627-33304
श्रीमती अनुरीता शर्मा	संयुक्तविधी परामर्शी		95301-04349
श्रीमती सपना वर्मा	वरिष्ठविधि अधिकारी		96366-62384
श्री अमित व्यास	वरिष्ठ नगर नियोजक		97841-15431
श्री ए.क्यू.कुरैशी	अधिशायी अभियन्ता		78915-12423
श्रीमती आरती परिहार	अधिशायी अभियन्ता द्वितीय		82092-10199
श्री संजय विजय	अधिशायी अभियन्ता सिविल प्रथम		94147-50542
श्री विशाल प्रसाद	सहायक नगर नियोजक		98352-17788
श्री कुमार गौरव	वरिष्ठ प्रारूपकार		90279-45882
श्री विजय अग्निहोत्री	राजस्व अधिकारी		97850-83988
श्रीमी ऋचा गौतम	सहायक अभियन्ता (कार्य. स्वास्थ्य अधिकारी)		94629-02605
श्री रविन्द कुमार सैनी	अधिशायी अभियन्ता मैकेनिकल		82792-05690
श्री लेखराज महावर	सहायक प्रोग्रामर		80038-91986

नगर निगम, कोटा उत्तर

नाम	पद	कार्यालय	मोबाईल नं.
श्रीमती मंजू मेहरा	महापौर	2502326	9929341816
श्री फरीदुद्दीन कुरैशी	उपमहापौर	2502201	9829181549
श्री लव शर्मा	नेता प्रतिपक्ष	2500475	9829449551
श्री अशोक कुमार त्यागी RAS	आयुक्त	2502293	9636588693
श्री जवाहर लाल जैन RAS	अतिरिक्त आयुक्त		9413052269
श्री सत्यनारायण राठौर	उपायुक्त प्रथम		9414569236
श्री महावीर सिंह सिसोदिया	उपायुक्त द्वितीय		6377862425
श्री तरूणकांत सोमानी RPS	उप पुलिस अधीक्षक		9414489396
श्री रोहित दीक्षित RACS	मुख्य लेखाधिकारी		9672080090
श्री राजीव कुमार गर्ग	संयुक्त विधि परामर्शी		9460937999
श्री कुलदीप प्रेमी	अधीक्षण अभियंता	2503694	856193009
श्री कृष्ण कुमार जांगिड़	उप नगर नियोजक		9829376756
श्री प्रकाशचंद शर्मा	अधिशायी अभियंता निर्माण	2501903	9414488672
श्री सचिन यादव	अधिशायी अभियंता विद्युत		9783562430
श्री प्रखर गोयल	अधिशायी अभियंता मैकेनिकल		9782768726
श्री राकेश व्यास	मुख्य अग्निशमन अधिकारी		9001314669
श्री गिरीराज प्रसाद मथूरिया	लेखाधिकारी		9414595673
श्री ऋषि कुमार मीणा	सहायक लेखाधिकारी		9887417943
श्री तरूण दाधीच	उप विधि परामर्शी		9461084555
श्रीमती शालिनी वर्मा	ए.सी.पी. (उप निदेशक)		9660386050
श्री जितेन्द्र वीरेन्द्र बग्गा	अति. प्रशासनिक अधिकारी		7891512300

नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवको की सूची

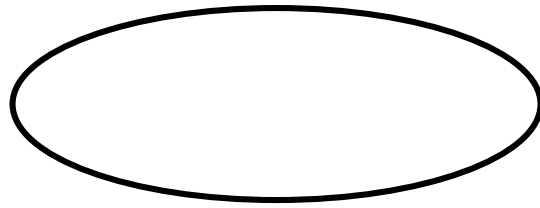
क्र. सं.	स्वयं सेवक का नाम	पिता का नाम	सदस्य संख्या	मोबाईल नं.	पता
1	कैलाश नाथ	राजेन्द्र के	2220	9829438871	नयी बस्ती सोगरिया गली न 7
2	गणेश लाल गौड	मूलचन्द गौड	3045	9413732738	बालिता रोड
3	अजीज मोहम्मद	मजीद	3997	7737004379	जेपी कोलोनी रंगपुर
4	मुकेश कुमार	राजेन्द्र के	4189	9680385249	नई बस्ती सोगरिया
5	मनोज कुमार	ध्रुव सिंह	4271	9829646297	नई बस्ती सोगरिया
6	मनीष शर्मा	गिरिराज शर्मा	4279	9667427869	नई बस्ती सोगरिया
7	श्री सतीश शर्मा	ठाकुर दास	5521	9414252194	खेडली फाटक
8	भुवनेश सेन	मोहन लाल सेन	5691	9001813610	बोरखेडा कोटा
9	जसराज सुमन	प्रहलाद सुमन	5733	9887895429	केशवपुरा कोटा
10	श्री संजय कुमार मेहरा	श्री मोहन लाल मेहरा	5961	9887110263	
11	विशाल सिंह जादौन	प्रेमसिंह जादौन	6229	8107988704	रेल्वे वर्कशॉप
12	रोहित यादव	देवराज सिंह	6381	9887865210	संजय नगर कोटा
13	हनुमान प्रसाद कुशवाह	गोपाललाल	6415	9829308566	बोरखेडा कोटा
14	महेन्द्र तिवारी	मुकुन्द तिवारी	6687	9571467545	खेडली फाटक
15	गौरव शर्मा	दिनेश शर्मा	6731	9461574251	किशोरपुरा
16	लकुट भुषण शर्मा	सुरजमल शर्मा	6732	9509762952	लाडपुरा कोटा
17	मुकेश गौड	घनश्याम गौड	6733	9982906214	किशोरपुरा
18	चन्दन सिंह	अमर सिंह	6734	9462839898	किशोरपुरा
19	विजय कुमार गौड	घनश्याम गौड	6854	9887077773	किशोरपुरा
20	रागोपाल नागर	भेलूलाल नागर	6859	9602987257	किशोरपुरा
21	राहुल दुवाला	भरत दुवाला	6868	9929564256	किशोरपुरा
22	श्रीमती गरिमा बघेल	देवीलाल बघेल	6879	9875230405	विज्ञान नगर कोटा
23	देवी शंकर मीणा	रामदेव मीणा	6899	9783749359	गांधी कोलोनी
24	पवन कुमार चौधरी	रामकिशोर चौधरी	7190	978527313	महावीर कोलोनी रंगपुर
25	अमर लाल	परदेशी राम	7464	9784299625	बोरखेडा कोटा
26	सोमदत्त	सेवालाल	7483		बोरखेडा कोटा
27	दिनेश कुमार मेवाडा	लटूरलाल मंवाडा	7484	9983976827	बोरखेडा कोटा
28	सुखवीर	गजानन्द	7511	9214924988	बोरखेडा कोटा
29	रोहित द्ववाला	लक्ष्मण दिवालिया	7538	9887779446	किशोरपुरा
30	दिपेश गोचर	मोडूलाल गोचर	7547	9460941108	किशोरपुरा
31	धनराज वर्मा	नारायण जी	7549	9785326763	किशोरपुरा
32	अजय मेहरा	भैरूलाल मेहरा	7573	9785496051	बोरखेडा कोटा
33	भैरूलाल	रामस्वरूप	7579	9549705475	बोरखेडा कोटा
34	गोपाल सेन	कमलकुमार सेन	7641	9829614266	रामपुरा कोटा
35	मनीषकांत	भेंवरलाल	7658	9529455389	रामपुरा कोटा
36	श्री राकेश कुमार जैन	श्री देवकी नन्दन	7665	9799921577	
37	त्रिलोक जैन	देवकीनन्दन जैन	7675	9799921577	पाटनपोल कोटा
38	विनय शुक्ला	विष्णुदत्त शुक्ला	7678	9314445512	पाटनपोल कोटा
39	लक्ष्मी नारायण	गोविन्द लाल	7696	9950208788	नान्ता
40	सत्यनारायण सैनी	शम्भुदयाल सैनी	7722	9950208788	नान्ता
41	हेमन्त शर्मा	छोटूलाल शर्मा	7748	9828952284	पाटनपोल कोटा

42	राकेश कुमार बघेल	रामस्वरूप बघेल	7811	9950934680	खेडली फाटक
43	दिनेश पालडिया	रामलाल	7829	9462284888	रंगपुर
44	प्रमेचन्द नागर	लक्ष्मीचन्द नागर	8035	9413536823	महावीर नगर कोटा
45	धीरेन्द्र शर्मा	रूपचन्द शर्मा	8114	9414178641	तलवंडी कोटा
46	रघुवीर विजय वर्गीय	नाथजी विजय	8138	9001731188	भैरू जी की गंदडी लालबुर्ज
47	शेलेन्द्र पाहाडिया	चतभुर्ज पाहाडिया	8164	9214650425	रंगपुर
48	जितेन्द्र पहाडिया	श्री रामस्वरूप	8166	9784451817	भदाना
49	रवि वर्मा	रत्नलाल	8207	9829022468	भदाना
50	रवि पहाडिया	रामस्वरूप	8208	9829022468	भदाना
51	मोहम्मद जाफर	एजाज मोहम्मद	8234	9799036685	खेडली फाटक
52	वीरेन्द्र कुमार	गोर्धन लाल	8246	9252335925	भगत सिंह कोलोनी
53	कैलाशचन्द	गोविन्दलाल	8290	9667480574	नान्ता
54	अरविन्द कुमार	रामलाल	8304	995060112	रंगपुर
55	मुकेश अहिरवाल	बाबूलाल अहिरवाल	8342	9530096148	रंगपुर
56	ओमप्रकाश शर्मा	रूपचन्द शर्मा	8351	8101043516	तलवंडी कोटा
57	श्री ओमप्रकाश श्रृंगी	श्री रामावतार	8359	7737753789	
58	श्री नितिन कुमार	श्री नन्दकिशोर पारेता	8390	9799926344	
59	रमेश चौपदार	रामदेव जी	8398	9887686830	किशोरपुरा
60	शिवशंकर	गोर्धन लाल	8399	9799967171	किशोरपुरा
61	बृजराज सिंह	दुर्गासिंह	8406	9251640270	दादाबाडी कोटा
62	महेश रेगर	लक्ष्मीनारायण	8409	9636911370	महावीर नगर कोटा
63	रविन्द्र सैनी	मॉंगीलाल सैनी	8411	9636060808	किशोरपुरा
64	अनील शर्मा	यशसवंत शर्मा	8416	9529646067	किशोरपुरा
65	चंचल शर्मा	यशवंत शर्मा	8420	902468187	किशोरपुरा
66	महावीर कुशवाह	प्रभुलाल मेहता	8425	9829353701	किशोरपुरा
67	अब्दुल अलीम शेख	अब्दुल जलील शेख	8430	9799609469	संजय नगर कोटा
68	गजराज	कस्तुरचन्द मेघवाल	8438	9461505018	रोटेदा रोड कोटा
69	सुरेन्द्र सिंह यादव	छोटेलाला यादव	8451	9680130355	दोस्तपुरा कोटा
70	प्रेम शंकर सिंह	छोटूलाल	8461	9001601103	रोजगार कार्यालय के पास कोटा
71	महेन्द्र कुमार मीणा	अमरलाल मीणा	8468	9928883715	खेडली फाटक
72	अवीनाश मीणा	हेमराज मीणा	8475	9610014201	प्रेमनगर 1
73	दिनेश सैनी	घनश्याम सैनी	8527	8890267187	नान्ता
74	दिनेश कुमार	बाबूलाल	8530	8003058530	नान्ता
75	दिनेश सैनी	शंकरलाल	8531	9799433664	नान्ता
76	देवीलाल सैनी	रामभरोस	8532	9166668826	नान्ता
77	लटुरलाल सैनी	दुर्गालाल सैनी	8538	9782142533	नान्ता
78	अनील कुमार टाटा	कुजगिहारी	8572	9928690063	नया नोहरा
79	नरेन्द्र मालव	रामस्वरूप मालव	8586	9166338413	नया नोहरा
80	मनोज कुमार मीणा	ननदलाल मीणा	8590	9680295816	नया नोहरा
81	मोहित सेन	बनवारी लाल	8594	7742121815	नया नोहरा
82	रामचरण वर्मा	रत्नलाल	8597	9950422020	नया नोहरा
83	राकेश रेगर	रामचन्द रेगर	8601	8696187767	नया नोहरा
84	सत्यनारायण	रामगोपाल	8609	7737718470	नया नोहरा
85	सुरेश वर्मा	भँवरलाल	8610	9829593218	नया नोहरा
86	सुरेश रेगर	आनन्दीलाल	8611	7023106254	नया नोहरा

87	सुभाष देवाडा	मोहनलाल	8628	9500099164	तुल्लापुरा कोटा
88	पंकज देवडा	सुभाष देवडा	8629	9530099164	तुल्लापुरा कोटा
89	उषा कुमारी	लाल बहादुर	8647	9983997088	रंगपुर
90	प्रिति	लाल बहादुर	8652	9982146284	रंगपुर
91	रामेश्वर सिंह जादौन	जगदीश सिंह	8653	9587110952	रेल्वे वर्कशॉप
92	अजीत सिंह सागर	जगत सिंह	8654	9785692989	खेडली फाटक
93	पवन देवडा	सुभाष देवडा	8665	9530099164	तुल्लापुरा कोटा
94	अनील वर्मा	हरी लाल	8674	8824885370	दादाबाडी कोटा
95	अंकित पारेता	नन्दकिशोर	8678	9772827357	बालाकुण्ड कोटा
96	पवन वर्मा	भेरूलाल वर्मा	8692	9784677047	रामचन्द्र पुरा कोटा
97	वसीम राजा	मो. हनीफ	8717	8233455147	दादाबाडी कोटा
98	गिरवर सिंह भाटी	हरिसिंह भाटी	8725	9610148624	महावीर कोलोनी रंगपुर
99	नन्दकिशोर मीणा	रामेश्वर मीणा	8732	9468740882	नया नोहरा
100	नाथूलाल	लक्ष्मी नारायण	8734	9460518460	नया नोहरा
101	श्रीमती प्रमिला कुमारी	कन्हैया लाल	8738	9799922248	श्रीपुरा कोटा
102	प्रेमचन्द वर्मा	घासालाल	8741	9782902245	बारां रोड
103	फोरूलाल कुशवाह	रामकिशन	8742	9782061054	नोताडा बून्दी
104	युवराज मीणा	चतुर्भुज मीणा	8750	9887169281	नया नोहरा
105	रजनी राठौर	प्रेमचन्द राठौर	8751	8441873829	रंगपुर
106	राजेन्द्र प्रसाद मीणा	हंसराज मीणा	8755	9577405320	लाडपुरा कोटा
107	लक्ष्मी नारायण	हरिवल्लभ	8757	9929335622	बारां रोड
108	विरम देव	मोडूलाल कुशवाह	8759	9660313127	नोताडा बून्दी
109	विजेन्द्र कुमार	घन्श्याम	8760	9783221769	महावीर कोलोनी रंगपुर
110	विजय भारती	पन्नालाल	8761	8003116523	महावीर कोलोनी रंगपुर
111	शाहीना	अब्दुल सतार अब्बासी	8763	9667512749	सोगरिया
112	सुनीता कुमारी	सोहनलाल मीणा	8766	9602988448	रंगपुर
113	श्री अजय कांत	श्री ललित मोहन शर्मा	8770	9887397130	
114	किशनलाल	शम्भूदयाल	8778	9782433951	नान्ता
115	दीपक कुमार	रमेश चन्द	8783	9667051116	रामचन्द्र पुरा कोटा
116	दीपक सुमन	महावीर सुमन	8784	9928434731	आदर्श नगर कोटा
117	दिनेश कुमार	सत्य नारायण	8785	9785382185	पुलिस लाईन कोटा
118	पवन कुमार प्रभाती	रामकरण प्रभाती	8787	8058250911	रामचन्द्र पुरा कोटा
119	श्री प्रदीप कुमार सैनी	श्री मनमोहन सैनी	8789	9636261138	
120	भवानीशंकर	प्रेमशंकर	8792	9571419360	बजरंग नगर कोटा
121	महेन्द्र सुमन	महावीर सुमन	8793	9782069271	आदर्श नगर कोटा
122	राकेश कुमार	गोर्वाधनलाल	8797	7742506449	रामचन्द्र पुरा कोटा
123	रमेशचन्द	रामफूल वर्मा	8798	9829396745	बोरखेडा कोटा
124	विजेता सैनी	परमानन्द	8801	7891312668	देवली अरब
125	सुरेन्द्र यादव	बृजमोहन यादव	8812	9887122686	छावनी कोटा
126	अंकुश गोचर	रमेशचन्द	8821	7737423495	छावनी कोटा
127	भरजराज नागर	राजाराम नागर	8824	8058945234	कुन्हाडी
128	भगताराम	राजकुमार यादव	8825	9660579644	नयागांव
129	धनेश्वर यादव	सत्यनारायण	8833	9929541149	नयागांव
130	सुश्री ज्योति शर्मा	श्री श्रवण कुमार	8834	7891430039	
131	कुलदीप सिंह	हेमराज सिंह	8839	9001803677	कुन्हाडी
132	मधु राठौर	प्रेमचन्द राठौर	8843	7891788525	रंगपुर

133	श्री मनोज दाधीच	श्री कैलाश चन्द दाधीच	8846	8005903862	
134	महावीर प्रसाद सैनी	ओम प्रकाश	8847	9684024099	नान्ता
135	नरेन्द्र कुमार मेघवाल	प्रभूलाल	8848	7568270267	नोताडा बून्दी
136	प्रवीण शर्मा	प्रहलाद शर्मा	8851	9530217445	किशोरपुरा
137	प्रदीप जैन	हुकुमचन्द	8852	7737748056	कुन्हाडी
138	राजेन्द्र सिंह शेखावत	बीरजूसिंह	8856	9950334293	विज्ञान नगर कोटा
139	रोहित यादव	हरिशंकर यादव	8858	9785731176	नयागांव
140	सरफराज खान	निसार अहमद	8861	9785551975	नयापुरा कोटा
141	सुरेश योगी	रामदेव योगी	8866	9772010363	रंगबाडी योजना कोटा
142	शिव गोचर	चन्द्रप्रकाश	8867	9413252211	रंगबाडी योजना कोटा
143	शिवराज वर्मा	छीतरलाल	8871	9602003441	नयापुरा कोटा
144	चन्द्र सिंह	करण सिंह	8872	9636079611	भीतरिया कुण्ड कोटा
145	कपिल कुमार	मोंगीलाल	8873	9672770779	सुरसागर कोटा
146	नियाज मोहम्मद	जफर मो.	8875	9785170271	नयापुरा कोटा
147	गुलशन पारोलिया	गिर्राज	8878	9461943096	लाडपुरा कोटा
148	संदीप सिंह	राजेन्द्र सिंह	8879	9460224500	तलवंडी कोटा
149	दीपक नागवाल	सतीश शर्मा	8880	9694872116	कुन्हाडी
150	अगम सिंह	भरत सिंह	8882	8503069686	भदाना
151	राजेन्द्र कुमार	पांचूलाल	8883	8302777797	नयापुरा कोटा
152	रघुवीर सुमन	भैरूलाल	8884	9929639461	नान्ता
153	शिवराज मेघवाल	चतुर्भुज	8886	9799532307	नयापुरा कोटा
154	मंगल सिंह	सुरेन्द्र सिंह	8888	7737620123	सकतपुरा
155	विमल युदुवंशी	कन्हैयालाल	8889	8302021775	खेडली फाटक
156	मंजीत सिंह सागर	जगतसिंह	8891	9785051059	खेडली फाटक
157	मनीष सेनी	रामदयाल	8893	9929908184	नान्ता
158	शिवम सोनी	मदन मोहन सोनी	8895	8233682347	दादाबाडी कोटा
159	देशराज सिंह	इन्द्रपाल सिंह	8896	8769856890	सोगरिया
160	महेन्द्र कुमार	गिर्राज प्रसाद	8897	7062141055	छावनी कोटा
161	आकाश कुमार	मधुकर लक्ष्मण	8898	8233959329	कोटा ज.
162	राम चन्द्र	कर्वरलाल	8899	9680311166	नया नोहरा
163	बृजराज सिंह हाडा	लटुर सिंह	8900	9785943716	आवली रोजडी
164	खेमचन्द वर्मा	बाबूलाल	8901	8947955770	नया नोहरा
165	जय किशन	गिरधारी लाल	8903	9785111989	कुन्हाडी
166	रुस्तम खॉ	मो.खान	8904	9929341923	कोटा ज.
167	रेनू सुमन	मनीष कांत	8907	7790929126	रामपुरा कोटा
168	श्री विजय प्रजापति	श्री सत्यनारायण प्रजापति	8916	8104715451	
169	चेतन प्रकाश	रामनारायण	8918	9929797547	नया नोहरा
170	महेश कुमार	कृष्णा कुमार	8919	8058534797	सरस्वती कोलोनी बारां रोड
171	गजेन्द्र वर्मा	शम्भू वर्मा	8923	8003935569	कुन्हाडी
172	कमल किशोर	धननालाल	8924	7726926545	नान्ता
173	हरिओम सैनी	बंशीलाल सेनी	8925	8769692087	नान्ता
174	अब्रार अहमद	मेहमूद अहमद	8927	9571436335	नयापुरा कोटा
175	सलमान खान	जीमल खान	8928	8562836738	माला फाटक
176	करन चौधरी	गिर्राज	8929	7891395026	चन्द्रेसल रोड
177	मुकेश कुमार	गिर्राज प्रसाद	8930	9166189011	अनन्तपुरा

178	दर्शन मेहरा	गंगाराम	8931	8890491459	छावनी कोटा
179	नासिर हुसैन	अब्दुल करीम खान	8932	9352822329	कुम्हारों का मोहल्ला गणेश मन्दिर के पास
180	सुनील मालव	बद्रीलाल	8934	9799896539	किशनपुरा तकिया गांव
181	मनोज निराला	बृजमोहन निराला	8935	9829747586	बालाकुण्ड कोटा
182	साबिर अली	शब्बीर खान	8936	9660982169	रंगपुर रोड
183	दिनेश सोनी	रामलाल सोनी	8937	8107363337	खेडली फाटक
184	शिव कुमार	जगदीश प्रसाद	8938	9799186852	खेडली फाटक
185	महेश चौहान	रामबाबू	8939	8290338161	डडवाडा
186	गौरव गोत्तम	अशोक गोत्तम	8940	9782051600	कैलाशपुरी
187	शक्तिसिंह सागर	जगतसिंह	8941	9057165586	खेडली फाटक
188	हेमन्त कुमार	सीताराम	8942	9785168280	खेडली फाटक
189	मनोज सरोया	रामसहाय	8943	8003918307	विज्ञान नगर कोटा
190	संजय सुमन	रामचरण सुमन	8944	8003508257	पुलिस लाइन कोटा
191	विपिन सुमन	रामचरण सिंह	8945	8058863277	पुलिस लाइन कोटा
192	नरेन्द्र मारु	शिवदान मारु	8947	9461371746	रंगबाडी योजना कोटा
193	आशीष साहनी	अमरीक लाल	8948	9829622748	टी टी हॉस्पिटल के पास
194	धनराज	माणक चन्द	8949	8290861790	संतोषी नगर कोटा
195	गुलाब शंकर	माणक चन्द	8950	8290861790	रानपुर
196	धीरेन्द्र कश्यप	प्रहलाद	8951	9352624452	आरके पुरम कोटा
197	अशोक कुमार	सूरजमल	8952	9928094909	कुन्हाडी
198	सन्नु कुमार	भिखारीलाल	8953	8740057855	प्रेमनगर 1
199	राकेश गुर्जर	मदनलाल गुर्जर	8954	9468739163	विज्ञान नगर कोटा
200	महेन्द्र पाल सिंह	मखन सिंह	8955	9694067911	चन्द्रेसल रोड
201	निर्मल खरेडिया	गिराज प्रसाद	8956	9680012201	कुन्हाडी
202	आदिश पालीवाल	रामलाल पालीवाल	8957	9414628441	खडे गणेश जी के पास
203	चौथमल मीणा	किशनलाल मीणा	8958	9783918300	डकनिया रोड
204	महावीर योगी	रामदेव योगी	8960	9660708986	हरिओम नगर कोटा
205	प्रकाश अग्रवाल	राकेश अग्रवाल	8961	9828831129	पाटनपोल कोटा
206	परमानन्द शर्मा	प्रेमशंकर	8963	7597845160	किशोरपुरा
207	उमेश नामा	रामरत्न नामा	8964	9660061117	कैथुनीपोल
208	गिराज गुप्ता	नरेन्द्र गुप्ता	8965	7073542382	महावीर नगर 3 कोटा
209	देवीसिंह चौहान	भूपेन्द्र सिंह चौहान	8967	8233700861	कैथुनीपोल
210	संदीप सक्सेना	इन्द्र कुमार सक्सेना	8968	9261606008	पाटनपोल कोटा
211	योगेश वैष्णव	गोर्वधनलाल	8970	7733018246	गुमानपुरा
212	मुकेश मीणा	कालूलाल	8971	9460814878	कैलाशपुरी
213	मनीष कुमार	रामधन बसवाल	8972	9785997664	डीसीएम कोटा



Summary of Contingency Plan
Kota
Year 2025-26

Summary of Flood Contingency Plan Kota **Year 2025-26**

1. Contact details :-

S No	Designation	Name	Contact details
WRD			
Administration			
1	Collector	Sh. Ravindra Goswami	0744-2451200,9971141943,9116665000
2	ADM	Sh. Mukesh Kumar Chaudhary	0744-2325341, 9829920041
3	SDO (Kota)	Sh. Gajendra Singh	0744-2325871, 6375703586
Technical Staff			
4	Chief Engineer	Sh. Dayal Ram Meena	9414334188
5	Superintending Engineer	Mr. R.K.Jaiminy, W.R. Circle, Kota	9414175748 / 7976987708
6	Superintending Engineer	Sh. Sunil Gupta RPS & JS Dam Circle, Kota	2327785, 9166660370, 9414376618
7	Flood cell In-charge	Sh. Ashish Kumar	9413307299
8	Executive Engineer	Sh. Anil Meena, W.R. Division, Kota	0744-2325537, 9785578221
9	Executive Engineer	Sh. Arun Kumar Meena CP Division (Kota Barrage)	2327211, 9414844215
10	Executive Engineer	Sh. Manoj Kumar Sharma W.R, Navnera Barrage Project div.-I, Kota	8058684988
11	Flood cell staff	List enclosed (Annex. 1)	

**Flood cell staff with their shift:*

2. Mode of communication

S No	Mode of communication	Contact number
1	Radio station with its frequency	0744-2327648
2	Newspaper	Rajasthan Patrika - 9521623762 Dainik Bhaskar- 0744-3988884
3	Local News channel, if any	STN News Channel, Kota- 9799993306

3. Vulnerable points (with Lat Long)

S No	Vulnerable points	Latitude	Longitude
1	Railway line (Near Railway Station)	25°14'26" N	75°52'43" E
2	Railway line W.R. main line	25°01'17" N	75°54'54" E

3	Railway Bridge (Bina to Kota section)	25°12'45" N	75°56'41" E
4	Bridge/ Flyover (Bridge Parallel to Barrage)	25°10'44" N	75°49'37" E
5	Nayapura Bridge	25°11'44" N	75°50'42" E
6	Nayapura Bridge	25°11'46" N	75°50'43" E
7	Roteda Bridge	25°22'45" N	76°08'42" E
8	Barod Pulia	25° 23'39.8"N	76° 19'33.2"E
9	Baran- Bapawar Road Pulia	24° 56'25"N	76° 26'34.1"E
10	Road Bridge (Near Alaniya Mandir)	25°0'51" N	75°54'24" E
11	Aru River Bank (Dhoti Area)	25°01'39" N	76°06'39" E
12	Kali Sindh River Bank (Kaithoon Mandita road)	25°05'48" N	76°01'12" E
13	Pokaliya Khal	24°56'04" N	76°10'27" E
14	Aru River Bank (Kanwas Area)	24°52'13" N	76°07'34" E
15	Aru River Bank (Devli Area)	25°00'26" N	76°71'17" E
16	Chandroli River Bank (Kaithoon Area)	25°07'45" N	75°58'01" E
17	Anantpura Nallah (Anantpura Area)	25°06'48" N	75°51'31" E

* Vulnerable points are those points that are most likely to be affected/ breached due to flood/overflow of water. It may be considered as the critical point beyond which destruction to lives and property can be seen.

(Annex. 2)

STAFF OF WATER RESOURCES CIRCLE & (RPS&JS) CIRCLE, KOTA

Name	Post	Office Name	Office	Mobile No.
Sh. R.K. Jaimimy,	Suprintending Engineer	WRC, Kota	0744-2327648	9114175748/ 7976987708
Sh. Sunil Gupta	Suprintending Engineer	RPS & JS Dam Circle	2327785	9414627887
Sh. Anil Meena	Executive Engineer	WRD, Kota	0744-2325537	9785578221
Sh.. Arun Kumar meena	Executive Engineer	C.P. Division	2327211	9414844215
Sh. Manoj Kumar Sharma	Executive Engineer	W.R. Navnera Project Div-I Kota	-	8058684988
Sh. Ashish Kumar	Executive Engineer & TA to SE	WRC, Kota	0744-2327648	9413307299
Miss. Nitika Pareta	Assistant Engineer	WRC, Kota	-	9413178835/ 6367200316
Mrs. Shalini Sagar	Assistant Engineer & TA to EE	WRD, Kota	-	9829741693
Mr. Aashish Khandelwal	Assistant Engineer & TA to EE	W.R. Navnera Project Div-I Kota	-	7014408956
Miss. Neeshu Gupta	Assistant Engineer & TA to EE	C.P. Division	2327211	8107978165
Miss. Aditi Gupta	Assistant Engineer	Flood Sub. Div. Kota	0744-2325537	8769484600/ 8764419369
Smt. Preeti Kumari Nagar	Junior Engineer			8290535200
Sh. Hemant Saini	Junior Engineer			9785122626

Sh. Jitendra Kumar Agrawal	Assistant Engineer	Sawan Bhadon Dam, Sub. Div. 1, Darah		9414420586
Sh. Rajesh Meena	Junior Engineer			9828927799
Sh. Ramcharan Chaudhary	Junior Engineer			7976040194
Sh. Ashok Kumar Meena	Assistant Engineer	Sawan Bhadon Dam, Sub. Div. II, Darah, H.Q. Ramganjmandi		9555824508
Sh. Indra Kumar Gurjar	Junior Engineer			9982110552
Sh. Manish Saini	Assistant Engineer	Sawan Bhadon Dam, Sub. Div. III, Kanwas	-	7727935163/ 7976253309
Sh. Kailash Jaat	Junior Engineer		-	7014344261
Sh. Rakesh Meena	Junior Engineer		-	8560064959
Sh. Jal Singh Meena	Assistant Engineer	Harishchandra Sagar Project Sub Div., Sangod	-	8560967062
Sh. Manoj Kumar Yadav	Junior Engineer		-	8233119320
Sh. Deepak Bairwa	Junior Engineer		-	9694036486
Sh. Shashank Awasthi	Assistant Engineer	Civil Sub Dn. Barrage	2370984	7073495925
Sh. Nitesh Verma	Assistant Engineer	Mech. Sub Dn. Barrage	2370984	9462639706
Sh. Umesh Sharma	Assistant Engineer	Sub Div Aliniya		8619231364/ 9413007341
Er. Garima Bairwa	Junior Engineer	C.P. Sub Dn. Barrage	2370984	8209432120
Er. Phulanta	Junior Engineer	C.P. Sub Dn. Barrage	2370984	7877058929
Sh. Rajender Kumawat	Junior Engineer	Mech. Sub Dn. Barrage	2370984	7014513300
Er. Nisha Sharma	Junior Engineer	C.P. Sub Dn Barrage	2370984	9602786449
Er. Nilam Saini	Junior Engineer	Mech. Sub Dn. Barrage	2370984	9636356538
Er. Pushpendra Agrawal	Junior Engineer	Mech. Sub Dn. Barrage	2370984	9887510064
Sh. Dulichand	Assistant Engineer	Navnera Project Sub Div-I Barrage Site, Kota	-	8003390256
Sh. Manoj Kumar	Junior Engineer		-	7073802399
Sh. Devendra Kumar	Junior Engineer		-	9680931158
Sh. Birju Ram Meena	Assistant Engineer	Navnera Project Sub Div-II Barrage Site, Kota	-	9461979100
Smt. Priti Gautam	Junior Engineer		-	7597649449
Sh. Chandr Shekhar	Junior Engineer		-	8003317826
Smt. Jyoti Arya	Junior Engineer			
Sh. Dulichand(Additional Charge)	Assistant Engineer	Navnera Project Sub Div-III Barrage Site, Kota	-	8003390256
Smt. Pooja Kushwah	Junior Engineer		-	9588041889/ 9660230261
Sh. Ramavtar Nagar	Junior Engineer		-	9252186892
Sh. Vikrant Saini	Junior Engineer		-	9782553545
Sh. Bhuri Singh	Junior Engineer (Additional Mechanical Work in Navnera Division)	Assistant Engineer, WR Kalisindh Project sub Div III, Jhalawar	-	9694562793

बाढ़ आपात योजना वर्ष-2025

जिला कोटा

प्लड कन्टेजेंसी प्लान
(तालाबों के लिये)

जल संसाधन खण्ड कोटा

बाढ़ आपात योजना वर्ष 2025-26

जल संसाधन विभाग कोटा से सम्बन्धित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण निम्नप्रकार से है:-

- 1- पूर्व में 6 तालाब जो कि जल संसाधन विभाग के अधीन थे, को पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये गये थे। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.04.2025 द्वारा उक्त तालाबों को निम्न अनुसार पुनः जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये है। जिनकी सारणी निम्नलिखित है:-

क्र.स.	तालाब/बांधो का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	तहसील	हस्तान्तरित कार्यालय
1	लखावा	खानपुर	लाड़पुरा	लाड़पुरा	नगर निगम, कोटा
2	रानपुर	श्रानपुर	लाड़पुरा	लाड़पुरा	
3	खातीखेड़ा	कुराड़	सांगोद	सांगोद	जल संसाधन खण्ड, कोटा
4	चौमा	चौमा	सुल्तानपुर	दीगोद	
5	बोराबास	बोराबास	लाड़पुरा	लाड़पुरा	चम्बल परियोजना खण्ड, कोटा
6	गिरधरपुरा	डोलिया	लाड़पुरा	लाड़पुरा	

प्रपत्र "क" में सलग्न किये गये 8 तालाबों जिनके टूटने से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है, उपरोक्त सारणी में क्रम संख्या 1 व 2 का रखरखाव राज्य सरकार के आदेशों की पालना में नगर निगम कोटा द्वारा किया जाना है। विभिन्न नदियों में जल प्लावन व प्रवाह से प्रभावित होने वाले गावों की सूची परिशिष्ट "ख" में वर्णित है।

- 2- मिट्टी के कट्टों की व्यवस्था :-

क्र.स.	स्थान का नाम	प्लास्टिक बैग	
		खाली	मिट्टी से भरे
1	डोलिया बांध	500	800
2	डाहरा बांध स्थल	500	500
3	सावन भादों बांध स्थल	2500 (सिंचाई कॉलोनी दरा)	2500
4	कार्यालय जल संसाधन खण्ड कोटा	1500	500
5	हरिश्चन्द्र सागर परियोजना उपखण्ड, सांगोद		2000
6	खातीखेड़ा	2400	2000
7	चौमा	500	1000
8	बोराबास	300	500
9	गिरधरपुरा	300	500

नोट :- नगर निगम कोटा को हस्तान्तरित तालाबों पर कट्टों को रखने की व्यवस्था नगर निगम कोटा के स्तर से की जानी है।

3- नाव एवं नाविकों की व्यवस्था एवं सूची:-

जल संसाधन खण्ड कोटा में कोई नाव उपलब्ध नहीं है। आर.ए.सी., नगर निगम विकास न्यास, मत्स्य विभाग एवं मत्स्य ठेकेदारों से तीन-चार नाव प्राप्त करना उचित होगा। पूर्व में विभाग द्वारा आर.ए.सी. कोटा को मोटर युक्त 1 नाव, इनफ्लेटेबल व 1 एल्युमिनियम की नाव उपलब्ध करवाई गई है।

4- संचार साधनों की व्यवस्था :-

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के फोन नं०-

क्र.स.	कार्यालय का नाम	कार्यालय	निवास
1	मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, कोटा	2326915	2333942/9414334188
2	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त, कोटा	2327648	9114175748/7976987708
3	अधीक्षण अभियन्ता रा०प्र०सा० एवं ज०सा० वृत्त, कोटा	2327785	2327785/9166660370, 9414376618
4	अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, कोटा	2325537	9785578221
5	अधिशायी अभियन्ता चम्बल परि० खण्ड, कोटा	2327211	2327211/9414844215
6	अधिशायी अभियन्ता, नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम, कोटा	-	8058684988
7	सहायक अभियन्ता बाढ़ सुरक्षा उपखण्ड, कोटा	2325537	8764419369
8	सहायक अभियन्ता कोटा बैराज, कोटा	2370984	2370984/7073495925
9	सहायक अभियन्ता नवनेरा बैराज, कोटा	-	8003390256

5- नियंत्रण कक्ष की स्थापना :-

हर वर्ष की भाँति वर्ष 2025 में भी जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण की स्थापना 15 जून 2025 से निम्नलिखित स्थानों/कार्यालयों में कर दी जावेगी।

क. कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त, कोटा (फोन- 2327648, बाढ़ नियन्त्रण प्रकोष्ठ 2320851)

ख. कोटा बैराज, कोटा (फोन- 2370984)

ग. नवनेरा बैराज, कोटा (फोन-8058684988)

6- बांधों पर नियन्त्रण कक्ष :-

अ-सावन भादों बांध,दरा कॉलोनी पर :-

सावन भादों बांध ,दरा कॉलोनी पर 24 धण्टें बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है। वहाँ पर फोन न07976040194 की सेवा उपलब्ध है जिसका सम्पर्क बाढ़ नियंत्रण कक्ष कोटा से बना रहता है।

ब- तकली बांध, रामगंजमण्डी पर :-

तकली बांध पर 24 धण्टें बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है। वहाँ पर फोन न0 9982110552

की सेवा उपलब्ध है जिसका सम्पर्क बाढ़ नियंत्रण कक्ष कोटा से बना रहता है।

स-नवनेरा बैराज, ग्राम ऐबरा पर :-

नवनेरा बैराजपर 24 धण्टें बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है। वहाँ पर फोन न0 6263053109 की सेवा उपलब्ध है जिसका सम्पर्क बाढ़ नियंत्रण कक्ष कोटा से बना रहता है।

7- कोटा शहर को बाढ़ से बचाने की योजना :-

कोटा शहर की विज्ञान नगर, तलवण्डी, राजीव नगर, आई.एल.परिसर व कॉलोनी, औद्योगिक क्षेत्र संजय नगर, गोविन्द नगर, इन्दिरा गांधी नगर, दादाबाड़ी, महावीर नगर आदि बस्तियाँ पिछले 25-30 वर्षों में ही विकसित हुई हैं जो शहर क्षेत्रा से गुजर रहे और रंगबाड़ी नाला बंधा धरमपुरा से जल प्रभाव क्षेत्रा में है। रंगबाड़ी नाला बंधा धर्मपुरा से 8 कि.मी. ऊपर से बहकर आता है, और दादाबाड़ी नाले में विभक्त होने से पूर्व तक इसका कुल जल प्रदाय क्षेत्रा लगभग 16 वर्ग मील है एवं इस स्थान पर अपेक्षित जल प्रवाह 20000 क्यूसेक्स है। इसी स्थान ब पर डायवर्जन चैनल का निर्माण हो चुका है, जिसकी क्षमता लगभग 12000 क्यूसेक्स है। अतः शेष 8000 क्यूसेक्स जल प्रवाह में से लगभग 3500 क्यूसेक्स दादाबाड़ी नाले में प्रवाहित होता है एवं 4500 क्यूसेक्स रंगबाड़ी नाले में प्रवाहित होता है। हवाई अड्डे के पास तक लगभग 3.00 वर्ग मील क्षेत्रा का 5500 क्यूसेक्स पानी इसमें अतिरिक्त प्रवाहित होता है एवं दादाबाड़ी नाले का लगभग 7000 क्यूसेक्स पानी इसमें पुनः मिलकर लगभग 14000 क्यूसेक्स के अपेक्षित प्रवाह से साजीदेहड़ा के नाम से यह नाला सोफिया स्कूल के पीछे से निकलकर किशोरपुरा होकर कोटा बैराज में (चम्बल नदी में) मिल जाता है। इस नाले के मूल जल प्रवाह क्षेत्र में ही तलवण्डी, महावीर नगर, विज्ञान नगर, दादाबाड़ी आदि घनी बस्तियाँ बस गई हैं। नाला जल प्रवाह क्षेत्र के किनारे पर एवं निचले क्षेत्र के अतिरिक्त जल प्रवाह क्षेत्र में बने पुराने तालाब छत्रपुरा के पेटे में एवं इस तालाब के नीचे हो कर नाला क्षेत्र में संजय नगर एवं कई अनधिकृत मकान व छोटी बस्तियों के निर्माण हो जाने के फलस्वरूप पानी के प्राकृतिक बहाव में अवरोध हो गया है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

वर्ष 2005 में भी कोटा में बाढ़ की वजह से कई बस्तियाँ जैसे:- तलवण्डी, जवाहर नगर, विज्ञान नगर, साझी देड़ा एवं अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया हैं। डाइवरजन चैनल बनने के बाद यह प्रवाह कम होगा किन्तु शहर में होकर बहने वाले नालों की सफाई 15 जून तक करवाना अति आवश्यक है ताकि पानी का बहाव अवरुद्ध न हो।

विशेष टिप्पणी :-

रानपुर, लखावा एवं बोराबांस तालाब काफी पुराने तथा वर्तमान में रानपुर, लखावा, नगर निगम कोटा एवं बोराबांस चम्बल परियोजना खण्ड कोटा के नियन्त्रण में है। इन तालाबों में वर्षा ऋतु में सिंक होल हो जाते हैं जिससे रिसाव बढ़ जाता है और इनके क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है।

अतः रानपुर, लखावा एवं बोराबांस बांधों पर कट्टों व अन्य सामग्री की व्यवस्था नगर निगम, कोटा एवं चम्बल परियोजना खण्ड, कोटा के स्तर से की जानी है।

8. कोटा शहर क्षेत्र एवं जिले के पांचो पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर तुरन्त उपलब्ध रहने हेतु एक-एक बचाव दल का गठन किया जाना उचित होगा। इस बचाव दल में निम्न सदस्य रखे जाने प्रस्तावित है।

(क) एक सहायक अभियन्ता सी0ए0डी0/सा0नि0वि0 आदि विभाग।

(ख) एक प्रशासनिक अधिकारी (तहसीलदार स्तर का)

(ग) एक कनिष्ठ अभियन्ता

(घ) चार श्रमिक मय आवश्यक उपकरण।

1 सब्बल, 2 गेंती, 2 फावड़ा, 2 तगारी, 1 टार्च, रस्सा 20 मीटर, 1500 खाली कट्टे। सिंचाई विभाग में तीन बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना के फलस्वरूप सहायक अभियन्ता, बाढ़ सुरक्षा उपखण्ड कोटा के अतिरिक्त अन्य सहायक अभियन्ता की सेवा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। सिंचाई विभाग के श्रमिकों की कोई गेंग नहीं है। अतः गत वर्ष की भाँति निर्माण विभाग एवं नगर निगम में न्यूनतम 10 श्रमिकों को नियंत्रण कक्ष में ही उपलब्ध कराना उचित होगा। नियंत्रण कक्ष में ही दो गोताखोरों की सेवाएँ उपलब्ध रखने हेतु नगर निगम से कार्यवाही की जाना उपयुक्त होगा। शहर या जिले में बाढ़ नियंत्रण बचाव कार्य हेतु आपातकाल में पुलिस सेवा के 50 जवान तुरन्त उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित सेवा/पुलिस अधिकारियों को निवेदन करना उचित होगा।

बचाव सामग्री की उपलब्धता :-

बचाव दल के अतिरिक्त जिला नियंत्रण कक्ष, नगर निगम, नगर विकास न्यास व पंचायत समिति मुख्यालय पर निम्न बचाव सामग्री का रखना उचित होगा।

(क) 5 सब्बल (ख) 2 गेंती (स) फावड़े (घ) 10 तगारी

(च) रस्सा मोटा 100 मीटर (छ) 1500 खाली कट्टे मय सुआ व सुतली (ज) लालटेन व टार्च

विभाग के पास 6 HP, 12 HP के दो-दो पम्प व 26 HP का एक पम्प सेट उपलब्ध परन्तु पम्प चालक व पम्प को ले जाने हेतु ट्रैक्टर ट्राली उपलब्ध नहीं है।

विभाग के पास उपलब्ध सामग्री निम्नानुसार है :-

क्र. स.	सामग्री का नाम	संख्या	संबंधित अधिकारी/कर्मचारी	टेलीफोन न0
1	गेंती	12 नग	सुश्री अदिती गुप्ता सहायक अभियन्ता	0744-2325537 8764419369
2	फावड़े	20नग		
3	तगारी	30नग		

4	गम बूट	6 नग		8769484600
5	रस्सी	50 फीट		
6	टोचन वायर	20 फीट		
7	पम्प सेट 6 HP 12HP 26HP	2 सेट 2 सेट 1 सेट	श्री पवन नागर वरिष्ठ सहायक	9587389521
खण्ड में उपलब्ध कट्टों का विवरण				
8	खण्डीय कार्यालय खाली कटटे भरे कटटे	1500 500	सुश्री अदिती गुप्ता सहायक अभियन्ता 8764419369 8769484600	
9	डोलिया बाँध खाली कटटे भरे कटटे	800 1000		
10	डाहरा बाँध खाली कटटे भरे कटटे	500 1000		
11	सावन भादों खाली कटटे भरे कटटे	4500 4000	श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल सहा.अभि. सावन भादों बाँध उपखण्ड प्रथम, दरा	9414420586
12	तकली बांध खाली कटटे भरे कटटे	7000 7000	श्री अशोक कुमार मीना सहा.अभि. सावन भादों उपखण्ड द्वितीय दरा मु0 रामगंजमण्डी	9555824508
12	हरिशचन्द्र सागर खाली कटटे	1500	श्री जल सिंह मीना सहा.अभि. हरिशचन्द्र सागर परियोजना उपखण्ड, सांगोद	8696141434

वायरलेस सेवा :-

बाढ़ एव बाढ़ बचाव कार्यो से सम्बन्धित सूचना संकलन व प्रसारण हेतु नियंत्रण हेतु नियंत्रण कक्ष नगर निगम, नगर विकास न्यास, जिला परिषद, सिंचाई विभाग, निर्माण विभाग, की सभी पांचो तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय को पुलिस वायरलेस सेवा उपलब्ध कराने से प्रभावी कार्यवाही व नियंत्रण संभव हो सकेगा।

समीक्षा बैठक का आयोजन:-

माह जुलाई से सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से 3.00 बजे एक समीक्षा बैठक आयोजित करना उचित होगा। जिसके बाद बचाव कार्यो व उपायों के संचालन व क्रियान्वयन से आ रही कठिनाईयों व विभिन्न विभाग व अधिकारियों से प्राप्त सुझावों पर विचार कर कार्यवाही की जा सकेगी।

अधिशायी

अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड, कोटा

तालाबों एवं बांधो से प्रभावित गांवों की सूची

क्र.स.	नाम तालाब / बाँध	प्रभावित गांवों का नाम
1	डाहरा	पोलाईकलॉ
2	खातीखेडा	नाजरिया, खातीखेडा
3	चौमा	चौमा, मलियान, बीबू
4	रानपुर	अन्नतपुरा से डी.सी.एम. क्षेत्र
5	गिरधरपुरा	गिरधरपुरा
6	बोराबास	गूजरो की टापरियां
7	लखावा	लखावा, अन्नतपुरा व डी.सी.एम. क्षेत्र रामपुरा, देवली अरब
8	सावन भादो बाँध	सिमल्या, कनवास, कोलानी, कोलाना, सावन भादों, आंवा पीसाहेड़ा, देवली, ढोटी, काठौन

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड कोटा

स्थायी व्यवस्था

क्र.स.	अधिकारी का पद	समिति के पद	फोन न.		
			एस.टी.डी.कोड	ऑफिस	निवास / मोबाईल
1.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त कोटा	सदस्य	0744	2327648	9414175748/ 7976987708

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड कोटा

निचले क्षेत्रों की सूची

क्र.स.	तहसील/नगर निगम/नगर पालिका	निचले क्षेत्रा
1	कोटा नगर निगम (तहसील लाडपुरा)	खण्ड गांवडी, संजय नगर, बस स्टेण्ड के पास हरिजन बस्ती, नयापुरा, कालापुरा, रामचंद्रपुरा, (रेल्वे लाईन के पास), केशवपुरा कच्ची बस्ती पार्ट-ए तथा पार्ट-बी, छावनी गोविन्द नगर, इन्द्रा गौधी नगर, कन्सुआ, रायपुरा, सकतपुरा, बापू कॉलोनी, डडवाडा, बडगौव, जे.पी. कॉलोनी, किशोरपुरा, आर्दश नगर, शिवपुरा, विज्ञान नगर, दोस्तपुरा (ए-बी) राम नगर, अनन्तपुरा, प्रेमपुरा, कच्ची बस्ती, बजरंग नगर, थकडा, सूर्य नगर, राजिव गौधी नगर, गोबरियो बाबाडी, राकपाडा, छत्रपुरा अकेलगढ के पास सुभाष बस्ती, गणेश नगर (हरिजन बस्ती) बालाकुण्ड, हनुमान कच्ची बस्ती, दादाबाडी, सुभाष नगर, अम्बेडकर कॉलोनी।
2	साँगोद नगर पालिका	महात्मा गौधी चौराहा, हिंगी रोड, कोडियो का चौक।
3	कैथून नगर पालिका	बसस्टेण्ड, गौधी गाल।

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड कोटा

जिले में नदी/ नालों में बाढ़ आने से प्रभावित होने वाले गाँवों की सूची।

तहसील / नगर पालिका	नदी / नाला	प्रभावित गाँव / वार्ड	उपखण्ड का नाम
लाडपुरा	आलनियों नदी	आलनियों, बरियाखेडी, केवल नगर, डाढ़देवी, मवासा, रानपुर, अभयपुरा, हरियाखेडी, लाडपुरा, रामनगर, रामपुरा, प्रहलादपुरा, उम्मेदगंज, धाकडखेडी, वीरन्दा, कवरपुरा, राजनगर, अमोदखेडा, नोहरा, बोरखण्डी, अर्जुनपुरा, चन्द्रेसल, नोटाडा, कैथून, भीमपुरा, मण्डानिया, नगपुरा, खेडा, खेडारसूलपुरा, मंडानिया गखरा, भोजपुरा, जगपुरा, दसलाना, हाथीखेडा, पखरती, रामखेडी, पीपल्दा, रामराजपुरा, मानस गाँव।	लाडपुरा
लाडपुरा	रंगबाडी, उम्मेदगंज, अनन्तपुरा, साजीदेहडा नाला	अनन्तपुरा, विज्ञान नगर, तलवण्डी, किशोरपुरा, दादाबाडी संजय नगर, गाँधी नगर, इन्द्रागान्धी नगर, रामचन्द्रपुरा, महावीर नगर इन्ट्रामेन्टेशन, टाउनशिप एवं फेक्ट्री जे.के.नगर, डी.सी.एम. कॉलोनी, कंसुआ और उम्मेदगंज।	कोटा शहर
सांगोद	काली सिन्ध नदी	बोरीना कंला, बोरीनाखुर्द, विजयपुरा, कुदैत, घटाल, नाहरिया, कोटडी, थूनपुर।	साँगोद
सांगोद	उजाड नदी	बगडस्या, जोगडा, हींगी, सहीपुर, विनोदखुर्द, विनोद कंला, मोईखुर्द, सांगोद, नागलखेडी, नागरलहेडी, मालीहेडा, झालीहेडा, नागरखेडी, अतरालियों, करीरिया, कांगन्या, कुन्दनपुर, राजगढ़, गुडला, रौलाना।	साँगोद
सांगोद	परवन नदी	चरैल, कोटडा, लांबनियों, बपाबरखुर्द, रेलावद, घांसखेडा, डाबरीकंला, ठीमली, राजगढ़, उमरदा, बूढनी, सहीपुरा, सांगोद, बाहीहेडा, राजपुरा, देवली, ढोटी, थूनपुर, गुडला, खेडली, मूडला, रामगढ़ उर्फ कैलाशा कनवास, देवली, खण्ड गाँव।	साँगोद
सांगोद	अरू नदी	कनवास, देवली, खण्डगाव।	साँगोद
पीपल्दा	काली सिन्ध नदी	खरवण, खेडली, नोरेरा, आमल्दा, छीपरी, ढीपरी कालीसिन्ध।	इटावा
पीपल्दा	सूखनी नदी	इटावा, डडवाडा, खातौली, खेडली, बोरदा।	इटावा
पीपल्दा	पारवती नदी	कडीला, कैथूदा, गुडला, गोरधनपुरा, बोरदा, बीरोदा, नीमोदा, फूसोद, मोरखूदना, मरझाना, मीठोद, खातोली, जटवाडा, जटवाडी, बालूपा, नयागाँव, संग्रामपुरा, छापोल, लालगंज, गिरधरपुरा।	इटावा
रामगंजमण्डी	अमझार नदी	चेचट, निमौदा, सालेडाखुर्द, मवासा, चन्द्रपुरा, एवं अमझार	रामगंजमण्डी

		नदी के समीप वाले गाँव।	
--	--	------------------------	--

LIST OF VILLAGES AFFECTED DUE TO HIGH WATER RISE IN CHAMBAL AND KALISINDH RIVER

S.No.	Block	Affected Village
1.	Itawa (Chambal River, Down Stream of Navnera Barrage)	Kheerpura
2.		Haripura
3.		Hawakherli
4.		Gothrakalan
5.		Sumer Nagar
6.	Itawa (Kalisindh River, Land acquired but not in submergence of Navnera Barrage)	Nalwata
7.		Bijawata
8.		Kolana
9.		Kherli Maharaja
10.		Bambuliya Ghata
11.		Dhipri Kalisindh
12.	Sultanpur (Chambal / Kalisindh River, Down Stream of Navnera Barrage)	Sangahedi
13.		Mangahedi
14.		Mohammadpura
15.	Sultanpur (Kalisindh River, Up Stream of Navnera Barrage)	Kotra Deep Singh
16.		Gawri
17.		Pipalda Veeram
18.		Barod
19.		Kherula

बॉधो की सूची (तहसीलवार)

क्र. स.	नाम	लम्बाई (मी)	क्षमता (Mcft.)	प्रभावित होने वाले गाँवों के नाम	प्रभावित जनसंख्या
तहसील लाडपुरा					
1	रानपुर तालाब	1530.00	36.01	अनन्तपुरा, डी.सी.एम.	3000
2	गिरधरपुरा तालाब	396.00	34.95	गिरधरपुरा	512
3	बोराबास तालाब	570.00	16.59	गूजरो की टापरियाँ	2133
4	लखावा तालाब	1170.00	25.42	लखावा, अनन्तपुरा, डी.सी. एम., रामपुरा, देवली अरब	4173
5	डोलिया बॉध	491.50	39.00	कॉलोनी, लक्ष्मीपुरा, अगरू, पौचनकुई	1500
तहसील सांगोद					
1	सावन भादो बॉध	4285.00	1060.00	सिमल्या, कनवास, कोलाना, कोलानी, माधोपुरा, मांदलहेडी, नीमखेडी, पदुखेडी लाडपुरा, सावन भादो, आवां, मोहनपुरा, जांगलहेडी, खजूरना, उरना, खातियाखेडी, झोरमली, भीखाखेडी, कांदीपुरा, झोकली, खुशालीपुरा, साजरा, जगदीशपुरा, देवली, ढोटी, काटून	16402
2.	खातीखेडा तालाब	2100.00	38.84	बृजलिया, खातीखेडा	100
तहसील दीगोद					
1	डाहरा तालाब	2537.85	63.55	पोलाई कलॉ	425
2	चौमा तालाब	1851.00	27.50	चौमा मालियान, बीबू।	1355
3	बूढादीत तालाब	690.00	22.00	बूढादीत	5000

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड कोटा

मुख्य नहरे एवं उनकी भराव क्षमता की सूची (मय नक्शा)

क्र.स.	नहर का नाम	भराव क्षमता
1.	दांयी मुख्य नहर चम्बल	6656 Cusecs

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड कोटा

ढेकेदारो के पास उपलब्ध उपकरणो की सूची

क्र.स.	ढेकेदार का नाम व पता	उपकरण का प्रकार	संख्या	एस.टी.डी. कोड	टेलीफोन / मोबाईल
----- शून्य -----					

वर्तमान में कार्यरत ढेकेदारो के पास बाढ़ संबंधित कोई उपकरण नहीं है।

अधिशषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड कोटा

“कोटा शहर को बाढ़ से बचाव हेतु योजना की प्रथम चरण की वस्तुस्थिति”

1. कोटा शहर को बाढ़ से बचाव हेतु प्रथम चरण की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति की दिनांक 03.08.1999 को हुई 71 वीं बैठक में स्वीकृत की गई है।
2. स्वीकृत योजना के कोटा शहर के ऊपर धरमपुरा नाले पर एक पिक-अप वियर बनाकर मुख्यतः 3 नाले क्रमशः धरमपुरा नाला, आवली नाला एवं राजौरी नाले के जल का 5.6 कि.मी. लम्बी नहर द्वारा अपवर्तित कर चम्बल नदी में डालना प्रस्तावित था एवं केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपवर्तित किये जाने वाले जल की मात्रा 850 क्यूमेक स्वीकृत की गई थी।
3. तत्पश्चात उक्त कार्य को एशियन डवलपमेन्ट बैंक की सहायता से आर. यू. आई. डी.पी. को आवंटित किया गया।
4. आर. यू. आई. डी.पी. द्वारा योजना को अपवर्तित जल की मात्रा 540 क्यूमेक के अनुसार क्रियान्वित किया, जिसके अनुसार शेष जल 310 क्यूमेक की कोटा शहर में से प्रवाहित होना था।

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड कोटा



Office of the Superintendent
Rajasthan Urban Infrastructure Development Project
Project Implementation Unit - Kota

(1 Kaustubh, Ganvadi Road Civil Lines, Nayapura, Kota)

Telephone No. 2450660 & 2450770

Fax No. 2323225 & 2450733

No. F.1 PIU-KOT/DR-02/2005-2006/ 6130-36

Date : 29-12-05

Executive Engineer,
Irrigation Dn.,
Kota

Sub: Regarding discharge of Diversion Channel & the Flood discharge there after affecting Kota city.

Ref: your letter no. EE/Irrig./Tech/2005/8832 Dt. 22.12.05

Sir,

Please refer your letter wherein you have asked to confirm that 300 cumecs of flood discharge will pass across the Diversion Channel & flow in natural streams of Kota city.

In this context, it is to inform you that the Diversion Channel is being constructed to intercept the runoff of catchment area 70.46 sqkm. The 100 year cycle flood discharge as taken in design report is 850 cumecs. This discharge is attributed mainly by three Nallahs

1. Dharpura Nallah	531 Cumecs
2. Anvali Nallah	126 Cumecs
3. Rojari Nallah	193 Cumecs
	<u>850 Cumecs</u>

It was decided by RUIDP, Jaipur office to construct this channel in phased manner. So, initially RUIDP is constructing diversion channel for 10 year cycle flood to carry out flood discharge to the tune of 540 cumecs. The flood discharge of these nallah attributing this are as follows.

1. Dharpura Nallah	337 Cumecs
2. Anvali Nallah	80 Cumecs
3. Rojari Nallah	123 Cumecs
	<u>540 Cumecs</u>

Since 100 year cycle flood discharge is 850 cumecs and we are constructing the channel for 540 cumecs discharge only (10 year cycle flood). Therefore, remaining 310 cumecs discharge will pass across the Diversion channel and flow in natural streams towards Kota city. Further more during the meeting held today in Divisional Commissioner's Chamber you have asked to give certain idea about flood discharge near Randiyon Ki Bagichee. In this matter it is to inform that flood of this area comes due to affect of all three nallahs.

The flood discharge of first nallah (Dharpura Nallah) can be considered as 53% of total flood discharge $531-337=194$ cumecs. Therefore, 97 cumecs discharge will be effectively hit the area. From second Nallah (Anvali Nallah) the discharge affecting Kota

C:\PIU Kota\DR-02\DR-02.doc

city will be $126-80=46$ cumecs. From third Nallah (Rojari nallah) the discharge affecting Kota city is $193-126=57$ cumecs. These Nallahs will hit the area near Dadabari. Thus the total discharge is $97+46+57=200$ cumecs. This discharge may affect the area near Randiyon ki Bagichee also.

As regarding slope of the terrain near the said area it can be ascertain by considering spot level of up stream & down steam of the Bagichee. It comes out as $(278\text{m}-273\text{m})/1200\text{m}$ i.e. slope is 1:240.

Thus, the approx. flood discharge from up stream catchment of diversion channel near Bagichee can be considered as 200 cumecs and from up stream & down stream channel slope as 1:240 in our opinion.

The flood discharge of area down stream of diversion channel should be added into this discharge in order to ascertain total effective discharge affecting this area.

Encl: Index map of Diversion Channel.

[Signature]
29/12
Superintending Engineer,
RUIDP, PIU,
Kota

Copy to:

1. The Divisional Commissioner, Kota division, Kota.
2. The Project Director, RUIDP, PMU, Jaipur.
3. The Collector, Kota
4. The Superintending Engineer, Irrigation circle. kota
5. Executive Engineer-II, RUIDP, PIU, Kota.
6. Sh. Praveen Lokwani, Junior Engineer, PIU, Kota

[Signature]
29/12
Superintending Engineer,
RUIDP, PIU,
Kota

C:\PIU\Kota\DR-02\DR-02.doc

SALEINT FEATURES OF NAVNERA BARRAGE

S. No.	Particulars		As per Revised A&F Sanction
1	River		Kalisindh
2	Village		Abra
3	Tehsil		Digod
4	District		Kota
5	Location	Latitude	25° 29' 03" N
6		Longitude	76° 18' 58" E
7	Gross Catchment Area		24668 Sq Km
8	Free Catchment Area		5666 SQ Km
9	Water Availability	50% Dependability	3420.0 M Cum
10		75% Dependability	1039.10 M Cum
11	Design Flood (Cumecs)		44592.00 Cumec
12	Reservoir	Gross Storage capacity	226.65 Mcum
13		Dead Storage Capacity	0.06 Mcum
14		Live Storage Capacity	226.59 Mcum
15	Type of Barrage		Concrete Barrage
16	Max Height		44.00 M
17	Total length of Dam		1410.00 M
18	Length of Spillway(RD 437.00M to 959.00M)		522.00 M
19	Length of L/S NOF (As per Revised RD 344.52 M to 437.00M)		92.48 M
20	Length of R/S NOF (As Per Revised RD 959.00 M to 1053.00 M)		94.00 M
21	Length of L/S Earthen Embankment (As per Revised RD 0.00 to 344.52 M)		344.52 M
22	Length of R/S Earthen Embankment (As Per Revised RD 1053.00 M to 1410.00)		357.00 M
23	Total length of Earthen Embankment		701.52 M
24	Top of Barrage		224.00 M
25	FRL/FTL		217.00 M
26	Crest Level		201.00 M
27	Sill Level		200.421 M
28	NO. of Gates		27Nos (15.0 M x 16.85 M)
29	Size of Gallery		2.0 Mx 2.5 M
30	Trunnion Level		209.50 M
31	Stilling Basin R.L		189.12 M
32	Foundation R.L.		180.0 M
33	Gallery Floor R.L		184.0 M
34	Forest Land Under Diversion		656.347 HA (580.938 Ha Kota , 75 Ha Baran)
35	Reservation for Drinking Water		54 Mcum for 752 Villages & 4 Town of District Kota, Bundi & Baran.
36	Submergance Area at FRL		3112.15 Ha
37	Hoist Capacity for Lifting of Gates		120 Mt
38	Gantry Crane Capacity		45 Mt
39	Under Sluice Gate		2 Nos (1.8 M x 2.0 M)

संक्षिप्त विवरण नौनेरा बैराज

राजस्थान सरकार द्वारा चम्बल बेसिन की विभिन्न सब बेसिनों को जोड़कर पानी के उपयोग हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ एवं सूखा नियन्त्रण है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों (अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बांरा व झालावाड़) के विभिन्न कस्बों एवं शहरों में पेयजल एवं औद्योगिक जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। धौलपुर व सवाईमाधोपुर जिले में लगभग 2.00 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाने के साथ मार्ग में आने वाले विभिन्न तालाबों, जलशयों के पूर्व सिंचित क्षेत्र की लगभग 2.30 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हेतु अतिरिक्त जल भण्डारण क्षमता सुनिश्चित करना है। उक्त परियोजना राजस्थान के उपरोक्त 13 जिलों की पानी के क्षेत्र में क्रान्तिकारी पहल है जिससे पूर्वी राजस्थान में पानी के अभाव में खाली रह रहे बांधों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी तथा पानी के उचित भण्डारण से चम्बल व यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति को भी नियन्त्रित किया जा सकेगा।

पूर्वी राजस्थान केनाल परियोजना का प्रथम चरण (नौनेरा बैराज) :-

परियोजना के प्रथम चरण में कोटा जिले की दीगोद तहसील के ग्राम ऐबरा के पास कालीसिन्ध नदी पर नौनेरा बैराज के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि रु. 1316.32 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 20.01.2022 को जारी की जा चुकी है। परियोजना के निर्माण का कार्यादेश मैसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड भोपाल को राशि 601.02 करोड़ का दिनांक 04.10.2018 को जारी कर दिया गया, जिसके तहत कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 14.10.2018 तथा कार्य पूर्ण करने की संशोधित दिनांक 13.10.2024 स्वीकृत की गईं। दिनांक 14.10.2018 को कार्य वास्तविक रूप से प्रारम्भ कर दिया गया एवं दिनांक 30.09.2024 को बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। दिनांक 08.09.2024 से दिनांक 12.09.2024 तक बांध को FRL Level 217m तक भरा जाकर Wet testing की जा चुकी है। बैराज की कुल भराव क्षमता 226.65 मि.घ.मी. है, जिसमें 54.00 मि.घ.मी. पानी PHED के लिए आरक्षित (PHED हिस्सा राशि 444.62 करोड़) है जिससे 4 कस्बे (शहर) एवं 752 गांव लाभान्वित होंगे।

कार्य का विवरण :-

नौनेरा बैराज में कुल 27 रेडियल गेट (15 मी. X 16 मी.) का प्रावधान है। बैराज की कुल लम्बाई 1410 मीटर है जिसमें 522 मीटर का Concrete spillway (over flow portion), 186.48 मीटर की Non-over flow portion तथा 701.52 मीटर का मिट्टी का बांध है।

डूब क्षेत्र में आ रही भूमि का विवरण:-

- बांध के डूब क्षेत्र में कुल 3112.15 है० भूमि आ रही है जिसमें 656.347 है० वन भूमि एवं 495.16 है० निजी भूमि है।

निर्माण कार्य की स्थिति :-

- परियोजना के निर्माण हेतु मुख्य बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, वर्तमान में बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित स्थानों हेतु सुरक्षा संबंधी कार्य प्रगतिरत है।
 - नवनेरा बैराज का ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस का कार्य बांध निर्माण की समाप्ति दिनांक 30.09.2025 से आगामी 5 वर्षों तक मैसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड भोपाल (म.प्र.) द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
- बैराज के ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस हेतु मैसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड भोपाल (म.प्र.) के कार्मिकों की सूची

NAVNERA BARRAGE DAM PROJECT KOTA (RAJ)					
Employee Name	Father name	Designation	Mob. No.	Aadhar Number	Remarks
Ravindra Laad	Uttam Chand Laad	Sr. Engineer	7024258317	495093208553	M.P
Lalu Yadav	Gorakh Yadav	Foreman	6263053109	876683613932	Jharkhand
Sourabh Verma	Dinesh Kumar	Supervisor	7062655889	974441384416	Rajasthan
Awadhesh Kumar Sondhiya	Bala Prasad Sondhiya	Electrician	7067081912	783843076932	M.P
Dilip Bhivaji Bhoyar	Bhivaji Bhoyar	Welder	8007162177	997908631567	Maharashtra
Sunil Tiwari	Rajendra Prasad Tiwari	Field Officer	9100123614	851467938973	M.P
Gaya Prasad Gour	Ramswaroop Gour	Gun Man	9827512474	716622934421	M.P
Devendra Singh Dhakad	Hari Singh Dhakad	Gun Man	8817683141	387546887243	M.P
Rakesh Kumar Singh	Yashwant Singh	Security Guard	6265738183	677132680225	U.P
Rajesh Prasad Vishwakarma	Ramkaran Vishwakarma	Security Guard	7569335373	653523978130	M.P
Gausharan Rajak	Deenbandhu Dhovi	Security Guard	8349429304	510453248684	M.P
Munna Singh	Natthu Singh	Security Guard	9651336713	482308874230	U.P
Mahesh Singh	Shivnath Singh	Security Guard	8948031139	959576044681	U.P
Sanjay Bhivaji Bhoyar	Bhivaji Bhoyar	Office Boy	8824109742	420831981796	Maharashtra
Ramesh Chand	Jagnnath Gurjar	Night Helper	9982191161	995684437869	Rajasthan
Nikku Gurjar	Mahaveer	Day Helper	7742380708	932696929036	Rajasthan
Mahaveer Gurjar	Ratiram Gurjar	Pantry Boy	9783610488	538685012193	Rajasthan
Ramhet Bairwa	Badri Lal Bairwa	Day Helper	8209414665	713551517849	Rajasthan
Dharu Harijan	Rajendra Harijan	Sweeper	7878615853	836089176118	Rajasthan
Kandregula Venkata Narayana Murthy	Vekateshwara Rao	Sr. Engineer	9959318109	663120470965	AnandSheel Andhra Pradesh
Putha Subba Rayudu	Putha Yanadalah	Sr. Fitter	9959318109	729165108756	AnandSheel Andhra Pradesh
Raju Kumar Chaudhari	Sudarshan Chaudhari	Sr. Welder	9959318109	965045926998	AnandSheel Andhra Pradesh
Allad Govind Rao	Allad Kamleshwar Rao	Sr. Electrician	6303572634	597753847547	AnandSheel Andhra Pradesh

Revised
21/6/25
योजनाधिकारी
याना बूढ़दीत
जिला कोटा प्रमोन्न

CAPACITY TABLE (NAVNERA BARRAGE)				
Sr. No.	Elevation	Volume		TMC
	(M)	(Mcum)	Mcft	
2053	216.52	214.81	7585.05	
2054	216.53	215.06	7593.77	
2055	216.54	215.31	7602.45	
2056	216.55	215.55	7611.18	
2057	216.56	215.80	7619.90	
2058	216.57	216.05	7628.58	
2059	216.58	216.29	7637.31	
2060	216.59	216.54	7645.99	
2061	216.60	216.79	7654.71	
2062	216.61	217.03	7663.44	
2063	216.62	217.28	7672.12	
2064	216.63	217.53	7680.84	
2065	216.64	217.77	7689.53	
2066	216.65	218.02	7698.25	
2067	216.66	218.27	7706.97	
2068	216.67	218.51	7715.66	
2069	216.68	218.76	7724.38	
2070	216.69	219.01	7733.07	
2071	216.70	219.25	7741.79	
2072	216.71	219.50	7750.51	
2073	216.72	219.75	7759.20	
2074	216.73	219.99	7767.92	
2075	216.74	220.24	7776.60	
2076	216.75	220.49	7785.33	
2077	216.76	220.73	7794.05	
2078	216.77	220.98	7802.73	
2079	216.78	221.23	7811.45	
2080	216.79	221.47	7820.14	
2081	216.80	221.72	7828.86	
2082	216.81	221.97	7837.58	
2083	216.82	222.21	7846.27	
2084	216.83	222.46	7854.99	
2085	216.84	222.70	7863.68	
2086	216.85	222.95	7872.40	
2087	216.86	223.20	7881.12	
2088	216.87	223.44	7889.81	

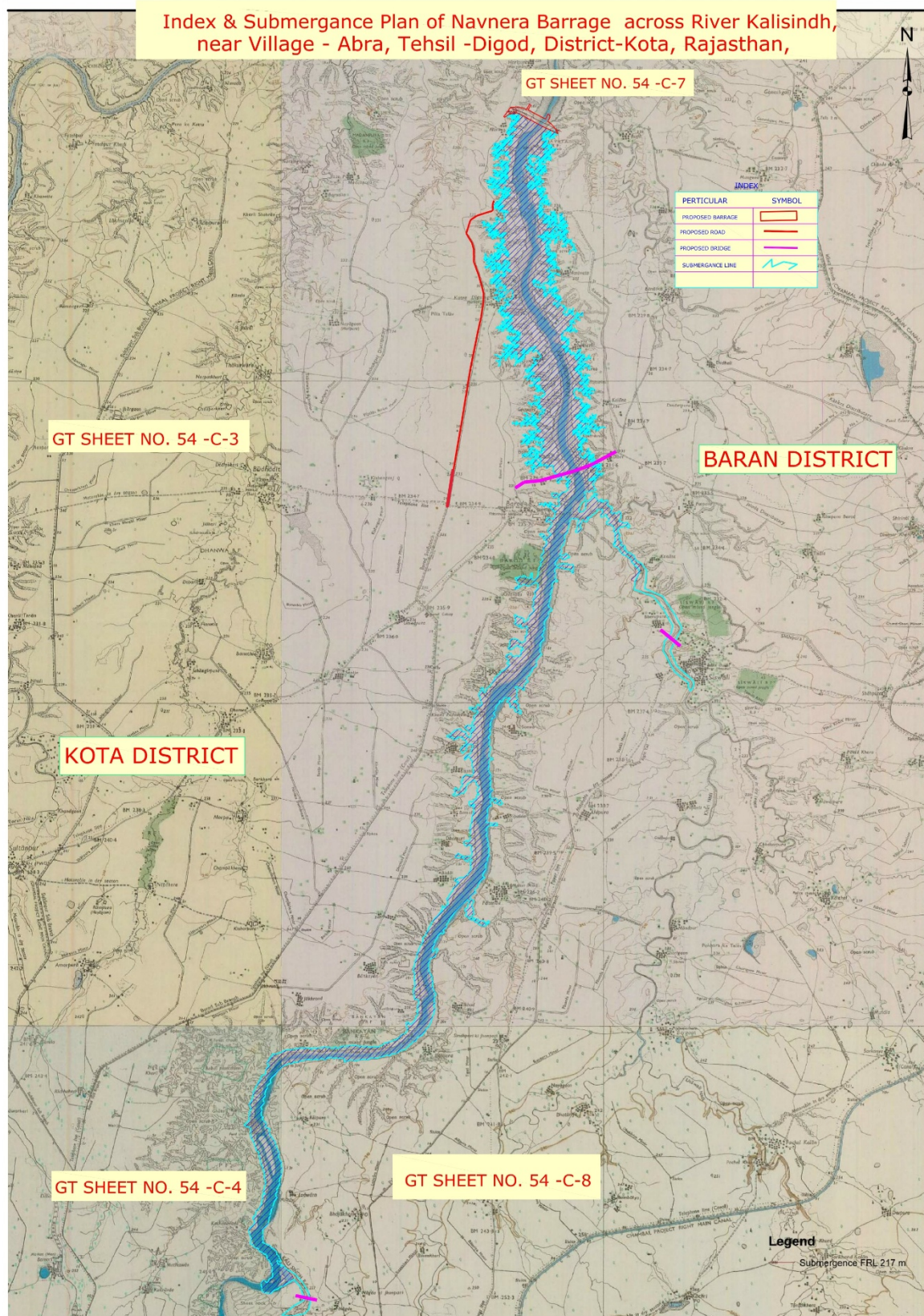
CAPACITY TABLE (NAVNERA BARRAGE)				
Sr. No.	Elevation	Volume		TMC
	(M)	(Mcum)	Mcft	
2089	216.88	223.69	7898.53	
2090	216.89	223.94	7907.22	
2091	216.90	224.18	7915.94	
2092	216.91	224.43	7924.66	
2093	216.92	224.68	7933.34	
2094	216.93	224.92	7942.07	
2095	216.94	225.17	7950.75	
2096	216.95	225.42	7959.47	
2097	216.96	225.66	7968.20	
2098	216.97	225.91	7976.88	
2099	216.98	226.16	7985.60	
2100	216.99	226.40	7994.29	
2101	217.00	226.65	8003.01	8.00
2102	217.01	226.92	8012.69	
2103	217.02	227.20	8022.33	
2104	217.03	227.47	8032.00	
2105	217.04	227.74	8041.64	
2106	217.05	228.02	8051.32	
2107	217.06	228.29	8060.99	
2108	217.07	228.57	8070.63	
2109	217.08	228.84	8080.31	
2110	217.09	229.11	8089.94	
2111	217.10	229.39	8099.62	
2112	217.11	229.66	8109.29	
2113	217.12	229.93	8118.93	
2114	217.13	230.21	8128.61	
2115	217.14	230.48	8138.25	
2116	217.15	230.75	8147.92	
2117	217.16	231.03	8157.60	
2118	217.17	231.30	8167.24	
2119	217.18	231.58	8176.91	
2120	217.19	231.85	8186.55	
2121	217.20	232.12	8196.23	
2122	217.21	232.40	8205.90	
2123	217.22	232.67	8215.54	
2124	217.23	232.94	8225.22	

CAPACITY TABLE (NAVNERA BARRAGE)				
Sr. No.	Elevation	Volume		TMC
	(M)	(Mcum)	Mcft	
2125	217.24	233.22	8234.86	
2126	217.25	233.49	8244.53	
2127	217.26	233.76	8254.21	
2128	217.27	234.04	8263.85	
2129	217.28	234.31	8273.52	
2130	217.29	234.58	8283.16	
2131	217.30	234.86	8292.84	
2132	217.31	235.13	8302.51	
2133	217.32	235.41	8312.15	
2134	217.33	235.68	8321.83	
2135	217.34	235.95	8331.47	
2136	217.35	236.23	8341.14	
2137	217.36	236.50	8350.82	
2138	217.37	236.77	8360.45	
2139	217.38	237.05	8370.13	
2140	217.39	237.32	8379.77	
2141	217.40	237.59	8389.44	
2142	217.41	237.87	8399.12	
2143	217.42	238.14	8408.76	
2144	217.43	238.42	8418.43	
2145	217.44	238.69	8428.07	
2146	217.45	238.96	8437.75	
2147	217.46	239.24	8447.42	
2148	217.47	239.51	8457.06	
2149	217.48	239.78	8466.74	
2150	217.49	240.06	8476.38	
2151	217.50	240.33	8486.05	
2152	217.51	240.60	8495.73	
2153	217.52	240.88	8505.37	
2154	217.53	241.15	8515.04	
2155	217.54	241.42	8524.68	
2156	217.55	241.70	8534.36	
2157	217.56	241.97	8544.03	
2158	217.57	242.25	8553.67	
2159	217.58	242.52	8563.35	
2160	217.59	242.79	8572.99	

CAPACITY TABLE (NAVNERA BARRAGE)				
Sr. No.	Elevation	Volume		TMC
	(M)	(Mcum)	Mcft	
2161	217.60	243.07	8582.66	
2162	217.61	243.34	8592.34	
2163	217.62	243.61	8601.98	
2164	217.63	243.89	8611.65	
2165	217.64	244.16	8621.29	
2166	217.65	244.43	8630.96	
2167	217.66	244.71	8640.64	
2168	217.67	244.98	8650.28	
2169	217.68	245.26	8659.95	
2170	217.69	245.53	8669.59	
2171	217.70	245.80	8679.27	
2172	217.71	246.08	8688.94	
2173	217.72	246.35	8698.58	
2174	217.73	246.62	8708.26	
2175	217.74	246.90	8717.90	
2176	217.75	247.17	8727.57	
2177	217.76	247.44	8737.25	
2178	217.77	247.72	8746.89	
2179	217.78	247.99	8756.56	
2180	217.79	248.26	8766.20	
2181	217.80	248.54	8775.88	
2182	217.81	248.81	8785.55	
2183	217.82	249.09	8795.19	
2184	217.83	249.36	8804.87	
2185	217.84	249.63	8814.51	
2186	217.85	249.91	8824.18	
2187	217.86	250.18	8833.86	
2188	217.87	250.45	8843.50	
2189	217.88	250.73	8853.17	
2190	217.89	251.00	8862.81	
2191	217.90	251.27	8872.48	
2192	217.91	251.55	8882.16	
2193	217.92	251.82	8891.80	
2194	217.93	252.10	8901.47	
2195	217.94	252.37	8911.11	
2196	217.95	252.64	8920.79	

CAPACITY TABLE (NAVNERA BARRAGE)				
Sr. No.	Elevation	Volume		TMC
	(M)	(Mcum)	Mcft	
2197	217.96	252.92	8930.46	
2198	217.97	253.19	8940.10	
2199	217.98	253.46	8949.78	
2200	217.99	253.74	8959.42	
2201	218.00	254.01	8969.09	8.97
2202	218.01	254.31	8979.83	
2203	218.02	254.62	8990.56	
2204	218.03	254.92	9001.30	
2205	218.04	255.23	9012.03	
2206	218.05	255.53	9022.76	
2207	218.06	255.83	9033.50	
2208	218.07	256.14	9044.23	
2209	218.08	256.44	9054.97	
2210	218.09	256.75	9065.70	
2211	218.10	257.05	9076.44	
2212	218.11	257.35	9087.17	
2213	218.12	257.66	9097.90	
2214	218.13	257.96	9108.64	
2215	218.14	258.27	9119.37	
2216	218.15	258.57	9130.11	
2217	218.16	258.87	9140.84	
2218	218.17	259.18	9151.58	
2219	218.18	259.48	9162.31	
2220	218.19	259.79	9173.04	
2221	218.20	260.09	9183.78	
2222	218.21	260.39	9194.51	
2223	218.22	260.70	9205.25	
2224	218.23	261.00	9215.98	
2225	218.24	261.31	9226.71	
2226	218.25	261.61	9237.45	
2227	218.26	261.91	9248.18	
2228	218.27	262.22	9258.92	
2229	218.28	262.52	9269.65	
2230	218.29	262.83	9280.39	
2231	218.30	263.13	9291.12	
2232	218.31	263.43	9301.85	

INDEX & SUBMERGANCE MAP OF NAVNERA



कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज (बॉध) के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम
1		दीगोद	मदनपुरा	मांगाहेड़ी
2			कोटड़ादीपसिंह	ऐबरा
3				रलायता
4				कोटड़ादीपसिंह
5				पिपल्दाबीरम
6				गावड़ी
7			बड़ोद	बड़ोद
8			खेरुला	ख्यावदा
9				ईदलगढ़
10				बगावदा
11				खेड़ली परसराम
12				खेरुला
13				भूदेन
14			बिसलई	बम्बूलिया रावतान
15				धनसुरी
16				बिसलई
17				बराना
18			किशोरपुरा	बांक्या
19				जाखड़ौन
20				एटोन
21			अमरपुरा	खेड़ीधाकड़ान
22				खेड़ली घाटा
23			सारोला	कचनावदा
24		पिपल्दा	रनोदिया	किशनवास
25			विनायका	बिजावता
26				नलावता
27			जालोदाखातियां	खेड़ली महाराजा
28				कोलाना
29				ढिबरी कालीसिंध
30				बम्बूलिया घाटा
31	बारां		तिसाया	कनाडा
32			सीसवाली	सीसवाली
33			उदपुरियां	रामपुरिया उर्फ फूलपुरिया
34				शिवपुरा
35				भाटेडी
36				सोनवा
37				पिपल्दा
38		अन्ता	पाटोन्दा	पाटोन्दा
39			बालदड़ा	तिखोद
40				बालदड़ा
41			भोज्याखेड़ी	रायपुरा

42				लदवाड़ा
43			नागदा	नागदा

Emergency Action Plan For Sawan Bhadon Medium Irrigation Project

Introduction :- The Sawan Bhadon Irrigation Project, a medium scheme, having 4285 M. long earthen dam across river 'Aru' a tributary of river Kalisindh in Chambal basin, for storage 30.00 Mcum of water which is providing irrigation through canal network for 5850 Ha. Land comprises 19 villages of Kanwas Tehsil/District Kota.

Location of Site:- The dam is located near village Simlia which is 3 K.M. Kanwas town, Kanwas is 8 K.M. D/s of dam site and Darah is about 10 K.M. from Dam site, The latitude and longitude of dam site are 24050' n AND 76007' E respectively.

History of Dam :- The scheme was surveyed in 1979-1980 and the work commenced during the year 1982 and dam work was over in the year 2001.

The canal network having length of 42.00 K.M. which consists 14.70 K.M. Main canal with 9 minors of length 27.30 K.M.

An area of about 488.00 Hact. land is under submergence at FRL EI. 313.60 M. The reservoir has been classified as gorge type upto EI. 300 M. and above EI. 300.00 M. it is considered as hilly type.

Following details are enclosed herewith:-

- | | |
|--|------------|
| (i) Salient features | Annex-I |
| (ii) Index Map of Distt. Kota | Annex-II |
| (iii) Index Map Sawan Bhadon Irrigation Project. | Annex-III |
| (iv) Details of water in coming in last 35 year. | Annex-IV |
| (v) Tree Chart and Capacity of Main and Minors | Annex-V |
| (vi) Capacity table of Sawan Bhadon Project. | Annex-VI |
| (vii) List of village in command area. | Annex-VII |
| (viii) L-Section of Main Dam. | Annex-VIII |
| (ix) X-Section of Main Dam. | Annex-IX |

Calculation of Max. Discharge for which emergency action plan is to be proposed

The discharge calculated on the basis of following assumptions. :-

- (i) Most critical condition of failure of earthen dam when Reservoir level is up to MWL i.e. R.L. 314.75 M.
- (ii) Piping observed at R.L. 300.00 M. (Sluice crest level) with the opening of 20 M. and height 3 M. initially it will act as orifice with opening (20 M.x 3M.) with Max. head 14.75 m.
- (iii) Velocity of river is approx 1m/ Sec.

$$\begin{aligned} \text{Hence } Q &= C_d \sqrt{2gh} \times A \\ &= 0.65 \times 9.81 \times 14.75 \times (20 \times 3) \\ &= 663.45 \text{ Cumec} \end{aligned}$$

Max. discharging capacity of spillway arrangement is 1544 cumec.

Total discharge through river:-

$$= 1544 + 663.45 = 2207.45 \text{ Cumec.}$$

Say = 2200 Cumec maximum discharge which may occur as per above assumptions.

Calculation section required for disposal of water is as under:-

$$\begin{aligned} Q &= A \times V & V &= 1 \text{ M./Sec.} \\ Q &= A \times 1 = A \\ 2200 &= \frac{200 + (90 + 3000)}{2} \times \text{Area of river section} \\ & & & \frac{(70 + 90)}{2} \times 5 = 200 \text{ Cumec} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1545 \times &= 2000 & \text{ridge is nearby 3000 M. width} \\ x &= 1.29 \text{ M.} & \text{along river.} \end{aligned}$$

After village Anwa Bejal Nalah joins river Aru which originates from Mandana Pathar and collects water from Local nallas of Kishorepura, Jalimpura, Pitampura, Sarneswar Mahadev, Ladpura, Mangalpura and Khajarna area and flooded nearby area of village Pisaheda, jharami, jangliahedi, Deoli, Brijlia, Dhoti Kathon. If heavy rainfall occur in Pathar area of Danta, catchment area of Pokily khal the accumulation of flood at Deoli area may worsely effect. The Population of affected area is nearby 25000. The following village will be affected from failure of Sawan Bhadon Dam:-

S. No.	Name of Village	Name of River/Nallah	Remark
1	Simliya	Aru	Village which are affected from Pokliya khal will indirectly flooded due back water effect of river Aru. The water received in Pokliya Khal may be flooded in area due to inaccessibility of water in river Aru in Deoli and Dhoti area.
2	Bachhihera	Aru	
3	Kaisoli	Aru	
4	Kankaria	Aru	
5	Basyahedi	Pokliya	
6	Kanwas	Aru	
7	Jagdishpura	Aru	
8	Bishanpura	Aru	
9	Kolana	Aru	
10	Kolani	Aru	
11	Madhopur	Aru	
12	Jalimpura	Aru	
13	Sawan Bhado	Aru	
14	Dudhyakheri	Aru	
15	Pitampura	Aru	
16	Mandalayaheri	Aru	
17	Jugalpura	Aru	
18	Gujarhedi	Aru	
19	Anwa	Aru & Bejal Nallah	
20	Jharamli	Bejal Nallah	
21	Pisaheda	Aru & Bejal Nallah	
22	Rajapura	Pokliya Khal	
23	Deoli	Aru & Bejal Khal	

24	Panahera	Pokliya Khal	
25	Jhalri	Pokliya Khal	
26	Rupaheda	Pokliya Khal	
27	Niyana	Pokliya Khal	
28	Khand Gaon	Pokliya Khal	
29	Garmori	Pokliya Khal	
30	Aliyaheri	Pokliya Khal	
31	Samria	Pokliya Khal	
32	Brijlia	Aru	
33	Bhoti	Aru	
34	Kathon	Aru	

Probable effect of failure of earthen dam is as under:-

- (1) All the major road connected with sangod, Kota and Dara will be blocked or may washout.
- (2) A part of affected area is enclosed by Kalisindh river hence supply or rescue operations will not be operational.
- (3) The road network from Dhulet- Khanpur may not be operational due to Kalisindh river having submerged causeway which remains closed during high floods.
- (4) All the rescue operation can be executed through Dara located 14 K.M. was of Kanwas at Jhalawar Kota (NH-8), which is a railway station also.
- (5) Anwa can be connected through Baniyani.

To operate various activities Dara may be treated as focal point:-

- (1) The Sawan Bhadon dam is 9 K.M. from Dara station and the approach to dam site having alternate route along periphery of submerge of dam which is known as right flank road.
- (2) Dara station is connected with Kota (45 K.M.) and Jhalawar (40K.M.) by road and railhead both.

- (3) Dara having irrigation with 10 residential building & 4 godowns (tin sheds).
- (4) It is Gram Panchayat HQ, having Rajeev Gandhi Seva Kendra, Senior Secondary School Building to Provide shelter for affected families.
- (5) Affected families may be shifted to Dhulat, Baniani, Khajuri and other villages.

The nealy villages where affected families may be shifted to higher reaches.

The villages are as under :-

- | | | | |
|-----|-------------------|---|--|
| 1- | Sarneswer Mahadev | - | Madhopur, Jalimpura. |
| 2- | Pitampura | - | Sawan Bhadon, Jugalpura, Gujriahedi,
Dudhyakhedi. |
| 3- | Mangalpura | - | Jangaliahedi. |
| 4- | Kishorepura | - | Anwa |
| 5- | Ladpura | - | Anwa |
| 6- | Khajuran | - | Amli, Jangliahedi |
| 7- | Kishore Sagar | - | Kanwas |
| 8- | Dara | - | Kanwas |
| 9- | Daniyani | - | Anwa, Pisaheda |
| 10- | Khajuri | - | Deoli, Dhoti, Kathon |
| 11- | Urna | - | Pisaheda |
| 12- | Dhulet | - | Kanwas, Basyahedi, Samria. |

**Executive Engineer
Water Resource Division Kota**

Sawan Bhadon Medium Irrigation Project

SALIENT FEATURES

S.No.	Particular	In Original Report(1980)	In Revised Report(1997)
1.	LOCATION		
	a. Latitude	24 ⁰ 50' N	24 ⁰ 50' N
	b. Longitude	76 ⁰ 07' E	76 ⁰ 07' E
	c. Name of River	ARU Tributry of Kali	ARU
	d. Tehsil	Sindh	Sangod
	e. Village Simalia	Sangod	KOTA
	f. District	KOTA	
2.	Gross Catchment Area	146.07 Km ²	146.07 Km ²
3.	Intercepted Catchment Area	Nil	Nil
4.	Free Catchment Area	146.07 Km ²	146.07 Km ²
5.	Type of Catchment	Good	Good
6.	Average Annual, Rain-fall	861.00 mm	820.00 mm
7.	Expected Average Yield	38.95 M cum	36.98 Mcum
8.	Design Yield	1.38 Mcum/Sqkm (18.80 Mcft/Sq. Mile)	1.38 Mcum/Sqkm (18.80 Mcft/Sq.Mile)
9.	Gross storage capacity	30.03 Mcum	30.00 Mcum
10.	Dead storage capacity	2.154 Mcum	2.150 Mcum
11.	Live storage capacity	27.846 Mcum	27.85 Mcum
12.	Length of Dam	4662 M	4285 M
13.	Length of overflow section	453 M	500M
14.	Length of Non-overflow section	507 M	—
15.	Length of Earthen Dam	3702 M	3670 M
16.	Length of bye-wash	Nil	115 M
17.	Maximum flood discharge	1048 Cumecs	1544 Cumecs
18.	Design flood Lift	1.04 M	1.15 M
19.	Full Reservoir Level	313.60 M	313.60 M
20.	Maximum water level	314.64 M	314.75 M
21.	Top Bund Level	316.25 M	317.75 M
22.	Maximum height of Dam	25.40 M	27.75 M
23.	Free Board above M.W.L.	1.61 M	3.00 M
24.	Top width of Earthen Dam	4.00 M	6.00 M
25.	Area of submergence at F.R.L.	4.125 Km ²	4.125 Km ²
26.	Life of Reservoir	116 Years	106 Years

S.No.	Particular	In Original Report(1980)	In Revised Report(1997)
27.	Type of over flow spillway	Ogee Crest	Ogee Crest
28.	Sluice sill Level	300.00.M	300.00.M
29.	Gross command area	8190 Ha.	6517 Ha.
30.	Culturable Command Area	6962 Ha.	5850 Ha.
31.	Annual Irrigation	4908 Ha.	5779 Ha.
32.	Intensity of Irrigation		
	a. Kharif	20.00%	12.78%
	b. Rabi	50.50%	85.94%
		70.50%	98.72%
	Total		
33.	Gross water Utilization	30.249 Mcum	28.234Mcum
34.	Duty of Irrigation(CCA Basis)	249.87 Ha/Mcum	210.05 Ha/Mcum
	a. Live Storage	(17.48 Acre/ Mcft)	(14.69 Acre/Mcft)
	b. Command Area	0.042 Cumecs/100 Ha. (0.60 Cusecs/100 Acre)	0.047 Cumecs/100 Ha. (0.67 Cusecs/100 Acre)
35.	Dependability of Irrigation	75%	75%
36.	Section of MainCanal	Rectangular & Mehboob	Rectangular & Trapezoidal
37.	Length of MainCanal	18.3 Kms.	14.70 Kms
38.	Length of Distribution System		
	a. Minors	—	27.30Km
	b. Water Courses	—	150 Km
39.	No. of villages benefited	20 Nos.	20 Nos.
40.	Design discharge at head	2.960Cumecs	3.055 Cumecs
41.	Estimated cost of project	418.18 lacs	Estimate under preparation
42.	Cost per Ha. of C.C.A.	Rs. 8535.00 per Ha.	---Do----
43.	Cost per M cum of Live storage	Rs. 15.04 lacs	---Do----
44.	B.C. Ratio with 10% interest on capital outlay	1.50	---Do----
45.	Financial Return at the end of 10 Years after Completion.	0.563%	---Do----

V – Noctch Location Ch- 74, 84 & 94

**EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIVISION,KOTA**

INDEX PLAN SAWAN BHADON IRRIGATION PROJECT

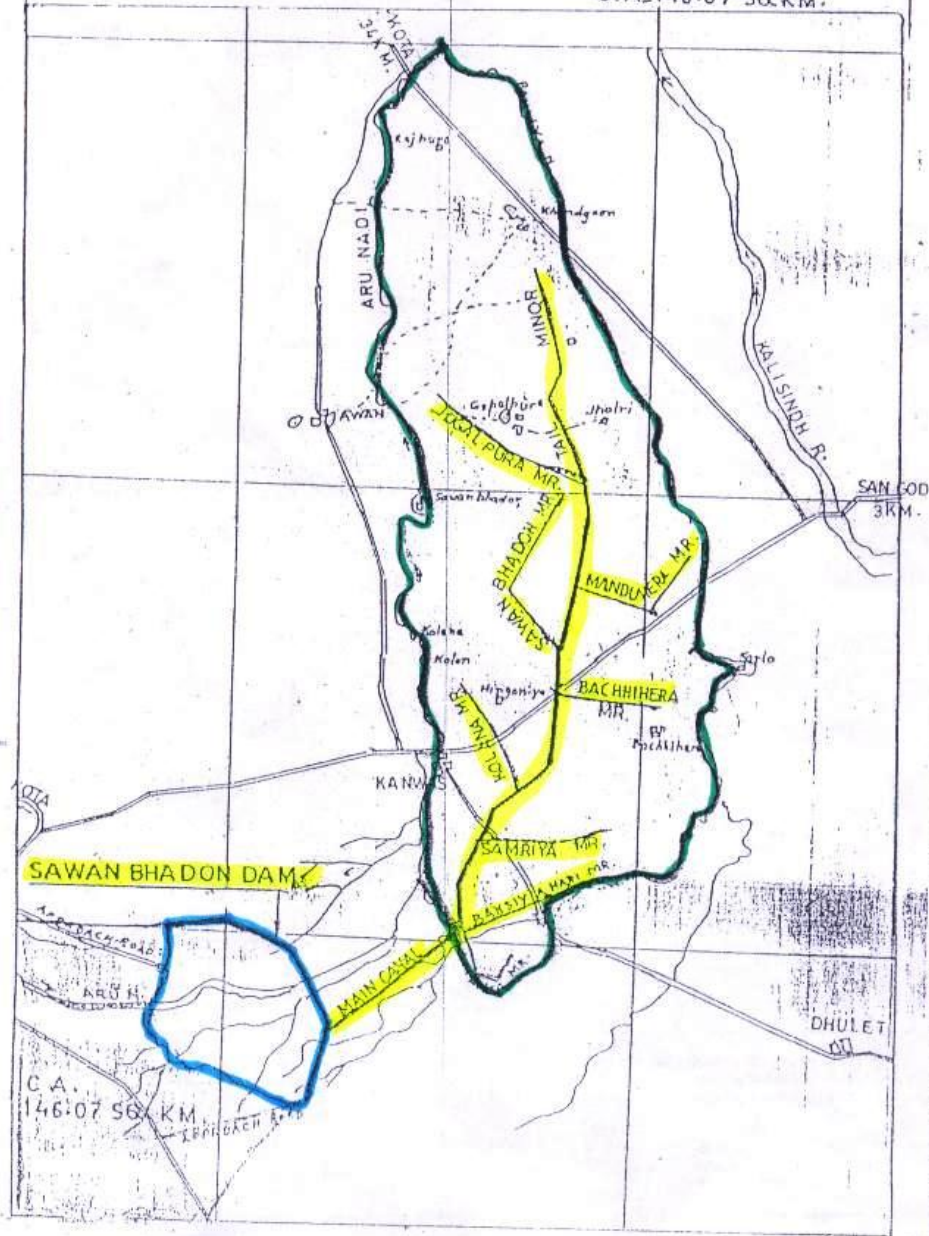
TEHSIL. SANGOD

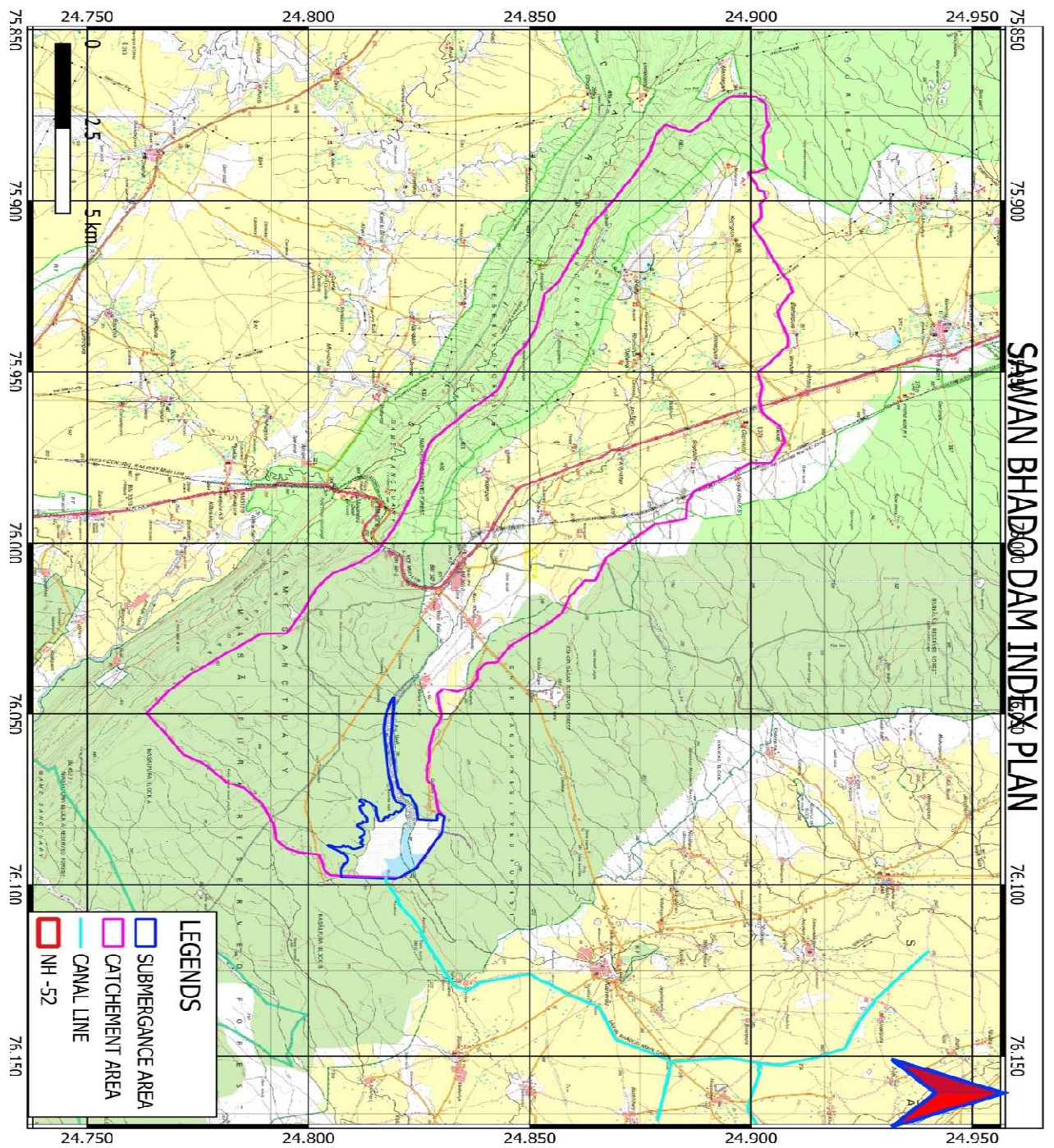
DISTT. KOTA

G.C.A= 6817 HA.

C.C.A= 5850 HA.

C.A=146.07 SQ. KM.





Office of the Executive Engineer Water Resources Division Kota
Details of water incoming in last 36 years in Sawan Bhadon Dam

Gross Storage : 1052.890 Mcft. At FRL 313.60

Dead Storage : 76.070 Mcft.

M.

S.No.	Year	Tank Gauge (in M)	Gross capacity (in Mfct.)	Dead Storage (in Mcft)	Live capacity (in Mcft)	Remarks
1	1989	308.200	455.330	76.067	379.263	Water released
2	1990	(under construction after breach)	No storage	76.067	-	Water released
3	1991	309.20	545.000	76.067	468.933	Water released
4	1992	308.45	473.240	76.067	397.173	Water released
5	1993	309.35	558.000	76.067	481.933	Water released
6	1994	308.00	437.860	76.067	361.793	Water released
7	1995	308.00	437.860	76.067	361.793	Water released
8	1996	309.50	571.900	76.067	495.843	Water released
9	1997	-	-	-	-	Water released
10	1998	308.00	437.000	76.067	360.933	Water released
11	1999	312.60	915.800	76.067	839.733	Water released
12	2000	312.60	915.800	76.067	839.733	Water released
13	2001	313.60	1052.830	76.067	976.763	Water released
14	2002	306.85	358.570	76.067	282.503	Water reserved for drinking purpose
15	2003	310.70	692.650	76.067	616.583	Water released
16	2004	314.00	1052.830	76.067	976.763	Water released
17	2005	306.90	362.000	76.067	285.933	Water released
18	2006	313.60	1060.070	76.067	984.003	Water released
19	2007	310.90	714.320	76.067	638.253	Water released
20	2008	310.60	681.800	76.067	605.733	Water released
21	2009	304.50	227.240	76.067	151.173	Water released
22	2010	307.10	382.550	76.070	306.480	Water released
23	2011	313.60	52.830	76.070	976.760	Water released
24	2012	311.00	725.170	76.070	649.100	Water released
25	2013	313.60	1052.890	76.070	976.760	Water released
26	2014	313.60	1052.890	76.070	976.760	Water released
27	2015	313.60	1052.890	76.070	976.760	Water released
28	2016	313.60	1052.890	76.070	979.700	Water released
29	2017	309.80	598.940	76.070	495.840	Water released
30	2018	313.40	1025.540	76.070	949.470	Water released
31	2019	313.60	1052.890	76.070	976.820	Water released
32	2020	311.60	790.238	76.070	714.168	Water released
33	2021	313.60	1052.830	76.070	976.760	Water released
34	2022	313.60	1052.890	76.070	976.700	Water released
35	2023	313.60	1052.890	76.070	976.700	Water released

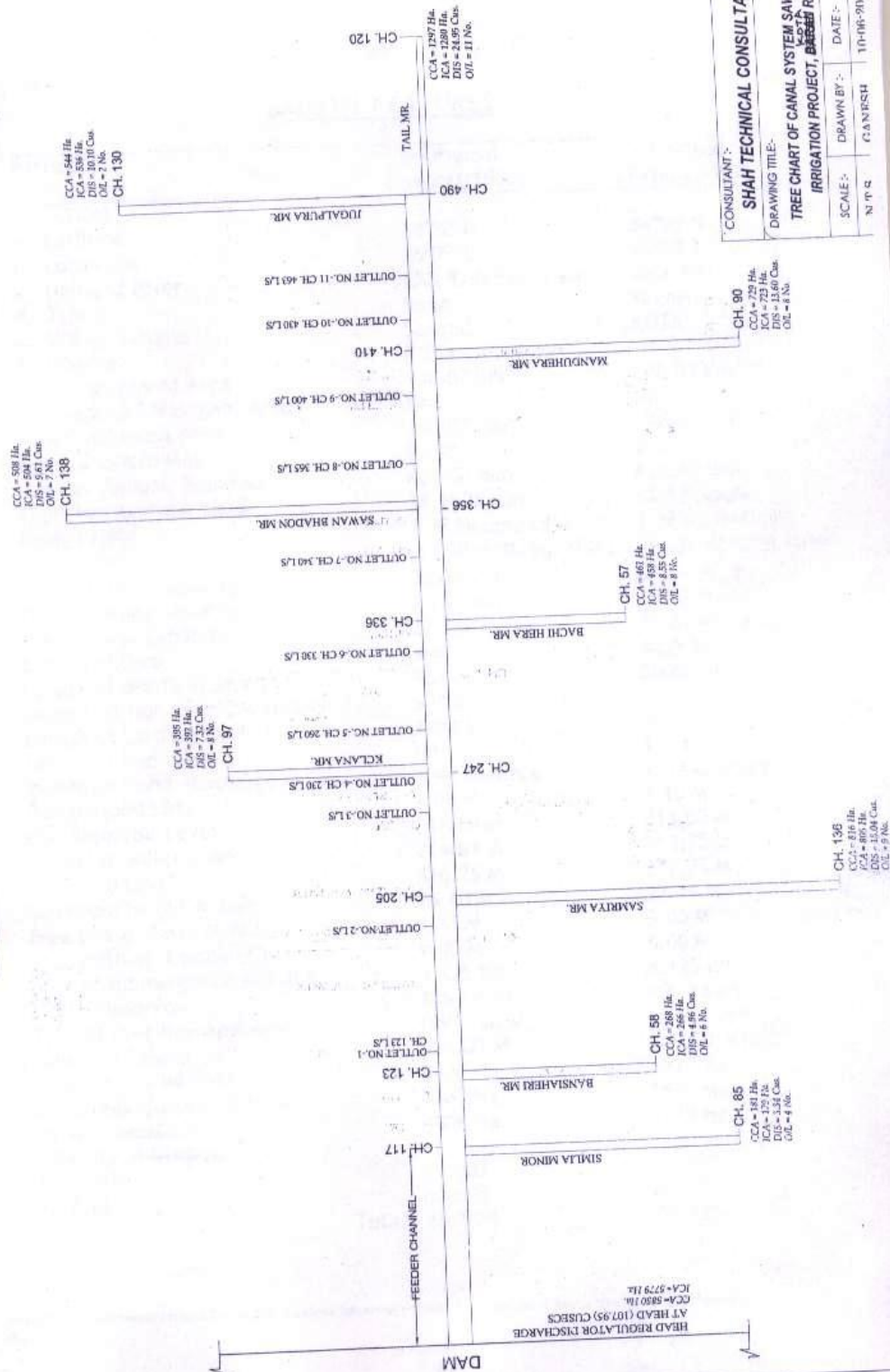
36	2024	313.60	1052.890	76.070	976.700	Water released
----	------	--------	----------	--------	---------	----------------

**EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIVISION,KOTA**

EXHIBIT

TREE CHART OF CANAL SYSTEM, SAWAN BHADON IRRIGATION PROJECT

KOTA BHARAN, RAJASTHAN



CONSULTANT :-
SHAH TECHNICAL CONSULTANT PVT
 DRAWING TITLE :-
TREE CHART OF CANAL SYSTEM SAWAN BHADON IRRIGATION PROJECT, BHARAN, RAJASTHAN
 SCALE :-
 DATE :-
 DRAWN BY :-
 CHECKED BY :-
 DATE :-
 PROJECT NO :-
 SHEET NO :-

Capacity Chart of Sawan Bhadon Project

Level in Meter	Capacity in Mcum	Level in Meter	Capacity in Mcum	Level in Meter	Capacity in Mcum	Level in Meter	Capacity in Mcum
300.00	2.15	304.10	5.88	308.10	12.64	312.10	24.00
300.10	2.23	304.20	6.02	308.20	12.89	312.20	24.38
300.20	2.31	304.30	6.16	308.30	13.15	312.30	24.77
300.30	2.38	304.40	6.30	308.40	13.40	312.40	25.16
300.40	2.46	304.50	6.44	308.50	13.66	312.50	25.55
300.50	2.53	304.60	6.57	308.60	13.91	312.60	25.94
300.60	2.61	304.70	6.71	308.70	14.16	312.70	26.32
300.70	2.69	304.80	6.85	308.80	14.42	312.80	26.71
300.80	2.76	304.90	6.99	308.90	14.67	312.90	27.10
300.90	2.84	305.00	7.13	309.00	14.93	313.00	27.49
301.00	2.91	305.10	7.26	309.10	15.18	313.10	27.88
301.10	2.99	305.20	7.40	309.20	15.43	313.20	28.26
301.20	3.07	305.30	7.54	309.30	15.69	313.30	28.65
301.30	3.12	305.40	7.68	309.40	15.92	313.40	29.04
301.40	3.22	305.50	7.82	309.50	16.20	313.50	29.43
301.50	3.30	305.60	7.95	309.60	16.45	313.60	29.82
301.60	3.37	305.70	8.09	309.70	16.70	313.70	30.20
301.70	3.45	305.80	8.23	309.80	16.96	313.80	30.59
301.80	3.52	305.90	8.37	309.90	17.21	313.90	31.01
301.90	3.60	306.00	8.51	310.00	17.47	314.00	31.37
302.00	3.68	306.10	8.70	310.10	17.77	314.10	31.87
302.10	3.78	306.20	8.89	310.20	18.08	314.20	32.37
302.20	3.88	306.30	9.09	310.30	18.39	314.30	32.88
302.30	3.99	306.40	9.28	310.40	18.69	314.40	33.38
302.40	4.09	306.50	9.48	310.50	19.00	314.50	33.88
302.50	4.19	306.60	9.67	310.60	19.31	314.60	34.38
302.60	4.30	306.70	9.86	310.70	19.62	314.70	34.89
302.70	4.40	306.80	10.06	310.80	19.92	314.80	35.39
302.80	4.50	306.90	10.25	310.90	20.23	314.90	35.89
302.90	4.61	307.00	10.45	311.00	20.54	315.00	36.39
303.00	4.71	307.10	10.64	311.10	20.84	315.10	36.90
303.10	4.81	307.20	10.83	311.20	21.15	315.20	37.40
303.20	4.92	307.30	11.03	311.30	21.46	315.30	37.90
303.30	5.02	307.40	11.22	311.40	21.76	315.40	38.40
303.40	5.12	307.50	11.42	311.50	22.07	315.50	38.91
303.50	5.23	307.60	11.61	311.60	22.38	315.60	39.41
303.60	5.33	307.70	11.80	311.70	22.68	315.70	39.91
303.70	5.44	307.80	11.996	311.80	22.99	315.80	40.41
303.80	5.55	307.90	12.19	311.90	23.30	315.90	40.92
303.90	5.64	308.00	12.40	312.00	23.61	316.00	41.42

304.00	5.74						
--------	------	--	--	--	--	--	--

SAWAN BHADON IRRIGATION PROJECT, KOTA
VILLAGE-WISE COMMAND AREA

S. No.	Name of Village	G.C.A. in ha	C.C.A. in ha
1	Simliya	201	190
2	Kanwas	618	578
3	Jagdish Pura	259	233
4	Bansya Heri	272	265
5	Samriya mafi	321	267
6	Bachhi hera	659	611
7	Kolani jagir	161	154
8	Kolana jigir	156	132
9	Hingonia	379	362
10	Bishanpura	605	567
11	Sawan Bhadon	306	260
12	Niyana	105	104
13	Khandgaon	452	435
14	Jhalara	325	315
15	Jhalri	234	228
16	Gopal Pura	555	457
17	Jaugal Pura	84	80
18	Khedi	308	224
19	Rajpura	267	176
20	Manduheri	250	212
Total		6517 Ha	5850 Ha.

Check List for seeking information from the State Governments in the context of preparedness for south west Monsoon-2025

SAWAN BHADONDAM

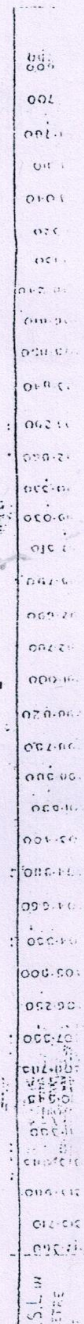
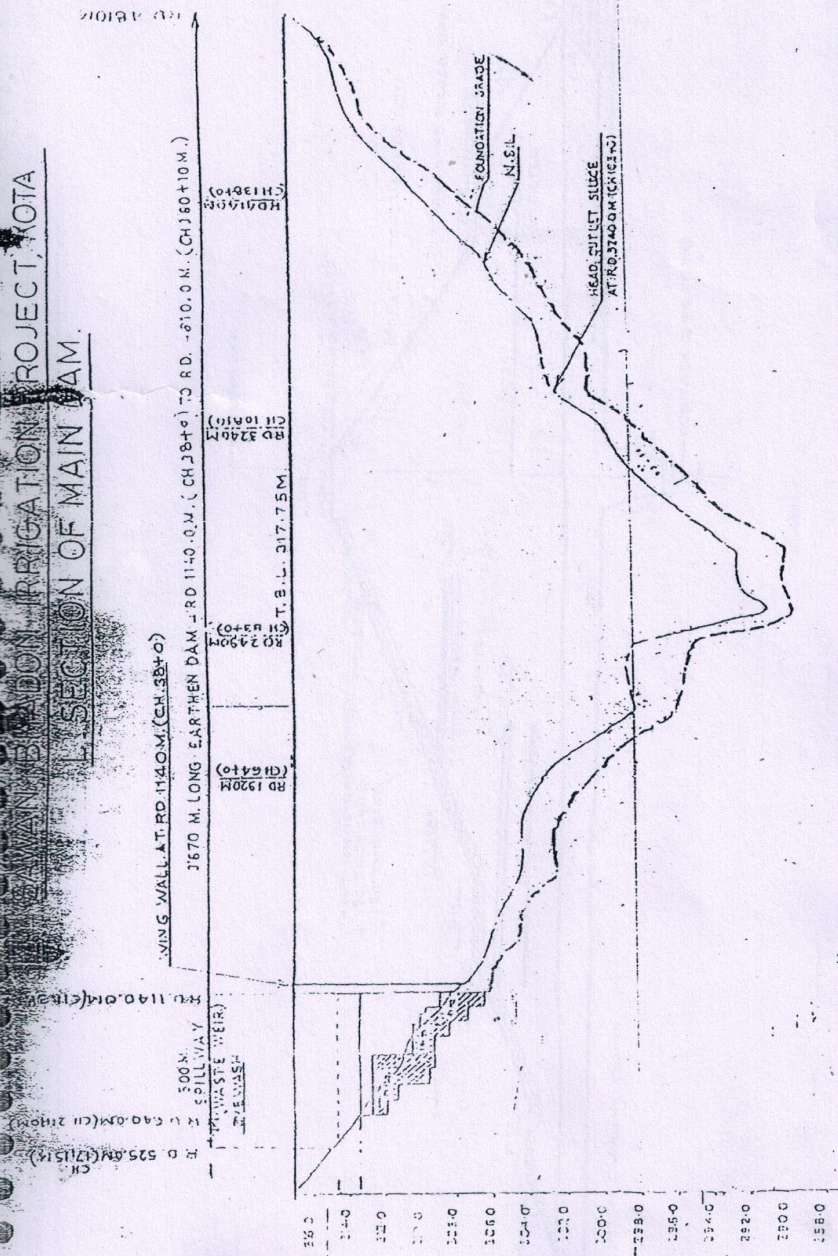
S.No.	Essential Items	Availability
1.	<u>Vulnerability Assessment :</u> Whether a profile of the various districts vulnerable to different disaster has been prepared. This include vulnerability assessment, past history, geographical feature and the impact and intensity has also the damage of the past disasters. Based on this, whether a list of most vulnerable village- district wise has been prepared.	No vulnerable disaster has been occurred in past. No any warning from other Department about vulnerability. Although low lying area has been identified and marked.
2.	<u>Warning System :</u> Whether a review of the existing Warning and Forecasting system has been made in the context of floods, heavy rains and cyclone in association with concerned Department of the State Government and the Government of India office located in the State, This include Indian Meteorological Department (IMD), Central water Commission, All India Radio, Local Sirens and other traditional means.	Yes, with Real Time Data Acquisition System (RTDS)
3.	<u>Emergency Response Activities :</u> (i) <i>Coordination:</i> Whether State and District level coordination committees have met and reviewed the preparedness with all concerned. (ii) <i>Rapid Damage Assessment:</i> Whether the mechanism for rapid assessment of damage has been put in place. The rapid damage report is required to be prepared immediately and forwarded to all concerned including State Government and Control Room of Ministry of Home Affairs (MHA.) (iii) <i>Maintenance of Essential Services:</i> During disaster like flood, heavy rains, cyclone, the first causality is the essential services like power, Tele communications, Roads Whether Coordination meeting has been organized with these Department to ensure the immediate restoration of the these services in the event of disruption due to floods cyclone. (iv) <i>Stocking of essential commodities:</i> Whether adequate stock of essential commodities like food grains, kerosene oil, salt edible oil etc. have been made at different places. (v) <i>Medicine:</i> Whether review of availability of essential medicines, needed in the wake of floods and heavy rains for likely	Yes Does not Pertains to this office. Yes Yes Done by CMHO, Kota

	diseases like diarrhea have been adequately stocked at various vulnerable centers. (vi) Arrangements of Drinking Water: Whether position has been reviewed with all concerned for ensuring supply of safe drinking water during crisis period. This includes transportation of drinking water. (vii) Temporary Shelters: A list of the shelters identified for organizing relief camps for persons evacuated from the low lying areas has been made whether adequacy of these shelters have reviewed and plan for putting up temporary shelters put in place. These includes arrangements for organizing relief camps like provision of essential food, drinking water supply, sanitation, medicines etc.. Whether provision for shelter material like tarpaulin tents have reviewed.	Available at site To be provided by respective Panchayat Samiti / Public administration
4.	Pre Contract : Whether a list of relief material required during emergency response phase has been prepared based on the past experience. This Ministry had advised the State Governments to enter into pre contract for the items which are not available with the State Government and required in bulk. This will ensure the timely availability of relief items.	Yes
5.	Evacuation Plan: Based on the vulnerability assessment, whether evacuation plan for the persons residing in the low lying areas has been drawn up. These include identification of places, means of transportation, evacuation route.	Yes
6.	Activating of Control Room : Whether Control Rooms at vulnerable districts and State Headquarters have been activated with adequate number of trained personnel and equipment.	Control Room at Sawan bahdon dam Dara colony.
7.	Search and Rescue Teams : How many search and rescue teams in the State have been trained and equipped for floods/ heavy rains. Whether the procedure for their deputation at short notice has been finalized. Whether search and rescue teams of your State can be deputed to the neighboring States, during crisis period ?	Pertains with relief department.
8.	Procurement of Search, Rescue and Evacuation equipments : The State Government had been informed about the decision of the Government to permit the procurement of essential search, rescue and evacuation equipment including communication equipment subject to a ceiling of 10 per cent of the CRF allocation of the year in accordance with spirit of the extant items and norms of assistance from CRF. State Government is requested to indicate the list of such equipments	Pertains with relief department

	purchased out of CRF account.	
9.	<u>Installation of Public Utility Four Digit Code Telephone :</u> The State Governments were requested to install Public Utility Four Digit Code telephone at the office of the Relief Commissioner and District Collectors. The existing norms for assistance from CRF/NCCF were modified to provide installation of public Utility Four Digit Code Telephone (calls not metered) out of the corpus of CRF. The State Governments are requested to indicate the status of installation of these telephones at the State/ District Headquarters.	Not Installed
10.	<u>Emergency Support Function (ESF plan for Emergency Response in States/UTs :</u> Ministry of Home had requested all the States/ UTs to draw up a ESF plan based on the model ESF Plan formulated at National level. This plan was required to be reviewed periodically. Whether State Government has formulated the ESF Plan. If yes, a copy of the same may be sent to the Ministry of Home Affairs (MHA). If not, the latest status in the matter may be indicated.	Pertains to Administration Department
11.	<u>Transparency in Relief Operations:</u> The Ministry of Home Affairs, had been requesting the State Governments that a list giving the details of the beneficiaries with their name and address along with quantity/ volume and quantity of relief distributed may be prepared and made available to the local representatives of the public in panchayats and	Administration/ Relief Deptt.

**EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIVISION,KOTA**

IN SECTION OF MAIN AM



Takli Medium Irrigation Project

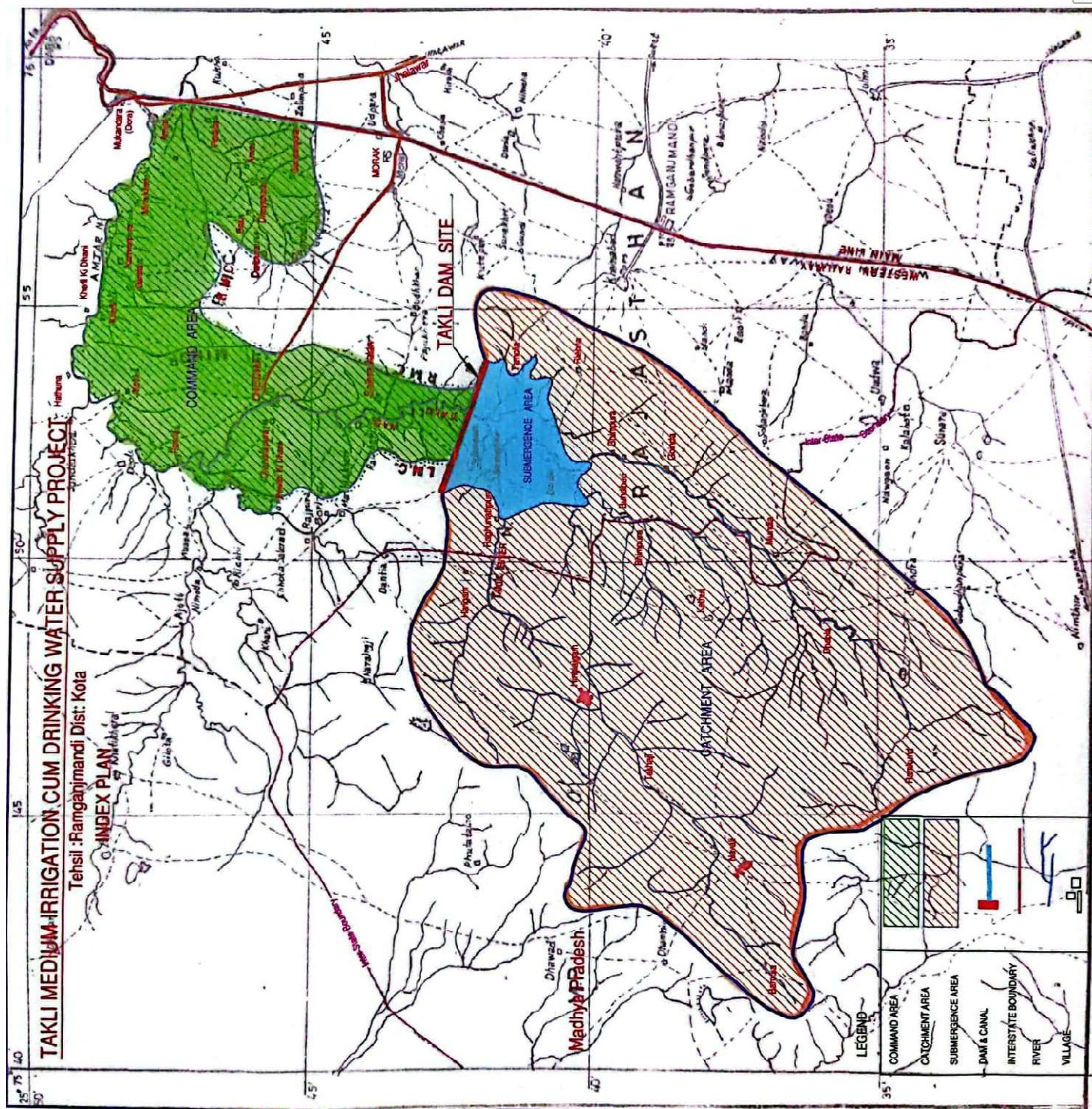
SALIENT FEATURES

S.No.	Items	M.K.S. Unit	F.P.S. Unit
1	Location		
	(a) Latitude	24 ⁰ -42'30" N	24 ⁰ -42'30" N
	(b) Longitude	75 ⁰ -52'-30" E	75 ⁰ -52'-30" E
2	Gross catchment area	257.70 Sq. Kms	99.50 Sq. miles
	Catchment area (Raj.)	62.16 Sq. Kms	24.00 Sq. miles
	Catchment area (M.P.)	192.54 Sq. Kms	75.50 Sq. miles
3	Intercepted area	8.25 Sq. Kms	3.18 Sq. miles
4	Free Catchment area	249.45 Sq. Km.	96.32 Sq. miles
5	Type of catchment	Good	Good
6	Maximum weighted rain fall (annual) in the catchment	1279.14 MM	50.36 Inches
7	Minimum weighted rain fall (annual) in the catchment	308.24 MM	12.14 Inches
8	Average weighted rain fall	868.30 MM	28.49 Inches
9	Gross storage capacity at FTL	33.74 Mcum	1192 Mcft
10	Dead storage at sluice sill level	3.84 Mcum	136 Mcft
11	Live storage capacity	29.90 Mcum	1056 Mcft
12	Water Utilisation		
	Irrigation Purpose	15.85 Mcum	560 Mcft
	Drinking water purpose	3.35 Mcum	118 Mcft
	Losses	10.85 Mcum	383 Mcft
13	Total length of Bund	5385M.	179+15 Chains
14	Length of over flow masonry portion	134.50 m	4.48 Ch.
15	Length of earthen dam section	5250.50 M	175.02 Ch.
16	Full tank level	350.50 M	1150 Ft.
17	Maximum water level	351.00 M	1153.28 Ft
18	Top bund level	354.70 M	1163.77 Ft
19	Maximum flood discharge	2294.0 cumec	70670 Cusec
20	Flood lift	0.50 M	1.64 Ft
21	Free Board	3.70 M	12.13 Ft
22	Top width of earthen Dam	6 M	19.68 Ft
23	Type of overflow spillway section	Masonry (Chute spillway)	Masonry (Chute spillway)

S.No.	Items	M.K.S. Unit	F.P.S. Unit
24	Sluice sill level	346.50 M	1136.81 Ft.
25	Up stream slope of Earthen Bund	3:1	3:1
26	Down stream slope of Earthen Bund	2:1& 2.25:1(below 348.00M)	2:1& 2.25:1(below 348.00M)
27	Gross command area (GCA)	8033 Hect	19841 acres
28	Culturable command area (CCA)	7386 Hect	18243 acres
29	Irrigable area (ICA)		
	(a) Rabi	4432 Hect	10947 acres
	(b) Kharif	2216 Hect	5474 acres
	Total	6648 Hect	16421 acres
30	Intensity of Irrigation		
	(a) Rabi	60%	60%
	(b) Kharif	30%	30%
	Total	90%	90%
31	Life of Reservoir	100 years	100 years
32	Dependability	75%	75%
33	Duty of Irrigation in Rabi	301.02 Ha/Mcum	21.05 Ac/Mcft
34	Expected annual flow irrigation at 75% dependability	6647.40 Hect	16418.10 acres
35	Expected annual Bed cultivation	152 Hect	457 acres
36	No. of villages to be benefited by monthly irrigation facility	33	33
37	Maximum height of dam at the deepest portion	16.685 M	54.74 ft.
38	Deepest foundation level for spillway	338.00 M	1108.90 Ft
<u>(A) RIGHT MAIN CANAL</u>			
1	Length of canal	26.58 kms	886 Chain
2	Discharge at Head	2.06 cumec	72.79 Cusec
3	Type of canal section(Ch. 0 to Chain 886)	Trapezoidal	Trapezoidal
4	FSD	1.125 M	3.69 ft.
5	Bed width	1.20 M	4.0 ft
6	Sill level at "0" Ch	346.00 M	1134.88 ft
7	Bed slope (Gradient)	1 in 4000	1 in 4000
8	Side slope	1:5:1	1:5:1
9	G.C.A.	5963.90 Ha	14,730.83 acs.
10	C.C.A	5466.64 Ha	13,502.60acs.
11	Intensity of Irrigation		
	(a) Rabi	60%	60%

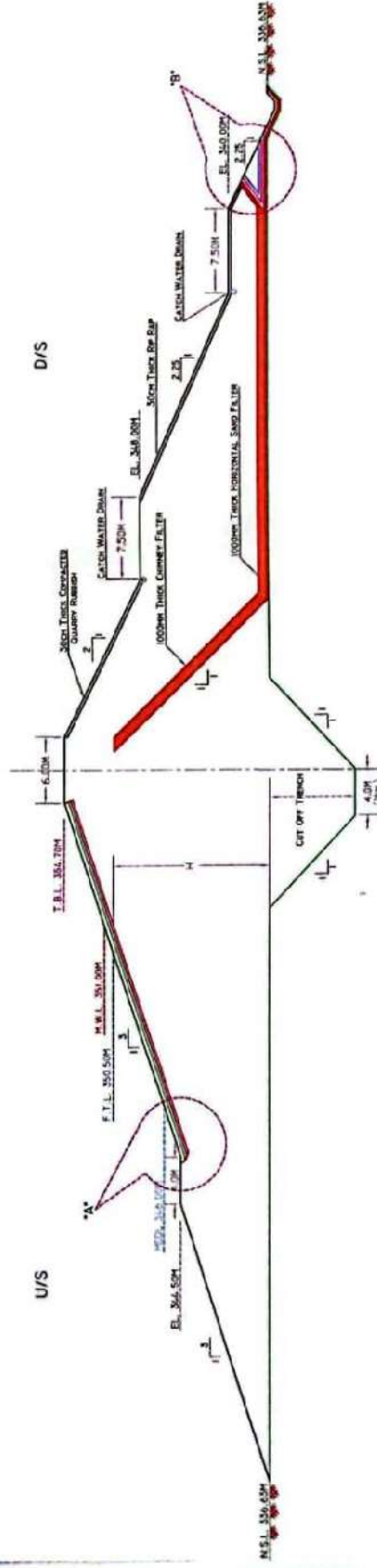
S.No.	Items	M.K.S. Unit	F.P.S.Unit
	(b) Kharif	30%	30%
	Total	90%	90%
12	Proposed Irrigation ICA	4919.97 Hect	12152.30 acres
13	Duty of Irrigation for designing of canal	0.036 Cum/100 Ha.	0.515 cusec/100acs
	<u>(B) LEFTMAINCANAL</u>		
1	Length of canal	9 Kms	Chain 300.00
2	Discharge at Head	0.401 Cumec	14.17 cusec
3	Type of canal section(Ch. 0 to Chain 300)	Trapezoidal section	Trapezoidal sec.
4	FSD	0.62 M	2.0 ft.
5	Bed width	0.60 M	2.0 ft.
6	Sill level at "0" Ch	346.00	1134.88 ft.
7	Bed slope	1 in 4000	1 in 4000
8	Side slope	1:1	1:1
9	G.C.A.	1321 Hect	3236 acres
10	C.C.A	1205 Hect	2976 acres
11	Intensity of Irrigation		
	(c) Rabi	60%	60%
	(d) Kharif	30%	30%
	Total	90%	90%
12	Proposed Irrigation ICA	1084.50Hect	2678.7 acres
13	Duty of Irrigation for designing of canal	0.036 cumec per 100 Hect	0.515 cusec/100 acres

**EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIV.,KOTA**



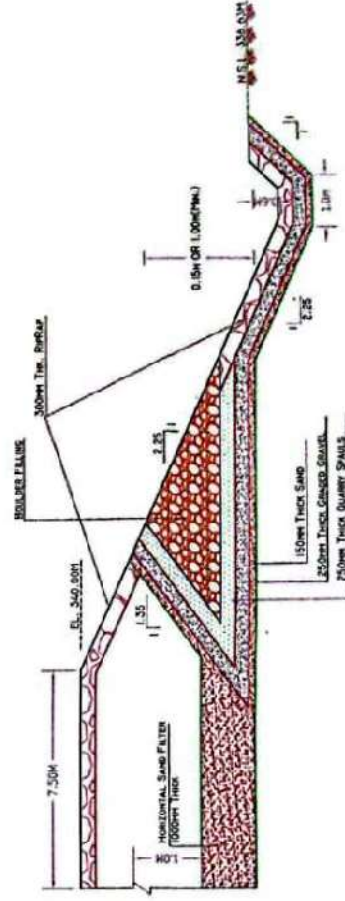
TYPICAL CROSS SECTION OF EARTHEN DAM FOR TAKLI IRRIGATION CUM DRINKING WATER SUPPLY PROJECT

TEHSIL : RAMGANJMANDI DISTT: KOTA



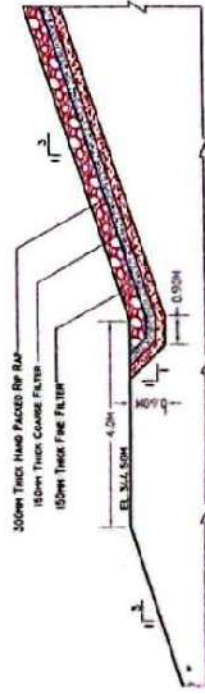
X- SECTION AT DEEPEST PORTION OF EARTHEN DAM AT CH:123

(SCALE 1CM=2.0M)



DETAIL AT 'B'

(SCALE 1CM=0.50M)



DETAIL AT 'A'

(SCALE 1CM=0.50M)

VETTED BY			
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER IRDR VR UNIT JALPUR			
A.EN(CMD)/DR	E.E(CMD)/DR	DIRECTOR/DAM/IR	C.E. IRDR

TAKLI MEDIUM IRRIGATION PROJECT, KOTA
VILLAGE-WISE COMMAND AREA

(A) Right Main Canal :-

S.No.	Village	Total C.C.A. (In Ha.)
1	Barodiya kallan	363.31
2	Bhagwanpura	157.28
3	Bhaloo	256.4
4	Budh Khan	400.22
5	Chechat	807.8
6	Dhakiya	309.42
7	Dhaipura	275.53
8	Dharupura	258.85
9	Ganeshpura Kalan	237.17
10	Gudhala	331.49
11	Gumanpura	312.02
12	Hamau	175.62
13	Ishwarpura	112.21
14	Zalimpura	22.5
15	Kanwarpura	87.9
16	Kherli	216.57
17	Kotri	107.45
18	Meeniyakheri	58.49
19	Morak	254.54
20	Mukundpura	111.34
21	Pipalda	165.56
22	Rajookhera	326.62
23	Saleda Kallan	414.49
24	Sahrawada	3.22

(B) Left Main Canal :-

25	Sohanpura	202.56
26	Raikhera	430.1
27	Motipura	129.79
28	Hatiyakheri	340.63
29	Borina	205.95
30	Saledakhurd	60.41
31	Chanderpura	411.63
32	Jagpurakhurd	165.48
33	Kaylakhedi	107.67
	Dhakiya (Common)	7.12
	Total C.C.A. (In Ha.)	7800.0

Check List for seeking information from the State Governments in the context of preparedness for south west Monsoon-2025

TAKLI DAM

S.No.	Essential Items	Availability
1.	<u>Vulnerability Assessment :</u> Whether a profile of the various districts vulnerable to different disaster has been prepared. This include vulnerability assessment, past history, geographical feature and the impact and intensity has also the damage of the past disasters. Based on this, whether a list of most vulnerable village- district wise has been prepared.	No vulnerable disaster has been occurred in past. No any warning from other Department about vulnerability. Although low lying area has been identified and marked.
2.	<u>Warning System :</u> Whether a review of the existing Warning and Forecasting system has been made in the context of floods, heavy rains and cyclone in association with concerned Department of the State Government and the Government of India office located in the State, This include Indian Meteorological Department (IMD), Central water Commission, All India Radio, Local Sirens and other traditional means.	Yes, with Real Time Data Acquisition System (RTDS)
3.	<u>Emergency Response Activities :</u> (i) <i>Coordination:</i> Whether State and District level coordination committees have met and reviewed the preparedness with all concerned. (ii) <i>Rapid Damage Assessment:</i> Whether the mechanism for rapid assessment of damage has been put in place. The rapid damage report is required to be prepared immediately and forwarded to all concerned including State Government and Control Room of Ministry of Home Affairs (MHA.) (iii) <i>Maintenance of Essential Services:</i> During disaster like flood, heavy rains, cyclone, the first causality is the essential services like power, Tele communications, Roads Whether Coordination meeting has been organized with these Department to ensure the immediate restoration of the these services in the event of disruption due to floods cyclone. (iv) <i>Stocking of essential commodities:</i> Whether adequate stock of essential commodities like food grains, kerosene oil, salt edible oil etc. have been made at different places. (v) <i>Medicine:</i> Whether review of availability of essential medicines, needed in the wake of floods and heavy rains for likely diseases like diarrhea have been	Yes Does not Pertains to this office. Yes Yes Done by CMHO, Kota

	adequately stocked at various vulnerable centers. (vi) Arrangements of Drinking Water: Whether position has been reviewed with all concerned for ensuring supply of safe drinking water during crisis period. This includes transportation of drinking water. (vii) Temporary Shelters: A list of the shelters identified for organizing relief camps for persons evacuated from the low laying areas has been made whether adequacy of these shelters have reviewed and plan for putting up temporary shelters put in place. These includes arrangements for organizing relief camps like provision of essential food, drinking water supply, sanitation, medicines etc.. Whether provision for shelter material like tarpaulin tents have reviewed.	Yes To be provided by respective Panchayat Samiti / Public administration
4.	<u>Pre Contract :</u> Whether a list of relief material required during emergency response phase has been prepared based on the past experience. This Ministry had advised the State Governments to enter into pre contract for the items which are not available with the State Government and required in bulk. This will ensure the timely availability of relief items.	Yes
5.	<u>Evacuation Plan:</u> Based on the vulnerability assessment, whether evacuation plan for the persons residing in the low lying areas has been drawn up. These include identification of places, means of transportation, evacuation route.	Yes
6.	<u>Activating of Control Room :</u> Whether Control Rooms at vulnerable districts and State Headquarters have been activated with adequate number of trained personnel and equipment.	Control room established at Takli dam
7.	<u>Search and Rescue Teams :</u> How many search and rescue teams in the State have been trained and equipped for floods/ heavy rains. Whether the procedure for their deputation at short notice has been finalized. Whether search and rescue teams of your State can be deputed to the neighboring States, during crisis period ?	Pertains with relief department.
8.	<u>Procurement of Search, Rescue and Evacuation equipments :</u> The State Government had been informed about the decision of the Government to permit the procurement of essential search, rescue and evacuation equipment including communication equipment subject to a ceiling of 10 per cent of the CRF allocation of the year in accordance with spirit of the extant items and norms of assistance from CRF. State Government is requested to indicate the list of such equipments purchased out of CRF account.	Pertains with relief department.

9.	<u>Installation of Public Utility Four Digit Code Telephone :</u> The State Governments were requested to install Public Utility Four Digit Code telephone at the office of the Relief Commissioner and District Collectors. The existing norms for assistance from CRF/NCCF were modified to provide installation of public Utility Four Digit Code Telephone (calls not metered) out of the corpus of CRF. The State Governments are requested to indicate the status of installation of these telephones at the State/ District Headquarters.	Not Installed
10.	<u>Emergency Support Function (ESF plan for Emergency Response in States/UTs :</u> Ministry of Home had requested all the States/ UTs to draw up a ESF plan based on the model ESF Plan formulated at National level. This plan was required to be reviewed periodically. Whether State Government has formulated the ESF Plan. If yes, a copy of the same may be sent to the Ministry of Home Affairs (MHA). If not, the latest status in the matter may be indicated.	Pertains to Administration Department
11.	<u>Transparency in Relief Operations:</u> The Ministry of Home Affairs, had been requesting the State Governments that a list giving the details of the beneficiaries with their name and address along with quantity/ volume and quantity of relief distributed may be prepared and made available to the local representatives of the public in panchayats and	Pertains to Administration Department/Relief Department

**EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIVISION,KOTA**

Heavy Floods in Kota, its effect and Management (2019)

As per Indian Metreological Department, South East part of Rajasthan i.e.Kota Zone gets an average monsoon rainfall of 762.38 mm. Against this, the Zone has already receive 1363.85 mm till 10.10.2019 this year which is 78.92 % in excess. District under the zone Kota, Baran, Bundi and Jhalawar individually already gets excess rainfall of 69.78%, 59.63%, 87% and 98% respectively.

Gandhi Sagar Dam (Mandsaur), Rana Pratap Sagar Dam (Chhitoregarh), Jawahar Sagar Dam (Bundi) and Kota Barrage (Kota) collectively formed Chambal Valley Project which is the biggest irrigation project of Kota Zone. These four dams have collectively received 10408.2 MCum of water to their Gross storage capacity and excess water received had been released downstream of Kota barrage which is 13896 MCum (133.3% of total storage) till 10.10.2019.

Due to continuous heavy rainfall in the catchment area of Gandhi Sagar Dam, 19487 cusecs of water was being released from it at water level of 1311.32 feet on 12.09.2019. The outflow increased with passage of time and on 14.09.2019 at 3:00pm, 482503 cusecs of water was being released from Gandhi Sagar dam at water level of dam as 1311.97 feet. Hereto as timely measure., Kota Barrage was releasing 594216 cusecs of water keeping level of Barrage as 850.20 feet At 6:00 pm, water level of Gandhi Sagar dam surpassed its Full Tank Level (FTL) i.e. 1312 feet. At this moment, inflow in the dam increased to 859454 cusecs against the then outflow of 501027 cusecs. Now, all gates from these four dams have been opened to their fullest. Inflow in Gandhi Sagar dam increased continuously. The higher official of WR Kota Zone were in regular communication with Gandhi Sagar authorities and keep receiving information of inflow/outflow and level increased of Gandhi Sagar dam. The inflow in Gandhi Sagar dam abruptly increased to 14 Lakh cusecs at 9:00pm on 14.09.2019 which was reported to be 1603157 cusecs within one hour. With this inflow, level of Gandhi Sagar dam raised to alarming level of 1318.87 feet and remains almost constant whole night.

The effect of maximum inflow of 1631761 cusecs in Gandhi Sagar dam remained till 17.09.2019 on all three dams downstream to it. As a result Kota Barrage released 709050 cusecs of water, maximum till date in its history on 16.09.2019 at 8:00 am.

Low lying habitation downstream of Kota Barrage on both flanks gets impounded on release of water from Kota Barrage in excess of 2.00 lakh cusecs. The release of 205829 cusecs at 11:00 am on 12.09.2019 from Kota Barrage continuously increased to **709050 cusecs at 12:00 noon on 15.09.2019, remains almost constant till 16.09.2019, gets downward trend and becomes 627672 cusecs at 4:00 am on 17.09.2019 then reduced to 187754 cusecs on 18.09.2019 at 6:00 am.** As a result, low lying areas downstream of Kota Barrage remains flooded from 12.09.2019 to 17.09.2019. The collective discharge from main rivers like Chambal, Kalisindh, Parwan, Parwati and their tributaries was also reportedly been in tune of about 20 lakh cusecs on 16.09.2019

Even under these adverse conditions, departmental Engineers were constantly in contact with District and Police administration and regularly updated them about inflow-outflow of Kota Barrage and possible increase of water level in low lying areas well in time, enabling them to timely evacuated habitants and livestock from this area. Due to these timely efforts, no casualty was reported and district administration praised the sensible efforts of department for release of water.

District Collector Kota on 25.09.2019, briefed the Rajasthan Patrika newspaper about the depth of the flood passed.

कोटा जिले में गत वर्षों में वर्षा एवं जल भराव की स्थिति

कोटा जिले में मानसून सत्र में औसत 746.00 मिमी वर्षा होती है मानसून 2022 में दिनांक 30.09.2022 तक 1154.6 मिमी वर्षा हो चुकी थी। जिले में 01 जून से तब तक हुई कुल वर्षा औसत वार्षिक वर्षा से 54 प्रतिशत अधिक है।

जिले के दो बड़े बांध सावन भादो एवं अलनिया में पानी की आवक अपनी पूर्ण भराव क्षमता तक आवक हो गई है तथा वर्तमान में पानी की आवक जारी है।

कोटा बैराज से भराव क्षमता में पानी की आवक के अनुसार नियंत्रित तरीके से बैराज के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। दिनांक 24.08.2022 को बैराज से अधिकतम 5,20,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है जिससे कोटा शहर के निचले क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है तथा सभी बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचा दिया गया है। दिनांक 16.09.2019 को अधिकतम निकासी 7.09 लाख की गई थी।

जिले में लगातार वर्षा के फलस्वरूप कैथून नगर पालिका क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई परन्तु वर्तमान में स्थिति में सुधार है। कालीसिंध नदी में झालावाड़ जिले में स्थित कालीसिंध बांध से अधिकतम आवक 6,46,609 क्यूसेक दिनांक 23.08.2022 व अधिकतम निकासी 6,46,609 क्यूसेक दिनांक 23.08.2022 को की गयी। अन्य सहायक नदियों आहु, अमझार में लगातार पानी की आवक के कारण कोटा जिले में कालीसिंध नदी पर कोटा इटावा मार्ग पर बड़ोद पुलिया पर मार्ग गत 3 दिन से बाधित हुआ है तथा दीगोद उपखण्ड के गांव बालापुरा व मोहम्मदपुरा में चम्बल व कालीसिंध नदी में पानी की आवक को देखते हुए मोहम्मदपुरा गांव के निवासियों को सुरक्षित स्थल पर पहुंचा दिया गया है तथा सांगोद उपखण्ड में थूनपुर, करीरिया, राजगढ़, गाटोल एवं कनवास उपखण्ड के हरिपुरा मांझी व काठोन गांव प्रभावित हुये।

इटावा क्षेत्र में पार्वती नदी में मध्य प्रदेश के गुना जिले एवं राजस्थान के बारां जिले में हुई भारी वर्षा से पानी की अप्रत्याशित आवक के कारण खातोली श्योपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया है तथा खातोली व छापोल के आसपास का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इटावा क्षेत्र में चम्बल व कालीसिंध नदी के किनारे बसे गांव नारायणपुरा, नवनेरा, खरवण, खीरपुरा, ढीवरी चम्बल, ककरावदा, मियाणा व नीमोला व गैंता में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें प्रशासन द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।

दिनांक 23.08.2022 को परवन नदी शेरगढ़ पिकअप वियर से 3,56,991 क्यूसेक पानी की निकासी की गई जिससे बारां झालावाड़ मेगा हाईवे की पुलिया पर आवागमन बाधित हुआ है।

झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर स्थित भीमसागर बांध से दिनांक 22.08.2022 को बांध के गेट खोलकर 24522 क्यूसेक पानी की निकासी की गई जिससे कोटा जिले के सांगोद कस्बे व किनारे पर स्थित गांव हिंगी में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। हिंगी बालिका आवासीय विद्यालय से सभी छात्राओं को सुरक्षित स्थान

पर पहुंचा दिया गया है। वर्तमान में भीमसागर से जल निकास बंद कर दिया गया है तथा निचले क्षेत्रों में जल स्तर में गिरावट आ रही है। जिला प्रशासन स्थिति पर नजर बनाये हुए है तथा आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किये गये है।

कोटा जिले का संक्षिप्त विवरण

कोटा जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5217 वर्ग किमी. है।

- जिले में बहने वाली नदियाँ :-

कोटा जिले का समस्त क्षेत्र चम्बल नदी के जल ग्रहण में स्थित है, एवं जिले में बहने वाली मुख्य नदियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०स०	नदी का नाम	कोटा जिले में लम्बाई कि०मी० में	कोटा जिले में उद्गम/प्रवेश का स्थान
1	चम्बल	150.00	बोराबास
2	अलनियाँ	57.70	मुकन्दरा पहाड़
3	कालीसिंध	75.00	चैनपुरा
4	उजाड़	53.00	जोलपा
5	आहू	43.00	सुकेत
6	तकली	18.00	जूनिया
7	अमझार	35.00	मुकन्दरा पहाड़
8	आरू	55.00	मुकन्दरा पहाड़
9	पारवती	22.00	फूसोद
10	परवन	45.00	बपावरकलां

- उपलब्ध जल :-

कोटा जिले की औसत वार्षिक वर्षा (746 मिमी.) के आधार पर उपलब्ध सतही जल 866.76 मिलियन घन मीटर है। जिले में परियोजनाओं द्वारा जल की 267.47 मिलियन घन मीटर पानी का उपयोग कर लिया गया है।

- जिले की निर्मित सिंचाई परियोजना :-

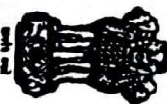
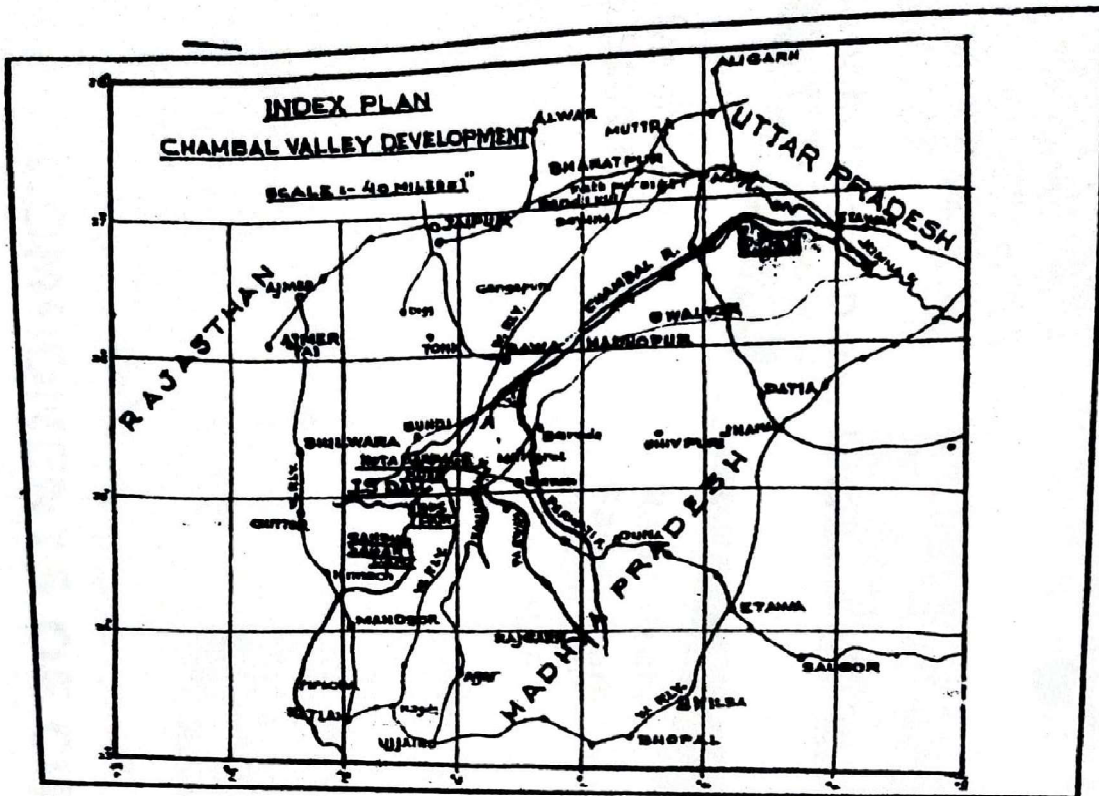
क्र.स.	विवरण	भराव क्षमता (मि.घन.मी)	सृजित सिंचाई क्षमता (है०)
1	वृहद सिंचाई परियोजना (कोटा बैराज) सीएडी	112.06	104000
2	मध्यम सिंचाई परियोजना	73.65	13732
2.A	सावन भादो मध्यम सिंचाई परियोजना, कनवास	29.92	5850 (19 गांव)
2.B	अलनिया मध्यम सिंचाई परियोजना, लाड़पुरा	43.73	7882 (40 गांव)
3	लघु सिंचाई परियोजना (8 नं.)	8.11	1126.00
4	चम्बल लिफ्ट योजना (4 नं.)	-	7312.00
	योग	267.47	139213.86

Chambal Valley Project brief introduction

Chambal river is a tributary of river Yamuna, it originate from Mhow town near Manpura, District Indore in Madhya Pradesh. It flow to a length of about 965 Km before it merge into river Yamuna. It is considered to be one of the pollution free river in central India.

Chambal Valley Project across river Chambal was conceptualized before Independence of India and survey work for the project was reportedly completed by year 1935. Construction of Gandhisagar dam and Kota Barrage were started in year 1952&1953 and had been completed by year 1960. There after Ranapratap Sagar dam in 1970 & Jawahar sagar dam in year 1972 completed and started functioning. These four dams constituted Chambal Valley Project which feeds about 458000 Ha of Rajasthan and Madhya Pradesh from two main canal originated from Kota Barrage. The key hydraulic data of the dams under Chambal valley project are as under:

S.N.	Description	Gandhi Sagar	R.P.S. Dam	J.S. Dam	Kota Barrage
1	Coordinates	24°55'3.02" N 75°34'5.28" E	24°53'0" N 75°35'00" E	25°03' N 75°41' E	25°10'E 75°50 N
2	Catchment Area (Sq. Km.)	22533	24864	27195	27454
3	River	Chambal	Chambal	Chambal	Chambal
4	Distance from origin	392 Km	444 Km	470 Km	499 Km
5	Height of Dam	209 Ft.	177 Ft.	147 Ft.	122.50 Ft.
6	Length at Top	1685 Ft	3750 Ft	1102 Ft	1810 Ft
7	MWL	399.90 mtr. 1316.00 Ft.	354.27 mtr. 1162.00 Ft.	300.84 mtr. 987.00 Ft.	260.90 mtr. 856 Ft.
8	FRL MWL	1312.00 Ft.	1157.50 Ft.	980.00 Ft.	854.00 Ft.
9	TBL	403.60 mtr.	357.32 mtr.	EL. 303.89 mtr.	262.90 mtr.
10	Crest Level of Dam	391.80 mtr. (1285.43 Ft.)	344.36 mtr. (1129.50 Ft.)	285.29 mtr. (936.00 Ft.)	24.50 mtr. (812.00 Ft.)
11	Sluice level of Dam	363.77 mtr. (1193.50 Ft.)	319.12 mtr. (1047 Ft.)	-	236.22 mtr. 775 Ft.)
12	Deepest Foundation		303.37 mtr. (995.00 Ft.)	259.08 mtr. (850.00 Ft.)	225.25 mtr. (739.99 Ft.)
13	River Bed level	341.37 mtr. (1120.00 Ft.)	317.07 mtr. (1040.00 Ft.)	265.17 mtr. (850 Ft.)	227.38 mtr. (745.99 Ft.)
14 A	Gross storage capacity (MAFT)	6.85	2.35	.36	.09
(i)	At FRL (Mcum)	8449.33	2898.69	67.08	112.06
(ii)	At MWL (Mcum)	8449.33	3170.31	92.10	116.44
14 B	Dead Storage Capacity (Mcum)	826.43	1332.16	51.08	42.23
14 C	Live Storage Capacity (Mcum)	7622.90	1566.53	16	69.83
15	Type of Dam	Masonry Gravity Dam	Masonry Gravity Dam	Concrete Gravity Dam	Earth dam in river portion and Concrete on the flank
16	Type Spillway	Ogee Shaped	Ogee Shaped	Ogee Shaped	Ogee Shaped
17	Spillway Capacity	450000 Cusecs	650000 Cusecs	750000 Cusecs	750000 Cusecs
18	Reserve Type	Storage	Storage	Pick-up	Diversion
19	No. & Gate Size / Sluice gate	10 Nos. vertical Gate-60'X28' 9 Nos. Sluice gate 10'X25'	17 Nos. Vertical gate - 60'X28' 4 Nos. Sluice gate - 9'X11'	12 Nos. Redial gate- 50'X44'	19 Nos. Redial gate- 40'x42' 2 Nos. Sluice gate 8.85'X10.82'
20	Average Monsoon Rainfall (C.m.)	86.36	81.3	81.3	81.00
21	Hydel power	4x23 MW (92 MW) 1x27MW (27MW) Total= (119MW)	4x43 MW (172 MW)	3x33 MW (99 MW)	No hydel power.
22	Canals				80 Miles
(A)	RMC	225 Miles			65 Miles
(B)	LMC	2 Miles			
22	Command area (Ha.)				29920000
(i)	Gross Command area	-	500	0	8360805
(ii)	Culturable Command area	-	442	0	
(iii)	Irrigated Command area	-	300	0	5665598



Chambal originates RL 843 m (2766 ft)

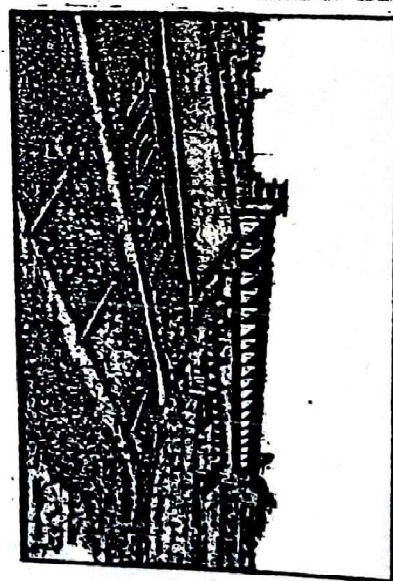
MP - 346 km
RJ - 225 km
MP - 217 km
MP - 145 km
UP - 32 km of Rajasthan at junction.

Total length of river - 960 km

CHAMBAL VALLEY DEVELOPMENT
at junction.

Irrigation Department Inaugurated

— (20 Nov. 1960) —



KOTA BARRAGE

Addl. Chief Engineer, Irrigation Zone,
Kota (Rajasthan)

COMPONENTS OF CHAMBAL River Valley Project



Gandhi Sagar Dam

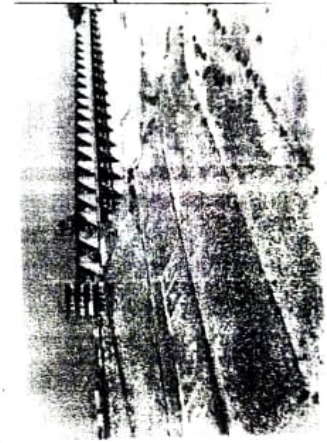
Live storage:
5.5109 MAF



**Rana Pratap
Sagar Dam**
Live Storage:
1.1856 MAF

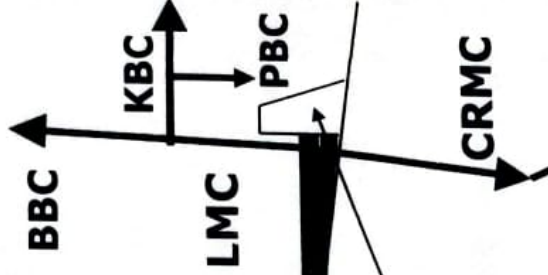


**Jawahar Sagar
Dam**



**Kota
Barrage**

**CCA in Rajasthan
1.02 Lac Ha**
Kota & Bundi District



**CCA in Rajasthan
1.27 Lac Ha**
Kota & Baran District
**To Madhya Pradesh
To Madhya Pradesh**

COMPONENTS OF CHAMBAL River Valley Project

EMERGENCY ACTION PLAN TO MEET THE FLOOD SITUATION DUE TO KOTA BARRAGE 2025-2026

Kota Barrage is the last hydraulic structure of the series of Dams constructed on the River Chambal. Kota Barrage consist 247 m long earthen dam 37 meter height and 305 meter long spillway with 19 vents of 40'x42' with radial gates to pass a maximum discharge of 7.50 lakh cusecs and two under sluice of 9'x11' each. Kota Barrage feed Right Main Canal and Left Main Canal of Chambal command system.

During the monsoon runoff after absorption by the U/s reservoirs is passed through spillway of Kota Barrage by operating radial gates. The spillway has been designed for a maximum flood discharge of 7.50 lacs cusecs. Consequent upon passing of 7.50 lacs cusecs flood discharge the U/s water level will be 856.00 ft and the tail water level will be 820.00 ft in the Chambal River at D/s of Barrage. In these circumstances the water can be entered in the populated area nearby Chambal river banks and affected due to this flood.

Effect of flood on area D/s of Kota Barrage

A table showing the locations and levels up to which the area is likely to be submerged, or effected at various discharge levels enclosed herewith, it is also submitted to the District Administration and Nagar Nigam Kota in pre monsoon session every year.

Flood can damaged the area when the discharge increase to 3.50 lac cusecs and more, as tail water level rises to 807 ft and enters in the city areas at various places listed as under

(a) Mathuradhish Ghat	25°10'46"N 75°49'55"E
(b) Shav Dah Ghat	25°11'07"N 75°50'14"E
(c) Karbala Area/Jama Maszid	25°10'53"N 75°50'06"E
(d) Nayapura Bus Stand	25°11'39.5"N 75°50'56"E
(e) Khai Road area	25°11'37.5"N 75°50'52"E
(f) Ganwari Kachhi Basti	
(g) Balita Basti Area/Bapu Nagar	25°11'56"N 75°50'35.0"E
(h) R/S Approach Road of Barrage Near School.	25°10'34"N 75°49'00"E

Approximate D/s levels at various discharges and likely to be submerged area shown in the table. The High flood levels have been marked in flood prone area of the city.

When discharge from Kota Barrage exceeds 4.00 lacs cusecs flood water affects in Kota, Bundi, Dholpur in Rajasthan and Bhind, Morena, Sheopur District in Madhya Pradesh. Advance information is given to all the above District Authorities to warn public through District Collector, Kota by wire less system of ADF.

Action Plan:

- Earth filled bags will be stacked at earthen bank of Kota Barrage before monsoon for emergent requirement.

- b) One control room functions at Kota Barrage for 24 hours daily during flood seasons from 15th June to 30th Sept. round the clock. Functioning is ensured by Junior Engineer. One Basic telephone No. 2370984 Mobile No. 6377338153 is provided at control room, which requires special attention of P&T department for its continuous functioning. One wireless set is also installed for communicate the flood message from dams located on U/s and passing the flood message to civil authorities. A saurian already is available at Kota Barrage for passing warning signal to the inhabitants in 2 Kilometer radius regarding opening of gates of Kota Barrage to pass the flood discharge.
- c) Telephone message is passed prior to every operation of gate of Kota Barrage to flood control cell WRD Jaipur, WRD Zone, Kota, District Collector, Kota, Nagar Nigam Kota, S.P. Kota
- d) In case of discharge of more than 3.00 Lacs cusecs, a message in writing in prescribed proforma is also conveyed from flood control room through emergency vehicle. Incase discharge of 4.00 lacs cusecs and more passed from Kota Barrage the flood warning for evacuation and a hooter is required for inhabitants of following areas :
- | | |
|---|-------------------------|
| (a) Mathuradhis Ghat | 25°10'46"N 75°49'55"E |
| (b) Shav Dah Ghat | 25°11'07"N 75°50'14"E |
| (c) Karbala Area/Jama Masjid | 25°10'53"N 75°50'06"E |
| (d) Nayapura Bus Stand | 25°11'39.5"N 75°50'56"E |
| (e) Khai Road area | 25°11'37.5"N 75°50'52"E |
| (f) Ganwari Kachhi Basti | |
| (g) Balita Basti Area/Bapu Nagar | 25°11'56"N 75°50'35.0"E |
| (h) R/S Approach Road of Barrage Near School. | 25°10'34"N 75°49'00"E |

Evacuation Plan to Shift Affected Peoples

- e) Shelter places has been indentified for evacuated areas are as under :
- Inhabitants of Mathura Dheesh Ghat and Jama Masjid area residents can be given shelter in Government Gandhi School Rampura, Manak Bhawan and Patan Pole etc.
 - Shiv Dass Ghat area people can be given shelter in Jankilal Gaurilal Dharmshala and Mahatma Gandhi School Rampura.
 - For the people of Karbala area, Middle School Ladpura could be used.
 - For Khai Road Ladpura and Nayapura, Harijan Basti, Govt. Girls Middle School and vocational secondary school Nayapura can by utilized.
 - For Dostpura and Gavri area Govt. Middle School in Civil lines can be utilized.
 - For Balita area in Kunhari Samudayik Bhawan UIT, Kota
- f) The arrangement to shift the flood affected persons can be made through the police and Nagar Nigam.

- (g) Boat and other equipment are available with Nagar Nigam and can be called in case of emergency.
- (h) Dual power connection from JVVNL Kota is installed for operating the gates of Kota Barrage. In addition to this one diesel generating set is also available at Kota Barrage, which is adequate for operation of gates of Barrage. In case of power failure from these sources manual operation is also alternatively available.
- (i) Medical aid is to be arranged by the Emergency.
- (j) The following important Telephone of officers/ official area to be maintained by the P&T Department during floods on top priority.

List Of Flood Cell Staff

Name	Office	Mobile No.
Sh. Dayal Ram Meena Chief Engineer, W.R. Zone Kota	2326915	9414334188
Er. Sunil Gupta S.E. RPS & JS Dam Circle	2327785	9414376618
Er. Arun Kumar Meena Executive Engineer,C.P. Division	2327211	9414844215
Er. Neeshu Gupta Asstt. Eng. & TA	2327211	8107978165
Er. Shashank Awasthi AEN Civil Sub Dn. Barrage	-	7073495925
Er. Nitesh Verma AENMech. Sub Dn. Barrage.	-	9462639706
Er. Garima Bairwa Junior Engineer C.P. Sub Dn.	-	8209432120
Er. Phulanta Junior Engineer C.P Sub Dn.	-	7877058929
Er. Harsha Barthuniya Junior Engineer C.P Sub Dn.		8209894521
Er. Rajendra Kumawat Junior Engineer Mech. Sub Dn.	-	7014513300
Er. Pushpendra Agrawal Junior Engineer Mech. Sub Dn.		9887510064
Er. Neelam Saini Junior Engineer Mech. Sub Dn.	-	9636356538
ADF Wireless	0744- 2350009	
District Flood Cell	0744- 2323557	
W.R. Zone Flood Cell	0744- 2320851	
UIT Flood Cell	0744- 2500733	
Nagar Nigam Flood Cell	0744- 2392201	

Salient Features of Kota Barrage

S.No.	Particulars	Description
1.	Location	Near Kota City in Rajasthan Across river Chambal
a)	Longitude	75 ⁰ 49' 34" E
b)	Latitude	25 ⁰ 10' 35" N
2	Commencement	Sept. 1953
3	Completion	Nov. 1960
4	Catchment	27454.00 Sq.Km.
5	Rainfall	81 cm (Average)
6	Storage Capacity	
a)	Gross Capacity	112.05 M.Cum
b)	Live Storage	69.83 M.Cum.
c)	Dead Storage Capacity	42.22 M.Cum
7	Length of Dam at Top	551.68 M.
8	Height of Dam	37.30 M
9	Nature of Dam	Earthen Dam with gated spillway
10	Area of submerged at F.R.L.	5.82 Km.
11	Average Bed Level	RL 227.38 M (746.00 ft.)
12	Crest of Spillway	RL 247.50 M (812.00 ft.)
13	Full Reservoir Level	RL 260.30 M (854.00 ft.)
14	Maximum Water Level	RL 260.90 M (856.00 ft.)
15	Top of Dam	RL 262.88 M (862.00 ft.)
16	Designed flood Discharged	21237 Cumces (7.50 lacs cusecs)
17	Spillway	Length 305.00 M
a)		Radial gates 19 Nos. 12.20 Mx12.80 M.(40'x42')
b)		Sluice gates 2 Nos. 2.70 Mx3.30M (9'x11')
18	Power	No Hydro power

List of T&P Available Kota Barrage

S.No.	T&P	Total
1	Torch	1
2	Boat	1(Damaged condition)
3	Pick axe	25
4	Phawara	5
5	Tagari	10
6	Umbrella	4
7	Raincoat	4
8	HSD	100 Ltr.
9	Earth filled bags	10

Check List in the context of preparedness of **South west Monsoon 2025**

1. Vulnerability assessment;

Flood affected areas of Kota city situated on the right bank of Chambal River D/s of Kota Barrage has been identified and marked on the plan. Details of flooded affected areas at different discharges has been prepared and enclosed with contingency plan for ready reference.

2. Watering System;

At Kota Barrage siren has been installed and is in order and being operated well before operation of gates to warn public before release of discharge from gates of Kota Barrage.

3. Emergency Response Activities;

(i) Coordination;

Flood control cell at Kota Barrage remains in close coordination with District administration, Police department, Collectorate, Flood cell at Jaipur, Nagar Nigam Kota, UIT Kota. All concerned Police stations are being informed well in time before release of water from Kota Barrage to alert public of affected areas to reach at safe place.

(ii) Rapid damage Assessment.

Normal flood damages report is being prepared after Post Monsoon and submitted to higher authorities D/s water level during release of water from Kota Barrage is being monitored regularly during flood. D/s gauges have been marked at suitable locations and have been repainted.

(iii) Maintenance of essential Services;

During flood this office remains in close coordination with Power department , BSNL so that uninterrupted power supply is made available at Kota Barrage and tele communication services i.e. basic telephone services is provided by BSNL uninterrupted.

(iv) Stocking of essential commodities:

For safety of Kota Barrage essential stocks like sand bags duly filled are kept at earthen dam. Other items like, Pick axe, Phawra and tagaries etc are procured.

(v) Medicines :

Medicine will be provided by the Medical and Health Department.

(vi) Arrangement of drinking water:

Drinking water facilities are available at Kota Barrage.

(vii) Temporary Shelters;

Relief camps arrangements are being done by Nagar Nigam Kota

4. Pre Contract :

Relief camps arrangements are being done by Nagar Nigam Kota

5. Evacuation Plan :

Identification of places for the persons residing in low lying areas has been marked.

6. Activating of control room :

Control room at Kota Barrage functions round the clock in three shifts with trained technical personnels

7. Search and Rescue teams:

Search and Rescue team from Nagar Nigam.

8. Procurement of search Rescue and Evacuation Equipments:

Procurement of search rescue evacuation equipment from Nagar Nigam. - Fire Brigade

9. Telephone and Fax facility :

There is a land line telephone at control room of Kota Barrage with no 0744-2370984. Mob 6377338153. There is no fax facility at Kota Barrage.

10. Emergency Support function (ESF Plan for Emergency Response in States/UT's :

Does not pertain to this office.

11. Identification of Nodel officers :

The list of telephone/mobile no of officers deputed/concerned during flood is attached.

12. Rescue Team :

Contact No. **Vishnu Shringi**

9414260886, 9829133359

13. List of officer to whom intimation given during water releases from Kota Barrage

- | | | |
|--|---|------------------------|
| a) Police Control Room Kota | - | 100 |
| b) District Collector flood control room | - | 0744-2323557 / 2325342 |
| c) Zonal flood Cell | - | 0744-2320851 |
| d) SE RPS and JS Circle | - | 0744-2327785 |
| e) Wireless at Kota Barrage | - | |

Detail of affected area due to flood D/s Barrage at various discharges with location is enclosed.

कोटा बैराज से जल निष्पादन होने पर डूब में आने वाले क्षेत्र

लेवल डिस्चार्ज	822 फीट 250.55 मीटर 850000 क्यूसेक्स	820 फीट 249.94 मीटर 820000 क्यूसेक्स	817 फीट 249.02 मीटर 700000 क्यूसेक्स	815 फीट 248.41 मीटर 620000 क्यूसेक्स	809 फीट 246.58 मीटर 500000 क्यूसेक्स	807 फीट 245.97 मीटर 400000 क्यूसेक्स	801 फीट 244.14 मीटर 300000 क्यूसेक्स	795 फीट 242.32 मीटर 200000 क्यूसेक्स	786 फीट 239.57 मीटर 100000 क्यूसेक्स	783 फीट 238.66 मीटर 50000 क्यूसेक्स	774 फीट 235.91 मीटर 10000 क्यूसेक्स
निचली पुलिया चम्बल ब्रिज से नीचे जाने वाली रोड़ पर	कुन्हाडी की तरफ से बडी पुलिया पर जाने के लिए लगी सीढियों पर नीचे से आठवी सीढी तक	चम्बल ब्रिज की नीचे के रास्ते के पास पेशाब घर की दीवार पर रोड़ से 4 फीट ऊपर	चम्बल ब्रिज की नीचे के होकर जाने वाली रोड़ पर टेलीफोन के पील्लर के सामने 2 फीट ऊपर	कल्लू भाई के मकान की डीपीसी से 3 फीट ऊपर	राजकीय प्राथमिक स्कूल की बाउण्ड्री के पास रोड़ से 1 फीट ऊपर	अन्जूमन गोसिया इस्लामिया मदरसा के दरवाजे के पास बाउण्ड्री के चबूतरे से 1'-6" ऊपर	कैदार वैष्णव के मकान के निचली दरवाजे की सिल पर	पेशाब घर की दीवार पर रोड़ लेवल पर (पी.डब्ल्यू.डी.) चौकी के पास)	पुलिया से कुन्हाडी की तरफ अंतिम मुड़डी के टॉप पर	खण्डर मकान के सामने वाली मुड़डीके टॉप पर	खण्डर मकान के सामने बाउण्ड्री पर खरंजे से 1फीट ऊपर
विशेष विवरण	—	—	—	श्री जी टेन्ट हाऊस के सामने खाई रोड़ पर रोड़ लेवल पर पानी	कुशवाह जनरल स्टोर के सामने रोड़ लेवल पर	बजरंग सिंह जी के मकान के पिछली दीवार की तरफ डीपीसी 1'-6" ऊपर नीचे (बाडी की बस्ती)	—	—	—	—	—
हनुमानगढी (कुन्हाडी)	बहादुर लाल जी के मकान के सामने की सीढी पर गली के मोड़ पर	वकील सिंह के मकान के सामने वाली मकान की पहली सीढी	महेन्द्र सिंह जी के मकान पर रोड़ से 2 फीट ऊंचा	खेमराज जी के मकान की सीढी के सामने सीसी रोड़ से 2" ऊंचा	जमनालाल के मकान की दीवार पर सीसी रोड़ से 1 फीट ऊंचा	कमलेश नागर के मकान की दीवार पर रोड़ से 2 फीट ऊंचा	कमलेश नागर के मकान के पास की नाली पर रोड़ लेवल पर	गैर रिहायशी क्षेत्र	गैर रिहायशी क्षेत्र	—	—

लेवल डिस्चार्ज	822 फीट 250.55 मीटर 850000 क्यूसेक्स	820 फीट 249.94 मीटर 820000 क्यूसेक्स	817 फीट 249.02 मीटर 700000 क्यूसेक्स	815 फीट 248.41 मीटर 620000 क्यूसेक्स	809 फीट 246.58 मीटर 500000 क्यूसेक्स	807 फीट 245.97 मीटर 400000 क्यूसेक्स	801 फीट 244.14 मीटर 300000 क्यूसेक्स	795 फीट 242.32 मीटर 200000 क्यूसेक्स	786 फीट 239.57 मीटर 100000 क्यूसेक्स	783 फीट 238.66 मीटर 50000 क्यूसेक्स	774 फीट 235.91 मीटर 10000 क्यूसेक्स
बापू नगर (कुन्हाडी)	छन्नू लाल जी के मकान की डीपीसी लेवल से 1 फीट ऊपर	गोरधन लाल के मकान की डीपीसी लेवल से 1 फीट ऊपर	गोपाललाल के मकान की रोड़ लेवल से 5 फीट ऊपर	जानकीलाल के मकान के डीपीसी लेवल पर 6 फीट पानी।	गोपाल लाल के मकान के सामने रोड़ पर 3 फीट पानी।	ओमप्रकाश के मकान के सामने रोड़ पर 3.5 फीट पानी	लादूलाल के मकान के सामने रोड़ पर 3.5 फीट पानी	गैर रिहायशी क्षेत्र	गैर रिहायशी क्षेत्र	—	—
गांवड़ी के घट	नेनकी राम जी महावर के मकान की दीवार के पास रोड़ से 2 फीट ऊपर	धन्नालाल जी के मकान के पास झोपड़ी की दीवार पर रोड़ से 3 फीट ऊंचा	धन्नालाल जी महावर के गेट के पास नीचे वाली के नीचे 9 इंच रोड़ से ऊपर	बनवारी लाल जी के मकान पर खिड़की के पास रोड़ से 4 फीट ऊपर	देवीलाल जी के मकान की दीवार के नीचे रोड़ से 13वीं सीढ़ी से 1 फीट ऊपर	रोड़ से नदी की तरफ दीवार पर 3 सीढ़ी पर	नीचे से 13वीं लेन्डिंग से 2 फीट ऊपर	10वीं लेन्डिंग के बाद दूसरी सीढ़ी पर	नवी लेन्डिंग पर	छटी लेन्डिंग के ऊपर	—
दोस्तपुरा	शंकलाल माली के मकान के सामने रोड़ पर 2 फीट ऊपर	उदयसिंह शक्तावत के मकान पर रोड़ से 3 फीट ऊपर	किशन सिंह राजपूत के मकान की डीपीसी से 3 फीट ऊपर	ग्यारसीलाल पान वाले के मकान की डीपीसी लेवल से 3 फीट ऊपर	लक्ष्मण लाल मीणा के मकान के रोड़ से 1 फीट ऊपर	सुलभ कॉम्पलेक्स के फ्लोर लेवल से 2.5 फीट नीचे	रिटैनिंग वाल के टॉप से 5 फिट नीचे।	रिटैनिंग वाल के टॉप से 10.5 फीट नीचे	पिचिंग की अपरवाल से 1 फीट ऊपर	—	—
खेड़लीफाटक	रामस्वरूप के मकान की पहली सीढ़ी से 5 फीट ऊपर	भैरूलाल के मकान की पांचवीं सीढ़ी से 2 फिट ऊपर	रघुवीर सिंह के मकान पर डीपीसी लेवल से 1 फिट ऊपर	सुरेश कुमार के मकान के सामने रोड़ से 2 फीट ऊपर	नन्दकिशोर के मकान के सामने रोड़ पर 1.5 फीट ऊपर	ओम प्रकाश मीणा के सामने रोड़ लेवल पर	—	—	पहली लेडिंग से 50 मीटर ऊपर की तरफ रोड़ लेवल पर	पहली लेन्डिंग के बाद दीवार पर 1 फीट ऊपर	पानी की तरफ से चौथी सीढ़ी ऊपर
बृजराजपुरा	श्रीमती दिव्या के मकान पर डीपीसी से 1 फीट ऊपर	श्रीमती दिव्या के मकान के सामने रोड़ से 3 फीट ऊपर	—	श्यामलाल के मकान के सामने रोड़ से 2 फीट ऊपर	गोविन्दलाल भील के मकान के सामने रोड़ पर 1 फीट ऊपर	रमेश चन्द मेघवाल के मकान के सामने डीपीसी लेवल से 1 फीट ऊपर	—	—	—	—	—

Executive Engineer

CONTINGENT PLAN TO MEET THE FLOOD SITUATION DUE TO ALNIA IRRIGATION PROJECT FOR THE YEAR 2025 – 26

Alnia Irrigation Project was constructed in the year 1961-62 across river Alnia, a tributary of river chambal. The dam was raised by 0.60 M in the year 1979-80 to have Additional storage capacity 244 mcft. (6.91 m cum). The dam is masonry dam with **capacity 1544 Mcft**. The T.B.L. of dam also raised during 2005-07 by 2.01 M. with changing its storage capacity to increase discharging capacity of dam.

The site of dam is near village Shyampura 3 Km. U/s of Alnia river road Bridge on NH-76 of Kota Jhalawar road. **The maximum height of Dam 15.32 M from deepest foundation level. The total length of dam is 1752.62 M out of which 838.22 M is overflow and 914.40 M is non over flow portion.**

The Alnia dam has been taken under Dam safety programme assisted by World Bank under RWSRP the rehabilitation of non over flow of Alnia Dam is completed and the top level of Bank (T.B.L.) has raised 356.31 M. to 358.32 M (2.01 M) and flood lift also increase by 0.90 M to 1.204 M to increase maximum discharging capacity of overflow 1326 cumecs to **2605** cumecs.

- The Rehabilitation of overflow portion of dam has been completed as ogee shaped spillway. **The length of spillway** also increased by 731.52 M **to 838.22 M.** with additional arrangement of **Bywash of length 65M.**
- The Energy dissipation arrangement of overflow has been also completed.
- Presently there is no danger to safety of structure.
- The salient features of the dam are enclosed separately.

EMERGENT ACTION PLAN FOR ALNIA DAM WILL BE AS UNDER

1. One flood cell having Mobile facilities will be function at Alnia dam Sh. Umesh Kumar Sharma will be incharge of the flood cell having responsibility and authority to operate the facilities in accordance with reservoir operation procedures, regularly observe and report flood conditions to the divisional flood cell and take preventive action at the dam site in emergency. He will have responsible staff of two or more people round the clock from 15 June 2025 so that alternative person is available for notification round the clock.
2. In emergency or in flood situation, flood cell will inform to Kota barrage flood cell through Mobile.
3. Kota Barrage flood cell will inform to Water Resources Zone. Zonal flood cell Kota through wireless channel or on telephone both facilities will be available.
4. Water Resources flood cell Kota will inform to District collector Kota and to W.R. Department head. Flood cell Kota through wireless channel or Telephone. He will also inform to police chowki Mandana by available Vehical.
5. Kota Barrage Flood cell will inform to Assistant Engineer, Water Resources Sub Division, Kota Umesh Kumar Sharma by telephone massage to office No. 0744-2327211 and Mobile No.8619231364 or by special messenger Vigyan Nagar, Kota
6. Kota Barrage flood cell inform to district superintendent of police Kota through wireless channel or phones.
7. Kota Barrage flood cell will also inform to Executive Engineer Sh. Arun Kumar Meena Executive Engineer wireless or phone office 2327211, Residence No. D-1 Civil Lines, Kota Mobile No. 9414844215
8. Kota Barrage flood cell will also inform to Superintending Engineer, RPS and JS Dam Circle Kota through Telephone No. 2327785 (office) and Telephone Mobile No. 9414376618. Zonal flood cell will also inform to all concernd engineer, administration, police and control room.
9. Kota Barrage flood cell will also inform to Chief Engineer, W.R. Zone, Kota through Mobile or by special messenger.
10. All the flood cells shall be into the same wireless channel. Thus communication from one flood cell to another will be heard in all the cells.

11. Preventive action might be limited. For example access to the dam presently two approach roads are there, one is on left and another is on right bank from Jhalawar road to Alnia dam. These roads will be inundated in dam break condition.
12. Labour would have to be mobilized from Mandana village which is closely. In case of emergency. Collector who is civil administrator for the district is responsible for ordering coordinating and controlling Medical and health Kota and Nearby Dispensary at Mandana.
13. A road bridge, a pick-up weir and two railways bridges (one western railway main line and the other on Bina Kota railways line exist down stream of Alnia Dam. The location and details of these structures are given in table enclosed separately.
14. The List of important telephone No. of official of water resources department is as under.

OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER W.R. SUB DIVISION KOTA

List Of Flood Cell Staff (ALNIA DAM)

Name	Office	Mobile No.
Er. Umesh Kumar Sharma AEN Water Resources Sub Dn Kota	-	8619231364
Smt Pinky Meena, JEN	-	9785214143
Smt Nisha Regar, JEN	-	6378012646
Smt Maan Kanwar Nagar, JEN	-	9782525259
Ms Shameem Bano JEN	-	8209479781
Sh Ram Kumar, Mat	-	6375851235
Sh Mangi Lal, Mat	-	9950623829
ADF Wireless	0744- 2350009	
District Flood Cell	0744- 2323557	
W.R. Zone Flood Cell	0744- 2320851	
UIT Flood Cell	0744- 2500733	
Nagar Nigam Flood Cell	0744- 2392201	

Salient Features of Alnia Dam

S.No.	Particulars	Description	
1	Catchment Area	201.43 Sq.Km.	77.88 Sqm. Mile
2	Intercepted Catchment Area	19.43 Sq.Mile	7.51 Sq. mile
3	Free Catchment Area	182.00 Sq.Km.	70.36 Sq. mile
4	Types of Catchment	Good	Good
5	Av. Annual Rainfall	893.91 mm	35.19"
6	Estimated Normal Yield	46.27 M.cum	1634 Mcft.
7	Capacity of tank at FTL	43.71 M.cum	1544 Mcft.
8	Dead Storage Capacity	0.0079 M.cum	0.28 Mcft.
9	Live Storage Capacity	43.71 M.cum	1544 Mcft.
10	Total Length of over flow spillway	838.22 M.	2754' Ft.
11	Total length of non over flow	914.40 M.	3000 Ft.
12	Length of overflow bye wash	65M.	215 Ft.
13	Maximum flow discharge	2605 cumcs	51956 cusec
14	Flood lift	1.204 M.	4 ft.
15	F.T.L.	355.092 M.	1165 Ft.
16	M.W.L.	356.310 M.	1169 Ft.
17	T.B.L.	358.32 M.	1175.60 Ft.
18	Sluice sill level	345.034	1132.00 Ft.
19	Length of main canal & branches	32.32 Km.	20.20 Miles
20	Length of Disty and Minors	52.18 Km.	32.51 Miles
21	Discharge of canal		
a)	Right Main Canal	3.97 cumces	140.40 cusec
b)	Right Main Canal	0.26 cumecs	9.32 cusecs
22	Duty at Head	138.03 Ha./Mcum	9.65 acre/mcft.
23	G.C.A.	8986 Ha.	22196 acres
24	C.C.A.	7882 Ha.	19468 acres
25	Normal Irrigation (ICA)	5636 Ha.	13921 acres
26.	Average Irrigation	4910 Ha.	12128 acres
27.	Submergence at FTL	1210 Ha.	3000 acres
	Latitude	25".00	
	Longitude	75".88	

बांधों/नदियों में जल प्लावन से प्रभावित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	बांध/नदी का नाम	तहसील	प्रभावित गांव
1.	आलनिया बांध/नदी	लाडपुरा	श्यामपुरा, प्रहलादपुरा, रामनगर, नगपुरा, भीमपुरा, उम्मेदगंज, जालखेड़ा, डाढ़देवी, कंवरपुरा, राजनगर, नयानोहरा, हाथीखेड़ा, बोरखण्डी, अर्जुनपुरा, चन्द्रेसल, नोटाना, मानपुरा, ढाणी, बडौदिया, मवासा, बावड़ीखेड़ा रानीपुरा, अभयपुरा, लाडपुरा, कैथून, चेनपुरा, खेड़ा रसूलपुरा, भोजपुरा, चंडीदा, मंडानिया, खेड़ली, पांडे, रामखेड़ली, पीपल्दा, झालीपुरा रामराजपुरा, दसलाना।

THE WATER SURFACE ELEVATION AT THE ROAD BRIDGE, PICKUP WEAR AND RAILWAY BRIDGES IS GIVEN IN THE FOLLOWING TABLE.

Description	Location	Elevation/ TBL (M)	Water Surface Elevation (m)		
			Mtr.	Mtr.	Mtr.
Road Bridge	About 3 Km. D/s of Dam	EL 341.671	EL 340.50	EL 399.60	EL 338.60
Railway Bridge on western Railway Main Line	About 4.5 Km. D/s of Dam	EL 333.345	EL 329.60	EL 328.30	EL 326.60
Railway Bridge (Bina to Kota Section)	About 35 Km. D/s of Dam	EL 249.743	EL 251.10	EL 250.80	EL 249.10

CHAMBAL PROJECT DIVISION, KOTA

Alnia Medium Irrigation Project List of Incharge and workers

1. Name of In-charge : General Shift : Sh Umesh Kumar Sharma
2. Name of workers : 9 AM to 7PM Sh. Ram Kumar Beldar 9829585372
: 7PM to 9AM Sh. Mangi Lal Beldar 9950623829

T&P Articles to be Kept at Site

1. Mortar Pan : 50 Nos.
2. Phawara : 40 Nos.
3. Pick axe : 50 Nos.
4. Crow Bar : 5 Nos.
5. Petro max : 3 Nos.
6. Torch : 5 Nos.
7. Empty cement bags : 500 Nos.
8. Water pump/motor : Nil
9. Vehicle : Nil

Check List for seeking information from the State Governments in the context of preparedness for south west Monsoon-2025

ALNIA DAM

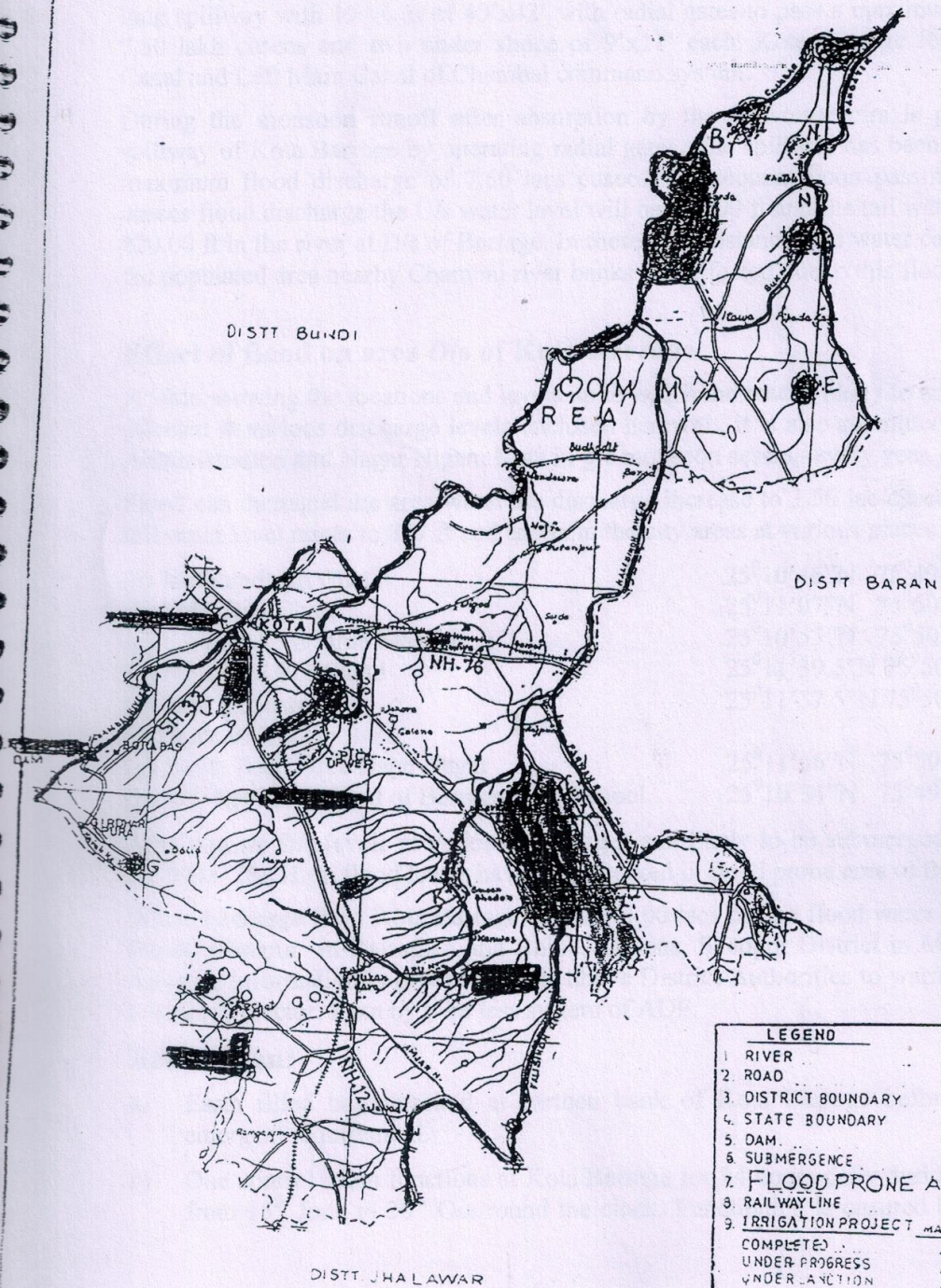
S.No.	Essential Items	Availability
1.	<u>Vulnerability Assessment :</u> Whether a profile of the various districts vulnerable to different disaster has been prepared. This include vulnerability assessment, past history, geographical feature and the impact and intensity has also the damage of the past disasters. Based on this, whether a list of most vulnerable village- district wise has been prepared.	No vulnerable disaster has been occurred in past. No any warning from other Department about vulnerability. Although low lying area has been identified and marked.
2.	<u>Warning System :</u> Whether a review of the existing Warning and Forecasting system has been made in the context of floods, heavy rains and cyclone in association with concerned Department of the State Government and the Government of India office located in the State, This include Indian Meteorological Department (IMD), Central water Commission, All India Radio, Local Sirens and other traditional means.	Not Available
3.	<u>Emergency Response Activities :</u> (viii) Coordination: Whether State and District level coordination committees have met and reviewed the preparedness with all concerned. (ix) Rapid Damage Assessment: Whether the mechanism for rapid assessment of damage has been put in place. The rapid damage report is required to be prepared immediately and forwarded to all concerned including State Government and Control Room of Ministry of Home Affairs (MHA.) (x) Maintenance of Essential Services: During disaster like flood, heavy rains, cyclone, the first causality is the essential services like power, Tele communications, Roads Whether Coordination meeting has been organized with these Department to ensure the immediate restoration of the these services in the event of disruption due to floods cyclone. (xi) Stocking of essential commodities: Whether adequate stock of essential commodities like food grains, kerosene oil, salt edible oil etc. have been made at different places. (xii) Medicine: Whether review of availability of essential medicines, needed in the wake of floods and heavy rains for likely	Yes Does not Pertains to this office. Yes Yes Done by CMHO, Kota

	diseases like diarrhea have been adequately stocked at various vulnerable centers. (xiii) Arrangements of Drinking Water: Whether position has been reviewed with all concerned for ensuring supply of safe drinking water during crisis period. This includes transportation of drinking water. (xiv) Temporary Shelters: A list of the shelters identified for organizing relief camps for persons evacuated from the low laying areas has been made whether adequacy of these shelters have reviewed and plan for putting up temporary shelters put in place. These includes arrangements for organizing relief camps like provision of essential food, drinking water supply, sanitation, medicines etc.. Whether provision for shelter material like tarpaulin tents have reviewed.	Available at site To be provided by respective Municipality administration
4.	<u>Pre Contract :</u> Whether a list of relief material required during emergency response phase has been prepared based on the past experience. This Ministry had advised the State Governments to enter into pre contract for the items which are not available with the State Government and required in bulk. This will ensure the timely availability of relief items.	Yes
5.	<u>Evacuation Plan:</u> Based on the vulnerability assessment, whether evacuation plan for the persons residing in the low lying areas has been drawn up. These include identification of places, means of transportation, evacuation route.	Yes
6.	<u>Activating of Control Room :</u> Whether Control Rooms at vulnerable districts and State Headquarters have been activated with adequate number of trained personnel and equipment.	Control Room at Alnia Dam functions round the clock.
7.	<u>Search and Rescue Teams :</u> How many search and rescue teams in the State have been trained and equipped for floods/ heavy rains. Whether the procedure for their deputation at short notice has been finalized. Whether search and rescue teams of your State can be deputed to the neighboring States, during crisis period ?	Pertains with relief department.
8.	<u>Procurement of Search, Rescue and Evacuation equipments :</u> The State Government had been informed about the decision of the Government to permit the procurement of essential search, rescue and evacuation equipment including communication equipment subject to a ceiling of 10 per cent of the CRF allocation of the year in accordance with spirit of the extant items and norms of assistance from CRF. State Government is requested to indicate the list of such equipments purchased out of CRF account.	Pertains with relief department.

9.	<u>Installation of Public Utility Four Digit Code Telephone :</u> The State Governments were requested to install Public Utility Four Digit Code telephone at the office of the Relief Commissioner and District Collectors. The existing norms for assistance from CRF/NCCF were modified to provide installation of public Utility Four Digit Code Telephone (calls not metered) out of the corpus of CRF. The State Governments are requested to indicate the status of installation of these telephones at the State/ District Headquarters.	Not Installed
10.	<u>Emergency Support Function (ESF plan for Emergency Response in States/UTs :</u> Ministry of Home had requested all the States/ UTs to draw up a ESF plan based on the model ESF Plan formulated at National level. This plan was required to be reviewed periodically. Whether State Government has formulated the ESF Plan. If yes, a copy of the same may be sent to the Ministry of Home Affairs (MHA). If not, the latest status in the matter may be indicated.	Pertains to Administration Department
11.	<u>Transparency in Relief Operations:</u> The Ministry of Home Affairs, had been requesting the State Governments that a list giving the details of the beneficiaries with their name and address along with quantity/ volume and quantity of relief distributed may be prepared and made available to the local representatives of the public in panchayats and	Administration/ Relief Deptt.

**Executive Engineer
Chambal Project Division
Kota**

INDEX PLAN KOTA DISTRICT

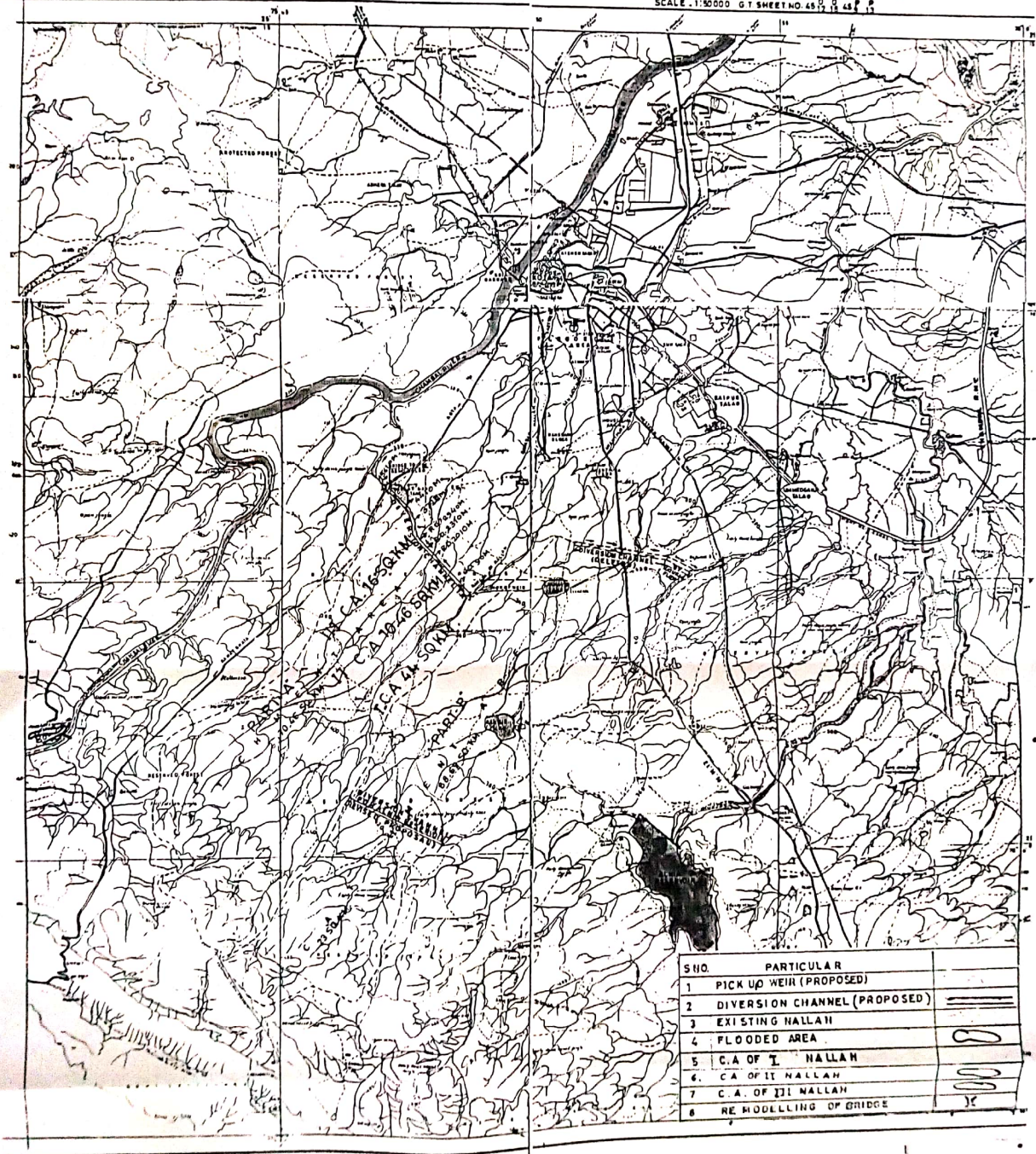


LEGEND			
1. RIVER			
2. ROAD			
3. DISTRICT BOUNDARY			
4. STATE BOUNDARY			
5. DAM			
6. SUBMERGENCE			
7. FLOOD PRONE AREA			
8. RAILWAY LINE			
9. IRRIGATION PROJECT			
COMPLETED	MAJOR	MEDIUM	MINOR
UNDER PROGRESS			
UNDER ACTION			

INDEX MAP OF FLOOD PROTECTION/DIVERSION SCHEME OF KOTA CITY

ORG NO 1

SCALE : 1:50000 G.T. SHEET NO. 45 B 8 48 F 5



SNO.	PARTICULAR	
1	PICK UP WEIR (PROPOSED)	
2	DIVERSION CHANNEL (PROPOSED)	
3	EXISTING NALLAH	
4	FLOODED AREA	
5	C.A. OF I NALLAH	
6	C.A. OF II NALLAH	
7	C.A. OF III NALLAH	
8	RE MODELLING OF BRIDGE	

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा

—: बाढ़ एक्शन प्लान वर्ष 2025 :—

कोटा जिले में मानसून काल में संभावित अतिवृष्टि व बाढ़ से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति से निपटने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर, कोटा के दिये गये निर्देशानुसार व पिछले वर्ष बाढ़ आपात योजना का बिन्दुवार अध्ययन करने के बाद निम्न बाढ़ एक्शन बनाया गया है :-

- बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना :-** जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है जिसमें 24 घण्टे पैरामेडिकल स्टॉफ की ड्यूटी लगाई गई है जिसका दूरभाष संख्या 0744-2329259 है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु मोबाईल दल गठित किये गये हैं जो 24 घण्टे तैयार रहेंगे एवं सूचना मिलते ही मय एम्बुलेन्स दवाईयों, ओ.आर.एस. सहित प्रभावित स्थान पर पहुंचेंगे।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मोबाईल दल :-** जिले में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मोबाईल दल गठित किये गये हैं जिसमें सभी को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु सभी तैयारियां पूर्ण रहे सूचना प्राप्त होते ही अविलम्ब प्रभावित स्थान पर पहुंचकर चिकित्सा-उपचार, रोकथाम एवं नियंत्रण की कार्यवाही करें।
- आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता :-**जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आपात स्थिति से निपटने हेतु ब्लीचिंग पाउडर, रूटिन दवाईयां, ओ.आर.एस. उपलब्ध रखे।
- पेयजल शुद्धिकरण एवं नमूने लेना :-**सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर पेयजल स्रोतों का शुद्धिकरण करें एवं पानी के नमूने जांच हेतु लिये जावें। भ्रमण के दौरान इन बातों पर विशेष ध्यान रखा जावे। सभी चिकित्सा अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं जनप्रतिनिधि एवं जलदाय विभाग के अधिकारी से समन्वय बनाये रखें। साथ ही चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को पाईप लाईन क्षतिग्रस्त है या गन्दे पानी में डूबा हुई है या लिकेज है, उनके लिए जलदाय विभाग को लिखा जावे एवं उनके पानी के नमूने लेकर जांच करवाई जावे।
- मलेरिया की रोकथाम :-**मलेरिया की रोकथाम की कार्यवाही के अन्तर्गत पानी के भरे हुए गढ़वों में जला हुआ तेल छिड़काना, दवा वितरण केन्द्रों की सुदृढ बनाना, बुखार की स्लाईड लेना, डी.डी.टी. स्प्रे कराने की कार्यवाही हेतु चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है।
- स्वास्थ्य शिक्षण :-**सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि आम जनता में जागृति हेतु स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी दें जिसमें पानी को छानकर पीना, नल में पानी आने पर थोड़े देर नल चलाकर फिर पानी भरें। उल्टी-दस्त होने पर पेय पदार्थ एवं ओ.आर.एस. काम में लें। बुखार होने पर खून ही आवश्यक रूप से जांच करावें। गन्दे, कटे, सड़े फल, सब्जियां, मिठाईयां उपयोग में नहीं लें। हैण्डबिल छपवाकर सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को दिये गये हैं कि वह आम जनता में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करावें।
- संबेदनशील क्षेत्र को चिन्हित करना :-**पिछले वर्ष आई बाढ़ के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को दिये जाते हैं एवं उन गाँवों एवं बस्तियों में विशेष ध्यान रखने बाबत आवश्यकता पडने पर तुरन्त उपचार,नियंत्रण की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सांगोद, कैथून, ईटावा, काला तालाब, आदि से विशेष ध्यान रखने बाबत निर्देशित किया जाता है तथा शहर में नयापुरा, हरिजन बस्ती, दोस्तपुरा, गांवडी, खेडली, साजीदेहडा, छत्रविलास, संजय नगर, विज्ञान नगर, महावीर नगर विस्तार योजना, अमर निवास, दादाबाडी, छत्रपुरा, रामचन्द्रपुरा, जवाहर नगर आदि हेतु शहर में बाढ़/अतिवृष्टि से उत्पन्न रोग पर नियंत्रण हेतु दल बनाये गये हैं। इनको अलग-अलग क्षेत्रानुसार बांटा गया है एवं निर्देशित किया है कि रोग नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

साथ ही सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि बिना स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़ें। अवकाश की स्वीकृति जिला कलक्टर/निम्न हस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(डॉ. नरेन्द्र नागर)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कोटा

—: बाढ नियंत्रण एक्शन प्लान :—

बाढ ग्रस्त संभावित क्षेत्र :—

कोटा शहर :—	नयापुरा, हरिजन बस्ती, दोस्तपुरा, गांवड़ी, खेड़ली, साजीदेहडा, छत्रविलास, संजय नगर, विज्ञान नगर, रामचन्द्रपुरा, जवाहर नगर।
कोटा ग्रामीण :—	सांगोद, इटावा, दीगोद, कैथून, रामगंजमंडी, मण्डाना।
चिकित्सा दल :—	14 (8 दल कोटा शहर एवं 6 दल कोटा ग्रामीण)
कार्यरत चिकित्सक :—	14
मेल नर्स :—	14
लेब टेक्निशियन /	
प्रयोगशाला सहायक :—	14
सैनेटरी निरीक्षक :—	00
हैल्थ वर्कर	01
वाहन चालक :—	05
वाहन कार्यरत :—	09

कार्य योजना :— संलग्न परिशिष्ट ए, बी

संबंधित रोग :— चर्म रोग, उल्टी—दस्त, मलेरिया, डेंगू, सर्पदंश, बुखार, भोजन विशक्ता, खांसी, आदि अन्य रोग।

दवाई उपलब्धता :— ए.एस.वी.(स्नैक वेनम) मलेरिया एवं उपरोक्त वर्णित समस्त बिमारियों की दवाईयां दलों को उपलब्ध कराई जावेगी। दलों के पास ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरिन टेबलेट भी उपलब्ध रहेगी।

(डॉ. नरेन्द्र नागर)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कोटा

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवंस्वास्थ्य अधिकारी,कोटा
बाढनियन्त्रण कार्यक्रमकोटा शहर

क्र.सं.	दलप्रभारी	कार्य क्षेत्र	वाहन संख्या	पैरामेडीकलस्टाफ शहरीमलेरियानिरीक्षक/सेनेट रीनिरीक्षक	एम.पी.डब्ल्यू/एच. डब्ल्यू/लेबटेक्नियन/प्रयोगशाला सहायक	स्प्रेडल
1	4	5	6	7	8	9
1	डॉ.शादाब खान,चि. अ. सीएचसीभीमगंजमंडी कोटा 9643289274	नयापुरा क्षेत्र	श्रीप्रहलादमीणाआरसीएच ओराजकीय वाहनकार्यालय हाजा 9799033938	श्रीभुवनेशमीणा,एस.एन. ओसीएचसीभीमगंजमण्डी94 62186043	श्रीअब्दुलसरफराज, प्रयोगशालासहायकसीएचसी, भीमगंजमण्डीकोटामो.न. 9251913214	सम्बन्धित क्षेत्र कावार्ड बॉय /स्वीपर
2	डॉ. चेतन शर्मा, चि. अ. टी.बी. क्लीनिक, कोटा 9414286684	खाईरोड क्षेत्र	आर.जे. 20 पीए 5592 श्रीरामलालवाहनचालक 9887167175	नरेशगोचर, एन.ओ, पुरोहितजी की टापरी 9829978583	श्रीराधेश्यामनागरएल.ए, सीएचसीदादाबाडीकोटामो.न. 9950471277	 " ...
3	डॉ0 शशि सिंह,चि. अ. युपीएचसीसुरजपोल 9414886722	नेहरू हरिजनबस्ती क्षेत्र	निजीवाहन कार्यालय हाजा	श्रीमतीनर्गिस, एन.ओ, राज. चिकि. छावनी, 7976276148	श्री शेख साजिद, एल.टी, राज. चिकि. छावनी, मो. न. 9251372617	 " ...
4	डॉ. अकिलहशमी, चि.अ. जनताक्लिनिकखेड लीफाटक कोटा7742108246	खण्डगाँवडी क्षेत्र	आर.जे. 20 पीबी. 1950 श्रीविपुलपारेता प.क 9468735732	श्री त्रिलोक सिंह युपीएचसीकालातालाब8107 465458	श्रीपुरुषोत्तम शर्मा, एल.टी, यूपीएचसीटिपटा 9462669209	 " ...
5	डा दिनेशमेघराजानीव.चि. अ. जिलाचिकित्सालय रामपुरा 7597661660	दोस्तपुरा क्षेत्र	वाहन संख्या आर.जे.20 पी. बी.685,श्रीभारतराम, सीएचसीदादाबाडी, 8619685742	श्रीराघवेन्द्रगौतम, एन. ओ,जिलाचि. कुन्हाडीहालमुकामडीएचरामपु राकोटा 87699943555	सुश्रीसुमद्धि साहुलैबटेक्नियन, पीएचसी, सकतपुराकोटा, 7023861526	 "
6	डॉ. माजिदहुसैनचि.अ. पीएचसीपुरोहितजीकी टापरी 9667136968	खेडलीफाटक क्षेत्र	आर.जे. 20 पीबी1692 श्रीभारत शर्मावाहनचालक 8917616290	श्रीआरुहीगौतम, एन.ओ, खेडलीफाटक 8233358501	श्रीहर्षसोनी एल.ए. यूपीएचसीमहावीरनगर, 9829521299	 " ...
7	डॉ.राजेशवर्मा,व.चि.अ. युपीएचसीकुन्हाडी 9460937809	बालितारोडनिच लीबस्ती क्षेत्र	निजीवाहन कार्यालय हाजा	श्री लखनपाल एन.ओ युपीएचसीकुन्हाडी 8104688910	श्रीप्रदीपसुमन एल. टीपीएचसीनान्ता 7877390900	 " ...
8	डॉ0 सुधातिवारीचि.अ. जनताक्लिनिककुन्हाड ीकोटा 9460471544	कुन्हाडीनिचलीब स्ती क्षेत्र	निजीवाहन कार्यालय हाजा	श्रीदेवेन्द्रमण्डावत, एन.ओ, कुन्हाडी 9929678293	सुश्री हर्षिणी वैद्य एल.टी. युपीएचसीकुन्हाडी, 9649191240	 " ...

नोट :-जिनचिकित्सासंस्थानों के वाहन खराबहोवहअपनेस्तरसेअविलम्बठीककरालें।

(डॉनरेन्द्र नागर)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवंस्वास्थ्य अधिकारीकोटा
बाढकार्यक्रमकोटाग्रामीण

क्र.सं.	ब्लॉकमुख्य चिकित्सा अधिकारी	चिकित्साव्यवस्था प्रभारी / दलप्रभारी	कार्य क्षेत्र	वाहन संख्या	पैरामेडीकलस्टाफ शहरीमलेरियानिरीक्षक / सेनेटरीनिरीक्षक	एम.पी.डब्ल्यू/ एन.ओ	स्प्रेडल
1	2	3	5	6	7	8	9
1	डॉ. राजेशसामर सुल्तानपुर 8769484854	डॉ. कमलमालव, व. चि.अ. सीएचसीसुल्तानपुर 9413500115	दीगोद	सीएचसीसुल्तानपुरकावाहन	श्रीबिरमदयाल.एन.ओ9928699420 श्रीमुकेशकराड, एलटी, सीएचसीसुल्तानपुर 9983421200	ब्लॉकमुख्य चिकित्साअधिकारीइटवा एवंसुल्तानपुरअपनेस्तरसेस्टॉफलगावें।	सम्बन्धित क्षेत्रकाडि.डी.टी.स्प्रेडल
2	डॉ. जयकिशन मीणा, व. चि.अ. सीएचसीइटवा 9001837148	डॉ. मदनलालमीणा, चि.अ. सीएचसीइटवा 9001672410	ईटावा	ब्लॉकमुख्य चिकित्साअधिकारीईटावाका वाहनआवश्यकतापडनेपर	श्रीमुरलीधरमीणा, सी.एन.ओ9414558033 श्रीदेवेन्द्रसेनी, एलटी, 9588289375		
3	डॉ. प्रभाकरव्यास कैथून 9530350699	डॉ. सुरेन्द्रश्रीवास्तव सीएचसीकैथून 9784003589	कैथून	सीएचसीकैथूनकावाहन मय वाहनचालक	श्रीअब्दुलहकीमसी.एन.ओ 9829146868 श्रीहेमराजनागर, एसएलटी 9001558187 / 9413405671	श्रीरामस्वरूपनामा, एमपीडब्ल्यू, खेडारसुलपुर 9414844123	
4		डॉ. नरेशमेवाडा, चि.अ., सीएचसीमण्डाना 9001089984	मण्डाना	ब्लॉकमुख्य चिकित्साअधिकारीकैथूनका वाहनआवश्यकतापडनेपर	श्रीदिनेशपंकज.एन.आ 7976254080सीएचसीमण्डाना, श्रीछोटफलाल, एल.ए 7023151265	श्रीलोकेशवर्माएन.ओ 9571549057	

5	डॉ. नरेन्द्रमीण I सांगोद 7568630 534	डॉ. रविकान्तचि. अ. सीएचसीसांगोद 6375278716	सांगो द	ब्लॉकमुख्य चिकित्साअधिकारीसांगोदक वाहनआवश्यकतापडनेपर	श्रीअब्दुलआबिदमिर्जा, एन.ओ 9928066175 श्रीपुष्पदयाल, एलए, सीएचसीसांगोद 8619389608	श्रीरघुवीरदाधीच, तकनिकीसहायक 9511516584	
6	डॉ. राजेन्द्रमीण II, चेचट 9636607 506	डॉ. प्रमोद,व.चि. अ., सीएचसीरामगंज मण्डी 9414235471	रामगं जमण्ड ी	सीएचसीरामगंजमंडीकावाह न	श्रीशोयेबएन.ओ 9680388147,श्रीनीर जमिश्राएल.ए 9414226463सीएचसी रामगंजमण्डी	देवेन्द्रसैनी,एसएलटी सीएचसीरामगंजमण्डी	

नोट :-जिनचिकित्सासंस्थानों के वाहन खराबहोवहअपनेस्तरसेअविलम्बठीककरालेवें ।

कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

—:: बाढ़ नियंत्रण कार्य योजना वर्ष 2025::—

आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक की जाने वाली सूचना :-

क्रम	एजेन्सी	संख्या	आरक्षित मात्रा (डेड स्टॉक के अलावा)				
			डीजल	पेट्रोल	सीएनजी	लुब्रीकेन्ट ऑयल	गैस सिलेण्डर
1	प्रत्येक पेट्रोल पम्प	121	500 लीटर	500 लीटर	500 लीटर	50 लीटर	—
2	प्रत्येक रसोई गैस एजेंसी	32	—	—		—	50 सिलेण्डर
3	प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार	523	—	—		—	—

प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य डिजास्टर की स्थिति में आपदा प्रबन्धन हेतु निम्न व्यवस्था प्रस्तावित है :-

1. पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति :-

- समस्त ऑयल कम्पनियों के विक्रय अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि वे पेट्रोल व डीजल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करें तथा जिले में कार्यरत समस्त पेट्रोल पम्पों को 500 लीटर पेट्रोल, 500 डीजल एवं 50 लुब्रीकेटिंग ऑयल, 500 लीटर सीएनजी का न्यूनतम स्टॉक आरक्षित रखने हेतु पाबन्द करें। उक्त आरक्षित स्टॉक की बिक्री प्रशासनिक अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी के निर्देशानुसार की जा सकेगी।
- समस्त गैस कम्पनियों के विक्रय अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि गैस की उपलब्धता बनाये रखने हेतु वे जिले में स्थित समस्त गैस एजेन्सीधारकों को 50 गैस सिलेण्डर्स का न्यूनतम स्टॉक आरक्षित रखने हेतु निर्देशित करें। उक्त आरक्षित स्टॉक की बिक्री प्रशासनिक अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी के निर्देशानुसार की जा सकेगी।

2. खाद्यान्न आपूर्ति :-

- बाढ़ आदि से प्रभावित क्षेत्रों में जिला मुख्यालय पर भोजन के पैकेट्स आदि तैयार कराने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में टेण्डर की प्रक्रिया वर्षा काल से पूर्व करना एवं हलवाईयों की दरें अनुमोदित करवाई जा रही है। जिनसे आपातकालीन स्थिति में फूड पैकेट्स तैयार कराये जाकर प्रभावित क्षेत्रों में वितरण कराया जाना सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
- कोटा शहर में आटा मिलें पर्याप्त संख्या में हैं। जिनके द्वारा कोटा शहर के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी आटा विक्रय किया जाता है। अतः इनके पास पर्याप्त मात्रा में आटे का स्टॉक बना रहता है।

भुने हुए चने व्यापारियों एवं चावल दाल व्यापारियों से सम्पर्क किया जाकर आवश्यकता अनुसार उक्त सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रबन्ध किया जा सकता है।

3. अन्य आवश्यकताएँ :-

- शहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा कोटा शहर में बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्र चिन्हित किये जाते हैं। बाढ़/प्राकृतिक आपदा से अधिक प्रभावित क्षेत्र में प्रभारी बनाये जाते हैं। ये प्रभारी अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यापारी, स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, अन्य संगठनों एवं उचित मूल्य दुकानों से सम्पर्क कर समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती हैं। उक्त प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्र में इस प्रकार के व्यक्तियों एवं संगठनों की सम्पूर्ण सूची दूरभाष नम्बर तैयार रखने हेतु निर्देशित किया जाता है ताकि आवश्यकता पडने पर प्राकृतिक आपदा/बाढ़ के समय इनका सहयोग लिया जा सके।
- ग्रामीण क्षेत्र में तहसील क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में लगाये गये अधिकारी/कर्मचारी अपने-अपने मुख्यालय पर रहेंगे एवं नियमित रूप से दूरभाष एवं वायरलेस से समय-समय पर की गई कार्यवाही से अवगत करायेगें एवं स्थानीय आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यवाही किये जाने हेतु कोटा शहर को सेक्टरों में विभाजित किया गया है एवं सेक्टरों के प्रभारी बनाये जाते हैं।।

जिला रसद अधिकारी,
कोटा

कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य कोटा(राज0)

क्रमांक:-दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

(सिलिंग) कोटा

विषय:- जिला आपदा प्रबन्धन योजना 2025-26 अपडेट करने के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला आपदा प्रबन्धन योजना 2025-26 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप सूचना तैयार कर प्रेषित है।

जिले का नाम:-कोटा

नाव मालिक का नाम, पता व दूरभाष नम्बर	विभागीय/निजी नाव चालक का नाम, पता व दूरभाष नम्बर	गोताखोरो का नाम, पता व दूरभाष नम्बर	नावों की संख्या	नाव उपलब्ध होनेका स्थान	जीवन रक्षक उपकरण	
					लाईफ बॉय सं.	लाईफ जैकेट सं.
1	2	3	4	5	6	7
श्री बाबूलाल बंजारा रूपानायक मत्स्य पालन सहकारी समिति लि0 कलम का कुआ तह0 लाडपुरा कोटा मो0नं0 9828877261 श्री रूकशार अहमद पुलिस लाईन शिवनगर कोटा मो0नं0 8209873793	1. श्री हेमराज पुत्र श्री कालूराम भोई मोहल्ला कोटडी कोटा 2. श्री रामप्रसाद पुत्र श्री भूरालाल भोई मोहल्ला कोटडी कोटा 1. श्री गुमानीराम पुत्र केशरी लाल भोई मोहल्ला कोटडी कोटा 2. श्री गोवर्धन पुत्र श्री परसुराम भोई मोहल्ला कोटडी 3. श्री गुड्डा पुत्र श्री नाथूलाल भोई मोहल्ला कोटडी कोटा 1. श्री कालू पुत्र श्री जगदीश भोई मोहल्ला कोटडी कोटा 2. श्री उच्छब पुत्र मोहन लाल गुमानपुरा बल्लभवाडी कोटा 3. श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री मोहनलालगुमानपुरा बल्लभवाडी कोटा 4. श्री छीतर लाल पुत्र श्रीहरलालगुमानपुरा बल्लभवाडी कोटा 5. श्री दौलत पुत्र श्री मोहन लाल गुमानपुरा बल्लभवाडी कोटा	विभाग के पास गोताखोरों/तैराकों की सूचना उपलब्ध नहीं है।	5	विभाग के पास एक नाव उपलब्ध है, जो टीन की बनी हुई है। कार्यालय केम्पस में रखी हुई है जो स्थिर पानी में मछली पकड़ने के काम आती है। कोटा बैराज से रंगपुर तक नदी चम्बल लोवर एवं अलनिया डेम का वर्ग 2020-21 को मत्स्याखेट ठेका निदेशालय जयपुर से अभी तक नहीं हुआ है। इस कारण मत्स्याखेट हेतु कोई लेबर परमिट जारी नहीं किया गया है। अवैध मछली पकड़ने वालों को पुलिस की सहायता से समय समय पर धमका कर भगाया जाता है, एवं बैराज से पानी छोड़ने से पूर्व चेतावनी भी दी जाती है।	3	3

- नोट:- 1- कार्यालय की जानकारी के अनुसार ठेकेदारों/मत्स्य कृषकों के पास उपलब्ध नावों की सूची संलग्न है।
- 2-अनुज्ञापत्रधारियों की छोटी नावें जो टीन व लकड़ी की बनी होती है। यात्रियों को लाने व ले जाने के लिए सुरक्षित नहीं है।

भवदीय

सहायक निदेशक मत्स्य
कोटा

बारिश-मानसून के दौरान संभावित अतिवृष्टि से निपटने हेतु जिला पुलिस द्वारा की गई तैयारियों के संबंध में सूचना :-

1. बाढ़ एवं बचाव कार्यों हेतु **पुलिस बाढ़ नियंत्रण कक्ष** की स्थापना पुलिस नियंत्रण कक्ष कोटा शहर पर की गयी है, जिसके प्रभारी **उप अधीक्षक पुलिस यातायात, कोटा शहर** को नियुक्त कर दिया गया है। जिनके दूरभाष नं. 0744-2350777 एवं फैक्स नं. 0744- 2350778 है।
2. कोटा बैराज, बंधा धर्मपुरा एवं जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट कोटा में दिनांक 15.06.2022 से वायरलेस सेट मय ऑपरेटर के उपलब्ध करवाये जावेंगे।
3. पिकनिक स्थल भंवरकुन्ज, नाहरसिंह माताजी व गेपरनाथ पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आमजन को खतरे वाले स्थानों पर जाने से रोकने हेतु थानाधिकारी थाना आर0के0पुरम् के निर्देशन में रेस्क्यू हेतु गृह रक्षा की तीन टीमों (प्रत्येक टीम में 8 सदस्य) थाना आर0के0पुरम् पर उपलब्ध होने पर तैनात की जावेगी।
4. राज्य में मानसून के सक्रिय होने से सभी जिलों के नदी, नाले, तालाबों में वर्षा के पानी की अधिक आवक के कारण गत दिनों में प्रदेश में छोटे बच्चों के पानी में डूबने के मामले सामने के मध्यनजर समस्त वृत्ताधिकारीगण/थानाधिकारीगण को अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों में जाकर अध्यापकों के माध्यम से छात्रों एवं अभिभावकों पानी के बहाव/डूब क्षेत्र, नदी, नालों एवं पोखरों से अपने बच्चों को दूर रहने बाबत समझाईश एवं जागरूक करने तथा विशेष सतर्कता बरतने बाबत निर्देशित किया जा चुका है, ताकि पानी में डूबने जैसी घटनाओं को रोका जा सके।
5. सभी पुलिस अधिकारीगण को अपने-अपने **वायरलैस सेट्स एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम** को चालू व दुरुस्त हालत में रखने एवं अतिरिक्त वायरलैस सेट की आवश्यकता हो तो तदनुसार स्थान के नाम सहित तुरन्त इस कार्यालय अथवा निरीक्षक, दूरसंचार, कोटा को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
6. संचित निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाईन, जिला कोटा शहर को बरसाती, ड्रेगन लाईट मय चार्जर, रस्सा, फावड़ा, गेंती, तगारी आदि सामग्री तैयार रखने एवं आपात स्थिति से निपटने हेतु पुलिस लाईन से **पर्याप्त पुलिस बल मय वाहन/उपकरणों सहित स्टेण्ड-टू** रखने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि आवश्यकतानुसार रिजर्व बल को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में तुरन्त भिजवाया जा सके।
7. वर्षा एवं अतिवृष्टि के समय त्वरित कार्यवाही हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण को अपने वाहन को दुरुस्त रखने एवं उपलब्ध वाहन में पर्याप्त पेट्रोल-डीजल हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

8. एम.टी.ओ. पुलिस लाईन, जिला कोटा शहर को सभी वाहनों को दूरुस्त रखने व पेट्रोल-डीजल सहित “ऑन रोड” रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
9. बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न होने पर डूब में आने वाले क्षेत्र व बाढ़ प्रभावित क्षेत्र-वासियों/नागरिकों को आश्रय स्थल पर ठहराने की व्यवस्था करवाये जाने एवं बाढ़ के दौरान आश्रय स्थलों पर माकूल कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समस्त वृत्ताधिकारीगण/थानाधिकारीगण को निर्देशित किया जा चुका है।
10. प्रत्येक थाना/सर्किल क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मुख्य बांध/नदी/झरने/नालों आदि पिकनिक के स्थान पर बारिश के समय विशेष निगरानी रखी जानें तथा सावर्जनिक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/स्थानीय निकाय विभाग से समन्वय रखते हुये चेतावनी बोर्ड लगाये जाने हेतु समस्त वृत्ताधिकारीगण/थानाधिकारीगण को निर्देशित किया जा चुका है।
11. समस्त अधिकारीगण को कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने पर चम्बल की नीचे की पुलिया में पानी आने पर आवागमन बन्द करने हेतु नगर विकास न्यास से समन्वय कर बेरीकेट्स लगाने, बहाव क्षेत्र में निगरानी रखने, बहाव के निकट क्षेत्र में सी.एल. जी. की बैठक करने, लोगों को बहाव क्षेत्र में पानी छोड़ने के दौरान नहाने-धोने के लिये मना करने तथा नही मानने पर आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
12. वर्षा ऋतु के दौरान कोटा बैराज में अत्यधिक पानी की आवाक के बाद बैराज के गेट खोले जाने पर सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी कैथूनीपोल, मकबरा, नयापुरा, भीमगंजमण्डी रेल्वेकोलोनी एवं कुन्हाड़ी को अपने-अपने थाना क्षेत्र में बैराज पर एवं बहाव क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल नियोजित कर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
13. समस्त वृत्ताधिकारी/थानाधिकारी अपने सर्किल/थाना क्षेत्र में आने वाले नालों की सफाई/पुल-रपटों पर संकेत बोर्ड की कमी या अन्य कोई कमी पाये जाने पर तुरन्त जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सूचना देकर दुरुस्त करवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
14. शहर के दर्शनीय/पिकनिक स्थलों पर यातायात नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाकर ऐसे स्थानों जैसे बहाव क्षेत्र/अथाह पानी एवं मार्ग खराब हो जाने की स्थिति में किसी भी प्रकार के वाहन को जाने नही दिया जायेगा।
15. प्रभावित क्षेत्र में पानी के बहाव को देखते हुए तथा बाढ़ की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक डाईवर्ट तथा ट्रैफिक रेगुलेट किया जायेगा।
16. क्षेत्र के जल स्रोतों में अवैध रूप से संचालित नावों की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा नावों की फिटनेस/अनुज्ञा पत्र की चैकिंग समय-समय पर की जा रही है।

17. अतिवृष्टि/बाढ़ से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण सूचना सिंचाई/सा.नि.वि./अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा वायरलैस से अग्रेषित करने हेतु भिजवाई जाने वाली सूचना तत्काल पास कराने की व्यवस्था की गई है।
18. पुलिस उप अधीक्षक/निरीक्षक, दूर संचार, कोटा जिले के थाने/चौकियों एवं वाहनों के वायरलैस सेट दुरुस्त हालत में रखेंगे, वायरलैस नेटवर्क को और अधिक प्रभावी बनाना सुनिश्चित करेंगे तथा कुछ अतिरिक्त सेट एवं हेण्डसेट रिजर्व में सुरक्षित रखेंगे जिन्हें आवश्यकता होने पर स्थापित किये जायेगा।
19. समस्त थानाधिकारीगण सी0एल0जी0 सदस्य, सिविल डिफेन्स एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के टेलिफोन/मोबाईल नम्बर प्राप्त कर अपडेट रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
20. थानाधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र के पंच, संरपंच, वार्ड पार्षद, पटवारी, ग्रामसेवक एवं मौजीज व्यक्तियों के नाम एवं सम्पर्क नम्बर आदि अपडेट रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
21. संबंधित थानाधिकारीगण को नौकाओं की फिटनेस व लाईसेन्स चैक करने तथा अवैध नाव संचालन करने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है जिससे की आगामी वर्षा ऋतु में संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके।
22. समस्त थानाधिकारीगण को उनके थाना क्षेत्र में आने वाले पिकनिक के स्थानों जहां अचानक अधिक मात्रा में पानी आने से दुर्घटना घटित होने की संभावना हो पर अतिरिक्त पुलिस बल मय अधिकारी के नियोजित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
23. बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र/स्थानों का समय-समय पर भ्रमण कर पूर्ण निगरानी रखी जायेगी तथा ऐसे स्थानों पर गश्त की भी पूर्ण व्यवस्था की जायेगी ।
24. मानसून के दौरान शहर के अत्यधिक जलभराव वाले क्षेत्रों, कोटा बैराज से पानी निकालने के दौरान बाढ़ संभावित क्षेत्रों, दुर्घटना संभावित पिकनिक स्पॉट पर पुलिस बल तैनात किये जाने हेतु समस्त वृत्ताधिकारीगण/थानाधिकारीगण को निर्देशित कर दिया गया है।
25. थानाधिकारी थाना कुन्हाड़ी/कैथूनीपोल को कोटा बैराज से पानी छोड़ जाने के दौरान अपने-अपने क्षेत्र में कोटा बैराज पर अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित कर कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
26. किसी प्रकार की आपदा के दौरान जिला प्रशासन, एसडीआरएफ दस्ते व नगर निगम से समन्वय कर बचाव व राहत कार्य किये जायेंगे।

27. संभावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि को मध्यनजर रखते हुये पुलिस कर्मियों की अधिक से अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सीमित संख्या में अवकाश स्वीकृत किये जायेंगे।
28. वर्षाकाल में नदियों एवं सड़क की पुलियाओं पर पानी/बाढ़ आने पर अवैध नावों के संचालन को पूर्ण रूप से रोका जायेगा। अवैध नाव संचालन एवं ट्यूब से नदी पार करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।
29. जिले के पुलिस बल में उपलब्ध अच्छे गोताखोरों/कुशल तैराक जो बचाव तथा राहत कार्य का अनुभव रखते हो उन्हें तैयार रखा जायेगा तथा ऐसे नाविकों को जिनके पास लाईसेंस शुद्धा नावें हैं उन्हें उनकी नावे दुरुस्त रखने हेतु पाबन्द कर आवश्यकता होने पर राहत कार्यों में उनकी सेवाएँ ली जा जायेगी।
30. समस्त थानाधिकारीगण को उनके थाना क्षेत्र के **नावों के मालिक, तैराकों व गोताखोरों की सूची प्राप्त/तैयार कर** थाने पर रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
31. वर्षा एवं बाढ़ तथा तूफान आ जाने की स्थिति में पेड़ उखड़ने, सड़क टूटने व अवरूद्ध होने, बिजली व टेलीफोन के तार एवं खम्बे टूट जाने, मकान ध्वस्त हो जाने एवं पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में जनजीवन अस्त-व्यस्त/जनहित प्रभावित होने की संभावनाओं मध्यनजर थाना/सर्कल क्षेत्र में नागरिकों, राजकीय संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं जिनके पास क्रेन एवं एम्बूलेंस उपलब्ध है उनकी सूची मय पता थाने पर रखी रखने तथा ऐसी संस्थाओं के प्रभारी/मालिकों से सम्पर्क कर आपात स्थिति में क्रेन/एम्बूलेंस की मांग करने पर तुरन्त उपलब्ध कराने के लिये तैयार रखने हेतु अनुरोध करने तथा सम्बन्धित दूरसंचार/विद्युत विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर टेलीफोन लाईन/विद्युत लाईन दुरुस्त रखने तथा सुचारू रूप से कार्य करते रहने हेतु समस्त अधिनस्थ को निर्देशित कर दिया गया है।
32. सड़क/पुलिया क्षतिग्रस्त, दुर्घटना हो जाने की स्थिति में अथवा बाढ़/वर्षाकाल से सड़क अथवा पुलिया पर पानी आने की स्थिति में पी.डब्लू.डी. अधिकारियों/प्रभारी, जिला बाढ़ नियन्त्रण कक्ष से सम्पर्क कर वहाँ चैक-पोस्ट स्थापित करवाई जायेगी ताकि किसी प्रकार की घटना घटित न हों ।
33. जिले के विभिन्न सर्कल/थाने पर बाढ़ से बचाव सम्बन्धी उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों/सामान रखने वाले स्थानीय सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर जो उपलब्ध है (जैसे- रस्से, टॉर्च, ड्रेगन लाईट, लाईफ जेकेट, ट्यूब, सीमेन्ट के कट्टे आदि) उन्हें चैककर सही हालत में तैयार रखा जायेगा ताकि आवश्यकतानुसार उपयोग में लिये जा सकें।

34. पुलिस लाईन कोटा शहर में बाढ़ बचाव कार्य हेतु उपलब्ध संसाधन/सामग्री निम्नानुसार है :-

क्र.स.	विवरण संसाधन/उपकरण	तादात
1	रस्सानायलोन	20 नग
2	इमरजेन्सी लाईटिंग टॉवर	03 नग
3	हार्डडेन सिटी सर्च लाईट	11 नग
4	तगारी	18 नग
5	गेंती	20 नग
6	फावडा	30 नग
7	बेलचा	10 नग
8	रेनकोट पतले वाले	245 नग

—:आपदा प्रबंधन जिला कोटा ग्रामीण:—
वर्ष 2025—26

इस जिले जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा ग्रामीण को नोडल अधिकारी बनाया जाता है उनके नेतृत्व में पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना माह जून के प्रथम सप्ताह से बाढ़/बचाव राहत कन्ट्रोल रूम नियुक्त कर आवश्यक कार्य करने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

जल निकास/बहाव व जल भराव वाले क्षेत्रों में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से बचने/राहत कार्य के संबंध में सभी वृत्ताधिकारी/थानाधिकारियों को हर वर्ष जून के प्रथम सप्ताह में आदेश जारी कर बाढ़ एवं बचाव कार्य के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश प्रदान किए जाते हैं एवं बाढ़ व आपदा से निपटने के लिए इस जिले की पुलिस लाईन में निम्न सामान उपलब्ध है जो आवश्यकता पड़ने पर थानों की मांग अनुसार भिजवाए जाते हैं।

क्र०सं०	आपदा प्रबन्धन हेतु उपलब्ध आइटम	मात्रा	विवरण
1	इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम	2 सैट	
2	ड्रेगनलाईट	4 नग	
3	अग्निशमन यन्त्र	2 नग	
4	गैती लौहा	21 नग	
5	फावडा लौहा	57 नग	
6	बैलचा लौहा	30 नग	
7	तगारी लौहा	42 नग	
8	रस्सी	4 नग	
9	बरसाती	187 नग	
10	रेन कोट मय केप	50 नग	
11	बाल्टी लोहा	24 नग	
12	हाईडेन्सीटी सर्च लाईट	06 नग	
13	टेन्ट :—	टेन्ट एक्सटेण्डेबल	2 नग
		टेन्ट ई0पी0आई0पी0	5 नग
		टेन्ट 80 किग्रा0 (एल)	9 नग
		टेन्ट स्टोर	2 नग
		टेन्ट केनोपी	6 नग
		टेन्ट बाथरूम	2 नग
		टेन्ट शामियाना	6 नग

इसके अतिरिक्त बाढ़ बचाव राहत कार्य के अन्तर्गत नगर निगम कोटा से भी बाढ़ बचाव कर्मचारी/उपकरण आदि भिजवाए जाते हैं। जिले के समस्त थानों पर संचार व्यवस्था हेतु वायरलैस सेट स्थापित है जिनके द्वारा आवश्यक सूचनाओं एवं संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है।

- 2— जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र :— जिला कोटा ग्रामीण में निम्नलिखित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हेतु आवश्यक निर्देश दिये जावेंगे।

क्र.स.	नाम थाना	थाने के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
1	थाना रामगंजमण्डी	कुदायला, खैराबाद।
2	थाना सुकेत	नयापुरा, सुकेत, सातलखेडी।
3	थाना मौडक	पीपल्दा।
4	थाना कनवास	कनवास, पालाहेडा, रुपाहेडा, मामोर, बालूहेडा, खेडली, काकरिया।
5	थाना सांगोद	कचोलिया, गरडाना, कंदाफल, खेडली, विनोदखुर्द, राजगढ
6	थाना बपावर	लवानियां, कोटडा, बपावर खुर्द, उमरदा, बूडनी, चरेल
7	थाना अयाना	अयाना, लुहावद, जलोदा, प्रेमपुरा, कांकरा
8	थाना इटावा	करवा इटावा की निचली बस्ती एवं कीरपुरिया, पीपल्दा बस स्टेण्ड, खेडली ख्यावदा, करवाड, डूंगरली, बम्बूलिया,
9	थाना कैथून	प्रहलादपुरा, कैथून, भीमपुरा, खेडारसूलपुर, मण्डानिया, हाथीखेडा, डाहरा आदि।
10	थाना सुल्तानपुर	बालापुरा, चन्द्रावला, कोटसुआं, श्योपुर

बरसात के मौसम में जिला कोटा ग्रामीण के अन्तर्गत आने वाले जलाशयों, नदी-नालों के सम्बन्ध में सूचना

थाना इटावा :-

1. थाना क्षेत्र में कालीसिंध, पार्वती, सुखनी नदी आती है।
2. इटावा से पीपल्दा मार्ग में सुखनी नदी के पानी से इटावा-पीपल्दा रास्ता अवरुद्ध हो जाता है।
3. पीपल्दा में सुखनी नदी से गांव का मेघडिया खाल से रास्ता बन्द हो जाता है।
4. पीपल्दा से करवाड रास्ता बन्द हो जाता है।
5. कोटा रोड पर बिनायका का नाला आता है जिससे रास्ता बन्द हो जाता है।

थाना खातौली :-

1. थाना क्षेत्र में पार्वती नदी तेज आती है। जिससे पुलिया खातौली से श्योपुर रास्ता बन्द है। करीब 02 फीट पानी आता है।
2. कैथूदा से सवाईमाधोपुर वाला रास्ता बन्द होता है चम्बल नदी आने के कारण।

थाना बूढादीत :-

1. थाना क्षेत्र में बडा तालाब है जो गांव के पास ऊपरी सतह पर स्थित इसकी सुरक्षा अति-आवश्यक है इसके टूटने से पूरा बूढादीत डूब सकता है।
2. ग्राम झाडगांव के बीच तालाब है इसमें अत्यधिक वर्षा के कारण गांव में पानी भरने की सम्भावना बनी रहती है।
3. मोराना गांव में तालाब है जो इसमें अत्यधिक वर्षा के कारण गांव में पानी भरने की सम्भावना बनी रहती है।

4. बूढादीत क्षेत्र में चम्बल, कालीसिंध नदी पडती है चम्बल नदी पानी छोडने से चम्बल पुलिया पर मण्डावरा से कापरेन रास्ता में पानी भर जाने से अवरुद्ध हो जाता है।
बडोद से चम्बल ढीपरी के बीच कालीसिंध नदी पडती है वर्षा का पानी आने से रास्ता अवरुद्ध हो जाता है।
5. ज्यादा वर्षा से बूढादीत और पाली गांव के बीच खैराव का नाला आता है वर्षा के कारण पुलिया पर 5-6 फीट पानी हो जाता है व बूढादीत मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।
6. खेडली सहरान से बम्बूलिया जाते समय एक रपट बनी है जिसमें वर्षा का पानी अत्यधिक भर जाता है।

थाना अयाना :-

1. कस्बा अयाना, अयानी, श्रीपुरा, जलोदा खातियान, लुहावद, डोरली एवं कांकरा के तालाब भर जाने पर पानी की निकासी के लिए रास्ता बनाया जाता है।
2. पार्वती के अलावा कोई बडी नदी नहीं है।

थाना कनवास :-

1. थाना क्षेत्र में कालीसिंध नदी दो जगह पडती है धुलेट से खानपुर मार्ग पर आने से रास्ता अवरुद्ध हो जाता है।
2. कनवास से सांगोद के बीच कालीसिंध आती है जिससे कोटा-कनवास-सांगोद के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं।
3. कनवास थाना क्षेत्र में अरु नदी पडती है। सावनभादौ डेम ओवर फलो होने से पानी निकलता है व नदी में मिल जाता है। दरा से कनवास मार्ग बन्द हो जाता है।
4. कनवास से आवां और आवां से देवली में बेजाड नाला आता है जो ओवर फलो हो जाता है तो कनवास-देवली रास्ता बन्द हो जाता है।
5. कनवास से आजादपुरा कोटा रोड पर जाने के लिए ओखला खाल आता है। 2-3 फिट पानी भर जाता है जिससे सांगोद जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो जाता है।
6. हिंगोनिया का तालाब है ओवर फलो होने से गांव में पानी भर जाने की सम्भावना रहती है। जिसके कारण प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पडती है।
7. बास्याहेडी के तालाब में पानी आता है। इसके ओवर फलो होने से पानी 2-3 गांवों में से होकर निकलता है।

थाना बपावर कलां :-

1. थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ढाणी का नाला आता है।
2. डाबर का नाला आता है, जिससे बपावर से सांगोद मार्ग बन्द हो जाता है।
3. परवन नदी में पानी पुल तक आने से रास्ता अवरुद्ध हो जाता है।
4. डूंगरपुर गांव में पानी भर जाता है जिससे बारां-झालावाड मेगा हाईवे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

थाना देवली मांझी :-

1. ग्राम खातीखेडा का तालाब व ग्राम भाण्डाहेडा का तालाब भर जाने पर पानी की निकासी की जाती है।
2. ग्राम चौमा कोट का तालाब बरसात के पानी से भरता है।
3. देवली से डोटी के बीच में अरु नदी में पानी आने से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

4. देवली से आवां के बीच में अरु नदी पडती है जिसमें 2-3 फीट पानी होने मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

थाना चेचट :-

1. थाना क्षेत्र में ताकली नदी है यह नदी मध्यप्रदेश के गांधीसागर डैम ताखाजी से शुरू होती है। ढाणी रघुनाथपुर से अपने क्षेत्र में प्रवेश होती है। इससे ढाणी रघुनाथपुर से मदनपुरा होता हुआ रामगंजमण्डी के लिए रोड गया है रघुनाथपुरा की ढाणी पर पुलिया पर पानी आ जाता है। इसी नदी पर कस्बा चेचट के पास रावतभाटा आलोद रोड पर पुलिया काफी नीची होने से बरसात में रास्ता अवरुद्ध रहता है।
2. कुण्डाल रावतभाटा रोड पर अरु नदी आती है खेडारुदा से वाया चेचट रावतभाटा रोड पर है वहां अरलाई व फावा के बीच में रपट है। पानी ऊपर पानी आ जाता है जिससे रास्ता बन्द हो जाता है। इसी नदी साडियाखेडी के पास होकर गुजरती है जो छोला गांव के ऊपर आकर ताकली में मिल जाता है। चेचट से घाटौली रोड पर अरु की पुलिया क्षतिग्रस्त है जिसमें पानी आते ही पुलिया डूब जाती है और घाटौली का मार्ग बन्द हो जाता है। ताकली नदी आगे बढती है तो ढाणी खेडली से अमजार नदी नाम से जानी जाती है। चेचट से दरा रोड बन्द हो जाता है। जहां एहतियात के तौर पुलिस जाप्ता लगाया जाता है।

बाढ़ आपात योजना 2025 जिला कोटा ग्रामीण

क्र. स.	नाम वृत्त	नाम थाना	थाना /चोकी पर पदस्थापित तैराक का नाम पद व मोबाईल नम्बर	थाना क्षेत्र निवासरत नांव मालिक , तैराक , केवट , व अन्य चालक के नाम पता मय मोबाईल नम्बर	थाने पर उपलब्ध रेसक्यू उपकरण साधनो की संख्या						थाने के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
					गेंती	फावड़ा	तगारी	रस्से	ड्रेगन लाईट	अन्य सामान	
1	रामगंजमण्डी	रा.मण्डी	श्री सतनाम कानि 407 मोनम्बर— 9079172275	—	1	1	1	1	4	—	—
2	रामगंजमण्डी	मोडक	श्री चमन सिंह कानि 132 मो नम्बर — 8741046346	—	1	1	1	1	4	अधिक तेज बारिश आने पर खरली बावडी,व नयागांव का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तथा एनएच-52 दरा गांव का रास्ता प्रभावित होता है।	—
3	रामगंजमण्डी	सुकेत	श्रीरतीरामकानि 327 मोबाइलनम्बर 6377554165	मोहम्मद इस्लाम पुत्र अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी जुल्मी रोड दुधीयाखेडी माता जी मंदिर के पास सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा मोबाइल नम्बर 9166059111	1	1	1	0	4	—	धिक तेज बारिश आने पर आहू नदी का पानी शिव कोलोनी, होली खूट मे जल भराव हो जाता है गांव पायली मे भी पानी भर जाता है। नदी का बहाव तेज होने से गांव का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है।
4	रामगंजमण्डी	चेचट	श्री सुर्यप्रकाश कानि 217	प्रकाश पुत्र मन्नालाल जाति	1	1	1	2	1	—	अधिक

	डी		मो 9571120311	भील उम्र 40 साल निवासी बोरिना थाना चेचट जिला कोटा मो न 7894875604							तेज बारिश आने पर गायत्री मन्दिर की पुलिया चेचट के पास ताकली नदी का बहाव तेज होने के कारण व ग्राम खेडली व हथौना मे ताकली नदी का बहाव तेज होने से गांव का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है
5	इटावा	इटावा	निल	श्री हयातखान उर्फ टाईगर निवासी इटावा व उनकी टीम मो0 न 7427864786	0	02	01	0	02	—	1.कीरपुरा 2. रघुनाथपुर I 3. राजपुरा 4.आमल्दा 5.खरवण 6. नारायणपु रा
6	इटावा	खातौली	निल	राधेश्याम कीर निवासी चम्बल ढपरी मो.न. 9588215842	निल	निल	निल	निल	निल	—	मियाणा ,वैजपुर ,निमोला ,सुमेरनगर सिनोता ककावदा मदनपुरा खेडलीबेरि साल
7	इटावा	बूढादीत	निल	—	1	1	1	1	1	बरसाती जैकेट उपलब्ध है	ग्राम मोहम्मदपु रा व पीपल्दा समेल

8	इटवा	अयाना	निल	—	—	—	—	—	1	—	बाडोली मिठोद रूण्डी व निमोदा गांव है)
9	इटवा	सुल्तान पुर	—	—	—	—	—	—	1	—	श्योपुरा (उजाड़ गांव है)
10	सांगोद	सांगोद	1— श्री रामदयाल हैकानि 296 2— श्री सत्यनारायण कानि 519 3— श्री धर्मेन्द्र कानि 137 4— श्री बनवारी कानि 112	सुबराति अली पुत्र अब्बास अली जाति मुसलमान उम्र 44 साल निवासी सांगोद मय 19 सदस्य टीम तैराक	2	5	5	1	2	—	कस्बा सांगोद
11	सांगोद	कनवास	1. श्री मुकेश कुमार कानि 918 मोन 97846239212. श्री अवजीत कानि 1022 मोन 9414940587 3. श्री बीरबल कानि 1150 मो न 9667300123 4. श्री सुभाष कानि 70 मो न 9667321435	—	1	1	2	9	4	4	कस्बा धूलेट
12	सांगोद	देवली मांजी	श्री बनवारी कानि 639 मो नं 9950945651	1. सोनू उर्फ सुरेश पुत्र श्री रामवतार जाति ब्राह्मण 2. घनश्याम पुत्र श्री जमना लाल जाति रेगर 3— मुकुट पुत्र श्री मोहन लाल जाति हरिजन निवासीगण कन्दाफल पुलिस थाना देवलीमांजी जिला कोटा	2	4	4	4	3	जैकिट टॉर्च	इस्लामन गर, काठोन, ढोटी, देवली मांजी, रामडी, सदेडी, डंग गवद, चौमामालि यान
13	सांगोद	बपावर कलां	1. श्री कमल कुमार कानि. 155 मो.न. 9785076530, 2. श्री शम्भुसिंह कानि. 633 मो.न. 9784700733, 3. श्री दीपक कुमार कानि. 392 मो.न. 9664061682	नाव मालिक का नाम पता — थाना हाजा क्षेत्र में एक नाव की व्यवस्था है जिसके मालिक आदित्य सिंह निवासी डाबरी कला मोबाईल नम्बर 9829739139 थाना क्षेत्र में स्थित तैराक के नाम पते — 1. श्री मुकूट पुत्र भगवान निवासी बपावर खुर्द मोबाईल नम्बर 8504825882	5	5	10	4	5	टेक्टर की व्यवस्था भी है जिनके मालिक के नाम नम्बर निम्न है — 1. ट्रेक्टर मालिक श्री नरेन्द्र सोनी मोबाईल नम्बर 9828754239 के दो ट्रेक्टर दोली 2. ट्रेक्टर मालिक श्री लखन सुमन मोबाईल नम्बर	1. बपावर खुर्द 2 बपावर कलां काच्छी मोहल्ला , कालबेलि या बस्ती 3. ग्राम सनखेडा 4. बैरवा बस्ती

			2. श्री मोनू पुत्र जयसिंह मीणा निवासी बपावर खुर्द मोबाईल नम्बर 6378131904 3. श्री बंटी पुत्र मलखान मीणा निवासी बपावर खुर्द मोबाईल नम्बर 6376225454 4. श्री भीमराज पुत्र छोटुलाल माली निवासी सनखेडा मोबाईल नम्बर 9772727288 5. श्री अशोक पुत्र श्रीलाल जाति कुम्हार निवासी सनखेडा 6. श्री योगेन्द्र पुत्र इश्वर सिंह जाति राजपुत निवासी सनखेडा मोबाईल नम्बर 8107447278 7. श्री सोनू पुत्र प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी लबानिया 8. श्री शिवराज पुत्र कवरलाल जाति गुर्जर निवासी लबानिया मोबाईल नम्बर 6367583012 9. श्री दिनेश पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी लबानिया 10. श्री लखन पुत्र देशराज जाति चौपदार निवासी कोटडा मोबाईल नम्बर 7976886215 11. श्री ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल जाति चौपदार निवासी कोटडा मोबाईल नम्बर 7425858159 12. श्री जयप्रकाश नायक पुत्र हरलाल जाति नायक निवासी उमरदा मोबाईल नम्बर 8739988310 13. श्री तेजपाल पुत्र छीतरालाल जाति मीणा निवासी हनुवन्तखेडा मोबाईल नम्बर 9079255017 14. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री कृष्णमुरारी जाति मीणा निवासी लबानिया मोबाईल नम्बर 7427033872 15. श्री बलराम पुत्र बाबुलाल जाति गुर्जर					9079185415 दो ट्रेक्टर ट्राली 3. ट्रेक्टर मालिक श्री सिकन्दर मोबाईल नम्बर 7742771745 दो ट्रेक्टर ट्राली 4. जेसीबी मशीन मालिक श्री नवीन नागर मोबाईल नम्बर 8112248449 एक जेसीबी मशीन 5. जेसीबी मशीन मालिक श्री इसरायल मोबाईल नम्बर 9929411805	ग्राम खडिया 5. बैरवा बस्ती ग्राम उमरदा 6. बैरवा बस्ती ग्राम हनुवन्तखेडा 7. ग्राम लबानिया 8. रेगर, हरिजन, मेहरा बस्ती मोईकलां ,
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

				निवासी चरैल मोबाईल नम्बर 9571188468 16. श्री राकेश गुर्जर पुत्र बृजराज गुर्जर निवासी चरैल 17 श्री दिनेश पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी हनुवन्तखेडा							
14	कोटा ग्रामीण	कैथून	श्री ईमरान खान हैड कानि 7976219659 मो 470	मोहम्मद अखलाक पुत्र अब्दुल अजीज उम्र साल 40 निवासी गांव गैरकैथून थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण मो9950037579	2	3	5	2	4	अन्य सामान	थाना इलाका क्षेत्र में चन्द्रलोई नदी में ज्यादा बारिस होने से अलनिया बांध में से पानी की ज्यादा आवक होने से नदी में पानी उफान पर आने से सम्पूर्ण कस्बा कैथून व थाना कैथून में बाढ आने की पूरी पूरी सम्भावना रहती है तथा जनधन की हानी कि सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा कैथून से कोटा का मार्ग अवरुध हो जाता है उक्त चन्द्रलोई नदी में पानी की आवक ज्यादा होने से मानस गांव व रामराजपुरा के बीच का खाल आने से दोनों गांवों का सम्पर्क टूट जाता है अत्यधिक बारिस होने

											से कोटा सूल्तानपुर मार्ग पर मारवाडा चौकि में पानी आने से मार्ग अवरुध हो जाता है
15	कोटा ग्रामीण	मण्डाना	—	—	2	3	5	2	3	—	सोहनपुरा , मोहनपुरा , मन्दरगढ , दोबडा
16	कोटा ग्रामीण	सीमलि या	1 श्री सोनू कानि 790 मोबाईल 9636039345, 02 श्री देवेन्द्र कानि 56 मो न 9667713920, 03 श्री राजेन्द्र कानि 1087 मो न 773717058	01.श्री रामलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति केवट निवासी चीसा मोबाईल नम्बर 9358679529 02 श्री महावीर पुत्र श्री रामरतन जाति गुजर निवासी चीसा मोबाईल नम्बर 7424811538 03 श्री पिन्कू केवट पुत्र श्री राधे याम जाति केवट निवासी चीसा मोबाईल नम्बर 9571450633	—	—	—	—	1	—	—
17	कोटा ग्रामीण	दीगोद	1 श्री धनराज कानि0 890, मो0 9602606838 2. श्री चन्द्रप्रकाश कानि0 170, मो0 9636795210 3. श्री भूरालाल कानि0 215, मो0 9119152023 4.श्री योगेन्द्र कानि0 275 मो0 9983643478	1— श्री महावीर केवट निवासी कोटसूवा मो— 6377471577 2— श्री चेतन मीणा निवासी कोटसूवा मो— 7976478136 3— राजाराम केवट निवासी कोटसूवा मो 6377970113	2	4	3	1	1	—	कोटसूवा, बालापपुरा, मण्डावरी, छीपडदा, निमोदा हरिजी

—:आपदा प्रबंधन कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोटा (शहर):—

वर्ष 2025–26

बारिश—मानसून के दौरान संभावित अतिवृष्टि से निपटने हेतु जिला पुलिस द्वारा की गई तैयारियों के संबंध में सूचना :-

1. बाढ़ एवं बचाव कार्यों हेतु पुलिस बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना पुलिस नियंत्रण कक्ष कोटा शहर पर की गयी है, जिसके प्रभारी श्रीमती नियती शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, त्वरित अनुसंधान निस्तारण दल, कोटा शहर (मो.नं. 80790-78117) के नेतृत्व में अभय कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर 0744-2350777, 2350778 है।
2. कोटा बैराज एवं जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट कोटा में वायरलेस सेट मय ऑपरेटर इस कार्यालय के पत्रांक 1674/06.06.2025 के उपलब्ध करवा दिये गये हैं।
3. पिकनिक स्थल भंवरकुन्ज, नाहरसिंह माताजी व गेपरनाथ पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आमजन को खतरे वाले स्थानों पर जाने से रोकने हेतु थानाधिकारी थाना आर0के0पुरम् के निर्देशन में रेस्क्यू हेतु गृह रक्षा की तीन टीमें (प्रत्येक टीम में 8 सदस्य) थाना आर0के0पुरम् पर उपलब्ध होने पर तैनात की जावेंगी।
4. राज्य में मानसून के सक्रिय होने से सभी जिलों के नदी, नाले, तालाबों में वर्षा के पानी की अधिक आवक के कारण गत दिनों में प्रदेश में छोटे बच्चों के पानी में डूबने के मामले सामने के मध्यनजर समस्त वृत्ताधिकारीगण/थानाधिकारीगण को अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों में जाकर अध्यापकों के माध्यम से छात्रों एवं अभिभावकों पानी के बहाव/डूब क्षेत्र, नदी, नालों एवं पोखरों से अपने बच्चों को दूर रहने बाबत समझाईश एवं जागरूक करने तथा विशेष सतर्कता बरतने बाबत निर्देशित किया जा चुका है, ताकि पानी में डूबने जैसी घटनाओं को रोका जा सके।
5. सभी पुलिस अधिकारीगण को अपने-अपने वायरलेस सेट्स एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम को चालू व दूरस्त हालत में रखने एवं अतिरिक्त वायरलेस सेट की आवश्यकता हो तो तदनुसार स्थान के नाम सहित तुरन्त इस कार्यालय अथवा निरीक्षक, दूरसंचार, कोटा को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
6. संचित निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाईन, जिला कोटा शहर को बरसाती, ड्रेगन लाईट मय चार्जर, रस्सा, फावड़ा, गेंती, तगारी आदि सामग्री तैयार रखने एवं आपात स्थिति से निपटने हेतु पुलिस लाईन से पर्याप्त पुलिस बल मय वाहन/उपकरणों सहित स्टेण्ड-टू रखने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि आवश्यकतानुसार रिजर्व बल को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में तुरन्त भिजवाया जा सकें।
7. वर्षा एवं अतिवृष्टि के समय त्वरित कार्यवाही हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण को अपने वाहन को दुरुस्त रखने एवं उपलब्ध वाहन में पर्याप्त पेट्रोल—डीजल हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
8. एम.टी.ओ. पुलिस लाईन, जिला कोटा शहर को सभी वाहनों को दूरस्त रखने व पेट्रोल—डीजल सहित “ऑन रोड” रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
9. बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न होने पर डूब में आने वाले क्षेत्र व बाढ़ प्रभावित क्षेत्र—वासियों/नागरिकों को आश्रय स्थल पर ठहराने की व्यवस्था करवाये जाने एवं बाढ़ के दौरान आश्रय स्थलों पर माकूल कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समस्त वृत्ताधिकारीगण/थानाधिकारीगण को निर्देशित किया जा चुका है।
10. प्रत्येक थाना/सर्किल क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मुख्य बांध/नदी/झरने/नालों आदि पिकनिक के स्थान पर बारिश के समय विशेष निगरानी रखी जावे तथा सावर्जनिक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/स्थानीय निकाय विभाग से समन्वय रखते हुये चेतावनी बोर्ड लगाये जाने हेतु समस्त वृत्ताधिकारीगण/थानाधिकारीगण को निर्देशित किया जा चुका है।
11. समस्त अधिकारीगण को कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने पर चम्बल की नीचे की पुलिया में पानी आने पर आवागमन बन्द करने हेतु नगर विकास न्यास से समन्वय कर बेरीकेट्स लगाने, बहाव क्षेत्र में निगरानी रखने, बहाव के निकट क्षेत्र में सी.एल.जी. की

बैठक करने, लोगों को बहाव क्षेत्र में पानी छोड़ने के दौरान नहाने-धोने के लिये मना करने तथा नही मानने पर आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

12. वर्षा ऋतु के दौरान कोटा बैराज में अत्यधिक पानी की आवाक के बाद बैराज के गेट खोले जाने पर सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी कैथूनीपोल, मकबरा, नयापुरा, भीमगंजमण्डी रेलवेकोलोनी एवं कुन्हाड़ी को अपने-अपने थाना क्षेत्र में बैराज पर एवं बहाव क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल नियोजित कर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
13. समस्त वृत्ताधिकारी/थानाधिकारी अपने सर्कल/थाना क्षेत्र में आने वाले नालों की सफाई/पुल-रपटों पर संकेत बोर्ड की कमी या अन्य कोई कमी पाये जाने पर तुरन्त जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सूचना देकर दुरुस्त करवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
14. शहर के दर्शनीय/पिकनिक स्थलों पर यातायात नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाकर ऐसे स्थानों जैसे बहाव क्षेत्र/अथाह पानी एवं मार्ग खराब हो जाने की स्थिति में किसी भी प्रकार के वाहन को जाने नहीं दिया जायेगा।
15. प्रभावित क्षेत्र में पानी के बहाव को देखते हुए तथा बाढ़ की स्थिति को देखते हुए ट्राफिक डाईवर्ट तथा ट्राफिक रेगुलेट किया जायेगा।
16. क्षेत्र के जल स्त्रोतों में अवैध रूप से संचालित नावों की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा नावों की फिटनेस/अनुज्ञा पत्र की चैकिंग समय-समय पर की जा रही है।
17. अतिवृष्टि/बाढ़ से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण सूचना सिंचाई/सा.नि.वि./अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा वायरलेस से अग्रेषित करने हेतु भिजवाई जाने वाली सूचना तत्काल पास कराने की व्यवस्था की गई है।
18. पुलिस उप अधीक्षक/निरीक्षक, दूर संचार, कोटा जिले के थाने/चौकियों एवं वाहनों के वायरलेस सेट दुरुस्त हालत में रखें, वायरलेस नेटवर्क को और अधिक प्रभावी बनाना सुनिश्चित करेंगे तथा कुछ अतिरिक्त सेट एवं हेण्डसेट रिजर्व में सुरक्षित रखेंगे जिन्हे आवश्यकता होने पर स्थापित किये जायेगा।
19. समस्त थानाधिकारीगण सी0एल0जी0 सदस्य, सिविल डिफेन्स एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के टेलिफोन/मोबाईल नम्बर प्राप्त कर अपडेट रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
20. थानाधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र के पंच, संरपंच, वार्ड पार्षद, पटवारी, ग्रामसेवक एवं मौजीज व्यक्तियों के नाम एवं सम्पर्क नम्बर आदि अपडेट रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
21. संबंधित थानाधिकारीगण को नौकाओं की फिटनेस व लाईसेन्स चैक करने तथा अवैध नाव संचालन करने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है जिससे की आगामी वर्षा ऋतु में संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके।
22. समस्त थानाधिकारीगण को उनके थाना क्षेत्र में आने वाले पिकनिक के स्थानों जहां अचानक अधिक मात्रा में पानी आने से दुर्घटना घटित होने की संभावना हो पर अतिरिक्त पुलिस बल मय अधिकारी के नियोजित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
23. बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र/स्थानों का समय-समय पर भ्रमण कर पूर्ण निगरानी रखी जायेगी तथा ऐसे स्थानों पर गश्त की भी पूर्ण व्यवस्था की जायेगी।
24. मानसून के दौरान शहर के अत्यधिक जलभराव वाले क्षेत्रों, कोटा बैराज से पानी निकालने के दौरान बाढ़ संभावित क्षेत्रों, दुर्घटना संभावित पिकनिक स्पॉट पर पुलिस बल तैनात किये जाने हेतु समस्त वृत्ताधिकारीगण/थानाधिकारीगण को निर्देशित कर दिया गया है।
25. थानाधिकारी थाना कुन्हाड़ी/कैथूनीपोल को कोटा बैराज से पानी छोड़ जाने के दौरान अपने-अपने क्षेत्र में कोटा बैराज पर अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित कर कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
26. किसी प्रकार की आपदा के दौरान जिला प्रशासन, एसडीआरएफ दस्ते व नगर निगम से समन्वय कर बचाव व राहत कार्य किये जायेंगे।

27. संभावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि को मध्यनजर रखते हुये पुलिस कर्मियों की अधिक से अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सीमित संख्या में अवकाश स्वीकृत किये जायेंगे।
28. वर्षाकाल में नदियों एवं सड़क की पुलियाओं पर पानी/बाढ़ आने पर अवैध नावों के संचालन को पूर्ण रूप से रोका जायेगा। अवैध नाव संचालन एवं ट्र्यूब से नदी पार करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।
29. जिले के पुलिस बल में उपलब्ध अच्छे गोताखोरों/कुशल तैराक जो बचाव तथा राहत कार्य का अनुभव रखते हो उन्हें तैयार रखा जायेगा तथा ऐसे नाविकों को जिनके पास लाईसेंस शुद्धा नावें हैं उन्हें उनकी नावे दुरुस्त रखने हेतु पाबन्द कर आवश्यकता होने पर राहत कार्यों में उनकी सेवाएँ ली जा जायेगी।
30. समस्त थानाधिकारीगण को उनके थाना क्षेत्र के नावों के मालिक, तैराकों व गोताखोरों की सूची प्राप्त/तैयार कर थाने पर रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
31. वर्षा एवं बाढ़ तथा तूफान आ जाने की स्थिति में पेड़ उखड़ने, सड़क टूटने व अवरुद्ध होने, बिजली व टेलीफोन के तार एवं खम्बे टूट जाने, मकान ध्वस्त हो जाने एवं पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में जनजीवन अस्त-व्यस्त/जनहित प्रभावित होने की संभावनाओं मध्यनजर थाना/सर्कल क्षेत्र में नागरिकों, राजकीय संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं जिनके पास क्रेन एवं एम्बुलेंस उपलब्ध है उनकी सूची मय पता थाने पर रखी रखने तथा ऐसी संस्थाओं के प्रभारी/मालिकों से सम्पर्क कर आपात स्थिति में क्रेन/एम्बुलेंस की मांग करने पर तुरन्त उपलब्ध कराने के लिये तैयार रखने हेतु अनुरोध करने तथा सम्बन्धित दूरसंचार/विद्युत विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर टेलीफोन लाईन/विद्युत लाईन दुरुस्त रखने तथा सुचारु रूप से कार्य करते रहने हेतु समस्त अधिनस्थ को निर्देशित कर दिया गया है।
32. सड़क/पुलिया क्षतिग्रस्त, दुर्घटना हो जाने की स्थिति में अथवा बाढ़/वर्षाकाल से सड़क अथवा पुलिया पर पानी आने की स्थिति में पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों/प्रभारी, जिला बाढ़ नियन्त्रण कक्ष से सम्पर्क कर वहाँ चैक-पोस्ट स्थापित करवाई जायेगी ताकि किसी प्रकार की घटना घटित न हों।
33. जिले के विभिन्न सर्कल/थाने पर बाढ़ से बचाव सम्बन्धी उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों/सामान रखने वाले स्थानीय सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर जो उपलब्ध है (जैसे- रस्से, टॉर्च, ड्रेगन लाईट, लाईफ जेकेट, ट्र्यूब, सीमेन्ट के कट्टे आदि) उन्हें चैक कर सही हालत में तैयार रखा जायेगा ताकि आवश्यकतानुसार उपयोग में लिये जा सकें।

पुलिस लाईन कोटा शहर में बाढ़ बचाव कार्य हेतु उपलब्ध संसाधन/सामग्री निम्नानुसार है :-

क्र.स.	विवरणसंसाधन/उपकरण	तादात
1	रस्सानायलोन	19 नग
2	इमरजेन्सीलाईटिंगटॉवर	03 नग
3	ड्रेगनलाईट	06 नग
4	तगारी	20 नग
5	गेंती	10 नग
6	फावड़ा	30 नग
7	बेलचा	10 नग
8	रेनकोटा	240 नग
9	बेल्टनुमारस्सा	06 नग

कार्यालय नगरपालिका इटावा जिला कोटा (राजस्थान)

विषय :- आगामी वर्षा ऋतु में बाढ़/अतिवृष्टि व जलप्लावन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कन्टीजेन्सी प्लान योजना 2025-26 निम्न प्रकार तैयार किया जा रहा है:-

1. **बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण:-** पालिका क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गेंता रोड, बैरवा बस्ती, कोटा रोड, सरोवर नगर, खातोली रोड, दशहरा मेदान, सुखनी नदी के पास की बस्ती का चिन्हीकरण किया गया है।
2. **आश्रय स्थलों का चयन:-** बाढ़ पीड़ितों के लिए आश्रय हेतु सीनियर सैकन्ड्री स्कूल बालिका/मास्टर विरेन्द्र सिंह लोक कल्याण ट्रस्ट, सामुदायिक भवन नगर पालिका इटावा का चयन कर लिया गया है।
3. **बाढ़ से प्रभावित स्थिति में पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था बाबत :-** इस संबंध में प्रभारी अधिकारी पूल को परिवहन वाहन उपलब्ध कराने हेतु पत्र द्वारा निवेदन किया जावेगा तथा पालिका के पास पांच ऑटो डिप्पर उपलब्ध रहेगा जिनका उपयोग किया जा सकेगा।
4. **उपभोक्ता सामग्री, ईंधन, खाद्यान्न, वस्त्र व राशन की व्यवस्था :-** आवश्यकता होने पर इसके लिये श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटा से सम्पर्क कर व्यवस्था कर ली जायेगी।
5. **बाढ़ बचाव हेतु संसाधन की व्यवस्था :-** पालिका स्तर पर 5 ऑटो टिपर, एक जेसीबी मशीन, गेंती, फावड़े, तगारियां, सबल, रस्सी, टार्च इत्यादि उपलब्ध है।
6. **नियन्त्रण कक्ष की स्थापना :-** निर्देशानुसार नियन्त्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है।
7. **प्रभावित व्यक्तियों, पशुओं के उपचार की व्यवस्था :-** इस बाबत संबंधित विभागों (स्वास्थ्य केन्द्रों) को पत्र लिखकर निवेदन किया जावेगा। नगर पालिका इटावा क्षेत्र में एक राजकीय चिकित्सालय एवं एक पशु चिकित्सालय एवम् आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित है।
8. **सफाई/मरम्मत व्यवस्था :-** पालिका द्वारा समस्त सडकों मरम्मत का कार्य एवं नाला/नालियों की सफाई की व्यवस्था करवा दी गई है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नाले नालियों की सफाई का कार्य भी कर लिया गया है।
श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका, इटावा

कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) रामगंजमण्डी, जिला कोटा आपदा प्रबंधन योजना वर्ष 2025-26

1-सामान्य परिचय:-

तहसील रामगंजमण्डी में अधिकतर पठारी क्षेत्र एवं नदी नालें होने के कारण वर्षाकाल में अपने निर्धारित मार्गों पर तेजी से प्रवाहित रहते हैं। जिससे सड़क मार्ग भी जलप्लावित हो जाते हैं। इस उपखण्ड में एक तहसील व एक उप तहसील चेचट हैं। जिनमें प्रत्येक में पाँच-पाँच भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं तहसील में कुल 171 ग्राम हैं, जिसमें से 74 ग्राम तहसील में एवं 97 ग्राम उप तहसील क्षेत्र में आते हैं तथा कुल 15 ग्राम गैर-आबाद है।

औसत वार्षिक वर्षा:-

क. स.	वर्षा केन्द्र	गत 10 वर्षा की वर्षा (एम.एम.में)										कुल वर्षा	औसत वर्षा
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	रा0 मण्डी	712	1245	984	1120	1190	607	738	1357	569	1186	9708	971

वर्ष -2022 की वर्षा

1. 01 जनवरी 2022 से आज तक वर्षा-150 एम.एम.
2. 01 जून 2022 से आज तक वर्षा-.120....एम.एम.

2-उपखण्ड आपदा प्रबंधन समिति :-

उपखण्ड अधिकारी महोदय रामगंजमण्डी की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर उपखण्ड आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्न अधिकारी सदस्य हैं:-

- श्रीसत्यनारायण शर्मा, कार्यवाहक तहसीलदार रामगंजमण्डी।
- श्री प्रभूलाल वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति खैराबाद।
- श्री जानकीलाल मीणा, नायब तहसीलदार चेचट।
- श्री सत्यनारायण राठौर, ईन्चार्ज अधिशासी अधिकारी नगरपालिका रामगंजमण्डी।

उक्त कमेटी द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए निम्न ग्रामों का चिन्हीकरण किया गया:-

8- जन प्लावन से प्रभावित क्षेत्र:-

क. स.	नदी बांध तालाब का नाम	प्रभावित गांवों का नाम
-------	-----------------------	------------------------

1	अमझार नदी	चेचट, मवासा, चन्द्रपुरा, कमलपुरा, कूकडाखुर्द, कुकडाकलां, पीपल्दा, ईश्वरपुरा, मीन्याखेडी, ढाणी रेबारियान, चेचट
2	आहू नदी	सुरेडा, पायली, सुकेत, सलावदखुर्द
3	पाटली नदी	देवलीखुर्द, हनुवतखेडा, कुंभकोट

9-मुख्य नालें :-

क्र. सं.	नाले का नाम	प्रभावित क्षेत्रों के नाम
1	खैराबाद नाला (बाणगंगा)	खैराबाद, हनुवतखेडा, कुदायला, कुंभकोट,
2	जुल्मी	कंजर बस्ती
3	कुदायला नाला	कुदायला बस्ती, कुंभकोट खान बस्ती, मेघवाल बस्ती

9-खनन प्रभावित क्षेत्र :-

क्र. सं.	खनन क्षेत्र का नाम	प्रभावित क्षेत्रों के नाम
1	खनन क्षेत्र	कोटडी, पीपाखेडी, सातलखेडी, कुंभकोट, चेचट, जुल्मी

3-आश्रय स्थल, विवाह स्थल, होटलों एवं विश्राम स्थलों की सूची:-

किसी भी प्रकार की आपदा होने पर प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए निम्न स्थाई/अस्थायी आश्रय स्थलों का चयन किया गया:-

क्र.सं.	तहसील का नाम	आश्रय स्थल का नाम व पता	कमरों की संख्या	दूरभाष नम्बर		
				एस.टी.डी. कोड	कार्यालय	निवास
1	रा0 मण्डी	राजीव गांधी सेवा केन्द्र चेचट	01	07459	230283	
2		राजीव गांधी सेवा केन्द्रखेडली	01	07459		230570
3		राजीव गांधी सेवा केन्द्रसहरावदा	01	07459		232864
4		राजीव गांधी सेवा केन्द्रदेवलीकंला	01	07459		
5		राजीव गांधी सेवा केन्द्रमोडक स्टे0	01	07459	232817	233200
6		रा.प्रा.वि. महावीर नगर रा0मण्डी	03	07459		
7		रा.उ.मा.विद्यालय रामगंजमण्डी	05	07459	220891	
8		रा.उ.मा.विद्यालय सुकेत	04	07459	234369	
9		रा.उ.मा.विद्यालय चेचट	03	07459	230466	
10		रा.मा.विद्यालय अलोद	02	07459		
11		रा.मा.विद्यालय पीपल्दा	02	07459		

अस्थायी आश्रय स्थल:-

क्र.सं.	कस्बा	अस्थायी आश्रय स्थलों के नाम
1	रामगंजमण्डी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंजमण्डी
2	सुकेत	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुकेत
3	चेचट	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेचट

4	अलोद	राजकीय माध्यमिक विद्यालय अलोद
5	पीपल्दा	राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीपल्दा

5—ड्रेन व बांधों की सूची:—

तहसील	नाम	लम्बाई	क्षमता	प्रभावित होने वाले ग्रामों के नाम	प्रभावित जनसंख्या
इस खण्ड में नहीं हैं।					

6—मुख्य नहरें व उनकी भराव क्षमता की सूची (मय नक्शा)—

नहर का नाम	भराव क्षमता
इस उपखण्ड में नहर नहीं हैं।	

7— राहत सामग्री की सूची:—

(गैहूँ, दाल, चावल, नमक, केरोसीन, लालटेन, गैस, रस्सा, माचिस, भुने चनें गुड आदि)

तहसील	टिप्पणी
रामगंजमण्डी	सभी सामग्री प्रचुर मात्रा में बाजार में उपलब्ध हैं।

10—निचली बस्तियाँ / कोलोनियों के चिन्हित ग्राम:—

क्र.सं.	ग्राम / कस्बे नाम	विवरण
1	रामगंजमण्डी	सुभाष कोलोनी
2	चेचट	प्रतापपुरा
3	चन्द्रपुरा	—
4	सालेडाखुर्द	बागरी बस्ती
5	नीमोदा	निचली बस्ती
6	कमलपुरा	ओड बस्ती, हनुमान मंदिर के पास
7	खैराबाद	हताई मीणा बस्ती
8	कुदायला	एस.सी. बस्ती, नई बस्ती
9	अमरपुरा	फसलों का नुकसान नाले के समीप
10	सुकेत	मच्छी कोलोनी
11	मवासा	मेघवाल बस्ती
12	अमझार	कृषि भूमि प्रभावित होती हैं।
13	खेडली	सहकारी समिति गोदाम बस्ती
14	जुल्मी	नदी के किनारे की बस्ती

11— तहसील मुख्यालय पर रहने वाले न्यूनतम सामानों की सूची:—

क्र.सं.	तहसील	सामानों की सूची
1	रामगंजमण्डी	प्राथमिक सहायता बाक्स, रस्सा, माचिस, ड्रेगन लाईट, टार्च, मोमबत्ती, छाता, कैंची, चाकू, फर्श, एवं जाजम आदि।

12-तहसील क्षेत्र में उपलब्ध नावों की सूची:-

तहसील	नावों की संख्या	संबंधित व्यक्ति का नाम व पता	एस.टी.डी. कोड	फोन नम्बर
रा0मण्डी	—	—	—	—

13-गौताखोर व तैराकों की सूची:-

तहसील	गौताखोर / तैराक का नाम	निवास का पता	एस.टी.डी. कोड	फोन नम्बर
रा0मण्डी	—	—	—	—

15- प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची :-

क्र.सं.	स्वयंसेवी संस्था का नाम व पता	उद्देश्य	मोबाईल नम्बर	वि0वि0
1	युवादल रामगंजमण्डी प्रो० सुनील कुमार बोहरा राजकुमार पारख	चिकित्सा सेवा	9214545520	
2	जल सेवा समिति अध्यक्ष श्री मुकेश श्रृंगी रामगंजमण्डी	जल सेवा	9252740225	
3	भारत विकास परिषद रामगंजमण्डी अध्यक्ष श्री संजय विनायक	चिकित्सा सेवा	9414192758	

16-संभावित दुर्घटना स्थल :- (तहसील में दुर्घटना संभावित सड़क क्षेत्रों का विवरण)

सड़क मार्ग	दुर्घटना संभावित क्षेत्र
रामगंजमण्डी	सुकेत से दरा के मध्य सुकेत
	सुकेत से रामगंजमण्डी के मध्य सातलखेडी
	ढाबादेह से मोडक के मध्य मोडक स्टेशन

आपदा प्रबंधन योजना तहसील रामगजमण्डी

कार्य योजना:-

1. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर लिया गया है।
2. तालाबों की सूची तैयार कर ली गई हैं।
3. मिट्टी के कट्टे की व्यवस्था :- लगभग दो हजार मिट्टी के कट्टे की आवश्यकता होगी।
4. आश्रय स्थलों को चिन्हित कर लिया गया हैं।

5. नाव व नाविकों की व्यवस्था एवं सूची :- इस क्षेत्र में कोई नाव व नाविकों की उपलब्धता नहीं हैं। आवश्यकता पडने पर जिला कार्यालय से माँग किये जाने पर उपलब्ध करवाये जाते हैं।
6. बाढ पीडितों को सुरक्षित स्थान पर पहुचाने की व्यवस्था एवं जगह उपलब्ध हैं ।
7. आवश्यक उपभोगता सामग्री :-सहकारी समितिया, उचित मुल्य की दुकाने भी उपलब्ध हैं एवं पेयजल, ईधन, खाद्यान, वस्त्र आदि की व्यवस्था चेचट व मोडक से हो सकती हैं।
8. विद्युत व्यवस्था :- पावर हाउस रामगंजमण्डी, चेचट व मोडक में स्थित है।
9. संचार साधनो की व्यवस्था :-रामगंजमण्डी व चेचट में टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था हैं तथा लगभग सभी क्षेत्र में मोबाईल टावर की सुविधा उपलब्ध है।
10. नियंत्रण कक्ष की स्थापना :- इस तहसील में नियंत्रण कक्ष की स्थापना दिनांक 15.06.2022 से प्रारंभ करदी जावेगी। जिसका दूरभाष नम्बर 07459-220108 है।
11. प्रभावित व्यक्तियों एवं पशुओं के उपचार की व्यवस्था :- इस तहसील क्षेत्र में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगंजमण्डी, मोडक, सुकेत, व चेचट में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जुल्मी व खेडारुद्धा में स्थित है। पशु चिकित्सालय रामगंजमण्डी, चेचट व मोडक में स्थित हैं।
12. हलवाईयों की व्यवस्था :-रामगंजमण्डी में रामलाल, छीतरलाल, आईदान, कैलाशचन्द दीपक जैन ग्राम चेचट में भाया पण्डा, गिरिराज जी, एवं मोडक स्टेशन में भैरूलाल जी, खेडारुद्धा में भंवरसिंह जी तथा देवलीकला में रामरुवरूप जी हलवाई हैं।
13. ट्रेक्टरों की व्यवस्था :- ग्राम चेचट में ओमप्रकाश जी नन्दवाना, भंवरसिंह जी, ग्राम खेडली में ओमप्रकाश प्रजापति, खेडारुद्धा में घर्मसिंह, कालुलाल पटेल, घाटोली में प्रभूलाल जी, देवलीकला में सत्यनारायण जी, नन्दा जी अहीर, मोडक में राजकुमार औरा, राहुल चीता, मोडक स्टेशन श्री विपेन्द्रसिंह जी अमझार में भूरालाल गुर्जर, नारायण जाट आदि के यहाँ ट्रेक्टर उपलब्ध हैं।
14. पम्पसेटों की सूची :- इस तहसील क्षेत्र में सभी स्थानों पर पम्प सेट उपलब्ध हैं।

तहसीदार(भू0अ0)
रामगंजमण्डी, जिला कोटा

कार्यालय उपखंड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने किसी अप्रिय घटना के रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु विभागवार कार्य कलापों का निर्धारण करना प्रस्तावित कार्य योजना वर्ष 2025

1- **परिचय:-** तहसील सांगोद क्षेत्र कोटा शहर के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें मुख्य पठार व कृषि क्षेत्र स्थित है। इस तहसील क्षेत्र में काली सिन्ध परवन. उजाड बड़ी नदियां एवं डाबर.कन्डोली.पाकलिया पटपडिया केलडी आदि नाले स्थित है। उजाड नदी पर झालावाड जिले में भीमसागर बांध (डेम) बना हुआ है। अधिक बरसात होने से उजाड नदी पर बने भीमसागर बांध के गेट खोलने की स्थिति में सांगोद करने में पानी घुस जाता है। तथा कालीसिन्ध. उजाड. परवन नदियां में बाढ़ की स्थिति में इनके किनारे के समीपवर्ती बसे गांवों में नुकसान होने की सम्भावना हो जाती है। नदी नालों में बने पुल पानी में डुब जाते हैं। जिससे आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। सांगोद मुख्यालय पर उपखण्ड कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय.पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय विधुत विभाग पी.एच.ई.डी.आई.टी.आई विभाग एवं अन्य विभागों के कार्यालय भी स्थित है। तहसील क्षेत्र में एक उपतहसील बपावरकलां दो थाने सांगोद व बपावर स्थित है। तथा करबा सांगोद मे पुलिस टाउन चौकी व मोईकलां पुलिस चौकी स्थित है। प्रभावित क्षेत्र को तीन भागों में बांटा है।

1. सांगोद क्षेत्र।
2. कुन्दनपुर उत्तर क्षेत्र।
3. बपावरकलां पूर्वी क्षेत्र।

2. तहसील क्षेत्र की औसत वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	2019	2020	2021	2022	2023	2024
वर्ष(मि.मी.)	1365	813	1520	1253	926	1225

3. जल प्लावन से प्रभावित क्षेत्र:-

क्रम सं	नदी का नाम	प्रभावित क्षेत्र		
		नाम ग्राम	नाम पटवार मण्डल	ग्राम पंचायत
1	परवन नदी	चरेल	लबानिया	लबानिया
		कोटडा	लबानिया	लबानिया
		लबानिया	लबानिया	लबानिया
		बपावरखुद	लबानिया	लबानिया
		रेलावद	खडिया	खडिया
		घांसखेड	उमरदा	खडिया
		बूढनी	उमरदा	खडिया
		डाबरीकलां	दिल्लीपुरा	दिल्लीपुरा
		उमरदा	उमरदा	खडिया
		अरनिया	उमरदा	खडिया
		राजगढ	मण्डिता	मण्डिता

		ठीमली	विनोदखुर्द	विनोदखुर्द
		बम्बूलियाकटारिया	विनोदखुर्द	विनोदखुर्द
2	काली सिंध	थूनपुर	मण्डिता	मण्डिता
		खेडलीगुडला	मण्डिता	मण्डिता
		गुडला	मण्डिता	मण्डिता
		रामगढ़ उर्फ कैलाशपुरा	मण्डिता	मण्डिता
		बोरीनाखुर्द	बोरीनाकलां	बोरीनाकलां
		विजयपुर	बोरीनाकलां	बोरीनाकलां
		कुदैत	बोरीनाकलां	बोरीनाकलां
		घटाल	मकड़वाद	मंडाप
		कोटडी	कोटडी	कुराडियाखुर्द
		नाहरिया	नाहरिया	श्यामपुरा
3	उजाड नदी	सांगोद	सांगोद	सांगोद
		सहीपुर	हींगी	हींगी
		थूनपुर	मडीता	मडीता
		बागडस्या	किशनपुरा	किशनपुरा
		विनोदखुर्द	विनोदखुर्द	विनोदखुर्द
		मालीहेडा	विनोदखुर्द	विनोदखुर्द
		विनोदकला	विनोदखुर्द	विनोदखुर्द
		रोलाना	विनोदखुर्द	विनोदखुर्द
		जालीहेडा	कुराडियाखुर्द	कुराडियाखुर्द
		पामलाखेडी	कोटडी	कुराडियाखुर्द
		अमृतखेडी	कोटडी	कुराडियाखुर्द
		हींगी	हींगी	हींगी
		कुराडियाखुर्द	कुराडियाखुर्द	कुराडियाखुर्द
		नागराखेडी	बोरीनाकलां	बोरीनाकलां

4. बाध/तालाब टुटने से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची :-

क्र.स.	बाध/तालाब का नाम	प्रभावित क्षेत्र
1.	भीमसागर बाध जिला झालावाड़	बांगडस्या,जोगड़ा,हींगी,सहीपुर,सांगोद विनोदकला,विनोदखुर्द,मोईखुर्द नागराखेडी, पामलाखेडी,अमृतखेडी,कुराड़ियाखुर्द, नागलाखेडी, जालीहेड़ा, अतरालिया, पालकिया,करीरिया,कांगनिया,कुन्दनपुर, खेड़लीगुडला,गुडला,राजगढ़ रोलाना घाटोलिया किशनपुराजांगीर थुनपुर रामगढ़ उर्फ कैलाशपुरा जोगडी गाडरवाडा बैसार किशनपुरा धीरयाहेड़ी मण्डीता

5. तहसील क्षेत्र के मुख्य नाले:- डाबर, कनडोली पोकलिया पटपडिया बपावरकलां के पास का नाला फेलडी आदि नालें मुख्य है

6. तहसील क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित से चिन्हित गांव :- चरेल, कोटडा, जागीर, बपावरखुर्द, ठीमली, बम्बूलियाकटारिया,रेलावद, घांसखेडा, राजगढ़, उमरदा, बूढनी, अरनियां, सहीपर, सांगोद, थूनपुर, गुडलाखेडली, गुडला, रामगढ़उर्फ कैलाशपुरा, लबानियां डाबरीकलां, इत्यादि।

7.आश्रय स्थल:-बाढ़/अवृष्टि की स्थिति में निम्न स्थानों पर आश्रय स्थलों की व्यवस्था रहेगी।

1. सांगोद	राजकीय सीनियर माध्यमिक विधालय सांगोद (छात्र) काशीपुरी धर्मशाला, पुराना अस्पताल भवन, राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय सांगोद, सामुदायिक, भवन, आई.टी.आई भवन
2. राजगढ़	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय राजगढ़, सहकारी गोदाम राजगढ़ राजीव गांधी सेवा केन्द्र
3. बपावरकलां	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय बपावरकलां, पुराना अस्पताल भवन बपावरकलां, राजीव गांधी सेवा केन्द्र
4.कुन्दनपुर	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कुन्दनपुर, सामुदायिक भवन कुन्दनपुर, राजीव गांधी सेवा केन्द्र

अन्य सभी ग्रामों में स्थित विधालय भवन ग्राम पंचायत भवन अन्य सरकारी इमारतों में आवश्यकता अनुसार आश्रय की व्यवस्था की जा सकेगी।

8 .तहसील क्षेत्र में सम्भावित बाढ़/अवृष्टि से बचाव योजना के तहत विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्य।

(A) नगर पालिका सांगोद:- 1. नालों की सफाई। 2.वर्षा से पूर्व कस्बे की नियमित सफाई। 3. जल प्रवाह मार्गों पर नालों पर अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करना।

4. आश्रय स्थलों पर आवश्यक सामग्री एवं वयवस्था जुटाना। 5. निजी साधनों स्वयंसेवी संस्थाओं संगठनों का सूचीकरण करना तथा आवश्यकता होने पर सहयोग लेना।

(B)चिकित्सा विभाग :- 1. आवश्यक ओषधियां एवं ब्लीचिंग पाउडर सभी चिकित्सालयों का उपलब्ध कराना। 2. चिकित्सकों का एक दल मोबाइल के रूप में उपलब्ध कराना 3. चिकित्सालय केन्द्रों पर स्टाफ व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(i) चिकित्सालयों की सूची :-

- 1— उपजिला चिकित्सालय सांगोद । 9694336511
- 2— मुख्य चिकित्सा केंद्र बपावरकलां ।
- 3— राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोईकलां ।
- 4—राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुन्दनपुर ।
- 5— राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कमोलर ।

(iii) प्रमुख मेडिकल स्टोर:-

क्र.सं.	मेडिकल स्टोर का नाम	मालिक का नाम	मोबाइल न.
1	Kiran Medical Sangod	Girish Natani	8107366655
2	Natani Medical Sangod	Ghanshyam Natani	9414649410
3	Khandelwal Medical Sangod	Om Khandelwal	9413004208
4	Bohra Medical Sangod	Hemant Nandwana	9414649570
5	Mittal Medical Sangod	Mahendra Kumar Mittal	9568356898
6	Manoj Medical Sangod	Manoj Kumar Jain	9414649228
7	Hind Medical Sangod		9214532454
8	Sharma Medical Sangod	Kartik Sharma	8003062371
9	Jain Ayurvedik Sangod	Piyush Jain	9001453497
10	Shyam Medical Sangod	Harish Sharma	9587047108
11	Life Line Medical Sangod	Saddam Hussain	9636382458
12	Hadoti Medical Sangod	Riyaz Ahamed	8827917380
13	Rajasthan Medical Sangod	Shadab Kahn	9685682765
14	Shankar Medical Sangod	Purushottam Suwalka	9929177279
15	Mayank Medical Sangod	Mayank Sharma	8824547858
16	Bharat Medical Sangod	Atikurrahman	9414729100
17	Goyal Medicos Sangod	Lokesh Goyal	9414649694
18	Shubham Medical Sangod	Vishnu Suwalka	8769095512

19	Suman Medical Sangod	Vijay Suman	8441053313
20	Suraj Medical Sangod	Hariom Gaur	8058136729
21	Sangod Medical Sangod	Radha Devi	9928028843
22	Ganesh Medical Kamolar	Ganesh Lal	9875115157
23	ShreeRam Medical Kamolar	Akash	7300456265
24	Rajawat Medical Kamolar	Mohan Singh	9829710530
25	Suwalka Medical Kundanpur	Shankar Suwalka	9001644259
26	Shubham Medical Kundanpur	Krishan Murari Sen	9950651210

(9) बाढ सम्बन्धित उपकरणो की सूची:-

- 1- नगर पालिका द्वारा:-डम्पर ट्रौली गेती फावडा तगारी सब्बल टयूब व रस्सी
 - 2- सार्वजनिक निर्माण विभाग:- गेती 20,फावडा 20, तगारी 50, खाली कट्टे 300, मिट्टे से भरे 100
- 10. निम्न अधिकारी/कर्मचारी उनके नाम आगे अंकित क्षेत्रों में समन्वय कर बचाव कार्य सम्पादित करेंगे।**

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	नाम क्षेत्र
1	श्री बापूलाल राठौर भू-अभि0 नि0 सांगोद	सम्पूर्ण आई.एल.आर. क्षेत्र
2	श्री विकास मीणा भू-अभि0 नि0 किशनपुरा	सम्पूर्ण आई.एल.आर. क्षेत्र
3	श्री अखलाक हुसैन भू-अभि0 नि0 विनोदखुर्द/कुन्दनपुर	सम्पूर्ण आई.एल.आर. क्षेत्र
4	श्री पुष्पदयाल नागर भू-अभि0 नि0 बपावरकलां	सम्पूर्ण आई.एल.आर. क्षेत्र
5	श्री पुष्पदयाल नागर भू-अभि0 नि0 लटूरी	सम्पूर्ण आई.एल.आर. क्षेत्र

11. गोता खोरो व तैराको की सूची:-

1. शबराती अली 7737056013
2. शावेद अली 7976250972
3. आकाश नायक 9571332865
4. हनीफ मोहम्मद 9929911541
5. मोहम्मद सद्दीक 9660389151
6. शकील अहमद 9784016038
7. शाकिर हुसैन 8104022270
8. फखरुद्दीन 9799040668

कार्यालय तहसीलदार (भू. अभि.) तहसील दीगोद जिला कोटा

2025

1 सामान्य परिचय :—तहसील दीगोद में अधिकतर कमाण्ड क्षेत्र, केचमेन्ट एवं नदी नाले होने के कारण वर्षा काल में अपने निर्धारित मार्गों पर तेजी से प्रवाहित रहते हैं। जिससे सड़क मार्ग भी जल प्लावित होने की संभावना रहती है। इस उपखंड में से एक तहसील “दीगोद” व एक उपतहसील “सुल्तानपुर” है जिसमें दस भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त है। जिसमें 171 ग्राम है जिसमें से 11 गैरआबाद है।

1 औसत वार्षिक वर्षा

क्र.स.	वर्षा केन्द्र	वर्षा एम.एम. में												कुल वर्षा	औसत वर्षा
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	दीगोद	1205	714	624	904	453	707	1227	546	1225	1333	352.7	10170.7	9980.7	847.55

1 वर्ष 2025 की वर्षा :— 16 एम.एम.

1. 1 जनवरी 2025 से 31.5.2025 तक:— 16 एम.एम

उपखंड आपदा प्रबन्धन समिति :—

उपखंड अधिकारी महोदय दीगोद की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर उपखण्ड आपदा प्रबन्धन समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्न अधिकारी सदस्य है।

श्री श्रीमति प्रीतम कुमारी मीना तहसीलदार दीगोद। मो.नं0 7073125638

श्री भानुमोली मोर्य विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर। मो. नं0 7737777125

श्री हेमराज नागर नायब तहसीलदार सुल्तानपुर। मो.नं0 9680033066

उक्त कमेटी द्वारा आपदा प्रबन्धन के लिये विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिये 160 ग्रामों का चिन्हीकरण किया गया।

जल प्लावन से प्रभावित क्षेत्र :—

क्र.स.	नदी बांध तालाब का नाम	प्रभावित गावों के नाम
1	चम्बल नदी	छीपडदा, बालापुरा, मोहम्मदपुरा, दीवानिया नृसिंहपुरा, नीमोदा उजाड, पीपल्दा समेल, पीपल्दा साड, मोराना, कोटडादीपसिंह, गांवडी, पीपल्दाबीरम, खेडली तंवरान, महराना, फतेहपुर खुश्क, खेडली खुश्क, मण्डावरा
2	कालीसिधं नदी	बडौद, खैरुला, भूडेन, बिसलाई

मुख्य नाले :-

क्र.स	नाले का नाम	प्रभावित गांवों के नाम
1	खाल नीमोदा के	नीमोदा

खनन प्रभावित क्षेत्र :-

क्र.स	खनन क्षेत्र का नाम	प्रभावित गांवों के नाम
1	खनन क्षेत्र	चींसा, पाचडा की झोपडिया, रूग्घी

आश्रय स्थल, विवाह स्थल होटलों एवं विश्राम स्थलों की सूची :-

किसी भी प्रकार की आपदा होने पर प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये निम्न स्थाई/अस्थायी आश्रय स्थलों का चयन किया गया है।

क्र.स	ग्राम का नाम	आश्रय स्थल का नाम व पता	कमरों की संख्या	दूरभाष नम्बर		
				एसटीडी कोड	कार्यालय	निवास
1	मदनपुरा	राज0 उच्च माध्य0 विद्या0 मदनपुरा				
2	नीमोदा	राज0 उच्च माध्य विद्या0 नीमोदा				
3	बडौद	राज0 उच्च माध्य0 विद्या0 बडौद				
4	सुल्तानपुर	राज0 उच्च माध्य0 विद्या0 सुल्तानपुर				
5	मण्डावरा	राज0 उच्च माध्य0 विद्या0 मण्डावरा				
6	लाखसनीजा	राज0 उच्च माध्य0 विद्या0 लाखसनीजा				
7	खेडली तंवरा	राज0 उच्च माध्य0 विद्या0 खेडली तंवरा				

अतिरिक्त आश्रय स्थल :-

क्र.स	गांव/कस्बा	अस्थायी आश्रय स्थलों के नाम
1	नीमोदा	लोधा धर्मशाला
2		

ड्रेन व बांधो की सूची :-

क्र.स	ड्रेन/बांध का नाम	लम्बाई	क्षमता	प्रभावित होने वाले गांव के नाम	प्रभावित जनसंख्या
1	नौनेरा डेम (एबरा)	40 किमी	226 मिलियन क्यूबिक मीटर	मांगाहेडी, ऐबरा, रलायता, पीपल्दाबीरम, कोटडादीपसिंह, ईदलगढ, भूडेन, धनसूरी, बगावदा, बडौद, बम्बूलिया रावतान, बिसलाई, बांक्या, खैरुला, कचनावदा, खेडलीपरसराम, आटोन, खेडली घाटा, जाखडौंद, गांवडी, बराना, खेडली धाकडान	

मुख्य नहरें व उनकी भराव क्षमता की सूची:-

क्र.स	नहर का नाम	भराव क्षमता
1	दायी मुख्य नहर	3 मीटर

राहत सामग्री की सूची :-

(गेंहू, दाल, चावल, नमक, केरोसीन, लालटेन, गैस, रस्सा, माचिस, भूने चने, गुड आदि)

क्र.स	तहसील का नाम	टिप्पणी
1	दीगोद	सभी सामग्री प्रचुर मात्रा में बाजार में उपलब्ध है

निचली बस्तियों व कोलोनियों के नाम:-

क्र.स	ग्राम व कस्बे का नाम	बस्तियों/कोलोनियों का वितरण
1	छीपडदा	निचली बस्तियां
2	बालापुра	निचली बस्तियां
3	मोहम्मदपुरा	निचली बस्तियां
4	दीवानिया	निचली बस्तियां
5	नृसिंहपुरा	निचली बस्तियां
6	मण्डावरा	निचली बस्तियां
7	नीमोदाउजाड	निचली बस्तियां
8	पीपल्दासमेल	निचली बस्तियां

9	पीपल्दासांड	निचली बस्तियां
10	मोराना	निचली बस्तियां
11	कोटडादीपसिंह	निचली बस्तियां
12	गांवडी	निचली बस्तियां
13	पीपल्दाबीरम	निचली बस्तियां
14	खेडलीतंवराण	निचली बस्तियां
15	महराना	निचली बस्तियां
16	फतेहपुरखुशक	निचली बस्तियां
17	खेडली खुशक	निचली बस्तियां
18	बडौद	निचली बस्तियां
19	खैरुला	निचली बस्तियां
20	भूडेन	निचली बस्तियां
21	बिसलाई	निचली बस्तियां

तहसील मुख्यालय पर रहने वाले न्यूनमत सामानों की सूची :-

क्र.स	तहसील का नाम	सामानों की सूची
1	दीगोद	प्राथमिक सहायता बॉक्स, रस्सा, लालटेन, माचिस, ड्रेगन लाईट, टार्च, ट्यूब, मोमबत्ती, छाता, केंची, चाकू, फर्श, जाजम

तहसील क्षेत्र में उपलब्ध नावों की सूची :-

क्र.स	तहसील का नाम	नावों की संख्या	संबंधित व्यक्ति का नाम व पता	एस.टी.डी. कोड	फोन न.
1	दीगोद	3	0	0	0

क्र.स.	स्थान	नावों की संख्या	संचालित करने वाले व्यक्तियों के नाम	अनुमति की स्थिति
1	नीमोदा से जिला बून्दी	2	1. राजू / श्योनाथजातिकीर सा0 नीमोदा 2. कल्याण / कन्हैयालालजातिकीर सा0 नीमोदा	अनुमति नहीं ली गई है
2	कोटसुवा से जिला बून्दी	1	1. चौथमल / औंकार जाति कीर सा0 नीमोदा 2. राजाराम / औंकार जाति कीर सा0 नीमोदा 3. महावीर / औंकार जाति कीर सा0 नीमोदा 4. दुर्गाशंकर / औंकार जाति कीर सा0 नीमोदा	अनुमति नहीं ली गई है

गौताखोर व तैराकों की सूची :-

क्र.स	तहसीलकानाम	गौताखोर/तैराको के नाम	निवासका पता	एस.टी.डी. कोड	फोन न.
1	दीगोद	0	0	0	0

प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची :-

क्र.स	स्वयं सेवी संस्था का नाम व पता	उद्देश्य	संचालक	फोन न.
1	दिल की हेल्पलाईन समाजसेवी संस्था सुल्तानपुर	जरूरत मंद लोगो की सहायता	श्री नमोनारायण पारीक अध्यक्ष	9461224025

संभावित दुर्घटना स्थल (तहसील में दुर्घटना संभावित सड़क क्षेत्रों का विवरण)

क्र.स	सड़क मार्ग	दुर्घटना संभावित क्षेत्र
1	0	0

तहसीलदार (भू.अभि.)
तहसील दीगोद

आपदा प्रबंधन योजना तहसील दीगोद

1. बाढ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर लिया गया है।
2. तालाबों की सूची तैयार कर ली गई है।
3. मिट्टी के कट्टों की व्यवस्था—लगभग 2 हजार मिट्टी के कट्टों की आवश्यकता होगी। कार्यालय सहायक अभियन्ता P.W.D सुल्तानपुर को इस हेतु निर्देशित किया गया।
4. आश्रय स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है।
5. नाव व नाविकों की व्यवस्था एवं सूची—इस क्षेत्र में कोई नाव व नाविकों की उपलब्धता नहीं है। आवश्यकता पडने पर जिला कार्यालय से मांग किये जाने पर उपलब्ध कराये जाते हैं।
6. बाढ पीडितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था एवं जगह चिन्हित कर लिये गए हैं। पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।
7. आवश्यक उपभोक्ता सामग्री—सहकारी समितियों, उचित मूल्य की दुकाने मौजूद है, पेयजल, ईंधन, खाधान, वस्त्र आदि की व्यवस्था दीगोद, सीमलिया, सुल्तानपुर, बडौद, बूढादीत, मण्डावरा, आदि स्थानों से हो सकती है।
8. विद्युत व्यवस्था:—दीगोद, सुल्तानपुर में 132 केवी सबस्टेशन हैं जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जाती है।
9. संचार साधनों की व्यवस्था :— सम्पूर्ण उपखण्ड के ग्रामों में टेलीफोन व मोबाईल की सेवा उपलब्ध है।
10. इस तहसील मे नियंत्रण कक्ष की स्थापना जून 2025 से प्रारम्भ कर दी जावेगी।
11. प्रभावित व्यक्तियों एवं पशुओं के उपचार की व्यवस्था :—दीगोद व सुल्तानपुर एवं आसपास के ग्रामों में उपचार व्यवस्था है। CHC, PHC, स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय केन्द्र की सेवा उपलब्ध है।
12. हलवाईयों एवं टेंट की व्यवस्था :—ग्रामों में हलवाईयों एवं टेंट की पर्याप्त व्यवस्था है जिनसे आवश्यकता पडने पर भोजन एवं बिस्तर की व्यवस्था की जा सकती है।
13. ट्रैक्टर, JCB मशीनों की व्यवस्था:—ग्रामों में ट्रैक्टर, JCB मशीनें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है।
14. पम्पसेटों की व्यवस्था:—ग्रामों में पम्पसेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है।
15. बाढ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर लिया गया है।
16. तालाबों की सूची तैयार कर ली गई है।
17. मिट्टी के कट्टों की व्यवस्था—लगभग 2 हजार मिट्टी के कट्टों की आवश्यकता होगी। कार्यालय सहायक अभियन्ता P.W.D सुल्तानपुर को इस हेतु निर्देशित किया गया।
18. आश्रय स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है।
19. नाव व नाविकों की व्यवस्था एवं सूची—इस क्षेत्र में कोई नाव व नाविकों की उपलब्धता नहीं है। आवश्यकता पडने पर जिला कार्यालय से मांग किये जाने पर उपलब्ध कराये जाते हैं।
20. बाढ पीडितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था एवं जगह चिन्हित कर लिये गए हैं। पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

21. आवश्यक उपभोक्ता सामग्री—सहकारी समितियों, उचित मूल्य की दुकाने मौजूद हैं, पेयजल, ईंधन, खाधान, वस्त्र आदि की व्यवस्था दीगोद, सीमलिया, सुल्तानपुर, बडौद, बूढादीत, मण्डावरा, आदि स्थानों से हो सकती है।
22. विद्युत व्यवस्था:—दीगोद, सुल्तानपुर में 132 केवी सबस्टेशन हैं जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जाती है।
23. संचार साधनों की व्यवस्था :— सम्पूर्ण उपखण्ड के ग्रामों में टेलीफोन व मोबाईल की सेवा उपलब्ध है।
24. इस तहसील में नियंत्रण कक्ष की स्थापना जून 2024 से प्रारम्भ कर दी जावेगी।
25. प्रभावित व्यक्तियों एवं पशुओं के उपचार की व्यवस्था :—दीगोद व सुल्तानपुर एवं आसपास के ग्रामों में उपचार व्यवस्था है। CHC, PHC, स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय केन्द्र की सेवा उपलब्ध है।
26. हलवाईयों एवं टेंट की व्यवस्था :—ग्रामों में हलवाईयों एवं टेंट की पर्याप्त व्यवस्था है जिनसे आवश्यकता पडने पर भोजन एवं बिस्तर की व्यवस्था की जा सकती है।
27. ट्रैक्टर, JCB मशीनों की व्यवस्था:—ग्रामों में ट्रैक्टर, JCB मशीनें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है।
28. पम्पसेटों की व्यवस्था:—ग्रामों में पम्पसेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है।

कार्यालय तहसीलदार) भू० अ० (पीपल्दा जिला कोटा

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रांक के क्रम में निवेदन हैं कि तहसील पीपल्दा क्षेत्र में आगामी आपदा प्रबंधन कार्य योजना बाढ़ तैयार कर निम्न प्रकार हैं।

बाढ़ सम्बन्धी क्षेत्रों का चिन्हीकरण – तहसील पीपल्दा में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र / ग्राम निम्न प्रकार हैं।

1. **चम्बल नदी के समीप** :- ग्राम उदयपुरा, घटोद , धनवा , ठिकारादा , बागली , बम्बुलियाकलां , राजपुरा , कीरपुरा, गोठडाकलां , गोठडा खुर्द , ढीपरीचम्बल , शेरगढ़ , कीरपुरा, गैंता , सिनोता , स्थित है।
2. **कालीसिंध नदी के समीप** – ग्राम खरवन , खेडलीनोनेरा , आमल्दा , ढीपरी कालीसिंध, गोंदी, डडवाडा , मानपुरा , नोनेरा , खेडलीबोरदा , डुंगरली , बिरोदा , रोहली, कडीला , खेडली बेरीसाल स्थित हैं।
3. **पार्वती नदी के समीप** :- कैथूदा , गुडला, खातोली, गोरधनपुरा , फरेरा . फुसोद , मरझाना , मोरखुन्दना , मिठोद , जटवाडा , जटवाडी , बालुपा , संग्राम पुरा , छापोल , लालगंज , गिरधरपुरा स्थित है।
4. **तालाब व बांधों की सूचना** :- तलाब व बांधों के टूटने से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
प्रभावित क्षेत्र काकरा , गणेशगंज , अयाना , अयानी, में चार तालाब स्थित है। अतिवृष्टि होने पर अन्य तालाबों में भराव समता से अधिक पानी आने पर अधिक पानी आने पर निकास हेतु मोके बने हुए है। जिसमें पानी का निकास ड्रेनो की सफाई एवं मरमत की सुनिश्चिता किये जाने हेतु अधिक अधिशाषी अभियंता सिचाई विभाग दाय अंता को निर्देशित किया जाना उचित होगा। उपरोक्त चारो तालाबो क्रमशः अयाना , अयानी, गणेशगंज , काकरा , से ग्राम अयाना , अयानी, गणेशगंज , काकरा , भी प्रभावित हो सकते हैं।
5. **मिट्टी के कट्टो की व्यवस्था** :- अतिवृष्टि होने पर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में राहत उपलब्ध कराने के लिए मिट्टी के कट्टो की व्यवस्था ग्राम अयाना , अयानी , गणेशगंज एवं काकरा में किया जाना प्रभावित हैं।
6. **आश्रय स्थलों का चयन** :- अतिवृष्टि होने पर पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के लिये आश्रय स्थल मुकाम इटावा पर कृषि उपज मंदी समिति इटावा प्रांगण तिनसेड सीनियर हायर सेकंडरी स्कूल का भवन इटावा सी ए डी कोलोनी खोड़ावदा उपलब्ध है। इसी प्रकार अयाना एवं गैंता में भी सीनियर हायर सेकंडरी स्कूल का भवन उपलब्ध है।
7. **नाव / नाविकों की सूचना** :- तहसील क्षेत्र के 11 ग्रामों में नावो उपलब्ध है। लेकिन इनके लाइसेन्स एवं फिटनेस की सुनिश्चिता क्षेत्रिये परिवहन अधिकारी महोदय कोटा से कराये जाने की व्यवस्था करवाई जाना अपेक्षित हैं।
8. **वाहन व्यवस्था** :- बाढ़ से प्रभावित की स्थिति में पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था तहसील क्षेत्र के स्थानीय स्तर पर ट्रेक्टर एवं प्रिवेट जीपों के अधिकृत कर पीड़ित परिवारों को इनके द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
9. **पेयजल** :- तहसील क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा पेयजल सुविधा उपलब्ध है।

10. **खाद्यान** -: अतिवृष्टि होने पर प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से खाद्यान उपलब्ध करवाया जा सकता है | एवं संबंधित ग्राम पंचायत तथा सहकारी समिति से भी खाद्यान की व्यवस्था करवायी जा सकती है|
11. **विधुत व्यवस्था** -: अतिवृष्टि के समय सभी संबंधित ग्रामों में बिजली सुनिश्चित रूप से उपलब्ध हो इस सम्बन्ध में सुनिश्चिता करने के लिये सहायक अभियंता JVVNL इटावा को निर्देशित किया जाना उचित होगा | साथ ही सम्बंधित ग्रामों की विधुत लाइनों के खम्भों को एवं डिले तारों को खिचवाया जाना उचित होगा|
12. **संचार साधन** -: तहसील क्षेत्र में पुलिस स्टेशन खातोली, इटावा, अयाना पर वायरलेस सेट लगे हैं | पुलिस चौकी पीपल्दा पर वायरलेस सेट उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है | तहसील क्षेत्र में दूरभाष व्यवस्था उपलब्ध है |
13. **नियंत्रण कक्ष** -: तहसील मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर तहसील कर्मचारी की नियुक्ति कर दी गई है | नियंत्रण कक्ष संचालित है|
14. **चिकित्सा सुविधा** -: बाढ़ से प्रभावित परिवारों के उपचार के लिये पीएचसी पीपल्दा सामुदायिक चिकित्सा केंद्र इटावा एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र खातोली ,ढीपरीचम्बल ,गैंता, एवं करवाड के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जावेगी | ककरावदा , ढीपरीचम्बल , गैंता, एवं करवाड में पशु चिकित्सा हेतु स्टाफ एवं दवाइयां उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है|
15. **तहसील मुख्यालय** -: तहसील मुख्यालय पर स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर आपदा से निपटने के लिये दो सर्च लाईट)बड़ी टार्च,(चार बड़े रस्से एवं 2 बड़ी बैट्री ट्रैक्टर की ट्यूबों की आवश्यकता होगी जिन के लिये वांछित बजट आवंटन किया जाना उचित होगा|
उपरोक्तानुसार आपदा प्रबन्धन योजना बाढ़ तैयार कर सादर प्रेषित है|

कार्यालय तहसीलदार (भू अभि०) तहसील कनवास जिला कोटा

क्रमांक / भू.अ. / 2025 /

दिनांक—

आपदा प्रबंधन संबंधी विवरण

1. सामान्य परिचय तहसील कनवास में अधिकतर पठारी क्षेत्र एवं नदी नाले होने के कारण वर्षाकाल में अपने निर्धारित मार्गों पर तेजी से प्रवाहित रहते हैं। जिससे सड़क मार्ग भी जल प्लावित होने की संभावना रहती है। इस उपखंड में एक मात्र तहसील कनवास है जिसमें भू-अभि. निरीक्षक वृत्त 5 पटवार मंडल 22 ग्राम पंचायत 18 जिसमें कुल 99 राजस्व ग्राम है जिसमें 8 गैर-आबाद है।

1. औसत वार्षिक वर्षा

क्र.स.	वर्षा केन्द्र / वर्ष	वर्षा एम.एम. में											कुल वर्षा	औसत वर्षा
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	कनवास	881	849	717	457	865	1345	457	1289	1171	896	1241	10161	924.36

वर्ष 2025 की वर्षा 1 जनवरी 2025 से 22.05.2025 तक कुल वर्षा 31 एम.एम.

2. उपखंड आपदा प्रबंधन समिति उपखंड अधिकारी महोदय कनवास की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर उपखंड आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नांकित अधिकारी सदस्य हैं—

1. श्री राधेश्याम राठौर तहसीलदार कनवास मो. 9460005846
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगोद मो. 9530292210
3. श्रीमती रीना अबीद प्रशासक ग्राम पंचायत कनवास मो. 9784084948

उक्त कमेटी द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए 91 ग्रामों का चिन्हीकरण किया गया है।

3. जल प्लावन से प्रभावित क्षेत्र—

क्र.स.	नदी तालाब का नाम	प्रभावित गांवों के नाम
1	अरु नदी	कनवास, कोलाना, गुजरियाहेडी, सावनभादो
2	कालीसिन्ध	गरडा, नालोदी, धुलेट, चरचडिया उर्फ काशीपुरा लोढाहेडा, टोल्या, टोस्या, सलोनिया, मामोर, पालाहेडा, बालूहेडा, गरमोडी, उमरहेडी, इस्लामनगर

4 मुख्य नाले :—

क्र.स.	नाले का नाम	प्रभावित गांवों के नाम
1	पोकलिया	कनवास, धुलेट, गुजारा, सारोला, बाछीहेडा, पानाहेडा, कैशोली
2	अरु नदी	रास्ता देवली से ढोटी

5. खनन प्रभावित क्षेत्र—

क्र.स.	खनन क्षेत्र का नाम	प्रभावित गांवों के नाम
1	खनन क्षेत्र	रामनगर की टापरिया, सावनभादों डेम के आसपास, दांता, धुलेट, कनवास

6. आश्रय स्थल, विवाह स्थल होटलों एवं विश्राम स्थलों की सूची:—किसी भी प्रकार की आपदा होने पर आश्रय स्थल, विवाह स्थल होटलो एवं विश्राम स्थलों की सूची पर प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए निम्नांकित स्थाई/अस्थायी आश्रय स्थलों का चयन किया गया है—

क्र.स.	गांव का नाम	आश्रय स्थल का नाम	कमरों की संख्या	आश्रय स्थल प्रभारी	मौ. नम्बर
1	कनवास	रा.उ.मा. विधालय कनवास	05	श्री कृष्ण मुरारी मीणा, पटवारी	9928952182
2	धुलेट	रा.बा.मा. विधालय धुलेट	05	श्री धनवीर मीणा	8209400572
3	देवली	रा.उ.मा. विधालय देवली	05	श्री रामकल्याण रेगर	9929429480

7. अतिरिक्त आश्रय स्थल—

क्र.स.	गांव/कस्बा	अस्थायी आश्रय स्थलों के नाम
1	कनवास	ग्राम पंचायत कनवास
2	आंवा	ग्राम पंचायत आंवा

8. डेम व बांधों की सूची—

क्र.स.	डेम/बांध का नाम	भराव एरिया	क्षमता	उंचाई	प्रभावित होने वाले गांवों के नाम	प्रभावित जनसंख्या
1	सावनभादों डेम	16000 वर्ग मीटर	30 mcum	13.60 मीटर	कनवास, सीमलिया, कोलाना कोलानी, सावनभादो	7365

9. मुख्य नहरे व उनकी भराव क्षमता की सूची—

क्र.स.	नहर का नाम	भराव क्षमता
1	सावनभादों नहर	3 मीटर

10. राहत सामग्री की सूची (खाद्यान पेकैट)

11. निचली बस्तियों व कॉलोनियों के नाम:—

क्र.स.	गांव/कस्बे का नाम	बस्तियों/कॉलोनियों का विवरण
1	कनवास	रामनगर टापरिया
2	हिगोनिया	हिगोनिया में खेडी रोड पर निचली बस्तियाँ

12. तहसील मुख्यालय पर रहने वाले न्यूनतम सामानों की सूची —

क्र.स.	तहसील का नाम	सामानों की सूची
1	कनवास	फर्स्ट एड बॉक्स, रस्सा, माचिस, टोर्च, छाता, जाजम

13.. तहसील क्षेत्र में उपलब्ध नावों की सूची:— शून्य

14. गौताखोर व तैराकों की सूची :— शून्य

15 प्रमुख स्वयं सेवी संस्थाओं/कार्यकर्ताओं की सूची —

क्र.स.	स्वयं सेवी संस्था/कार्यकर्ता का नाम व पता	मोबाईल नम्बर
1	परशुराम अबीद कनवास	8209413871
2	घनश्याम धाकड धुलेट	9929450471
3	अशोक कांछी आंवा	8619981573
4	मोतीलाल मीणा खजूरी	9001071553
5	दयाकृष्ण शर्मा धुलेट	8239798218

16. संभावित दुर्घटना स्थल:- शून्य

तहसीलदार कनवास

कार्यालय तहसीलदार (भू अभि०) तहसील कनवास जिला कोटा

क्रमांक/भू.अ./2025/

दिनांक—

आपदा प्रबंधन योजना तहसील कनवास वर्ष 2025

1. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर लिया गया है।
2. तालाबों की सूची (गाम्र हिंगोनिया, आवा) तैयार कर ली गई है।
3. मिट्टी के कटटों की व्यवस्था लगभग 2 हजार मिटटी के कटटों की आवश्यकता होगी। कार्यालय सहायक अभियन्ता पी. डब्लू डी कनवास को इस हेतु निर्देशित कर दिया है।
4. आश्रय स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है।
5. नाव व नाविकों की व्यवस्था एवं सूची इस क्षेत्र में कोई नाव व नाविकों की उपलब्धता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर जिला कार्यालय से मांग किये जाने पर उपलब्ध कराये जाते हैं।
6. बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था व जगह चिन्हित कर लिये गये हैं। पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।
7. आवश्यक उपभोक्ता सामग्री सहकारी समितियां, उचित मूल्य की दुकानें मौजूद हैं। पेयजल, ईंधन, खाद्यान्न, वस्त्र आदि की व्यवस्था कनवास, आंवा, देवली, दरा आदि स्थानों से हो सकती है।
8. विद्युत व्यवस्था कनवास व देवली में 11/33 केवी सब स्टेशन है जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जाती है।
9. संचार साधनों की व्यवस्था ग्राम कनवास व आस-पास के ग्रामों में मोबाईल सुविधा उपलब्ध है।
10. नियंत्रण कक्ष— इस तहसील में नियंत्रण कक्ष की स्थापना दिनांक 15.06.2025 से प्रारम्भ कर दी जाएगी। जिसके प्रभारी श्री भैरुलाल कुम्हार भू.अभि.निरीक्षक मो.न. 8875364966 है।
11. प्रभावित व्यक्तियों एवं पशुओं के उपचार की व्यवस्था उपचार व्यवस्था है। CHC, PHC, उपस्वास्थ्य केन्द्र, उपलब्ध है। कनवास व आस-पास के ग्रामों में पशु चिकित्सालय केन्द्र की सुविधा है।
12. हलवाईयों एवं टेंट की व्यवस्था—ग्रामों में हलवाईयों एवं टेंट की व्यवस्था है। जिससे आवश्यकता पड़ने पर भोजन एवं बिस्तर की व्यवस्था की जा सकती है।
13. टेक्टर, जेसीबी मशीनों की व्यवस्था ग्रामों में टेक्टर, जेसीबी मशीने पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है सूची मंगवा ली गई है।

तहसीलदार कनवास

कार्यालय तहसीलदार (भू0अभि0) लाडपुरा कोटा

क्रमांक / भू0अभि0 / 24 /

दिनांक -

निमित्त:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
कोटा

विषय :- अपडेटेड आपदा प्रबन्धन योजना -2025 तैयार कर भिजवाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि तहसील स्तरीय बाढ आपात योजना -2025 निम्नानुसार तैयार कर हार्ड कॉपी श्रीमान को अग्रिम अपेक्षित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। व सोफ्ट कॉपी श्रीमान के ई-मेल पते पर भिजवायी जा रही है।

1. परिचय :-तहसील लाडपुरा में चम्बल नदी व अन्य नदियों के प्रवाहित क्षेत्र में वर्षाकाल में पानी के तेज प्रवाह के कारण सड़क मार्ग पर पुलिया के अभाव वाले बिन्दुओं पर जल प्लावित हो जाता है तथा यातायात आवागमन अवरुद्ध हो जाते हैं। तथा छोटे- छोटे नाले पानी के तेज बहाव से भर जाने से व पानी के कटाव से पानी आबादी क्षेत्रों में आ जाने बाढ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार बाढ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों दृष्टि से तहसील लाडपुरा को मौटे तौर पर 2 भाग में बांटा जा सकता है।

2. कोटा शहर

3. तहसील लाडपुरा का ग्रामीण क्षेत्र ,नगर पालिका कैथून सहित मण्डाना प्रभावित क्षेत्र

2.औसत वर्षा

तहसील लाडपुरा की गत 5 वर्षों की औसत वर्षा का विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र0सं0	वर्षा केन्द्र	कुल वर्षा (मिली मीटर)					कूल औसत वर्षा	
		2020	2021	2022	2023	2024		
1.	लाडपुरा	492	1339	1316	589		लाडपुरा	1067
2.	मण्डाना	741	1270	1311	—	—	मण्डाना	—

3.जल प्लावन से प्रभावित क्षेत्र:-

क्र.सं.	नदी बांध तालाब का नाम	प्रभावित क्षेत्र का नाम
1.	आलनिया बांध एवं नदी तहसील लाडपुरा चम्बल एवं चन्द्रलाई नदी	आलनिया, केवलनगर ,मवासा, रानपुर ,अभयपुरा ,बोरियाखेडी, लाडपुरा ,कैथून ,रामनगर, रायपुरा, प्रहलादपुरा, उम्मेदगंज, धाकडखेडी, कंवरपुरा, राजनगर, हनुवतखेडा, नयानोहरा, बोरखण्डी, अर्जुनपुरा, चन्द्रेशल, नोटाना, कैथून , भीमपुरा, मण्डानिया, नगपुरा, खेडारसूलपुर, भोजपुरा, जालखेडा, दसलाना, हाथीखेडा, रामखेडली, पील्दाशेखान, रामरापुरा, मानसगांव, रामराजपुरा, रामपुरा एवं जगपुरा,
2.	रंगबाडी उम्मेदगंज अनंतपुरा,साजीदहेडा नाला तहसील लाडपुरा	अन्नतपुरा,विज्ञाननगर ,तलमण्डी,किशोरपुरा, दादाबाडी,संजयगांधी नगर,इन्द्रागांधी नगर, रामचन्द्रपुरा,महावीर नगर,इन्स्टिट्यूशन टाउन शिप एव फौवटी जे.केनगर, डी0सी0एम कोलोनी कंसुआ ,उम्मेदगंज,
3.	रानपुर तालाब तहसील लाडपुरा	अन्नतपुरा डी.सी0एम0
4.	गिरधरपुरा तालाब तहसील लाडपुरा	गिरधरपुरा

5.	लखावा तहसील लाडपुरा	लखावा, अन्नतपुरा, डी0सी0एम, रामपुरा, देवली अरब
6.	बोराबास तालाब तह. लाडपुरा	गुर्जरों की टापरिया

4. तहसील लाडपुरा के बाढ़ से प्रभावित चिन्हित ग्राम:-

क्र.सं.	नाम ग्राम	क्र.सं.	नाम ग्राम	क्र.सं.	नाम ग्राम
1	आलनिया	9.	उम्मेदगंज	17	कैथून
2.	केवलनगर	10	धाकडखेडी	18	भीमपुरा
3.	मवासा	11	चडीन्दा	19	मण्डानिया
4.	डाडदेवी	12	कंवरपुरा	20.	नापुरा
5.	अभयपुरा	13	श्राजनगर	21	खेडा
6.	बेरियाखेडी	14	हनुवतखेडा	22	भोजपुरा
7.	लाडपुरा कैथून	15	बोरियाखेडी	23	हाथीखेडा
8.	प्रहलादपुरा	16	चन्द्रेसल		

5. कस्बा कैथून आश्रम स्थल- नगरपालिका कैथून:-

क्र.सं.	नाम आश्रम स्थल
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अहीरवाडा
2.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक , अस्थल पुलिया कैथून
3.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथून
4.	राजकीय सीनियर हॉयर सेकेंडरी स्कूल कैथून
5.	बाकुल माताजी का मन्दिर कैथून
6.	रामद्वारा मला बस स्टेण्ड कैथून
7.	कार्यालय नगर पालिका कैथून
8.	आलनिया राजकीय माध्यमिक विद्यालय केवलनगर
9.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मवासा
10	प्रहलादपुरा
11	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय अभयपुरा
12.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय लाडपुरा कैथून
13.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उम्मेदगंज
14	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धाकडखेडी

6. उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति :- उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटा की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर उपखण्ड आपदा प्रबन्धन समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्न अधिकारी सदस्य हैं :-

1. श्री हरि नारायण सोनी तहसीलदार लाडपुरा।
2. श्री मूलचन्द राठौर नायब तहसीलदार लाडपुरा।
3. सुश्री योगीता कंवर नायब तहसीलदार मण्डाना।
4. भू0अ0 निरीक्षक-समस्त सर्किल।

मुख्य नाला :-

इस तहसील क्षेत्र का कोई भी बड़ा नाला, वर्षा से प्रभावित नहीं है।

राहत सामग्री की सूची :-

इस तहसील क्षेत्र में - गेहूँ, दाल, चावल, नमक, केरोसिन, लालटेन, गैस, रस्सा, माचिस, भूने चने, गुड आदि सभी सामग्री प्रचुर मात्रा में बाजार में उपलब्ध है।

तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध आपदा प्रबन्धन के सामानों की सूची :-

आपदा प्रबन्धन के सामानों—प्राथमिक सहायता बॉक्स, रस्सा, लालटेन, माचिस, ड्रेगन लाईट, टार्च, मोमबत्ती, छाता, कैंची, चाकू, फर्श (दरी-जाजम), आदि सभी सामग्री तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध है।

नावों एवं गोताखोर-तैराकों की सूची :-'

इस तहसील क्षेत्र में — नावों के साथ गोताखोर-तैराकों की सूची स्थानीय नगर निगम में उपलब्ध है।

आपदा प्रबन्धन योजना तहसील लाडपुरा

कार्य योजना :-

1. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर लिया गया है।
2. तालाबों की सूची तैयार कर ली गयी है।
3. मिट्टी के लगभग 4 हजार कट्टे की आवश्यकता होगी।
4. आश्रय स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है।
5. नाव व नाविकों की व्यवस्था एवं सूची आवश्यकता पडने पर नगर निगम व आर.ए.सी. से मांग किये जाने पर उपलब्ध कराये जाते हैं।
6. बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था एवं जगह उपलब्ध है।
7. आवश्यक उपभोगता सामग्री प्रचुर मात्रा में बाजार में उपलब्ध है।
8. विद्युत व्यवस्था ,विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध है।
9. संचार के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है।
10. नियंत्रण कक्ष :-इस तहसील में नियंत्रण कक्ष की स्थापना दिनांक 15 जून 2023 से प्रारम्भ दी गयी है,जिसका दूरभाष नं. 0744-2323857 है।
11. बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों एवं पशुओं के उपचार हेतु कोटा हर ,एवं नगर पालिका कैथून में पर्याप्त मात्रा में राजकीय व निजी चिकित्सालय स्थित हैं।
12. भोजन व्यवस्था :- बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के भोजन हेतु कोटा शहर ,एवं नगर पालिका कैथून में पर्याप्त मात्रा में भोजन व्यवस्था जिला स्तर पर रसद विभाग द्वारा की जाती है।
13. ट्रेक्टरों की व्यवस्था :- प्रत्येक ग्राम में ट्रेक्टर उपलब्ध हैं,जिसे पटवारियान को सूचीबद्ध किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू-अभि0)
तहसील लाडपुरा

क्रमांक / भू0अभि0 / 2024 /

दिनांक —

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा।
2. नायब तहसीलदार लाडपुरा / मण्डाना
3. भू0अभि0 निरीक्षक वृत्त-.....
4. पटवारी हल्का-.....

तहसीलदार (भू-अभि0)
तहसील लाडपुरा

राज्य आपदाप्रतिसाद बल

अतिवृष्टि एवं बाढ़ राहतकार्य

कन्टीन्जेन्सीप्लान 2025

कार्यालय सहायककमाण्डेंट
बीकम्पनीकोटा

बाढ़ बचाव कार्ययोजना-2025

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तुरन्त राहत उपलब्ध करवाई जा सके इस हेतु निम्न दिशा प्रदान किये गये हैं:-

1. प्रभावी वायरलैस एवं समस्त थानाधिकारी बाढ़ एवं सहायता संबंधित संदेश जरिये वायरलैस बिना किसी विलम्ब के पास करेंगे।
2. समस्त थानाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर पूर्व जानकारी ले तथा बाढ़ प्रभावित स्थानों को चिन्हित कर ले। तेज वर्षा की स्थिति में जानमाल की रक्षा हेतु अपने थानों में नियुक्त उन जवानों की सूची तैयार करे जो अच्छे तैराक एवं नाव बोट चलाने का ज्ञान रखते हो तथा क्षेत्रों में जो नाव रखते हैं ऐसे व्यक्तियों के नाम इस कार्यालय को भिजवाते हुए इन्हें थानों पर तत्काल उपयोग करने हेतु रखें। ताकि आवश्यकता पड़ने पर गोताखोरों की कमी नहीं पड़े। इसके अतिरिक्त पर्याप्त जीवन रक्षक यंत्रों जैसे लाईफ जैकेट, ड्रेगन लाईट, सर्च लाईट, रेन कोट, बाढ़ राहत के लिए उपलब्धता एवं उपकरणों को चालू हालत में सुनिश्चित रखी जाए। यदि बचाव तंत्रा किराये पर मिलते होतो उनकी दरें निर्धारित कर लेवे और उनको तत्परता से प्राप्त कर उपयोग किसया जा सके।
3. सूचित निरीक्षक पुलिस लाईन अपने अधीनस्थ पदस्थापित कर्मचारियों में से अच्छे तैराकों एवं नाव बोट चलाना जानने वाले जवानों का एक दल तैयार हालत में बाढ़ राहत के लिए तैयार रखें तथा गोताखोरों का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जावे इसके अतिरिक्त पर्याप्त जीवन रक्षक यंत्रों जैसे लाईफ जैकेट, ड्रेगन लाईट, सर्च लाईट, रेन कोटा बाढ़ राहत के लिए सामान, फावड़े, गेती, तगारी, सेन्ट बेग्स, रस्से, ट्यूब आदि उपकरण चालू हालत एवं पर्याप्त मात्रा में रखे जावे। कानून व्यवस्था की स्थिति के मध्यनजर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल कर लेवे और उनको पाबन्द कर दे ताकि बाढ़ से सम्भावित स्थानों पर उनका तत्परता से उपयोग किया जा सके।
4. समस्त थानाधिकारी अपने क्षेत्रों में ऐसे समस्त नागरिकों जो तैरने, गोता लगाने में माहिर हो उनकी सूची बनाने एवं जिन व्यक्तियों के पास नावें हैं उसकी सूची तैयार करें तथा अपने पास रखे ताकि आवश्यकता पड़ने पर गोताखोर की कमी नहीं पड़े।

5. नाव दुर्घटना से बचने हेतु समस्त थाना अधिकारी उनके क्षेत्रा में पडने वाली नदीयों, तालबों में चलने वाले नावों के परमिट उनकी श्रमता, नाव सवार व्यक्तियों की सुरक्षा एवं बचाव हेतु आवश्यक सामग्री की जाँच करें।
6. समस्त थाना अधिकारी अपने क्षेत्रा में पडने वाली नदीयों की पुलियाओं पर बाढ़ आने पर निर्धारित सीमा से अधिक पानी पुलिया पर होने पर किसी भी वाहन को पुलिया से नहीं निकलने देंगे।
7. समस्त थाना अधिकारी अपने क्षेत्रों में पडने वाले पिकनिक स्थान का स्वयं चेक करें कि कोई व्यक्ति आंखिछत छेड़ छाड़ या शराब सेवन कर नाहने व बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में नहीं जावें।

राज्य आपदाप्रतिसाद बल बीकम्पनीकोटा

श्रीमानचित्रगुप्तमहावरसहायककमाण्डेंट 9829115444, श्रीमती एकताहाड़ा, कम्पनीकमाण्डर, मो0 8769812398 श्री श्यामलालसामरवालप्लाटून कमा0 मो0 8209991396, श्रीमोरपालहैड कानि0 28 हवलदारमेजर 9571573837 कम्पनीक्लर्क मो0 श्रीअमृतलाल कानि0 594 मो0न0 7891777850, श्रीकालुलाल कानि0 844 मो0न0 8003176343, श्रीमहेन्द्रकुमार मो0 8432569740 **SDRF Jaipur Control room no. -0141.2759903 CUG NO.8764873114** एवं श्रीमानकमाण्डेंटमहोदय राज्य आपदाप्रतिसाद बल जयपुरकार्यालय ईमेल—comdt.sdrf.raj.jpr@gmail.com व comdt.sdrf@rajpolice.gov.in **Kota Control room no.-0744 2350830** एवं श्रीमानसहायककमाण्डेंटमहोदय राज्य आपदाप्रतिसाद बल बीकम्पनीकोटाकार्यालय ईमेल—bcoy.sdrf.raj@gmail.com

राज्य आपदाप्रतिसाद बल की बीकम्पनीसंभाग मुख्यालय कोटापरतैनात है। जिसमें 01 कम्पनीकमाण्डर, 01 प्लाटूनकमाण्डर, 08 हैडकानि. एवं 76 कानि., 10 चा0कानि0 सहित कुल 96 कार्मिक पद स्थापित है। इसके अलावा 02 मिनी बस, 03 मिनी ट्रक, 01 केम्पर, 01 एम्बुलेन्स, 01 बोलेरो, 01 वाटरटैंकर 01 गुरखा कुल 10 वाहन और इसके अतिरिक्त इस कम्पनी के पास बाढ़ राहत के उपकरण मौजूद है जिनकी सूची नीचे अंकित है। उक्त कार्मिक कोटा संभाग में कहीं पर भी प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा आने की सूचना मिलने पर जैरो रिस्पोन्स टाईम में रवाना होकर आपदा से निपटने एवं आम जन को बचाव एवं राहत के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तथा समय-समय पर आपदा की दृष्टि से मॉक ड्रील एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करते हैं।

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पदनाम	Mobile No
1	श्रीमती एकताहाड़ा	कम्पनीकमाण्डर	8769812398
2	श्रीश्यामलाल	प्लाटूनकमाण्डर	8209991396
3	श्रीकरणसिंह	हैडकानि0-02	7727811214
4	श्रीमुकेशकुमार	हैडकानि0-09	8107730104
5	श्रीअम्मीलाल	हैडकानि0-25	7014660418
6	श्रीमोरपाल	हैडकानि0-28	9571573837
7	श्रीरमेशचन्द	हैडकानि0-39	9079897792
8	श्रीरामनिवास	हैडकानि0-41	9413011534
9	श्रीरामकुमार सिंह	हैडकानि0-44	9887689157
10	श्रीबद्रीलाल	हैडकानि0-63	7597087896
11	श्रीराजुलाल	कानि0-227	9950506070
12	श्रीपुखराज	कानि0-231	9680288854
13	श्रीदेवराज	कानि0-233	9214658731
14	श्रीजगदीश	कानि0-250	7792826589

15	श्रीभीक्कोसिंह	कानि0-253	9694149430
16	श्रीहरवीर सिंह	कानि0-262	7891390177
17	श्रीचन्द्रसेन	कानि0-279	9549568745
18	श्रीलाखन सिंह	कानि0-313	8112250971
19	श्रीतुलसीराम	कानि0- 323	7742557069
20	श्रीभगवानसहाय	कानि0-336	9950696545
21	श्रीभरत सिंह	कानि0-339	9982789474
22	श्रीनवल सिंह	कानि0-373	9782303291
23	श्रीदीपकगोचर	कानि0-386	9530218340
24	श्रीकमलेशकुमार	कानि0-389	9887539587
25	श्रीमनराज	कानि0-427	9667749872
26	श्रीविक्रम सिंह	कानि0-472	8003221363
27	श्री खुशीराम	कानि0-494	8104163832
28	श्रीहंसराज	कानि0-498	8386008571
29	श्रीसुरेशकुमार	कानि0 538	9602448559
30	श्रीरामावतार	कानि0-542	9799756769
31	श्रीचन्द्रप्रकाश	कानि0-550	9694492080
32	श्रीरामराज	कानि0-573	8619599247
33	श्री ऋतुराज	कानि0-576	9887721598
34	श्रीशिवपाल	कानि0-582	9667259686
35	श्रीबनवारीलाल	कानि0-583	8560018775
36	श्रीरामप्रसाद	कानि0-587	8432327739
37	श्रीहेमराज	कानि0-590	9782929493
38	श्रीअमृतलाल	कानि0-594	7891777850
39	श्रीबनवारीलाल	कानि0-596	9660960575
40	श्रीहेमराज	कानि0-602	9079302789
41	श्रीसत्यनारायण	कानि0-603	9079351456
42	श्रीमहेन्द्रकुमार	कानि0-604	8432569740
43	श्रीमती गुड़ीया	म0कानि0-607	9079182837
44	श्रीहरिओममीना	कानि0-609	9887830704
45	श्रीमती संगीता	म0कानि0-616	7891712651
46	श्रीमहेन्द्रकुमार	कानि0-620	9799431124
47	श्रीनरेशकुमार	कानि0-622	9001074043
48	श्रीसुरज्ञानमीणा	कानि0-624	9694610384
49	श्रीआशाराम	कानि0-628	9460482039
50	श्रीसुगनचन्द	कानि0-632	9785431818
51	श्रीमती कविता शाक्यवाल	म0कानि0-634	9928088731
52	श्री धर्मराज	कानि0-635	8094719730
53	श्रीमनीष	कानि0-638	7742764787
54	श्री शैतान	कानि0-643	9887703280
55	श्रीमती सुनिता शाक्यवाल	म0कानि0-647	7690022377
56	श्रीराकेशकुमार	कानि0-650	9799543981
57	श्रीमुकेशकुमार	कानि0-656	9680161581

58	श्रीगोविन्दकुमारमीणा	कानि0-669	9549859850
59	श्रीसुरेशकुमार	कानि0-671	7742975791
60	श्रीअमृतलाल	कानि0-694	7073835694
61	श्रीमतिसरोज	म0कानि0-714	9057961081
62	श्रीमती सुनिता शर्मा	म0कानि0-717	7568953288
63	श्रीहनुमान	कानि0-735	9783808290
64	श्रीविष्णुआचार्य	कानि0-748	8432509608
65	श्रीजगदीश	कानि0-749	9549512006
66	श्रीमुकेशकुमार	कानि0-750	7239860772
67	श्रीसूजाराम	कानि0-773	9462521731
68	श्रीमुकेशकुमार	कानि0-791	9875222219
69	श्री धारासिंह	कानि0-818	9784557108
70	श्रीसुमेरसिंह	कानि0-820	8741039348
71	श्रीसुरेशकुमार	कानि0-821	8104583785
72	श्रीदेवकरण	कानि0-828	9571284992
73	श्रीकालूलाल	कानि0-844	8003176343
74	श्रीअशोककुमार	कानि0-860	7726913742
75	श्रीभगवतीप्रसाद	कानि0-862	8209413598
76	श्रीराजेशकुमार	कानि0-865	8504059563
77	श्रीमुकेशकुमार	कानि0-867	8005618450
78	श्रीविनोदकुमार	कानि0-868	9772318151
79	श्रीअभिषेक	कानि0-871	9783323733
80	श्रीरोहिताश	कानि0-875	9772511911
81	श्री धर्मवीर सिंह	कानि0-882	9660867325
82	श्रीसुरेन्द्रकुमार	कानि0-909	9929318345
83	श्रीमहावीरप्रसाद	कानि0-917	9602766060
84	श्रीताराचन्द्र	कानि0-951	9929888036
85	श्रीराजेन्द्रकुमार	कानि0 961	9829187611
86	श्रीमुकेश	कानि0-967	7568079067
87	श्रीसुन्दरलाल	कानि0चा0-1003	9785910297
88	श्रीकरतार सिंह	कानि0चा0-1004	9929187780
89	श्री धर्मवीर सिंह मीणा	कानि0चा0-1005	9602887079
90	श्रीनवीनकुमार	कानि0चा0-1006	8107013056
91	श्रीरामकरण	कानि0चा0-1008	9667307011
92	श्रीरिन्कूकुमार	कानि0चा0-802	9649612171
93	श्रीसावरिया	कानि0चा0-613	9680384693
94	श्रीरामकिशन	कानि0चा0-245	9950680951
95	श्रीजीतेन्द्र सिंह	कानि0चा0-496	9414844217
96	श्रीरामलखन	कानि0चा0-584	9672457259

बाढराहतउपकरणसूची

ROPE RESCUE EQUIPMENT		
क्र.स.	नाम उपकरण	कुलतादाद
01	COMEALONG COMPLET SET WITH EMERGENCY STRTCHER	01
02	ROPE RESCUR LINER	01
03	MULTI CABLE WINCH COMPLET SET	01
04	ROPE 8MM 01 SYNTETI C KERNMANTLE 400M 02 ROP REPLING 400M	800 METER
05	ROPE 10MM 01 SYNTETI C KERNMANTLE 400M 02 MULTI PURPOSE ROP REPLING 400M	800 METER
06	ROPE 12MM 01 SYNTETI C KERNMANTLE 400M 02 ROP REPLING 400M	800 METER
07	ROPE LYON	500 METER 250 440 METER
08	RESCUE PULLY SINGLE	08
09	RESCUE PULLY DUBLE	04
10	PULLY SWIVEL DUBLE 1.5	01
11	PULLY PMP SWIVEL 1.5	01
12	CARABINER (DUBLE LOCK 05 19.04.2021)	31
13	STENDERED FIGURE OF 8	09
14	ACENDER (PAIR)	11.5 Pair
15	SEAT HARNESS SINGLE	25
16	FULL BODY SEAT HARNESS	52
17	MITTONS (PAIR)	50
18	RESCUE THRWO BAG	04
19	EDGE PROTECTOR ACR 02	02
20	STRAP FAST LINK ANCHOR	02
21	SYSTEM SURVIVOR 8ESCAPE	02
22	MPD 13 MM RED	01

MFR EQUIPMENT		
क्र.स.	नाम उपकरण	कुलतादाद
01	FUL KIT BAG HARD (MFR BOX)	05
02	MFR BOX STEEL SMALL	02
03	DELUXE OB MANNWQUINE	01
04	LAVER-3 AIRWAY & CPR MANEQUIN WITH INTEGRATED FEEDBACK SYSTEM	02
05	INFANTRY CPR MANNEQNEQUIN 5 PCS PACK WITH LUNG BAGS	01
06	SQUADROM PLUS CPR MANNEQUIN 5 PCS PACKED	01
07	WOODEN SPINE BOARD FULL WITH BELT	25
08	WOODEN SPINE BOARD HALF WITH BELT	25
09	AUTO CLAVE	01
10	DIGITAL DIAL B.P. COFF	10
11	STESTHOSCOPE	25
12	PULSE OXIMETER	01
13	SUGAR TEST DIGITAL INSTRUMENT	01
14	THERMAL SCANNER	01
15	PEN LIGHT	25
16	SCISSOR PARAMEDICAL	25
17	REGULATOR OXYGEN LIGHT SYLINDER LS 170 120	25
18	OXYGEN SYLINDER LIGHT WIGHT	02
19	PADDEL BOARD SPLINT (WOODEN) LARGE	45
20	PADDEL BOARD SPLINT (WOODEN) MEDIUM	45
21	PADDEL BOARD SPLINT (WOODEN) SHORT	45
22	PNEUMATIC SPLINT SET WITH AIR PUMP	10
23	FLEXIBLE SPLINT	48
24	COLLAR STIFF NECK TALL	37
25	COLLAR STIFF NONECK	37
26	COLLER STIFF NECK SHORT	40
27	COLLAR STIFF NECK SHORT REGULAR	40
28	COLLER STIFF NECK PEDIATRIC	40
29	MASK OXYGEN ADULT NON RE BREATHER	60
30	MASK OXYGEN CHILD NOR RE BREATHER	60
31	POCKET MASK (CPR)	25
32	BAG VALVE MASK CHILD	25
33	MANNEGUIN FACE SHILED 100 PER PACKET	10
34	RESTRAINT DAITENT 1&8 STRIP	50
35	RESTRAINT DAITENT 2 PCS STRIP	50
36	MEDICAL TRIAGE 10 mtr	05
37	ROLLER BANDAGE 3"	113
38	ROLLER BANDAGE 6"	112
39	MEDICAL ROLLER BANDAGE 6" (सफेदमेडिकलपट्टी)	10
40	MEDICAL ROLLER BANDAGE 10" (सफेदमेडिकलपट्टी)	10
41	GLASSES EYE PROTACTION	87
42	CASUALTY BAG HALF	01
43	CASUALTY BAG FULL	01
44	First Aid box	01

FLOOD RESCUE EQUIPMENTS

क्रस.	नाम उपकरण	कुल तादाद
01	INFALTABLE BOAT & 30HP OBM WITH ACCESSORIES	07
02	INFALTABLE BOAT & 30HP 2 STROK OBM WITH ACCESSORIES	02
03	INFALTABLE BOAT WITH OUT OBM	[04+03]
04	OBM TOHATSU MF530CL 30HP	04
05	FIBER RESCUE BOAT WITH OBM	02
06	HIGH SPEED LIFE BOAT FOR RESCUE WITH 2 STROK OBM	01
07	REMOTE CONTROLLED MOTORIZED RESCUE BOUYS	01
08	PERSNAL DIVING KIT WITH ACCESSORIES 01 स्कूबासेट मय मास्क 01 नग 02 वीसीडी 01 नग 03 फिंच 01 जोडी 04 शूज 01 जोडी 05 वेटसूट 01 नग 06 ग्लव्स 01 जोडी 07 सलैण्डर मय स्टेण्ड 01 नग 08 वेटबेल्ट 01 नग 09 गोगल्स 01 नग 10 पावरमीटर 01 नग 11 टूल 01	01 SET
09	PERSNAL DIVING KIT WITH COMMUNICATION SET 01 ऑक्टोपस (डिमाण्ड रेअ) 02 नग 02 वीसीडी-02 नग 03 फिंच 02 जोडी 04 शूज 02 जोडी 05 वेसूट 02 नग 06 ग्लव्स 02 जोडी 07 सलैण्डर 02 नग 08 वेबेल्ट 02 नग 09 गोगल्स 02 नग 10 मीटरगेज 02 नग	02

	11 टूल 02 12 अन्डरवॉटरटार्च 02 नग 13 कम्यूनिकेशनसेअ 01 नग	
10	PERSNAL DIVING KIT WITH TWO DIVER COMMUNICATION SET	02
11	SCUBA CYLINDER	02
12	KNIFE FOR SCUBA DIVER	01
13	WEIGHT SUIT	10
14	SWIMMING FINS SNORKEL DIVE FACE MASK	08
15	UNDER WATER TORCH	02
16	POWER BREATHER	02
17	LIFE JACKET	97
18	LIFE BUOYS	74
19	STRETCHER FOLDING	06
20	OBM STAND	08
21	LADDER FOR BAOT	03
22	OBM TOOL KIT	01 SET
23	FUEL CONTAINER	03
24	WATER PROOF DREGON LIGTH	01
25	FLOOD RESCUE HELMET	29
26	WATER PROOF TRIPAULIN	02
27	EMERGENCY RESCUE STRETCHER	05
28	AIR COMPRESSOR MACHINE	01
29	BINOCULARS	04
30	OVER ALL COMMUNICATION SET (VAKI TOKY SET)	09
31	RAIN COAT	149
32	DEEP DIVING SCUBA SYLINDER REGULETER	02
33	RAIN SHOES JALI DAR	94
34	RAIN SHOES WITH LOCK	125
35	Dron Camra	01
36	Water Rop	400
37	RESCUE SCOOTER BOAT	01
38	RUBBER BOAT REPIRANG KIT	09
39	POPULER GUARD	16

CSSR EQUIPMENTS

क्रस.	नाम उपकरण	कुल तादात
01	ROTARY RESCUE SAW WITH DIAMOND TIPPED BLADE & REPLACEMENT -03TYPE WITH WATER PUMPT 03	03
02	CARBIDE TIP CHAIN SAW	01
03	DIAMOND CHAIN SAW ब्लेड 01, चैन 01, टूल 01, पॅम्पहोडाकम्पनी 01	01
04	COMBINATION CUTTER & SPREADER कम्परेशमशीन 01, कम्परेशपाईप-दोहरी, मेनुवलबुक,सीडी,	01
05	ANGEL CUTTER (ELECTRICAL)DIA&REPLACEMENT 14" DIA (DIMAND TIPPED BLADE THREE TYPES)	01
06	CIRCULAR SAW (ELECTRIC) 16" REPLACEMENT CARBIDE TIPPED BLADE	01
07	RECIPROCATING SAW BLADE (WOOD & METAL BLADE)	01
	रेसिप्रोकेटिंगसाकम्पलीटसेट	
08	ELETRIC DRILL & BIT SET	01
09	RATORY HAMMER DRILL & BIT	02
10	CHIPPING HAMMER BITS SET CHIPPING HAMMER COMPLETE SET	01
11	GENERATOR PORTABLE 2.5 KV	03
12	GENERATER 10 KV	02
13	INFLATABLE EMERGENCY LIGHTNG SYSTEM (ASKA LIGHT)	02
14	Power Tool	1 SET
	नेटप्लास्टीक- 2 नग गैससैलेन्डर-2 नग पावरमीटर-1 नग पाईप- 2 नग रेगुलेटर-1 नग नोजल- 2 नग	
15	AIR LIFTING BAGS SET WITH AIR CYLINDER	1
	1. रेगुलेटरडबलमीटर-4नगमय पाईप	
	2. रेगुलेटरकन्ट्रोलर- 2 नग	
	3. सिंगल मीटर-4 नग	
	4. प्लेटकनेक्टरपाईप छोटे-8 नग	
	5. प्लेटकनेक्टरपाईप बड़े-8 नग	
	6. नोजलपीतल के - 4 नग	
	7. कालेबैग10साईजक - 20 नग	
	8. प्लेटकनेक्टरपाईपमिडियम-8 नग	
	9. प्लेट 10 साईज- 20 नग	
	10. सिलेन्डर-6 नग	
	11. टेस्टकिट- 1	
16	RAMSET WITH MATCHING FOOTPUMP	01
17	HYDRAULIC JACK 20 TON	01

18	BOLT CUTTER	01
19	COME ALONG 1.5 TON	01
20	LIFE DETECTOR SYSTEM	01
21	KEY HOLE SAW WITH SET OF FOUR SAW (चारप्रकार की)	04
22	VICTIM LOCATION CAMERA & BREACHING SYSTEM	02
23	SMOKE EXHAUSTER (VENTILATOR)	01
24	STRETCHER/SPINE BOARD WITH ACCESSORIES	04
25	HELMET WITH CAMERA	02
26	WEIGHT LIFTING SILING (BELT)	03
27	MOTION SCOUT	12
28	TARPAULIN 6*6 मीटर	05
29	TARPAULIN 8*8 मीटर	01
30	हाईड्रेनसिटीसर्चलाइट	20
31	DRAGUN LIGHT	04
32	ELECTRICE SEFTY LIGHT BAR	06
33	GPS SET	04
34	10000 LUMENS LIGHT	03
35	SAFETY TORCH	03
36	HEAD TORCH	13
37	REFLECTIVE JACKET	143
38	GUM BOOT	31 Pair
39	GLOVES	
	01. Cotton	90 P
	02- Lether	89 P
	03- Electrce	01 P
40	KNEE PAD	69 P
41	SAFTY HELMET	115
42	TRAFFIC CONES WITH TAPE	42
43	EAR PLUGE	25
44	BELL HELLAR & MEGA PHONE	03

45	KIT CARRYING BAG	25
46	AXE MATE KIT	01
47	HAND SAW WITH WOODE	01
48	PRY BAR	01
49	CROW BAR	01
50	PLIER 8"	03
51	WISE GRIP 10"	01
52	TIN SNIP 12"	02
53	CHISEL	06
54	SNAKECATCHER	01
55	HEMMER FOR TYPE SET BRICKS SLEDGHE CLOW CARPENTER	03 SET
56	TOOL BOX WITH ACCESSORIES	01
57	PORTABLE SHELTER	01
58	FIRE EXTINGUISHER	05
59	SPADE SHOVEL	02
60	CARPENTER HAMMER	03
61	CHIPPING HAMMER 20 KG	01
62	EXTENSION CORD SYSTEM 8 MM 100 METER LONG	02
63	VISHAL विशाल	25

<u>CBRN EQUIPMENT</u>		
क्र.स.	नाम उपकरण	कुलतादाद
01	BREATHING APPARATUS SET WITH SPARE CYLINDERS	01 SET
02	3 M RESPIRATOR GAS MASK WITH 2 CANNISTER	01 SET
03	INTERGRATED HOOD MASK	01

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग वृत्त कोटा

● विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों की स्थिति

क्र.सं	रिसोर्सकाविवरण	उपलब्ध संख्या	विशेषविवरण
1	मानवसंसाधन 1. प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ 2. अभियंता सिविल एवं मेकेनिकल	234 51	कोटा मुख्यालय पर 180 एवं मुख्यालय के बाहर 54 कोटा मुख्यालय पर 38 एवं मुख्यालय के बाहर 13
2	वाहन 1. जीप 2. ट्रक	14 00	कोटा मुख्यालय पर 10 एवं 04 मुख्यालय के बाहर
3	1. वाहनचालक 2. गोताखोर	2 0	मुख्यालय पर 02
4	यंत्र एवं सयंत्र 1 जेसीबीमंशीन 2 हाइड्रामंशीन 3 क्रेन/ड्रेगलाइन 4 मडपम्प 5 जनरेटरसेट 6 नाव 7 सर्चलाइट 8 ड्रेगनलाइट 9 रस्सा 10 बोरा (गनी बैग) 11 लाईफजैकेट	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	सभी सयंत्र आवश्यकता होने पर किराये पर लिये जाते हैं।
5	स्थापित नियंत्रण कक्ष	3	1. मुख्यालय पर 0744-2501961 2. मुख्यालय पर 0744-2500598 3. मुख्यालय पर 0744-2370676 4. रामगंजमंडी 07459-221202 अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय के आदेश 8317-42 दिनांक 16.3.2022 से जिला स्तर नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या 2501961 पर संचालित है।
6	विभागीय फायरहाईड्रेंट	3	1 जे के चौकी केम्पस 2 शोपिंगसेन्टर चौकी 3 अकेलगढहेडवर्क्स
7	मुख्य जल उत्पादन केन्द्र अकेलगढ पर संभावित अतिवृष्टि एवं बाढ़ (ट्रबडिटी) के मध्य नजर अतिरिक्त अभियंताओं की ड्यूटी अतिरिक्त मुख्य अभियंता क्षेत्र कोटा के कार्यालय आदेश 6248-67 दिनांक 04.08.15 से लागू है।	14	प्रतिदिन 2 अभियंता पदस्थापित अभियंताओं के अतिरिक्त अपनी ड्यूटी बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति में अकेलगढ जल उत्पादन केन्द्र पर देंगे

8	अन्य स्रोत-नलकूप, खुलेकुँए एवं बावड़ी	102 नलकूप 43 सिंगल फेज	नलकूप एवं कुँए इत्यादि को प्रदूषण से बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है।
9	पेयजल की गुणवत्ता एवं पेयजल कानिजीकरण सुनिश्चित हेतु प्रयोगशाला	2	मुख्य जल उत्पादन केन्द्र अकेलगढ पर आधुनिकतम उपकरणों सुसज्जित प्रयोगशाला कार्यरत है। इसी प्रकार मुख्य जल उत्पादन केन्द्र सकतपुरा पर ऐसी प्रयोगशाला स्थापित है जो पेयजल गुणवत्ता की निगरानी कर रही है।
10	आवश्यक रसायनों की उपलब्धता 1. ब्लीचिंग पाउडर 2. क्लोरीन टनर 3. ऐलुमिनाफेरिक 4. लाइन (चूना)	06 टन 18 टन 50 टन 5.5 टन	सभी पेयजल योजनाओं पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। हर समय 10 टन क्लोरीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मुख्य जल उत्पादन केन्द्र अकेलगढ पर अत्यधिक टबडिटी से निपटने के लिये एलम की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। आवश्यकता अनुरूप अल्प समय में उपलब्ध हो जाता है। आवश्यकता कम होती है।
11	डेडीकटेड पावर फीडर्स की 11 केवी एवं 32 केवी की संख्या	6	1. सकतपुरा जीएसएस से सकतपुरा डब्ल्यूटीपी 2. एमबीएस हास्पिटल जीएसएस से मुदाधर पम्पहाउस तक 3. महावीर नगर जीएसएस से अकेलगढ तक 4. दादाबाड़ी जीएसएस से आरपीएस पम्पहाउस तक 5. रावतभाटा जीएसएस से एकलिंगपुरा इंटेक तक 6. रामगंज मंडी से रावली पम्पहाउस तक। सभी फीडर्स के रखरखाव एवं मजबूती के लिये संबंधित संवेदकों का अतिरिक्त संसाधन हेतु निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही विधुत वितरण निगम से निरन्तर सम्पर्क स्थापित है।

अधीक्षण अभियंता
जन स्वा0 अभि0 विभाग, वृत्तकोटा

	कार्यालय अधीक्षण अभियंता (कोटा वृत्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडकोटा , पुराना पॉवर हाउसकोटा ,खाई रोड , टेलीफोन न. 0744-2324192 ई.मेल: SEKOTA@JVVNL.ORG	 प्रभास्मि:सूर्यो:शशि:
---	--	---

क्रमांक:जेपीडी/अअ/कोवृत्/प्रे0

दिनांक

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर(सीलिंग),
कोटा।

विषय :- जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) अपडेट कर भिजवाने हेतु।

संदर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक सहायता/डीडीएमए/2024/603 दिनांक 02.05.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में विभाग के अन्तर्गत वर्षाकाल के दौरान विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु निम्न व्यवस्था की गई है :-

1. कोटा वृत्त के अन्तर्गत वृत्त कन्ट्रोल रूम व खण्ड स्तर पर उपभोक्ता सेवा केन्द्र पहले से ही स्थापित किये हुए हैं, जिनका विवरण निम्नप्रकार हैं-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	स्थान	दूरभाष नं.	मोबाइल नं.
1.	अधीक्षण अभियन्ता(कोटा वृत्त), कोटा	कोटा मुख्यालय	0744-2323638	9413390757
2.	अधिशायी अभियन्ता(जिलाखण्ड), कोटा	कोटा	0744-2327966	18001806507 (टोल फ्री)
3.	अधिशायी अभियन्ता(पवस), रामगंजमण्डी	रामगंजमण्डी	07459-222122	18001806507 (टोल फ्री)
4.	अधिशायी अभियन्ता(पवस), सांगोद	सांगोद	07450-233075	18001806507 (टोल फ्री)

2. सभी उपखण्डों में बाढ़ की स्थिति में व्यवस्था सुचारु रखने हेतु आवश्यक उपकरण, पोल, कण्डक्टर आदि प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

3. सभी अधिशायी / सहायक अभियन्ताओं को नीचे रखे हुए ट्रांसफॉर्मर को चिन्हित कर निश्चित उंचाई पर रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

4. सभी अधिशायी / सहायक अभियन्ताओं को ढीले तारों को कसने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

5. आंधी तूफान के दौरान विद्युत प्रवाह अथवा विद्युत दुर्घटना घटित न हो, इस बाबत सभी अधिशायी / सहायक अभियन्ताओं को सतर्क रहने बाबत निर्देशित कर दिया गया है।

अधीक्षण अभियंता (को.वृ.)

जयपुर डिस्कॉम, कोटा

प्रतिलिपि अधिशाषी/सहायक अभियंता(), जयपुर डिस्कॉम.....को प्रेषित कर लेख हैं कि उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें अथवा किसी भी दुर्घटना की स्थिति में समस्त दायित्व आपका होगा।

अधीक्षण अभियंता (को.वृ.)

जयपुर डिस्कॉम, कोटा